लेखक

एक परिचय

●

श्री रामचन्द्र बोड़ा एम० ए० उन चुनींदा प्रतिभावान विचारकों में से हैं, जिनका अध्ययन क्षेत्र व्यापक रहा है और जिन्हें पाश्चात्य-दर्शन और वहां के बौद्धिकविकास का पूरा ज्ञान है।

ब्राह्मण परिवार में (जोधपुर में) आपका जन्म हुआ तथा प्रारम्भिक शिक्षा दयालबाग, आगरा में हुई।

एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते वे देश में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन में अछूते न रह सके। उन्हें क्रांतिकारी कार्यों के कारण अंग्रेजी-राज में चार साल का कठोर कारावास मिला।

प्रकाशक :

लोकायत शोध संस्थान

दांता हाउस, जयपुर

•

मूल्य

१०) दस रुपया

•

मुद्रक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जयपुर

श्री रामचन्द्र बोड़ा ने 'अमर शहीद सागरमल गोपा' की जीवनी की भूमिका मुझ से चाही है। उनका यह अनुरोध वास्तव में उनका अनुग्रह है; उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि राजस्थान की वीरप्रसविनी भूमि की वन्दना कर सकूं और उसके अमर पुत्र सागरमल की स्मृति पर सम्मान के दो फूल चढ़ा सकूं।

क्रान्तिकारी दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनका कार्य-क्षेत्र विचारों का जगत् होता है। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये नये विचार समाज के चिन्तन का ढांचा बदल देते है। फिर नये चिन्तन का समीर संवेदन के प्रकार बदलता है, उसको नया विस्तार देता है, इससे परिस्थितियों मे नये प्रकार के सम्बन्ध बनते है। अन्ततोगत्वा सामाजिक परिस्थिति बदल जाती है। इस प्रक्रिया मे लम्बा अरसा भी लग सकता है; कभी ऐसा भी हो सकता है कि विचार बिखर जायें और समीर में इतना तेज न रहे कि वह समाज में वांछित परिवर्त्तन पैदा कर सके। लेकिन जब वैचारिक क्रान्ति सफल होती है तो उसके प्रभाव दीर्घकाल-व्यापी और दूरदेश-व्यापी हो सकते हैं।

एक दूसरे प्रकार के क्रान्तिकारी वैचारिक क्रान्ति से आरम्भ नही करते, वे ठोस धरती पर खड़े साधारण यथार्थ-जीवन से

आरम्भ करते है और अनुभव की आग में तप कर धीरे-धीरे निखरते हुए उस शक्ति का संचय करते हैं जो समाज को बदल सकती है। ऐसे क्रान्तिकारी सर्वथा 'युगीन' होते हैं; समाज उनके बाद उन्हें भुला भी दे सकता है, लेकिन अपने ही देश काल पर उनकी छाप इतनी गहरी होती है कि भुलाये जा कर भी उन का जीवन और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होता—वह उनके जीवन-काल में ही अपनी निष्पत्ति पा चुका होता है।

शहीद सागरमल गोपा इस दूसरी कोटि के क्रान्तिकारी थे। उनके जीवन में चकाचौंध पैदा करने वाला अथवा बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने वाला विशेष कुछ न था। लेकिन जो विशेष था, वह बुद्धिजीवियों के लिए भी उतना ही दुर्लभ होता है जितना दूसरों के लिए। जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन और उत्पीड़न की आग ने ही उन्हें बनाया और उसी की नृशंसता की आग में वह होम हो गये। जेल ही में भयानक शारीरिक यन्त्रणाओं के बाद शरीर पर मिट्टी का तेल डाल कर उन्हें जीवित जला दिया गया। पर यह आहुति व्यर्थ नहीं गयी। यह असन्दिग्ध है कि राजस्थान की जागृति में उसका गहरा प्रभाव रहा। यदि आज राजस्थान की राजनैतिक जागृति और भविष्योन्मुखता उसको भारत के राज्यों में प्रमुख स्थान दिला रही है तो स्वर्गीय सागरमल गोपा और उन जैसे जन-प्रतिनिधियों के बलिदान के बल पर ही।

अनलङ्कृत भाषा में यह जीवनी लिखी गयी है। भाषा और सामग्री प्रस्तुत करने के ढंग का थोड़ा और संवार इस पुस्तक के अधिक व्यापक प्रचार में सहायक हो सकता, लेकिन उस संवार की कमी के कारण जो पुस्तक के प्रति उदासीन होंगे वे अपना ही अहित करेंगे।

गोपाजी का जीवन और उनका अन्त समकालीन राजनैतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है। स्वाधीनता संग्राम में निस्सन्देह ऐसा भी बहुत कुछ रहा जिसके प्रति रूमानी दृष्टिकोण अब भी सम्भव है। लेकिन न स्वाधीनता अपने आप में रूमानियत है, न उसका इतिहास, न उसके लिए संग्राम-और न क्रान्ति के बाद उसकी रक्षा। शहीद सागरमल गोपा कठोर समस्याओं के इतिहास का एक अंग है। उनकी जीवनी हमें रूमानियत के वातावरण से झकझोर कर यथार्थता की ठोस धरती पर ले आती है। जन-जीवन से अविच्छिन्न रूप से बंधे हुए इस क्रान्तिकारी की यही सफलता और सिद्धि है।

शहीद सागरमल गोपा जिन्दाबाद!

चाणक्यपुरी
नई दिल्ली
१०-९-६५

लोकायत शोध संस्थान

का

आगामी महत्वपूर्ण

प्रकाशन

•

तत्वोपप्लवसिंह:

[हिन्दी तथा अंग्रेजी में]

लेखक : जयराशि भट्ट

अनुवादक : याज्ञवल्क्य 'गुरु'

•

लोकायत शोध संस्थान

दांता हाउस, जयपुर

Publisher's Note

This well-documented Biography of a well known, but unsung and not-to-be forgotten Indian-SAGARMAL GOPA has eminently succeeded in illuminating one of the darkest corners of what was an area of Darkness misnamed by historians as the 'Indian India'. Jaisalmer, an inaccessible, remote and extremely backward feudal state of yester-years, was the place were this horrifying drama was enacted. The late forties, when India was slowly but surely advancing towards the cherished goal of emancipation from the alien rule, forms the historical back-drop to this biography. Sandwiched between the mounting discontent of people, who through the politically organised mass movements were increasingly asserting their rights to democratic freedoms and thereby to join the mainstream of country's political life, and the certainty about the inevitable withdrawal of alien mentors who insured their existence, made these His and Her Highnesses extremely nervous. Nervousness was caused by the gnawing fear of insecurity, once the power that sustained the facade of their splendour was withdrawn. Refusing to see the writings on the wall, hoping against hope for perpetuating their oppressive rule much against the increasing evidence of history, feeling still the rug slipping out from under their feet, these rulers let loose a hell on the people who were fighting for freedom from-this 'swadeshi' serfdom as well as from their alien mentors. No holes were barred, no methods were infra dig and no power was left unused to the utter disregard of humanity.

Sagar Mal Gopa—a political worker in Jaisalmer state, was a victim of this wanton violence. He was burnt alive and died a Martyr. Mr. Ram Chandra Bora deserves our gratitude for having written this brilliant, inspiring, and spirited biography of a life-long rebel. This book is undoubtedly, a major contribution to the yet-to-be-written History of Freedom Struggle in Rajasthan and to the growing literature of historical biography. With the publication of this book Mr. Ram Chandra Bora can be said to have arrived as a writer who can not be ignored. Let the 'Establishments' of Akadamies tremble with awe.

Mr. R. C. as he is affectionately called by his friends, has been a restless non-conformist of a sort. Born in the year 1923 in Jodhpur, once a political and culture centre, he took his early education in Agra at a time when appreciation for studying out of the native town, was wanting. Back home, he played for some time with the morse code in the buzzing telegraph offices of different Railway stations. He gave up this presumable because transmission of others' messages was not his cup of tea. The 'Quit India' movement stirred something deep within him and his participation in the movement a la classic revolutionaries landed him what was then considered a holy place—Jail. This he promptly converted into a University where the subject of his studies was life itself—human life so to say. Nothing of human interest was alien to him and he pursued his enquiries within, of course the limitations which, in any case, were—inevitable in the circumstance obtaining then. He felt the pull of Marxism, gravitated

towards it but he regarded it as philosophy rather than what half-baked leftists called it—a 'technique of revolution'. This led him to M. N. Roy whose philosophy has exercised an enduring influence in the intellectual progress of Mr. Bora.

Independence saw Mr. R. C. emerge out of his confinement—Radical. The tough non-conformist

University of Rajasthan in the year 1951. His academic pursuits did not hinder his intellectual activities. He has contributed to Sahitya Sandesh, Lokjeewan, Prateek, Viplav, Ajanta, The Deccan Herald, THOUGHT, The Radical Humaninst, The Vanguard and other quality journals. For about 4 years he edited a philosophico-cultural journal-THE VIVEK-a monthly which was noted for its high standard of journalism and excellant intellectual calibre of its contributions He also represented The Times of India and P. T. I. for about four years. He has already published four books.

(1) LOK SAHITYA—EK NIRUPAN which has received praise of discerning critics,

(2) CHARVAK a half fictionalised-half-historical account of ancient Materialistic movement in India

(3) SAHITYA-KI-PARIDHI-a probe into the nature of Literature and its function in life, and

(4) FREUD-KI-MANOVISHALESHAN PADHATI—an account of Freud's life and his theories of psychoanalysis.

All these books are in Hindi, and nature of subjects reveal versatility of author. Evidently Mr. R.C. is one of the select few who stand committed to bring about a renaisance by revitalising the essentially humanistic traditions of Philosophers' and Encyclopedists of Enlightenment. Lokayat Sodh Sansthan is also dedicated to this historic task.

The book SAGARMAL GOPA is a product of LOVE'S LABOUR. Mr. Bora has been working on it for the last so many years. It is the biography of a heretic by a heretic. Lokayat Sodh Sansthan proudly dedicates this book AMAR SHAHEED SAGAR MAL GOPA humbly to all the dead and the living, the known and the unknown freedom fighters in Rajasthan.

We express our special gratitude to Shree Sachidanand Vatsyayan-commonly known as AGYEYA for writing an encouraging introduction to the book.

B. B. Purohit,
Secretary,
Lokayat Shodh Sansthan,
JAIPUR (Rajasthan)

दो शब्द

किसी भी व्यक्ति की जीवनी लिखना सरल नहीं है। अमर शहीद सागरमल गोपा की तो और भी नहीं। जीवनी लिखते समय उस व्यक्ति को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों और व्यवहारों को कतिपय सामाजिक संदर्भ को समझाना होगा। यह एक बहुत संश्लिष्ट बात है, जिसकी गहराई मे बैठना ही लेखक की सफलता के प्रकट करता है।

इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि अमर शहीद सागरमल गोपा के व्यक्तित्व को सही सामाजिक संदर्भों में समझा जाय। उपनिवेश-काल में जैसलमेर राजपुताने की एक छोटी सी रियासत थी, जहां सामन्तवाद सब तरह से पैर जमाये था। सामन्ती परम्पराओं के विरुद्ध और अंग्रेजी हकूमत के विरुद्ध श्री सागरमल गोपा ने दिल खोल कर आवाज उठाई थी। उसकी कीमत उन्होंने जान देकर चुकाई। और अपनी जान की बाजी उन्होने कुछ इस तरह से दी कि जिसकी दास्ता सुन कर दिल आत्म-विभोर हो उठता है।

राजस्थान में स्वाधीनता आन्दोलन के सेनानियों पर इधर अनेक प्रकाशन-'विजयसिंह पथिक' और 'घुतकेधनी' निकले है; उन प्रकाशनों में एतिहासिक समझ की कमी रही है। इस जीवन-चरित्र में ध्यान रखा गया है कि सही एतिहासिक संदर्भ भुठला न जाय।

जिस मानवीय और सामाजिक स्वतंत्रता-संग्राम का सूत्रपात अमर शहीद सागरमल गोपा ने किया था, आशा है यह पुस्तक उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

. .

मेरे अनुग्रह पर अज्ञेयजी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इस पुस्तक के विषय सम्बन्धी-खोज के सिलसिले में मुझे जो सहयोग श्री रामचन्द्र गोपा (सागरमलजी के भाई), श्री सत्यदेव व्यास, श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा (सम्पादक-प्रजा सेवक), श्री लालजी व्यास और श्री ब्रह्मानन्द पुरोहित से मिला है, उसके लिये भी उनका आभारी हूं।

इनके अलावा मैं उन सबका आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस ओर मदद की है।

दांता हाउस, जयपुर
१-१०-६५

रामचन्द्र बोड़ा एम. ए.

आदरणीया
श्रीमती हीराबाई गोपा
को

विषय सूची

अमर शहीद सागरमल गोपा

राजस्थान में स्वाधीनता आन्दोलन की पृष्ठभूमि

••

समय था जब आज का राजस्थान राजपूताना कहलाता था। वह अनेक रजवाड़ों में बटा था। परन्तु राजस्थान की प्राचीनता इन रजवाड़ों तक ही सीमित नहीं है।

इतिहासज्ञों का कहना है कि राजस्थान का प्राचीन प्रस्तर-युग तक ढूंढा जा सकता है। भूगर्भ-शास्त्रियों

को जो भी हथियार, हाथ-कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के औजार और पत्थर की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनके आधार पर इतिहासज्ञ राजस्थान की इस प्राचीनता की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा पुराणों में राजस्थान में आर्यों के वसने की बात मिलती है। इस तरह राजस्थान में बसने वाली सभ्यता की प्राचीनता को ५०,००० वर्ष पुरानी माना जा सकता है।

जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर तक फैले भूभाग में अब तक कई सांस्कृतियाँ विहंसी हैं। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर मौर्य-सभ्यता तक यहाँ की भूमि संस्कृति की गरिमा से पल्लवित रही हैं। हड़प्पा की सभ्यता इस मरुभूमि में पनप कर ही तो हिन्दुस्तान के अन्य भागों में फैली है। एक समय था जब बीकानेर के पास से सरस्वती नदी बहती थी और उसकी तलहटी में 'भूरे-रंग की और रंग महल' की सभ्यताएँ फली फूली थी। पुरातत्ववेता हमारी इस स्थापना की पुष्टि करते हैं। बहुत सम्भव है कि जैसलमेर, मारवाड़-लोहावट और जोधपुर की मरुभूमि में आज भी उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दबे पड़े हों। इतिहासज्ञों, भूगर्भ-शास्त्रियों और पुरातत्व-वेताओं को बड़ी मेहनत करके बताना होगा

कि सिंधु-घाटी की सभ्यता और सरस्वती-तलहटी की सभ्यता में परस्पर बड़ा भारी सम्बंध है।

मनु-स्मृति में भी इस प्रदेश में बहने वाली दो नदियां—सरस्वती और दृशावड़वती—का वर्णन मिलता है, जिनका अब कोई अस्तित्व नही रह गया है। पाकिस्तान की सीमा और हनुमानगढ़ के बीच थार के रेगिस्थान में, बीकानेर के समीप भादरा क्षेत्र में और उदयपुर के पास अहाड़ में खुदाई से जो बर्तन और अन्य सामग्री मिलती है, वह भी इस बात की ओर इशारा करती है। पुरातत्ववेता यह मानने लगे हैं कि बिलोचिस्तान और बीकानेर के बीच में, जिसका क्षेत्रफल लगभग सात सौ मील के होगा, किसी समय हड़प्पा की सभ्यता का निवास स्थान रहा है।

बीकानेर की खुदाई में जो बर्तन मिले है, उनमें हड़प्पा के बाद की सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। यहाँ जो भूरे-रंग के बर्तन मिले हैं वे हड़प्पा की सभ्यता के अवशेषों से भिन्न हैं। इन्हीं बर्तनों को आधार मान कर पुरातत्ववेताओं ने उसे भूरे-रंग की सभ्यता के नाम से अभिहित किया है। भूरे-रंग के अवशेष पंजाब के पटियाला प्रदेश में, उत्तर-प्रदेश में और पूर्वी-पंजाब की सीमा पर भी मिले हैं। पुरातत्व-

को जो भी हथियार, हाथ-कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के औजार और पत्थर की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनके आधार पर इतिहासज्ञ राजस्थान की इस प्राचीनता की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा पुराणों में राज-स्थान में आर्यों के बसने की बात मिलती है। इस तरह राजस्थान में बसने वाली सभ्यता की प्राचीनता को ५०,००० वर्ष पुरानी माना जा सकता है।

जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर तक फैले भूभाग में अब तक कई सांस्कृतियाँ विहंसी हैं। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर मौर्य-सभ्यता तक यहाँ की भूमि संस्कृति की गरिमा से पल्लवित रही हैं। हड़प्पा की सभ्यता इस मरुभूमि में पनप कर ही तो हिन्दुस्तान के अन्य भागों में फैली है। एक समय था जब बीकानेर के पास से सरस्वती नदी बहती थी और उसकी तलहटी में 'भूरे-रंग की और रंग महल' की सभ्यताएँ फली फूली थी। पुरातत्ववेता हमारी इस स्थापना की पुष्टि करते हैं। बहुत सम्भव है कि जैसलमेर, मारवाड़-लोहावट और जोधपुर की मरु-भूमि में आज भी उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दबे पड़े हों। इतिहासज्ञों, भूगर्भ-शास्त्रियों और पुरातत्व-वेताओं को बड़ी मेहनत करके बताना होगा

कि सिंधु-घाटी की सभ्यता और सरस्वती-तलहटी की सभ्यता में परस्पर बड़ा भारी सम्बंध है।

मनु-स्मृति में भी इस प्रदेश में बहने वाली दो नदियां—सरस्वती और दृशावड़वती—का वर्णन मिलता है, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। पाकिस्तान की सीमा और हनुमानगढ़ के बीच थार के रेगिस्थान में, बीकानेर के समीप भादरा क्षेत्र में और उदयपुर के पास अहाड़ में खुदाई से जो बर्तन और अन्य सामग्री मिलती है, वह भी इस बात की ओर इशारा करती है। पुरातत्ववेता यह मानने लगे हैं कि बिलोचिस्तान और बीकानेर के बीच में, जिसका क्षेत्रफल लगभग सात सौ मील के होगा, किसी समय हड़प्पा की सभ्यता का निवास स्थान रहा है।

बीकानेर की खुदाई में जो बर्तन मिले हैं, उनमें हड़प्पा के बाद की सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। यहाँ जो भूरे-रंग के बर्तन मिले हैं वे हड़प्पा की सभ्यता के अवशेषों से भिन्न हैं। इन्हीं बर्तनों को आधार मान कर पुरातत्ववेताओं ने उसे भूरे-रंग की सभ्यता के नाम से अभिहित किया है। भूरे-रंग के अवशेष पंजाब के पटियाला प्रदेश में, उत्तर-प्रदेश में और पूर्वी-पंजाब की सीमा पर भी मिले हैं। पुरातत्व-

वेताओं का मानना है कि यह सभ्यता और संस्कृति ६०० ई. पूर्व रही होगी।

मोहेन-जो-दारो, हड़प्पा, और भूरे-रंग की सभ्यता के अलावा राजस्थान में एक और सभ्यता का पता चलता है, जिसे पुरातत्ववेताओं ने रंग-महल की सभ्यता कहा है। सूरतगढ़ में हुई खुदाई से पता चला है कि गुप्त-काल तक यहाँ रंग-महल-सभ्यता और केवल रंग महल सँस्कृति का वोलवाला था।

मोहेन-जो-दारो, हड़प्पा, भूरे-वर्तन और रंग-महल की सभ्यताओं में परस्पर अन्तर है, ऐसा पुरातत्व-वेताओं का मानना है। यह भेद विकास का भेद है। मोहन-जो-दारो और हड़प्पा के वाद की सभ्यताएँ मोहन-जो-दारो और हड़प्पा की विकसित सभ्यताओं का ही दूसरा नाम है। इन सभ्यताओं की वेश-भूषा, भाषा, रहन-सहन और विचारों की गत्यात्मकता भी एक दूसरे के अनुरूप रही है।

यहाँ हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास की गहराई में जाना नहीं चाहते। लेकिन थोड़े में यह अवश्य वताना चाहेंगे कि राजस्थान की प्राचीनता के सम्बंध में पुरातत्व की साक्षी के अलावा साहित्य-साक्षी भी उपलब्ध है। इस साहित्य-साक्षी के अनुसार

आर्यों के राजस्थान में आने से पूर्व दो जातियाँ निवास करती थीं—एक राक्षस और दूसरी दानव। दोनों को इतिहासकारों ने आसुरी-सभ्यता का नाम दिया है। सुर और असुर का भेद इसी आधार पर किया गया है। राक्षस-जाति दानव-कबीले की तुलना में अधिक प्राचीन थी। दानव-कबीले का निवास पुष्कर के आसपास का प्रदेश माना गया है। यही दो जातियाँ आर्यों से हार खाकर चन्द्रवंशी और सूर्यवंशी बन गई थीं। मुसलमानों के पदार्पण पर जो जाति-परिवर्तन हिन्दुओं की कतिपय अनुसूचित जातियों और ऊपरी वर्ग में हुआ ठीक वैसा ही जाति परिवर्तन आर्यों के पदार्पण से हुआ। सूर्य वंशी जयपुर के आसपास के इलाके में आकर बस गये, जिसे ढूंढार कहा जाता रहा है। चन्द्रवंशी लोग चम्बल की ओर चल पड़े और यहाँ आकर बस गये। प्राकृत-धर्म (Natural religion) की गत्यात्मकता से ये जातियाँ प्रभावित थी। आर्यों के प्रभाव में आकर ही इन जातियों ने बहुत कुछ सीखा और वह छोटे २ गणतंत्र स्थापित करने में सफल हुईं। कुछ समय तक तो ये गणतंत्र इतने मजबूत थे कि उन्होंने सिकन्दर महान् तक के हमले का भी सामना बड़ी बहादुरी से किया।

इसके वहुत बाद भी अशोक महान् के शिलालेख राजस्थान में मिलते हैं। आज भी आमेर में, जो कभी वैराठ राज्य की राजधानी था, अशोक के शिलालेख उपलब्ध हैं और वहाँ एक ऐसे मन्दिर का पता चला है जिसका जीवन-काल चौथी शताब्दि माना जा सकता है। जयपुर जिले में निवाई से १३ मील की दूरी पर रेह में जो सिक्के मिले हैं उससे शूरसेन जनपद के अस्तित्व का पता चलता है। लालसोट में जो दो प्रतिमाएँ मिली हैं उससे शुंगकाल के प्रभाव का पता चलता है। इसी तरह मगरी में जो शिव के सिक्के मिले हैं, उससे शिव जनपद के भी होने का पता चलता है। उसी स्थान का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में किया है। चित्तौड़ के आसपास जनपद का वास रहा होगा, ऐसा साधारणतया अनुमान लगाया जा सकता है।

इसके वहुत वाद कुषाण-युग का राजस्थान में आरम्भ होता है। कुषाण-युग के सिक्के भी सांभर और अजमेर के आसपास के स्थानों में मिले हैं। कुषाणों के पतन के पश्चात मालव-कवीला भरतपुर तक फैल गया था। उसी फैलाव के आधार पर इतिहासकार राजस्थान में कीर्त-युग की बात करते

हैं। दूसरी शताब्दि तक कुषाण पंजाब और भरतपुर तक फैले थे। सांभर और अजमेर से बीस मील दूर पीसनगंज में मिले हुविष्क के सिक्कों से कुषाणों के फैलाव का पता चलता है। सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में भी इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं। तीसरी शताब्दि तक आकर मालव, अर्जुनायन और यौध के हमलों ने कुषाणों के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। और महेश्वपति ने यौध-गण की स्थापना कर ली थी। इसी शताब्दि के आसपास से गणों का स्थान सामन्ती परम्परा लेने लगी थी। भरतपुर, कोटा और उदयपुर में सामंतवाद की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। उदयपुर (नान्दसा) और कोटा में पाये जाने वाले स्तूपों और शिलालेखों से मालव-गण के अस्तित्व का पता चलता है।

पांचवीं शताब्दि की जो भी प्रतिमाएँ, सिक्के और वर्तन मिले हैं उसे पता चलता है कि गण अभी भी पूरी तरह समाप्त नही हो पाये थे, यद्यपि गुप्त-साम्राज्य सामन्तवाद के रूप में फलने फूलने लगा था। गुप्त-काल में लगता है गणों ने राजस्थान में गुप्त-साम्राज्य का डटकर मुकावला किया था। समुद्रगुप्त का इलाहावाद में जो शिलालेख मिला है

वह इस संघर्ष को स्पष्ट करता है। धीरे २ गुप्त-साम्राज्य गणों की परम्पराओं का प्रतिषेध करने में सफल हो गया था। आर्यों की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जो गण और प्राकृत-धर्म पनपा था, उसका मूलोच्छेदन होने लगा था। प्राकृत-धर्म की मान्यताओं में एक के वाद एक में रूप-परिवर्तन आने लगा था। प्राकृत-धर्म की प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग आप्त-धर्म के संदर्भ में होना आरम्भ हो गया था। राजस्थान और भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में ऐसे आन्तरिक सामाजिक परिवर्तन होने लगे थे। उत्तर भारत पर हूणों के आक्रमण तक इन छुट-पुट ऐतिहासिक परिवर्तनों के वावजूद यह किसी के विसात की वात नहीं थी कि आर्यों के प्रभाव से जो गण स्थापित हुए उन्हें समाप्त कर दिया जाता। राजस्थान में आर्यो के प्रभाव से वने गणों को समाप्त करने का सवसे-पहला कुश्रेय हूण-प्रधान तोरमन को दिया जा सकता है। यह एक दुख की वात थी। गण-कवीलों के टूटने के साथ प्राकृत-धर्म की मान्यताएँ भी टूटने लगी थीं। हूण-प्रधान तोरमन अपना प्रभुत्व अधिक दिनों तक नहीं जमाये रख सका। महीर-कुल तक आते २ यशोधर्मन का पैर जम गया था।

ऐसा लगता है कि यशोधर्मन गण-कबीली परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता रहा है। गणों और हूणों के परस्पर संघर्ष का लाभ गुप्त-साम्राज्य को मिला। सामान्ती परम्पराओं के पनपने की सामाजिक उर्वरा भूमि तैयार होने लगी थी। इस युग के महान विचारक और साहित्यकार के बाद साहित्य और दार्शनिक-धारणाएँ सामन्ती होने लगी थी।

इसी कारण राजस्थान में सातवीं शताब्दि का समय एक सक्रान्ति का युग रहा है। इसके बाद क्षत्रियों की प्रभुसत्ता राजपूताने के अनेक रज-वाड़ों में जम गई थी और राजपूताने का ऊपरी और आधुनिक खाका बनने लगा था। इसी समय अरबों और तुर्कों के आक्रमण हुए। इस्लामी-झण्डे के नीचे नये विचार और मान्यताएँ भारतवर्ष में प्रवेश करने लगी। इस इस्लामी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिहार, तोमर और ब्राह्मणों का एक संयुक्त मोर्चा उठ खड़ा हुआ था ताकि राजस्थान को नये विचारों और अरबी आक्रमण से बचाया जा सके। अरबों और तुर्कों के आक्रमण से राजस्थान को प्रतिहारों, तोमरों और ब्राह्मणों ने बचाया हो ऐसा तो नहीं कहा जा

सकता लेकिन राजस्थान और सिन्ध में रेगिस्थान के फैलाव के कारण अरबों और तुर्कों का प्रभाव स्थाई नहीं रहा इतना अवश्य कहा जा सकता है। इस भूभाग में सभ्यता छितराई हुई थी और यायावरी जीवन व्यतीत कर रही थी। रेगिस्थान छोड़ कर वह धीरे-धीरे खिसकने लगी और पहाड़ों के आस-पास आकर बसने लगी।

आठवीं शताब्दि तक सामन्तवाद पूरी तरह से राजस्थान में पैर जमा चुका था। सामन्ती परम्पराओं को विस्थापित करने का श्रेय राजपूत और क्षत्रिय राजाओं को दिया जा सकता है। इस काल में राज्य और सामाजिक-व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्तन आया है। इतिहासज्ञों का ध्यान इन परिवर्तनों की ओर नहीं गया है। स्वयं कर्नल टाड ने इस सम्वंध में वड़ी भूल की है।

इतिहासज्ञों ने इस ऊलझलूल धारणा को प्रश्रय दिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति रामायण और महाभारत में उल्लिखित नायकों से हुई है। इतिहासज्ञ शताब्दियों तक यह रट लगाते रहे हैं कि राजपूतों की कतिपय जातियाँ—कछावा, राठौड़, सीसोदिया सूर्य

वंशी जातियाँ, तँवर, भाटी आदि चन्द्रवंशी जातियाँ तथा चौहान, सोलंकी, परमार, परिहार आदि अन्य जातियों की उत्पत्ति किसी दैविक अग्नि पुन्ज से आबू में हुई है। यह एक हास्यास्पद धारणा है और बालकों को समझाई जाने वाली चीज हो सकती है। इसी अनुचित धारणा को लेकर इतिहासज्ञों ने इनकी वंशावली को शकों से जोड़ने का प्रयास किया है। कर्नल टाड का कहना है कि राजपूत अन्य लोगों की तरह उन जातियों के वंशज हैं जो एक ओर मध्य एशिया और काकेशश से होते हुए सिन्ध घाटी में घुसे थे और दूसरी ओर जिनका एक सम्प्रदाय योरुप की ओर मुड़ा था। सिन्ध की घाटी में बसने वाले लोग बाद में राजस्थान में आकर बसे और कालान्तर में जातियों में विभाजित हो गये। यह असली बात को घचपच में डालने का इतिहासज्ञों का एक तरीका है। आठवीं शताब्दि के बाद से राजस्थान का इतिहास राजाओं द्वारा अमानवीय तौर पर लिखा गया इतिहास है। साधारण जनता यहाँ के इतिहास को लिखने में असफल रही है। यही कारण रहा है कि कर्नल टाड राजाओं के इतिहास को ही सही मान कर उसका गुणगान करने लगा था।

राजस्थान भारतवर्ष के उत्तर में स्थित होने के कारण हमेशा आक्रमणकारी विदेशी सभ्यता का प्रदेश-द्वार रहा है। समुद्री-मार्ग को छोड़ जो भी सभ्यताएँ भारत में उत्तर-पूर्व के दर्रों से आई, उसके प्रथम चरण राजस्थान की भूमि पर पड़े हैं। अठाहरवीं शताब्दि तक, जब कि सामन्तवाद के पैर जम गये थे, आर्य, कुषाण, हूण, अरब और तुर्कों के पैर राजस्थान पर पड़े, बाद में मुसलमानों, मुगलों तथा अंग्रेजों के पैर पड़े। इन विदेशी सभ्यताओं ने राजस्थान की साँस्कृतिक गतिविधि को काफी अंशों में प्रभावित किया है।

आठवीं शताब्दि के बाद राजस्थान में इस तरह मुगलिया अंग्रेजी संस्कृति के संदर्भ में सामन्तवाद फला और फूला है। इन विभिन्न सभ्यताओं के प्रभाव के कारण ही राजस्थान में मिलने वाले सांस्कृतिक-ढांचों में प्याज के छिलकों की तरह एक में अनेक सांस्कृतिक परतें मिलती हैं। इन साँस्कृतिक-ढांचों में हमें संस्कृति का बहुवर्णी रूप मिलता है। संस्कृति के इस बहुवर्णी रूप की अपनी एकात्मक [illegible] है। राजस्थान में व्याप्त विभिन्न सांस्कृतिक-ढांचों—विशेष कर विवाह और मृत्युसम्बंधी

ढांचों में इस स्थापना की भरी पूरी पुष्टि मिलती है[1]। इन सांस्कृतिक-ढांचों में वैदिक संस्कृति के अवशेष भी विद्यमान हैं तो इस्लामी संस्कृति के अवशेष भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।

राजस्थान का अधिकांश भाग थार के रेगिस्तान से ढका होने के कारण यहाँ निवास करने वाली सभ्यता अपनी सांस्कृतिक पौध को सबल रूप नहीं दे सकी है, इससे सामन्तवाद का स्वरूप योरुप की तरह भव्य न होकर हीन और पिछड़ा हुआ रहा है। परिवार और समाज इस भू-भाग में इतना छितराया हुआ रहा है कि यहाँ आधुनिक शहरीकरण बड़ी धीमी गति में हुआ है। शहरीकरण एक प्रकार से दोहरे खोल में हुआ है।

राजस्थान में मानव-संस्कृति की जो पौध पनपी है उसकी काट-छांट विदेशी सभ्यताओं द्वारा जब तब होती रही है। राजस्थान में पनपने वाले राजनैतिक-ढांचे पर भी यही बात लागू होती है। इस काट-छांट के बावजूद संस्कृति और सामाजिक

१ विस्तार के लिए देखो मेरी पुस्तक 'राजस्थान में विभिन्न संस्कृतियों का अन्तरावलम्बन'।

व्यवस्था का स्वरूप अनादि काल में वनता और विगड़ता रहा है।

इच्छा थी कि राजस्थान में पनप रही सँस्कृति के इस स्वरूप का व्यापक अध्ययन आठवीं शताब्दि के बाद का भी यहाँ प्रस्तुत किया जाता। लेकिन देश और काल की कमी को देखते हुए यहाँ इस प्रकार का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। थोड़े में यहां पिछली बारह शताब्दियों के वदलते रूप को प्रस्तुत भर किया जायगा ताकि राजस्थान को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।

विदेशी सभ्यताओं द्वारा इसी सामन्तवाद को वारम्वार प्रश्रय मिलने के कारण राजस्थान में वसने वाला मानव समाज विदेशी सभ्यता के प्रगतिशील प्रभाव को आत्मसात नहीं कर सका है। आत्मसात करना तो दूर, यहाँ उस आत्मसात की परिरेखा भी अंकित नहीं हो पाई है। इस वात का पता राजस्थान में उपलब्ध साँस्कृतिक-ढांचों के दिक्कालात्मक शरीर से लगता है। मानवीय-सार की कमी के कारण इन साँस्कृतिक-ढांचों का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं वना रहा है।

प्राचीन-काल और मध्यकाल में जैसलमेर इलाके का बड़ा महत्व था। उस समय वह लुधरवा कहलाता था। पुराने समय में ही लुधरवा अफगानिस्तान और काबुल से आने वाले मालों की एक बहुत बड़ी मण्डी थी। इसके पहले कि हिन्दुस्तान से बाहर आने वाला माल अनेक शहरों को खफत के लिए भेजा जाता, उसे ऊंटों पर लाद कर लुधरवा की मंडी में लाया जाता था। लुधरवा का यह महत्व इस तरह काफी दिनों तक बना रहा।

लुधरवा और जैसलमेर का यह सारा तिजारती महत्व अंग्रेजों के आने के बाद समाप्त होता गया। अंग्रेजों के आने से यातायात के उन्नत साधनों के कारण जैसलमेर का यह इलाका उजड़ गया। उसका प्राचीन वैभव मिट गया है। राजस्थान का यह भू-भाग अब एक रेगिस्तानी 'टापू' बन कर रह गया है।

लुधरवा के उस प्राचीन वैभव के मिट जाने का पता हमें उस क्षेत्र के लोक-गीतों से लगता है जिसकी स्वर लहरी में एक अनोखी गहराई आई है। स्वर लहरी एकाकी और अनचीती हो गई है।

प्राचीन-काल में लुध्ररवा जैन-संस्कृति का केन्द्र-बिन्दु रहा है। संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाएँ यहां पनपी हैं, खेली हैं और बड़ी हुई हैं। जैसलमेर का साहित्य भण्डार, जिसे अब प्राच्य-पुरातत्व-विभाग जोधपुर में एकत्र किया जा चुका है, इसी बात को प्रकट करता है।

जैसलमेर थार के रेगिस्तान के किनारे बसा होने के कारण अंग्रेजी-राज भी यह हिमाकत नहीं कर सका कि वह रेल यातायात को जैसलमेर तक पहुंचा देता।

जैसलमेर की इस पिछड़ी हुई स्थिति के बावजूद जैसलमेर की जनता ने राजस्थान में और भारतवर्ष में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ कदम बढ़ाने का प्रयास किया है और उन कदमों को मिलाने में जो त्याग उसे करना पड़ा है वह अद्वितीय और सराहनीय है।

साधारणतया यह तो नहीं कहा जा सकता कि यहां के जन-जीवन में (मानवीय) संस्कृति के बीज पड़ने लगे थे। परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यहां के जन-जीवन में भारत में चल रहे राज-

नैतिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों के कारण जन चेतना में एक हरहराहट अवश्य आई है।

राजस्थान में जागीरदारी प्रथा और सामन्तवाद का जो स्वरूप रहा है, उससे यहा का जन-जीवन अवरुद्ध रहा है। सामन्ती-सामाजिक-व्यवस्था और उसके नैतिक आधार अध्यात्मवादी दर्शन के कारण यहाँ राजाओं की मनचाही अवाध रूप में चली है।

स्वतत्रता प्राप्ति तक राजस्थान मे साधारण जनता कोल्हू के बैल की तरह सामन्ती सीखचो में बुरी तरह फसी हुई रही है। इस काल में मानव अधिकार नाम की कोई चीज नही रही है। इन्हीं कारणों से यहाँ की जनता की आदत खुलकर और तर्क-संगत रूप से बात करने की नही वन पाई है। यहां का मानव स्वतंत्रता के अभाव में घुटता रहा है, फड़-फडाता रहा है और उत्पीडित रहा है। मानव का असंतोष और उनकी विद्रोही भावना गुप्त रूप से सुलगती रही है। जनता की अपनी कमजोरी के कारण सामान्तवाद (Sadist) सादवादी हो गया है।

जनता के इस स्वरूप के कारण यहाँ का विद्वत-समाज मानवीय स्वतत्रता के लिए लालायित रहा है। लेकिन कही पर भी यहाँ का विद्वत-समाज आधुनिक

ज्ञान को अपने में नहीं समा पाया है। मानव-जीवन की इस कमजोरी के कारण यहां का विद्रोह फ्रांसीसी क्रांति जैसा रूप नहीं ले सका है। उसकी गति दिशा-हीन तो नहीं रही धीमी अवश्य रही है।

मानव-इतिहास में स्वतंत्र विचारों की अपनी तार्किकता को कभी नहीं रोका जा सका है। हो सकता है कि विचारों की तार्किकता समुचित सामाजिक उर्वरा भूमि की अनुपस्थिति में दबी पड़ी रह जाय। राजस्थान में विचार अब तक संकीर्ण अनुभवों और अनुचित कल्पनाओं से बाधित रहे हैं; विचार सामाजिक क्रांति का रूप लेकर कोई सामाजिक मूल्य को प्रस्थापित नही कर पाये हैं। राजस्थान में अब तक ऐसे सामाजिक मूल्य को प्रस्थापित करने का छितराया हुआ प्रयास किया गया है और विचारों की वैसी अभिव्यक्ति में उनकी न्यस्थ-स्वार्थों से मुठ-भेड़ हुई है। जैसलमेर में विचारों के स्वतंत्रता की इस मुठभेड़ का इतिहास दर्दनाक और एकाकी रहा है।

आठवीं शताब्दि के बाद राजस्थान में सामन्त-वाद के पतन के बावजूद जैसलमेर का अन्य

सभ्यताओं से अलगाव बना रहा। अंग्रेजों के आने तक जैसलमेर अलग और पृथक बना रहा। इस अलगाव का पता हुमायूं की उस यात्रा से लगता है जो उसने हिन्दुस्तान से भागते समय की थी। और जब अकबर बादशाह का जन्म उमरकोट मे हुआ था।

अंग्रेजों के पदार्पण के बाद जैसलमेर का यह सतरह शताब्दियों का अलगाव समाप्त हुआ। राजस्थान की तरह जैसलमेर मे भी आधुनिकता के बीज पडने लगे। पाश्चात्य-सभ्यता के सम्पर्क मे आधुनिक संस्कृति की कई लीके यहा पनपने लगी। वेशभूषा और भाषा में परिवर्तन आने लगा। लेकिन सामन्ती परम्पराओं के समाप्त होने की बजाय वे रूढ रूप धारण करने लगी। सतरह शताब्दियो का सामन्तवाद और भी व्यापक हो गया और उसने स्थाई रूप धारण कर लिया। सतरह शताब्दियो तक वैसे भी मानवीय अधिकारो की बात नही की गई थी और आप्त-धर्म की मान्यताओं को कभी मानने का प्रयास नही किया गया था। आप्त-धर्म को जनता के लिए छोड़ दिया गया। जैसलमेर में जनता को कभी मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं रहे। लेकिन इस

ऐतिहासिक वस्तु-स्थिति के बावजूद तीन सामाजिक शक्तियाँ बढ़ी और पनपी हैं। उनका परस्पर अन्तर्व्यापन रहा है। धीरे २ वे सामाजिक शक्तियां एक के बाद एक आती गई और आधुनिकता की हवाओं के लिए स्थान बनाती गई।

राजस्थान की तरह जैसलमेर ने जिस पहली ताकत को देखा है वह तलवार की ताकत रही है। वह 'रणबाँका-राठोड़' के नाम से प्रतिध्वनित हुई है। मध्ययुगीन भारत में राजस्थान में वही एक ताकत रही है जिसने राजस्थान को भावात्मक रूप से आत्म-विभोर रखा है। तलवार, ढाल और चेहरे पर श्मश्रू ने यहां के व्यक्तिओं के अहँ को निर्धारित किया है।

तलवार की शक्ति व्यक्ति के आदिम शौर्य की शक्ति है। तलवार की इस शक्ति के बल पर राजा, महाराजा, महारावल, बापजी और अन्नदाता पनपे हैं। इसका प्रभाव यहाँ की एक प्रसिद्ध कहावत से [illegible] है। 'जमीन जोर जोर की, जोर हट्याँ गु[illegible] की [illegible]।'

[illegible]स्थान में इस तलवार की ताकत ने हमेशा [illegible] ने वाली ताकत का लोहा माना है।

उनके सामने वह झुकी है। राजाओं का इस तरह बाहर की ताकत के सामने झुकने का एक दिलचस्प इतिहास रहा है, जिसे कर्नल टाड नहीं लिख सका है। राजाओं के इस प्रकार से झुकने में उसे राजसी-शान दिखाई दी है। कर्नल टाड ही नहीं राजस्थान के चारण और भाटों ने भी राजाओं की बुझदिली को वीरता का रूप देकर प्रस्तुत किया है। डिंगल भाषा इस तरह के प्रस्तुती-ज्ञान से भरी पड़ी है। उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है कि जनता को राजाओं की कमजोरी का पता नहीं लग सके। राणा सांगा ने लड़ाई में एक आंख गवाई, एक टांग तुड़वाई और एक हाथ कटवाया। युद्ध में हाथ टांग और आंखे वही व्यक्ति खो सकता है जो युद्ध विद्या में प्रवीण नहीं हो। राणा सांगा के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। उसे वीर और वीरता का नमूना माना गया है। जनता के सामने उसकी यही तस्वीर युग युग तक पेश की गई है।

राजस्थान में तथाकथित स्वतंत्रता के प्रति जागरुक लोगों को और विद्वत-समाज को राजाओं की इस तलवार के झुकने में परतंत्रता के बीज दिखाई दिये हैं। यहां के साहित्यकारों ने जब तब

... तलवार को नहीं झुकने देने का असफल ... किया है। राजस्थान में कवि पीथल के ऐसे ... का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा इस-... हुआ है कि साहित्यकारों और स्वतंत्रता के प्रति ... व्यक्तियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा का और कोई सामाजिक सूत्र हाथ नहीं लगा है। इससे ... की भावना का उदात्तिकरण अनायास ... अनुचित ढंग में हुआ है। उन साहित्यकारों की स्वतंत्रता की यह भावना उदात्तिकृत होकर किसी भी राजा के प्रति फूट पड़ी है जिसने थोड़ा बहुत साहस मानवीय परम्पराओं के प्रति दिखाया है। मिरजां खां इसका जीता जागता उदाहरण है। उसने कुंवर अमरसिंह की उदार भावना मे प्रभावित-होकर मेवाड़ी भाषा में लिखा,

"धरम रहसी, रहसी धरा,
खिस जासे खुरसाण।
अपर विसम्भर ऊपरे,
राखि निहचै राण।"

यह दोहा अजमेर के सूबेदार मिरजां खां ने (जो बाद में खानखाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ) ...ड़ी भाषा में ... किया है कि महाराणा

प्रताप के कुंवर अमरसिंह ने मिरजा खां की शेरपुर मे पकड़ी गयी बेगमो को बहुत इज्जत के साथ मिरजा खां के पास पहुंचा दिया था।

इसी प्रकार पृथ्वीराज पीथल जो स्वयं बादशाह सम्राट अकबर के यहा नौकरी पर थे महाराजा प्रताप को झुकते देख प्रशंसा सूचक शब्दो में लिख भेजा था,

"अकबर समद अथाह,
सूरापण भरियो सजल।
मेवाड़ो तिण माह,
पोयण फूल प्रतापसी ॥१॥
अकबर एकण वार
दागल की सारी दुनी।
अण दागल असवार,
रहियो राण प्रतापसी ॥२॥
अकबर घोर अन्धार,
ऊंघाण हिन्दू अवर।
जागै जुग दातार,
पोहरै राण प्रतापसी ॥३॥

हिन्दूपति परताप,
पत राखी हिन्दुवाण री।
सहे विपत सन्ताप,
सत्य सपथ करि आपणी ॥४॥

चौथी चीतोड़ाह,
बांटो बाजन्ती तणी।
माथे मेवाड़ाह,
सोहै राण प्रतापसी ॥५॥

चम्पो चीतोड़ाह,
पोरस तणी प्रतापसी।
सोरभ अकबर शाह,
अलियल आभड़िया नहीं ॥६॥

पातल खाग प्रमाण,
सांची सांगा हर धणी।
रही सदा लग राण,
अकबर सूं ऊभी अणी ॥७॥

माई जण अहड़ा जणे,
जहड़ा राण प्रताप।
अकबर सूतो ओझके,
जाण सिराणे सांप ॥८॥

राजस्थान के राजाओं की तलवार का शौर्य यदि कहीं मिलता है तो वह सिर्फ साधारण जनता के शोषण में मिलता है। सामन्ती प्रभाव के अन्तर्गत राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की ढली है कि यहां की जनता धोबी के गधे की तरह काम करती रही है। मानसिक रूप में राजा को ईश्वर का अवतार मानकर उसे पूजती रही है। पन्ना धाय का किस्सा किसी भी इतिहास के विद्यार्थी से छिपा नहीं है। राजा के पुत्र के लिए अपने पुत्र को मरवा देने से ज्यादा मानसिक गुलामी क्या हो सकती है।

राजस्थान के रजवाड़ों में यह एक प्रथा रही है कि जागीरी पूर्ण रूप से एक ही जाति के अधीन रहे। और राजस्थान में पूर्णरूप से जागीरी पर अधिकार जमाने का श्रेय राजपूत जाति को रहा है। राजस्थान के रजवाड़ों में परिव्याप्त जागीरी प्रथा के अनुसार जमीन का अधिपत्य उमरावों से लेकर चड़स[1] की भूमि तक का अधिकार प्रधान राजा के वंश वालों तक ही सीमित रहता था।

---

१ चड़स शब्द का प्रयोग [illegible] [illegible] या चर्म के एक ऐसे बर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे कुए से पानी निकाला जाता है।

राजस्थान में ही नहीं योरुप में भी जागीरी-प्रथा का ऐसा ही स्वरूप रहा है। इस पर प्रकाश डालते हुए श्री जान थ्राप मोटले अपनी पुस्तक 'द राइज आफ डच रिपब्लिक' में लिखते हैं,

"The land's master having acquired the property in the territory and to the people who feed thereon distribute to his subalterns, often but a shade beneath him in power portions of his estate getting the use of their faithful swords in return, subdivided again to vasals exchanging, land and cattle, human or other, again featly and so the iron chain of military hierarchy forged of mutually interdependent links, is stretched over each little province. (The Rise of Dutch Republic P. P. 13.)

राजस्थान में तलवार की ताकत ने मध्य-युग के बाद अनेक दुर्गों का निर्माण किया है-विशेष रूप से ऐसे दुर्गों का जो स्थापत्य में भव्य हैं, लेकिन जिन्होंने कभी भी तलवार की झन्कार नहीं सुनी। इन

चड़स का यहाँ अर्थ जागीरी प्रथा के अनुसार जमीन के उस कम से 'कम भाग से है जो जागीरी मे छोटे से छोटे पद के व्यक्ति को दी जाती थी। कुए से पानी निकालते समय चड़स से पानी खींचने वाले बैलो की डोरी की लंबाई को 'चड़स' की ईकाई कहा जाता रहा है।

दुर्गों की प्राचीर ने यदि किसी आवाज को सुना है तो वह शहनाई की स्वर लहरी रही है, पड़दायतियों और गोलियों की फुसफुसाती आवाज रही है और रही है अन्नदाता, बापजी और खमाघणी की आवाज।

दुर्गों के इस निर्माण में कभी कभी मनुष्य को उन दुर्गों की नीवों के नीचे गाड़ा गया है—यह विश्वास लेकर कि ऐसी नर बलि से ये दुर्ग अपने खोखले वैभव को युग युग तक बनाया रख सकेंगे। अंग्रेजी-साम्राज्य के अन्तर्गत इनको फलने फूलने का अनोखा अवसर प्राप्त हुआ है।

राजस्थान में दस बारह शताब्दियों तक सामन्तवाद और जागीरदारी का बोलबाला रहा है। यहां के सामाजिक-जीवन पर इस प्रथा का नियामक प्रभाव पड़ा है। ढोला-मारू और मूमल इसी प्रथा की पृष्ठभूमि में प्रजनित हुई है। सामान्य जनता को बारम्बार इसी प्रकार के सामन्ती साहित्य की लोरियां सुनाई जाती रही हैं।

राजपूताने में ही नहीं वरन् संसार के लगभग हर भाग में जहां सामन्तवाद का बोलबाला रहा है सामन्तवाद को जीवित रखने के लिए एक ही

सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है—'राजा ईश्वर का अवतार' है। जनता के अज्ञान और अन्ध-विश्वास ने इस धारणा को अधिक दृढ और प्रभावशाली बना दिया है। शताब्दियों तक सम्पत्ति का एकाधिकार राजाओं के हाथ में रहा है।

सम्पत्ति के इस तरह कुछ राजाओं के हाथ में बंट जाने के कारण उनमें परस्पर प्रतिस्पर्द्धा रही है। हर रजवाड़ा दूसरे रजवाड़े को अपनी ताकत का लोहा मनवाने को तैयार रहा है। हर रजवाड़े का एक अपना अहँ रहा है। इस अहँ में मानवीय भावात्मक एकता के लिए कोई स्थान नहीं रहा है।

इस बात का पता हमें तब लगता है जब आज भी जयपुर के चन्द्रमहल में जोधपुर रियासत का झंडा यह दिखाने के लिए रखा गया है कि जयपुर वाले जोधपुर वालों से बलशाली रहे हैं। वास्तव में रजवाड़े चाहे वे जोधपुर के हों या जयपुर के वे केवल अपनी काल्पनिक परिकल्पना में शौर्यपूर्ण रहे हैं। इसका पता इस दोहे से लगता है—

घोड़ा, जूता, पगड़ी,
मूंठा, खड, मारवाड़

पच्चरेखया मेल दीदी
पाटण में राठौड़ी।

सामन्तवाद के अलावा राजस्थान में छितराये हुए ठंडे और गरम रेगिस्तान की छाती पर साधारण जनता अपने अलगोजों और मवेशियों के साथ खोखा और ढालू खाते हुए पानी और चारे की खोज में लम्बे अरसे तक यायावरी जीवन व्यतीत करती रही है। ऐसे जन-जीवन के लिए प्रसिद्ध है,—

आकड़े रो झूपड़ो ने फोग री बाड़,
बाजरी रो होगरो ने मोठों री दाल।
देखी रे देखी राजा थारी भूखी मारवाड़।

राजस्थान के जनता का यायावरी जीवन मानवीय अधिक रहा है। साधारण--जन की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति यहां की कहावतों में हुई है और उनका मौखिक आवर्तन शताब्दियों तक होता रहा है। सामन्ती थपेड़ों से वह धुमिल अवश्य हुई है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस साहित्य की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। बीसवीं शताब्दि में भी ऐसा मौलिक साहित्य नहीं पनपा है जो ऐसे जन-जीवन को अपनी अभिव्यक्ति का अंग बना पाया हो।

राजस्थान में सामन्तवाद ने अपनी तलवार के अन्तर्गत मुसाहिब-वर्ग को पनपने दिया है। यह मुसाहिब-वर्ग राजस्थान में शक्तिशाली ताकत के रूप में नहीं पनपा है। मुसाहिब यहां रहे है–एक से एक दिग्गज लेकिन उसका अस्तित्व राजा की अनुकम्पा पर निर्भर रहा है। यहां के मुसाहिबों ने राजनीति की बात केवल तब की है जब राजघरानों में एक प्रकार का अन्तर्विरोध घर कर गया होता है और वह अन्तर्विरोध एक प्रकार की घरेलू राजनीति की मांग करने लगता है। राजस्थान की राजनीति इस आपसी कलह का ही फल रही है। सामन्ती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की कमजोरी के कारण यहां मुसाहिब लोग वर्ग के रूप में नहीं पनप पाये हैं। वे सामाजिक-संघठन के रूप मे नही इकट्ठे हो पाये हैं। आज पूंजीवाद में जिस प्रकार मध्यम-वर्ग और अन्य वर्ग एक विशिष्ट प्रकार की चार दिवारी में पनपे हैं उसी प्रकार सामन्तवाद के अन्तर्गत राजस्थान में मुसाहिब-वर्ग (के रूप में) नही उठ सका था क्योंकि यहा की उत्पादन–प्रणाली उसकी माग नहीं करती थी।

राजस्थान में मुसाहिबों के साथ राज-पुरोहित का भी एक समुदाय रहा है। उसने ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर राजाओं के लिए कभी कभी नकेल का काम किया है। यह वर्ग योरुप की तरह ताकतवर और प्रभु सम्पन्न नहीं रहा कि जिससे राजा को अपने हर कार्य के लिए उनसे स्वीकृति मांगनी पड़े। यूरोप की तरह पुरोहित-वर्ग राजाओं को अपना क्रीत दास नहीं बना सका। यहां के पुरोहित-वर्ग ने केवल राजा और जनता को जन्म-मरण के बाद और पहले के संस्कारों को सम्पन्न कराने की शिक्षा दी है। जनता के सीधे पर जीने वाला यह पुरोहित-वर्ग अपने स्वाभिमान को नहीं बना पाया है। वह पराश्रित रहा है। वेदपाठी पुरोहितों ने यह सब उस समय किया है जब सामान्तवाद अपने भरे-फूले रूप में गोलियों, डावड़ियों, पड़दायतियों, दासियों, ढोलणियों, पातरियों की एक फौज तैयार करने में संलग्न था और राजा लोग अपना अधिकांश समय इनसे रंग-रेलियां करने में बिताते थे।

इसी वर्ग की यूरोप में कैसी सामाजिक स्थिति रही है उसका वर्णन करते हुए श्री मोटले आगे लिखते हैं :

'Another force—the force clerical—the power of clerks, arises the might of the educated mind measuring itself against brute violence, a force embodied, as often before, as priest-craft—the strength of priest-craft meaning, simply, strength, in our old mother tongue. The great force, too, develops itself variously, being some-times beneficent, some-times malignant. Priesthood works out its task, age after age; now smoothing penitent death beds, consecrating graves, feeding the hungry, clothing the naked, incarnating the Christian precepts, in an age of rapine and homicide, doing a thousand deeds of love and charity among the obscure and foresaken—deeds of which there shall be never chronicle, but a leaf or two, perhaphs, in the recording angel's book; hiving precious honey from the few flowers of gentle art which bloom upon a howling wilderness; holding up the light of science over a stormy sea, treasuring in convents and crypts the few fossils of antique learning which become visible, as the extinct megatherium of an elder world reappears after the gothic deluge; and now, careering in helm and hauberk with the other ruffians, bandying blows in the thickness, and candle its trembling enemies, while soveriegns, at the head of armies, grovel in the dust and

offer abject submission for the kiss of peace; exercising the same conjury over ignorant baron and cowardly hind, making the fiction of apostolic authority to bind and loose, as prolific in acres as the other divine-night to have and hold, thus the force of cultivated intellect, yeilded by a chosen few and sanctioned by supernatural authority, becomes as potent as the sword (p.p.35)

राजस्थान में जब जब इन राजाओं को अपने अस्तित्व का खतरा हुआ है तब तक इन्होंने एक और अन्य ताकत को प्रसूत किया है और वह ताकत है डाकुओं की। जब अंग्रेजों ने राजाओं को सामाजिक और राजनैतिक रूप से सीमित परिधि में डालने का प्रयास किया तब राजाओं ने ऐसी सामाजिक आवहवा तैयार की जिससे जगह २ डाकाजनी होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यही हुआ। जगह-जगह डाके पड़ने लगे और लोकनायक जयनारायण व्यास को राजस्थान के मुख्य मंत्री के नाते उस समस्या का सामना करना पड़ा और 'सांकड़ा' को उस समस्या का केन्द्र बिन्दु बनाया। राजस्थान में गोलित-हूटों का बहुवर्णी रूप रहा है, जिसका पता पुलिस की 'डायरियों' से लगता है।

राजस्थान में ही नहीं स्वयं समूचे भारतवर्ष में डाकुओं की ताकत केवल उस समय पनपी है जब यहां की राजनैतिक और सामाजिक-परिस्थितियों में एक प्रकार का राज्य-प्रतुल्क्षेपण आया है। उस समय राजकीय वर्गो के सहयोग से डाकुओं की ताकत को सम्बल मिला है। सन् सत्तावन और सेंतालीस के बाद का इतिहास हमारी इस स्थापना की पुष्टि करता है।

राजस्थान के क्षितिज पर मंडराती इस भयावह छाया को जैसलमेर और उसके आसपास के धोरों और ढाणियों में खुल कर प्रश्रय मिला है। राजस्थान का यह इलाका मरुस्थलीय होने के कारण राजकीय पुलिस को इन डाकुओं का पीछा करने मे किस कठिनाई का सामना करना पडा है। उसका पता भी पुलिस विभाग की रिपोर्टों से लगता है। राजस्थान की जनता छितराई हुई होने के कारण डाकुओं से भयभीत रही है और उसने डाकुओं के आतंक के प्रभाव में आकर उनके जीतो के गीत गाने के प्रयास किये हैं। जैसलमेर और पोकरण का इलाका विशेष कर सांकड़ा तो डाकू पैदा करने में

प्रसिद्ध रहा है। वहां एक प्रचलित कहावत है कि जो सांकड़ा का पानी पी लेगा वह डाकू हो जायगा।

अंग्रेजी राज्य ने राजस्थान को झकझोरा है। राजस्थान में इतना व्यापक परिवर्तन न तो मुगल ही ला सके थे और न इस्लाम ही ला सका था। अंग्रेजी-राज्य के माध्यम से राजस्थान में पहली बार एक प्रकार की सामाजिकता पनपी है जिसने आधुनिक और औद्योगिक राजस्थान की उर्वरा भूमि तैयार की है। अंग्रेजी-राज्य में राजस्थान को, उसकी रुढ संस्कृति को फलने फूलने के लिए खूब पानी मिला है। अंग्रेजी-राज्य-काल में राजस्थान में भारतवर्ष के अन्य भागों की तरह पहली बार नगरपालिका का गठन, पंचायतों का चयन, कतिपय भारी में भारी उद्योग धंधों का विकास, कानून का राज्य, शिक्षा का प्रसार, न्यायालयों की प्रभुसम्पन्नता और याता-यात को स्थायी विस्तार मिला है।

में अंग्रेजी-राज्य के प्रभाव से आये के परिप्रेक्ष्य में जो शहरीकरण हुआ प्राचीन शहरीकरण से भिन्न रहा है। शहरीकरण मुख्य रूप में दुर्गों के पर-

कोटों में हुआ है। राजस्थान में ऐसा कोई शहर नही मिलता जिसके चारों ओर परकोटा नही खिंचा हो। साधारण जनता को उन परकोटों के वाहर आने जाने में रुकावट का सामना करना पड़ा है। परकोटे के हर द्वार पर सामन्तकालीन राजपूताने में पुलिस तैनात रहती थी जो नियमित समय पर ही शहर की जनता को वाहर या भीतर आने जाने देती थी। अंग्रेजी-राज्य मे शहर इन परकोटों को छोड़ साधारण धरती पर आकर फैला है।

इन सब परिवर्तनो के बावजूद राजा-लोग अंग्रेजी-राज्य की छत्रछाया में पनपे है। वे हर प्रकार से सम्पन्न और प्रभावशाली रहे है। उनका घूँसा[1] राजस्थान के हर कोने से वजा है। इस तरह

---

१. घूंसो वाजे रे महाराजा हणवंतसिंह रो, (वाह-वाह) घूं सो बाजे रे ॥टेर॥
महाराजा हणवंतसिंह कंवर कन्हैया, हुक्म दियो रे खेलो होली ॥घूंसो०॥
वाह-वाह घूंसो वाजे रे महाराजा, थारी मारवाड़ मे घूंसो वाजे रे ॥घूंसो०॥
जीवणी मिसल माहि चापा कूंपा, ऐ ओपे मारू रण चाल ॥घूंसो०॥
डावी रे मिसल ऊदा मेड़तिया, जोधा है शूरा री ढाल ॥घूंसो०॥
आउवो आसोप तो माणक मूंगा, ज्यूं सोहे रतना री माल ॥घूंसो०॥
रीयां रायपुर और खेरवो, दीपे ज्यूं मारू करमाल ॥घूंसो०॥
जैमल हुयो मुलक मे चावो, अमरो हिन्दवा लज रखवाल ॥घूंसो०॥
मुकन जैदेव गोरा जसधारी, चिन दुरगो राखियो अजमाल ॥घूंसो०॥

अंग्रेज स्थानीय सामन्तवाद का खुल कर पोषण करते रहे हैं। अंग्रेजों और राजाओं के दोहरे प्रभाव के कारण इन रजवाड़ों से साधारण जनता अपने सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों की बात नहीं कर सकी है।

शताब्दियों से चली आ रही राजाओं के प्रति श्रद्धा का भाव टूटा। राजस्थान में एक प्रकार की राजनैतिक-चेतना पनपने लगी। राजस्थान के लोग शनैः शनैः नये विचारों से प्रभावित होने लगे। राजस्थान का सामन्तवाद अंग्रेजों के प्रश्रय के बावजूद इस बढ़ती हुई चेतना को रोकने में असफल रहा है। बाहर से आने वाली सभ्यताओं की भौतिक ताकत और बढ़ती हुई सेनाओं को जब यहां के राजा नहीं रोक सके हैं तो नये-विचारों के हमले को वे कैसे रोक सकते। विश्व में कई अन्य क्राँतियों का

कर रूसी क्रांति का भारतवर्ष की तरह

जठो फते कर आगे, बाकी है फौज राठोड़ां री ॥घूंसो०॥
न राठोड़ा ने गोदे, दिनरंग गन ढूंढाड़ भूपाल ॥घूंसो०॥
ा राठोड़ा ने काढे, मोरिया री पांग कछावां बाल ॥घूंसो०॥
रे नोर दरसता, अणगिण ऊंट रगाला काल ॥घूंसो०॥

राजस्थान पर भी असर पड़ने लगा था। १६०० ई० के बाद इस असर की परिरेखा बनने लगी थी।

१६०१ में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो चुकी थी। रानी विक्टोरिया की मृत्यु के दो साल पूर्व १८६६ में लार्ड कर्जन भारत के वायसराय बन कर आये थे। उस समय तक जन-जागरण की उर्वरा-भूमि तैयार हो गई थी और लार्ड कर्जन को सबसे पहले उसका सामना करना पड़ा था।

लार्ड कर्जन राजनैतिक चेतना की इस लहर को रोकने के प्रयास में समूचे भारत को दृष्टि में रख कर अपनी एक स्पष्ट नीति अपनाई। उसकी इस नीति का असर सबसे पहले बंगाल पर और राजाओं पर पड़ा।

लार्ड कर्जन यह कभी नहीं चाहता था कि भारतवर्ष में किसी प्रकार की जागृति हो। वह चाहता था कि राजाओं को नियंत्रण में रखा जाय। सामन्तवाद और राजाओं को वह एक दम समाप्त नहीं करना चाहता था। वह राजाओं को यह बता देना चाहता था कि राजाओं का हित केवल इसमें है कि वे अंग्रेजों के क्रीतदास बने रहें। कतिपय राजा अपनी सुकुमार स्थिति को नहीं समझ पाये

थे। लार्ड कर्जन ने इस सम्बन्ध में बड़ी चतुराई से काम लिया।

रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद एडवर्ड सप्तम इग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। लार्ड कर्जन ने इस परिवर्तन का फायदा उठाया और उसने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के लिए १९०३ के आरम्भ में दिल्ली में एक वृहत् दरबार बुलाया। इस दरबार में भारत भर के राजा बुलाये गये। ऊपरी तौर पर राजाओं को इस दरबार में बुलाने का प्रयोजन उनका इस समारोह में भाग लेकर उसे सफल बनाना था। लेकिन छिपे तौर पर बड़ी दृढ़ता के साथ राजाओं के भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी थी। अन्य राजाओं की तरह जैसलमेर के महारावल भी इस दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली गये थे।

लार्ड कर्जन के इस निमन्त्रण पर राजाओं में एक प्रकार की खलबली मच गई थी। कतिपय चतुर राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ इस दरबार में भाग लेने चले ताकि वे अंग्रेजों से अपने सम्बन्ध अच्छे रख सकें। परन्तु राजस्थान के कुछ राजा दुखी हुए। इस निमंत्रण से विशेष कर वे राजा दुखी हुए जो स्वतंत्र

राज्य की कल्पना करने लगे थे। वे भूल गये थे कि मुगल साम्राज्य के विश्रंखलित होने के बाद ऐसी सामाजिक-स्थिति अवश्य बनी थी कि राजा लोग एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कल्पना कर सके। लेकिन गदर और उसकी असफलता के बाद सामाजिक परिस्थितियों में एक दम परिवर्तन आ गया था। इस परिवर्तित परिस्थितियों में स्वतंत्र राज्य की कल्पना करना हास्यास्पद और असभव होने वाली कल्पना थी। इतिहास के मोड़ को कतिपय राजा नही पहचान पाये थे।

अंग्रेजी-राज के प्रति असंतोष का पता उस समय की एक घटना से लगता है। दिल्ली दरबार में राणा फतहसिंह भी भाग लेने गये थे। गाडी में बैठते समय शाहपुरा के कृष्णसिह बारहट ने एक चिट्ठी राणा फतहसिह को दी। उस चिट्ठी में एक कविता, 'चेतावणी रा चूंगटिया' लिखी थी। उसमे लिखा था,

> "कठिन जमानो कौल बांधे
> नर हिम्मत बिणा,
> (यूं) बी को हृदो बोल
> पातल सागे देखियो।

मानमोद सीसोद राजनीति
बल राखणी,
(पण) गवरमेंटरी गोद
मीठा फल दिणार पुता ॥

अर्थात् "जमाना कठिन हैं—इस प्रकार की बात केवल डरपोक और कायर ही कर सकते हैं। वीर सीसोदिया का मान राजरीति में आन रखने में था। परन्तु हे फतहसिंह तुझे तो अब गवरनमेंट ब्रिटिश सरकार की गोद में मीठे फल नजर आ रहे हैं।"

इस कविता का चाहा गया असर राणा फतहसिंह पर पूरी तरह पड़ा। उसने कनिष्ट लिपिक की तरह बीमारी का बहाना बनाकर राज्यारोहण समारोह में जाना स्थगित कर दिया। मुगलिया कवि पीथल की तरह यहां भी साहित्यकार ने राजाओं से स्वतंत्रता की स्थापना की आशा लगा कर भूल की।

एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह समाप्त हुआ। इस समारोह के अवसर पर जो कुछ हुआ उसमें राजाओं का दल दो दलों में बँट गया। लार्ड कर्जन अपने काम में सफल हुआ।

राजाओं का एक नरम-दल बनकर 'वीर भारत सभा' के रूप में संघठित हुआ। राजाओं का दूसरा गरम-दल नहीं बन सका। वे कुडकुडा कर रह गये। राजाओं का गरम-दल यदि बन जाता तो इतिहास को आश्चर्य होता। कुछेक राजा लोग भारत-व्यापी आंतकवादी आन्दोलन से सहानुभूति रखने लगे और उसमें सक्रिय भाग लेने लगे।

राजाओं के इन दोनो गुटो (दूसरे प्रकार के राजाओं को गुट कहना अधिक नही जचता) में वह योग्यता नही थी कि वे भारत की राजनैतिक और सामाजिक जन-आन्दोलन मे डटकर जनता का साथ देते। आने वाले इतिहास ने इस बात की पुष्टि की है।

१९०० के बाद राजाओं ने परोक्ष रूप मे साधारण जनता को विद्रोह के लिए भड़काने का प्रयास किया है। राजाओं के प्रभाव में जनता भड़की, उठी और आन्दोलन में संघठित हुई हैं। जनता ज्यों ज्यों जन-आन्दोलन में संघठित होती गई त्यों त्यों राजा उससे प्रत्यक्ष में विरोध करने लगे। अंग्रेजों की संरक्षणता में वे जनता को गोलियों से भून भून

मानमोद सीसोद राजनीति
बल राखणी,
(पण) गवरमेंटरी गोद
मीठा फल दिणार पुता ॥

अर्थात् "जमाना कठिन हैं—इस प्रकार की बात केवल डरपोक और कायर ही कर सकते हैं। वीर सीसोदिया का मान राजरीति में आन रखने में था। परन्तु हे फतहसिंह तुझे तो अब गवरनमेंट ब्रिटिश सरकार की गोद में मीठे फल नजर आ रहे हैं।"

इस कविता का चाहा गया असर राणा फतहसिंह पर पूरी तरह पड़ा। उसने कनिष्ट लिपिक की तरह बीमारी का बहाना बनाकर राज्यारोहण समारोह में जाना स्थगित कर दिया। मुगलिया कवि पीथल की तरह यहां भी साहित्यकार ने राजाओं से स्वतंत्रता की स्थापना की आशा लगा कर भूल की।

एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह समाप्त हुआ। इस समारोह के अवसर पर जो कुछ हुआ उसमें राजाओं का दल दो दलों में बँट गया। लार्ड कर्जन अपने काम में सफल हुआ।

राजाओं का एक नरम-दल बनकर 'वीर भारत सभा' के रूप में संघठित हुआ। राजाओं का दूसरा गरम-दल नहीं बन सका। वे कुड़कुड़ा कर रह गये। राजाओं का गरम-दल यदि बन जाता तो इतिहास को आश्चर्य होता। कुछेक राजा लोग भारत-व्यापी आंतकवादी आन्दोलन में सहानुभूति रखने लगे और उनमें सक्रिय भाग लेने लगे।

राजाओं के इन दोनों गुटों (दूसरे प्रकार के राजाओं को गुट कहना अधिक नहीं जचता) में वह योग्यता नहीं थी कि के भारत की राजनैतिक और सामाजिक जन-आन्दोलन मे डटकर जनता का साथ देते। आने वाले इतिहास ने इस बात की पुष्टि की है।

१६०० के बाद राजाओं ने परोक्ष रूप में साधारण जनता को विद्रोह के लिए भड़काने का प्रयास किया है। राजाओं के प्रभाव में जनता भड़की, उठी और आन्दोलन में संघठित हुई हैं। जनता ज्यों ज्यों जन-आन्दोलन में संघठित होती गई त्यों त्यों राजा उससे प्रत्यक्ष में विरोध करने लगे। अंग्रेजों की संरक्षणता में वे जनता को गोलियों से भून भून

कर जन-आन्दोलन को कुचलने का प्रयास करने लगे।

राजाओं की इस प्रवृत्ति को राजस्थान का अनुदार इतिहासकार श्री पृथ्वीसिंह मेहता भी नहीं निगल पाया है। उसने अपनी पुस्तक 'हमारा राजस्थान' में लिखा, "राजपूताने के केसरीसिंह बारहट आदि जिनकी पहुंच बारहट होने के कारण राज दरबारों में सब जगह थी, राजपूतों में, देश की आजादी प्राप्त करने में क्रांतिवादियों का साथ दे और अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जगाने का प्रयत्न कर रहे थे।"

इधर जोधपुर, ईडर का शासक सर प्रताप, बीकानेर के राजा गंगासिंह और बड़ौदे के राजा सयाजीराव आदि वीर-भारत-सभा के सदस्य हो गये थे। उदयपुर के महाराणा फतहसिंह और कोटा के राव उम्मेदसिंह आदि की उस सभा से छिपी हुई सहानुभूति थी। केवल सहानुभूति से वीर-भारत-सभा का काम चलने वाला नहीं था। वीर-भारत-सभा तो बन गई थी लेकिन उसके सामने स्पष्ट सामाजिक कर्तव्य नहीं बन पाया था। उस सभा के अधिकांश सदस्य—गायकवाड़—राजा जैसे—अपनी

मध्यकालीन सामन्ती आदर्शों से ऊपर नहीं उठ पाये थे। वे केवल अपने किसी विशेषाधिकारों का दायरा बढ़ाने के लिए ही अंग्रेजी-राज्य से याचना-सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। अंग्रेजों से यह सामाजिक-फायदा उठाने की गरज से वे अच्छे शस्त्रास्त्रों और अन्य साधनों पर वे अपना कब्जा रखना चाहते थे ताकि वे किसी तरह भारत में पनप रहे क्रान्तिकारियों के हाथ में न पड़ जाय।

विजौलिया सत्याग्रह और सम्प-सभा के साथ साथ भी राजाओं द्वारा इसी तरह का विश्वासघात किया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि आरम्भ में इन आन्दोलनों के सूत्रधार राजा ही थे। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया राजाओं के दोनों गुटों को यह विश्वास होने लगा कि राजाओं के लिए अंग्रेजों की छत्रछाया ही अधिक हितकर है। अन्य कोई रास्ता उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जायगा और वे राजगद्दी से हाथ धो बैठेंगे। प्रतापसिंह बारहट का उदाहरण उनके सामने आया। राजा किसी भी हालत में अपनी सुकुमार सामाजिक स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते थे और न वे किसी प्रकार का खतरा मोल लेना चाहते थे।

लार्ड कर्जन के बाद लार्ड मिन्टो भारत के वायसराय होकर आये। उनके आने के भारत की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में और भी परिवर्तन आने लगा। उसने राजाओं के प्रति एक दम नई नीति अपनाई। उसने राजाओं के आन्तरिक मामलों में उदारता से काम लेना आरम्भ किया। राजाओं को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसने उनको बड़ी समझदारी से हल करने का प्रयास किया। राजाओं को यह समझ में आने लगा कि वे अब अंग्रेजों की छत्रछाया में ही जिंदा रह सकते हैं। अंग्रेजों से लड़ने में उन्हीं का अहित है।

लार्ड मिन्टो ने पुनः दिल्ली दरबार बुलाया। इस अवसर पर राजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिये। इस आत्म-समर्पण का परिणाम क्या हुआ? राजस्थान का एक दूसरा इतिहासज्ञ श्री रघुवीरसिंह अपनी पुस्तक 'पूर्व राजस्थान' में लिखते हैं,

"अतएव अन्य भारतीय नरेशों ने अंग्रेजी सरकार के साथ पूर्ण सहयोग किया और जब १९११ में पुनः दिल्ली दरबार का आयोजन होने लगा तब उसे सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये।

भारतीय इतिहास में (प्रथम और अंतिम) इग्लैंड के नये बादशाह जार्ज पचम ने दिल्ली में भारत के पद पर आरूढ़ होकर अन्य भारतीय नरेशों का भी आत्म-समर्पण स्वीकार किया।"

इस तरह लार्ड कर्जन से लेकर लार्ड मिन्टो तक का समय राजाओं के लिए एक परीक्षा का समय रहा है। दूसरे दिल्ली दरबार तक अंग्रेजो का प्रयास भारतवर्ष में फैली सामन्ती अराजकता को मिटाकर संघठित सामन्तवाद को स्थापित करना रहा, जिसमें वे सफल हुए। किसानों की सामाजिक-स्थिति की ओर भी अंग्रेजों ने ध्यान दिया। स्थानीय राजाओं और जागीरदारों को अंग्रेजो की उस नीति से असंतोष रहा।

राजस्थान के पश्चिमी इलाके में वैसे भी वर्षा नहीं के बराबर होती है। इस अनावृष्टि के कारण जन-साधारण को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वह आश्चर्यजनक है। १९१६ की बात होगी। इस बार भी वर्षा कम हुई। फलतः सियालू की फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने के बावजूद जागीरदार किसानों से लगान वसूल करते रहे। राजस्थान के बीजोल्यां नामक ठिकाने में भी

पुनर्जीवित कर स्थानीय शासकों के शासन-सुधार की मांग करना था। आरम्भ में इन प्रदेशों के छोटे ठाकुर जागीरदारों तथा छोटे रियासती कर्मचारियों की सहानुभूति उक्त संघठन के साथ थी। पर अंग्रेजी सरकार द्वारा दवाव पड़ने पर १९०८ के वाद सैनिक कार्यवाही द्वारा उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। बाँसवाड़े के महारावल शम्भूसिंह को इस सिलसिले में प्रवन्ध करने की अयोग्यता का दोप लगाकर गद्दी से उतार दिया गया और उस समूचे प्रदेश का कुछ समय के लिए अंग्रेजों के राजनैतिक विभाग ने अपने अधिकार में ले लिए।" (हमारा-राजस्थान—१-२-८७) यही वह सभा है जो राजाओं और अंग्रेजों के चल रही कसमकस को प्रकट करता है। सम्प-सभा का जन्म और मरण इस संघर्ष की गत्यात्मकता के परिप्रेक्ष्य में समझस होगा।

लार्ड कर्जन के भारत से विदा होने के साथ ही नरेशों में जो कुछ असंतोप उत्पन्न हो गया था, वह अब दूर होने लगा। सम्प-सभा का महत्व भी इस कारण कम हो गया।

इन्हीं दिनों स्वदेशी-आन्दोलन के प्रभाव में आकर १९०५ में सम्प-सभा का आयोजन किया गया था। उसके संघठनकर्ता गोविन्दानन्दजी स्वामी थे।

सम्प-सभा के आदर्शों का पता उसके नाम से ही लगता है। सम्प का अर्थ मारवाड़ी भाषा में मेल स्थापित करना है। सम्प-सभा का कार्य-क्षेत्र सिरोही, ईडर, दक्षिणी-मेवाड़, बागड़ एवं मालवा और गुजरात क्षेत्र में बसने वाली आदिम-जातियां भील, मीणा, गिरासिया आदि में सम्प स्थापित करना था। शराब आदि मादक द्रव्यों का परित्याग उस सभा के प्राथमिक आदर्शों में था। लेकिन यह संस्था अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकी। कारण उसका प्रेरणा श्रोत प्रत्यक्ष में राजा लोग थे तथा परोक्ष में शराब के परित्याग की बात तथा सम्प रखने की बात।

"इस इलाके की समूची जनता में परस्पर राज्य कायम कर उन्हें मादक द्रव्यों का परित्याग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी ही बरतने और अपने पुराने स्थानीय उद्योग धंधों को जिलाने का प्रचार करना एवं अपनी पंचायतों को

पुनर्जीवित कर स्थानीय शासकों के शासन-सुधार की मांग करना था। आरम्भ में इन प्रदेशों के छोटे ठाकुर जागीरदारों तथा छोटे रियासती कर्मचारियों की सहानुभूति उक्त संगठन के साथ थी। पर अंग्रेजी सरकार द्वारा दबाव पड़ने पर १६०८ के बाद सैनिक कार्यवाही द्वारा उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। बांसवाड़े के महारावल सम्भूसिंह को इस सिलसिले में प्रबन्ध करने की अयोग्यता का दोष लगाकर गद्दी से उतार दिया गया और उस समूचे प्रदेश का कुछ समय के लिए अंग्रेजों के राजनैतिक विभाग ने अपने अधिकार में ले लिए।" (हमारा-राजस्थान—१-२-८७) यही वह सभा है जो राजाओं और अंग्रेजों के चल रही कशमकश को प्रकट करता है। सम्प-सभा का जन्म और मरण इस संघर्ष की गत्यात्मकता के परिप्रेक्ष्य में समंजस होगा।

लार्ड कर्जन के भारत से विदा होने के साथ ही नरेशों में जो कुछ असंतोष उत्पन्न हो गया था, वह अब दूर होने लगा। सम्प-सभा का महत्व भी इस कारण कम हो गया।

लार्ड कर्जन के वाद लार्ड मिन्टो भारत के वायसराय होकर आये। उनके आने के भारत को सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में और भी परिवर्तन आने लगा। उसने राजाओं के प्रति एक दम नई नीति अपनाई। उसने राजाओं के आन्तरिक मामलों में उदारता से काम लेना आरम्भ किया। राजाओं को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसने उनको बड़ी समझदारी से हल करने का प्रयास किया। राजाओं को यह समझ में आने लगा कि वे अब अंग्रेजों की छत्रछाया में ही जिंदा रह सकते हैं। अंग्रेजों से लड़ने में उन्हीं का अहित है।

लार्ड मिन्टो ने पुनः दिल्ली दरवार बुलाया। इस अवसर पर राजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिये। इस आत्म-समर्पण का परिणाम क्या हुआ राजस्थान का एक दूसरा इतिहासज्ञ श्री रघुवीरसिंह अपनी पुस्तक 'पूर्व राजस्थान' में लिखते हैं,

"अतएव अन्य भारतीय नरेशों ने अंग्रेजी सरकार के साथ पूर्ण सहयोग किया और जब १६११ में पुनः दिल्ली दरबार का आयोजन होने लगा तब उसे पूर्ण सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये

भारतीय इतिहास में (प्रथम और अंतिम) इग्लैंड के नये बादशाह जार्ज पंचम ने दिल्ली में भारत के पद पर आरूढ़ होकर अन्य भारतीय नरेशों का भी आत्म-समर्पण स्वीकार किया।"

इस तरह लार्ड कर्जन से लेकर लार्ड मिन्टो तक का समय राजाओं के लिए एक परीक्षा का समय रहा है। दूसरे दिल्ली दरबार तक अंग्रेजों का प्रयास भारतवर्ष में फैली सामन्ती अराजकता को मिटाकर संघठित सामन्तवाद को स्थापित करना रहा, जिसमें वे सफल हुए। किसानों की सामाजिक-स्थिति की ओर भी अंग्रेजों ने ध्यान दिया। स्थानीय राजाओं और जागीरदारों को अंग्रेजों की उस नीति से असंतोष रहा।

राजस्थान के पश्चिमी इलाके में वैसे भी वर्षा नहीं के बराबर होती है। इस अनावृष्टि के कारण जन-साधारण को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वह आश्चर्यजनक है। १९१६ की बात होगी। इस बार भी वर्षा कम हुई। फलतः सियालू की फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने के बावजूद जागीरदार किसानों से लगान वसूल करते रहे। राजस्थान के बीजोल्यां नामक ठिकाने में भी

ऐसा ही हुआ। बीजोल्यां में लगान की दरें कुछ महंगी कायम थी। लाग-बेगार और युद्ध के चन्दे के दबाव से किसान पहले ही दबा जा रहा था। किसान अपने आप संघठित होने लगा। इस बढ़ते हुए असंतोष को विजयसिंह पथिक के रूप में एक नेता मिल गया।[1]

बीजोल्यां के किसानों ने एक होकर विद्रोह किया। इस विद्रोह का एक कारण आर्थिक तो था ही, वह कई अंशों में नियामक भी था। लेकिन उस विद्रोह को बढ़ने और फलने में और भी अन्य कारणों ने योग दिया। बीजोल्यां के ठाकुर और किसान जमीन को परती रखना चाहते थे, ताकि अच्छी वर्षा के दिनों में उस का उपयोग कर सके और किसान की उपज का अधिक से अधिक शोषण कर सके। साथ ही वे अंग्रेजों को यह भी दिखा सके की किसानों के साथ उनका अमानवीय व्यवहार ज्यादा समुचित है और राजाओं, जागीरदारों और ठाकुरों को उनके साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार करने की स्वतंत्रता

---

1. अधिक विस्तार के लिए देखो मेरी पुस्तक 'राजस्थान के स्वतंत्र-संग्राम का इतिहास।'

रहनी चाहिए। आरम्भ में बीजोल्यां के किसान आन्दोलन के साथ राजाओं का हाथ रहा। राजाओं ने सोचा की इससे वे अंग्रेजों पर दबाव डाल सकेंगे। इससे वे अपना उल्लू सीधा कर सकेंगे। उन्हें इतिहास का ज्ञान कम होने के कारण वे यह भूल बैठे कि कोई भी आन्दोलन या सामाजिक-सघठन एक बार सामाजिक रूप से अंकुरित होने लगता है तब वह अपने अन्तर्निहित तार्किक परिणाम तक ही जाकर रुकता है। और यदि उस आन्दोलन का साथ उसका नेतृत्व नही देता है या अपने न्यस्थ-स्वार्थों के कारण नहीं दे पाता है तो वह आन्दोलन नेतृत्वहीन होकर विश्रंखलित हो जाता है। साथ ही यदि आन्दोलन के सघठन के पीछे निष्ठावान और जागरूक शक्ति है तो कतिपय प्रतिक्रियाशील नेतृत्व के स्थान पर एक स्वस्थ नेतृत्व फलने और फूलने लगेगा।

बीजोल्यां आन्दोलन इसी प्रकार एक विशुद्ध किसान-आन्दोलन के रूप से उभासित हुआ था। आरम्भ मे उस आन्दोलन का प्रेरणा-श्रोत राजा और जागीरदार ही थे।[1] उस समय इससे ज्यादा

---

१. लेकिन आन्दोलन ज्यों ज्यों पनपता गया, राजा लोग उसका साथ छोड़ने गए। श्री विजयसिंह 'पथिक' ने उस आन्दोलन का साथ दिया।

ऐसा ही हुआ। बीजोल्यां में लगान की दरें कुछ महंगी कायम थी। लाग-बेगार और युद्ध के चन्दे के दबाव से किसान पहले ही दबा जा रहा था। किसान अपने आप संघठित होने लगा। इस बढ़ते हुए असंतोष को विजयसिंह पथिक के रूप में एक नेता मिल गया।[1]

बीजोल्यां के किसानों ने एक होकर विद्रोह किया। इस विद्रोह का एक कारण आर्थिक तो था ही, वह कई अंशों में नियामक भी था। लेकिन उस विद्रोह को बढ़ने और फलने में और भी अन्य कारणों ने योग दिया। बीजोल्यां के ठाकुर और किसान जमीन को परती रखना चाहते थे, ताकि अच्छी वर्षा के दिनों में उस का उपयोग कर सके और किसान की उपज का अधिक से अधिक शोषण कर सके। साथ ही वे अंग्रेजों को यह भी दिखा सके की किसानों के साथ उनका अमानवीय व्यवहार ज्यादा समुचित है और राजाओं, जागीरदारों और ठाकुरों को उनके साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार करने की स्वतंत्रता

---

१. अधिक विस्तार के लिए देखो मेरी पुस्तक 'राजस्थान के स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास।'

रहनी चाहिए। आरम्भ में बीजोल्यां के किसान आन्दोलन के साथ राजाओं का हाथ रहा। राजाओं ने सोचा की इससे वे अंग्रेजों पर दबाव डाल सकेंगे। इससे वे अपना उल्लू सीधा कर सकेंगे। उन्हें इतिहास का ज्ञान कम होने के कारण वे यह भूल बैठे कि कोई भी आन्दोलन या सामाजिक-संघठन एक बार सामाजिक रूप से अंकुरित होने लगता है तब वह अपने अन्तर्निहित तार्किक परिणाम तक ही जाकर रुकता है। और यदि उस आन्दोलन का साथ उसका नेतृत्व नहीं देता है या अपने न्यस्थ-स्वार्थों के कारण नहीं दे पाता है तो वह आन्दोलन नेतृत्वहीन होकर विश्रंखलित हो जाता है। साथ ही यदि आन्दोलन के संघठन के पीछे निष्ठावान और जागरूक शक्ति है तो कतिपय प्रतिक्रियाशील नेतृत्व के स्थान पर एक स्वस्थ नेतृत्व फलने और फूलने लगेगा।

बीजोल्यां आन्दोलन इसी प्रकार एक विशुद्ध किसान-आन्दोलन के रूप से उभासित हुआ था। आरम्भ में उस आन्दोलन का प्रेरणा-श्रोत राजा और जागीरदार ही थे।[1] उस समय इससे ज्यादा

---

१. लेकिन आन्दोलन ज्यों ज्यों पनपता गया, राजा लोग उसका साथ छोड़ते गए। श्री विजयसिंह 'पथिक' ने उस आन्दोलन का साथ दिया।

सम्भव नहीं था। किसान वर्ग मानसिक रूप से अपने आपको एक बलशाली संगठन के रूप में गठित करले यह असम्भव सी बात थी। अभी वह बौद्धिक उर्वरा भूमि तैयार नहीं हो पाई थी कि जागीरदारी प्रथा के आमूल-चूल परिवर्तन की बात सोची जाती, रियासती-राज्य खतम करने की बात की जाती और रियासतों में पनप रहे दोहरे शासन के स्थान पर गणराज्य की बात की जाती। यह बात किसान नहीं उठा सके। इसके बाद के राजनैतिक आन्दोलन ने भी राजाओं की छत्रछाया में देशी हकूमत की बात की है। देशी-शोषण का छिद्रान्वेषण वे नहीं कर सके। यदि ऐसा होता तो राजस्थान का इतिहास आज दूसरी तरह का होता।

राजस्थान में इधर कई सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे। उधर विदेश में योरूप में भी विशाल सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और रूस की सामाजिक क्रांति प्रमुख थी।

रूसी क्रान्ति के माध्यम से वाम-पक्षीय विचार-धाराओं का असर राजस्थान पर भी पड़ा। उसका

पता अमर शहीद सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक 'रघुनार्थासिंह का मुकदमा' से लगता है। इस पुस्तक को उन्होंने साम्यवादी क्रांति के वामपक्षीय नेता और विचारक श्री एम. एन. राय को समर्पित की थी।

१६०० के बाद राजस्थान में वह स्थिति आ गई थी कि जब राजा रेजिडेन्टों और पोलिटीकल अफसरों की अधीनता और उसका नियंत्रण स्वीकार करने लगे थे। राजा रहन-सहन की सुकुमारता के कारण अग्रेजों के पिछलग्गु बन गये थे।

राजाओं की इस स्थिति का इग्लैंड के 'लन्दन टाइम्स' ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उसने लिखा, "पूर्व के इस निस्तेज और निकम्मे राजा नामधारियों को अंग्रेजों ने जिन्दा रख कर उनके स्वाभाविक अन्त में उनको बचा लिया है। प्रजाजन बगावत के द्वारा अपने लिए एक शक्तिशाली योग्य नरेश ढूंढ लिया करते है। पर जहां अब भी देशी राजा हैं हमने वहां के प्रजाजनों से सुविधा और अधिकार छीन लिए है। साथ ही यह इल्जाम भी सही है कि हमने इन राजाओं को सत्ता तो दी है, पर उसकी जिम्मेदारी से उन्हे बरी कर दिया है। वे अपनी नपुसंकता, दुर्गुण

और गुनाहों के बावजूद केवल हमारी तलवार के बल पर ही अपने सिद्धान्त पर टिके हुए हैं। नतीजा यह है कि अधिकांश रियासतों में घोर अराजकता फैली हुई है। राज्य का कोष किराये के टट्टू जैसे सिपाहियों और नीच दरबारियों पर बर्बाद हो रहा है और गरीब रियासत से बेरहमी के साथ वसूल किए भारी करों के रुपयों से नीच से नीच मनुष्य को पाला जा रहा है। असल में अब यह सिद्धांत काम करता है कि सरकार प्रजा के लिए नहीं, प्रजा ही राजा के और उसके ऐशो-आराम के लिए है और यह कि जब तक हमें राजा की रक्षा करना अभीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की सर्वोच्च सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी जो ऐसे राजा अपनी जनता के प्रति करते रहे हैं।"

'लंदन-टाइम्स' ने ये पंक्तियां ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के समय लिखी थीं। अंग्रेजों की छत्रछाया में राजा अंग्रेजों के साथ कैसा बर्ताव करते थे उसका वर्णन करते हुए श्री भगवानदास केला अपनी पुस्तक 'देशी राज्यों की जन-जागृति' में लिखते हैं, "जागीरदार किसानों के लगान के अलावा तरह तरह की अनेक लाग-बाग वसूल करते हैं। इसलिए उन

पर बड़े बड़े जुल्म करते है, उन्हे मारते पीटते हैं, धूप में खड़ा रखते हैं और भूखा नंगा रखते हैं। उनका तरह तरह से अपमान करते हैं। यहां तक की उनकी बहू-बेटियों की इज्जत ले लेते हैं। जागीरदार अपने इलाके के नाई, धोबी, कुम्हार आदि से मनमाना बेगार लेते हैं। और जो कोई जरा भी विरोध करता है उसे बुरी तरह सताया या पीटा जाता है। प्रायः इनके अत्याचारों के विरुद्ध राजा महाराजाओं के यहां कोई सुनवाई नहीं होती।"

इन परिस्थितियों में किस प्रकार का विद्रोह किया जा सकता था और उस विद्रोह को किस प्रकार से दबाया जाता होगा उसका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। अमर शहीद सागरमल गोपा ने इन अमानवीय सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह किया। उसे जो बलिदान और त्याग करना पड़ा उसकी चर्चा पाठकों को अगले पृष्ठों में मिलेगी।

अंग्रेजी राज्य के ज्यों ज्यों पैर जमते गये राजस्थान की दो शक्तियों—तलवार और मुसाहिबी की—का स्थान एक अन्य शक्ति ने ले लिया जिसका

और गुनाहों के बावजूद केवल हमारी तलवार के बल पर ही अपने सिद्धान्त पर टिके हुए हैं। नतीजा यह है कि अधिकांश रियासतों में घोर अराजकता फैली हुई है। राज्य का कोष किराये के टट्टू जैसे सिपाहियों और नीच दरबारियों पर बर्बाद हो रहा है और गरीब रियासत से बेरहमी के साथ वसूल किए भारी करों के रुपयों से नीच से नीच मनुष्य को पाला जा रहा है। असल में अब यह सिद्धांत काम करता है कि सरकार प्रजा के लिए नहीं, प्रजा ही राजा के और उसके ऐशो-आराम के लिए है और यह कि जब तक हमें राजा की रक्षा करना अभीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की सर्वोच्च सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी जो ऐसे राजा अपनी जनता के प्रति करते रहे हैं।"

'लंदन-टाइम्स' ने ये पंक्तियां ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के समय लिखी थीं। अंग्रेजों की छत्रछाया में राजा अंग्रेजों के साथ कैसा बर्ताव करते थे उसका वर्णन करते हुए श्री भगवानदास केला अपनी पुस्तक 'देशी राज्यों की जन-जागृति' में लिखते हैं, "जागीरदार किसानों के लगान के अलावा तरह तरह की लाग-बाग वसूल करते हैं। इसलिए उन

पर बड़े बड़े जुल्म करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, धूप में खड़ा रखते हैं और भूखा नंगा रखते हैं। उनका तरह तरह से अपमान करते हैं। यहां तक की उनकी बहू-बेटियों की इज्जत ले लेते हैं। जागीरदार अपने इलाके के नाई, धोवी, कुम्हार आदि से मनमाना बेगार लेते हैं। और जो कोई जरा भी विरोध करता है उसे बुरी तरह सताया या पीटा जाता है। प्रायः इनके अत्याचारों के विरुद्ध राजा महाराजाओं के यहां कोई सुनवाई नहीं होती।"

इन परिस्थितियों में किस प्रकार का विद्रोह किया जा सकता था और उस विद्रोह को किस प्रकार से दबाया जाता होगा उसका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। अमर शहीद सागरमल गोपा ने इन अमानवीय सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह किया। उसे जो बलिदान और त्याग करना पड़ा उसकी चर्चा पाठकों को अगले पृष्ठों में मिलेगी।

अंग्रेजी राज्य के ज्यों ज्यों पैर जमते गये राजस्थान की दो शक्तियों—तलवार और मुसाहिबी की—का स्थान एक अन्य शक्ति ने ले लिया जिसका

सामना तलवार, मुसाहिब, डाकू और स्वयं राजा नहीं कर सके हैं।

राजस्थान से पनपने वाली वह नई शक्ति नये विचारों की ओर नए आर्थिक-परिवर्तनों की शक्ति रही है। इस ताकत का मूल प्राथमिक रूप से स्वतंत्रता की अभिलाषा और सत्य की खोज है। विचारों की इस नई ताकत को यहाँ पनपने में बड़ी कठिनाई हुई है। उसके थपेड़ों ने राजस्थान के सांस्कृतिक-जीवन को प्रभावित किया है और कर रहा है। राजस्थान का जन-आन्दोलन उसका जीता जागता उदाहरण है।

इस हरहराहट ने मानवीय परम्पराओं के आधार पर जैसलमेर में १९०० के बाद से सामाजिक रूप लिया है। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर कई परिवार जैसलमेर की भौगोलिक परिस्थितियों में रहना पसंद न कर भारतवर्ष के अन्य नगरों में जाकर बसने लगे। पाली की स्थापना भी ऐसे ही लोगों के कारण हुई है। अमर शहीद सागरमल गोपा का परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है जो जैसलमेर की सामाजिक संकीर्ण परिस्थितियों को

गपुर जाकर बस गया था।

इस दृष्टि से यदि हम राजपुताने के विभिन्न रजवाड़ों की सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करें तो पता चलेगा कि राजपुताने में सब से पहली असंतोष की लहर डूंगपुर में सन् १९०५ में फूट पड़ी थी। उसी समय भीलों ने एक सूत्र में तेजावतजी के नेतृत्व में सघठित होकर एक राजनैतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया था। उस आंदोलन को नृशसता के साथ दवा दिया गया। राजाओं ने (इस समय) भारत व्यापी आतंकवाद को प्रश्रय देना समाप्त कर दिया था। वे समझ गये थे कि आतकवाद से परोक्ष व प्रत्यक्ष में सम्बन्ध उनके लिए हितकर नहीं है। राजाओं द्वारा प्रेरित राजनीति का अब लगभग अन्त होने लगा।

१९०५–६ के आस पास 'सम्प-सभा' की स्थापना हुई जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। सम्प-सभा को युनियन-क्लब के नाम से प्रसिद्धि मिली[1]। वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत सामन्त लोग ही थे। जिस प्रकार सामन्तों से प्रेरित बीजोल्या आन्दोलन जब विशुद्ध किसान क्रांति का रूप लेने लगा तब

---

१. राजस्थान के स्वातंत्र्य-संग्राम के विस्तृत इतिहास के लिए देखें मेरी पुस्तक 'राजस्थान के स्वातन्त्र्य-संग्राम का इतिहास'

राजा उसके साथ गद्दारी करने लगे। ठीक उसी प्रकार का बर्ताव उन्होंने सम्प-सभा के साथ भी किया। सम्प-सभा द्वारा चलाये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार भगवानदास केला अपनी पुस्तक में लिखता है,

"इसके (सम्प-सभा) कुछ कार्यकर्ता राज्याधिकारी थे। उनके स्वार्थ-वश हो जाने के कारण इसे सफलता नहीं मिली और सन् १९१९ में इसे कानूनन बन्द कर दिया गया।"

राजस्थान का जन-आन्दोलन एक नई धरती और एक नये आकाश की मांग करने लगा। एक ऐसे जन-आन्दोलन की जो उसे मानवीय परम्पराओं की ओर ले जाये और यहां के मानस को नव-जागरण की ओर प्रेरित करे। भील-आन्दोलन, बीजोल्यां-आन्दोलन और सम्प-सभा के प्रयासों के बाद राजपूताने में एक नया-आन्दोलन पनपा जिसका नेतृत्व कई लोगों ने कई स्थानों पर किया। जिसका सब से बलशाली और इतिहास में बुलामिला नेतृत्व श्री जयनारायण व्यास[1] ने किया।

---

१. देखो मेरी पुस्तक—'लोकनायक जयनारायण व्यास'

राजस्थान की तरह हिन्दुस्तान की अन्य रियासतों में भी ऐसे राजनैतिक आन्दोलन पनपे जिनकी अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है। राजस्थान में राजनैतिक और दार्शनिक-चेतना का दायरा बढ़ता गया। १९१८ में 'राजपूताना-मध्य-भारत-सभा' और १९१९ में 'राजस्थान सेवा-संघ' की स्थापना हुई।

यह वह समय है जब भारत-व्यापी स्तर पर आतंकवाद आख़िरी सांसें तोड़ चुका था और हिंसा एक क्रांतिकारी-व्यवहार-पद्धति के रूप में असफल सिद्ध हो गई थी। आतंकवादी ये भूल गये थे कि सशस्त्र-क्रांति के आधार पर आज की भारी भरकम राज्य की नींव को नहीं उखाड़ा जा सकता। वे अंग्रेजी हकूमत को नहीं तोड़ सके। आतंककारियों के व्यक्तिगत बलिदान ने व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से एक सिरहन अवश्य पैदा की है, लेकिन राष्ट्रीय रूप से वे जन-चेतना की रूप रेखा नहीं तैयार कर सके हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादियों की हार हिंसा की हार थी और एक अनुचित राजनैतिक-कार्य-प्रणाली की हार थी। कई आतंकवादियों ने बाद में इस बात की वास्तविकता

को स्वीकार कर लिया था[१]। हिंसा की इस असफलता ने अहिंसा के लिए एक पृष्ठभूमि का काम किया। गांधीजी का भारतवर्ष के राजनैतिक क्षेत्र में जो सफल नेतृत्व आया था उसका कारण आतंकवादियों की असफल कार्य-प्रणाली थी।

राजस्थान के अनेक रजवाड़ों में कई राजनैतिक संस्थाएँ बनी। वात राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी। समूची भारतवर्ष में छितराई हुई रियासतों में भी ऐसी ही संस्थाएं कायम हुई। सब की राजनैतिक और सामाजिक-संस्थाएं एक सी थी। उदाहरण के लिए सांगली स्टेट में पीपुल्स कान्फ्रेंस, भावनगर में प्रजा परिषद, हैदरावाद में स्टेट पीपुल्स कांफ्रेंस, मैसूर में मैसूर-कांग्रेस, जंजीरा में जंजीरा स्टेट्स सवजेक्ट्स कांफ्रेंस, भिराज में भिराज स्टेट-पीपुल्स-कान्फ्रेंस और ईडर में प्रजा परिषद की स्थापना हुई।

इस तरह सम्प-सभा के वाद से और राजस्थान सेवा-संघ की स्थापना से राजपूताने का राजनैतिक

---

१. श्री यशपाल और उनके साथी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। श्री एम. एन. राय तक को यह बात स्वीकार करनी पड़ी।

आन्दोलन एक नयी भावधारा में बहने लगा। रियासतों का राजनैतिक आन्दोलन अपने को मज-बूत बनाने के लिए, आल-इण्डिया-स्टेट्स-पीपुल्स-कान्फ्रेंस के रूप में सूत्र-बद्ध हो गया। राज-स्थान सेवा-संघ की स्थापना के बाद भी रियासतों के राजनैतिक आन्दोलन में कतिपय भारतीय-पूंजी के स्वार्थ झांकने लगे। राजस्थान-सेवा-संघ के बाद राजस्थान का एक बहुदर्शी राजनैतिक इतिहास रहा है, जिससे कई भावधाराओं का अवगुंफन मिलता है। राजस्थान के स्वातन्त्र्य-संग्राम की गत्या-त्मकता बहु-विध रूप लिए रही है। अब तक उसका सही और वास्तविक इतिहास किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है।

इन सब बातों मे जैसलमेर और उसका विद्वत्-समाज कैसे अछूता रह सकता था। उस पर देश-भर के विचार-धारक आंदोलन का असर पड़ना आवश्यक था। और वह असर पड़ा भी।

अमर शहीद सागरमल गोपा उसी आबोहवा की उपज था।

इस तरह १९०३ के बाद के युग को उसकी राजनैतिक प्रवृत्तियों और विचारधाराओं के विकास

क्रम के अनुसार अलग २ चार भागों में बांटा जा सकता है। वह विभाजन इस प्रकार है :

१. अंग्रेजों और राजाओं में परस्पर नापाक गठ-बंधन का युग [१६०३ से १६१० तक]
२. आतंकवादी युग [१६१० से १६१७ तक]
३. अनुदारवादी युग—राजस्थान सेवा-संघ की स्थापना से लेकर नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना तक [१६१७ से १६३६ तक]
४. राष्ट्र-वाद और दलगत परम्पराओं का युग [१६३६ से १६४७ तक]

इतिहास की दृष्टि में राजस्थान के इतिहास का उपरोक्त विभाजन सहूलियत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वास्तव में एक युग की प्रवृतियां दूसरे युग में भी फैली हुई दिखाई देती हैं। ऊपर राजाओं और अंग्रेजों में नापाक गठ-बंधन की जो बात की गई है वह १६१० में ही समाप्त नहीं हो जाती वह १६३६ तक और बाद में भी १६४७ तक चलती रहती है। अन्यथा अमर शहीद सागर मल गोपा को जिन्दा जलाने का षड़यंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कामयाब होता। १६३६ में

नरेन्द्र-मण्डल (जो राजाओं का एक संघठन था) की हुई बैठक पर वायसराय के भाषण[1] से राजाओं और अंग्रेजों के परस्पर सम्बन्ध ऐतिहासिक रूप में स्पष्ट हो गये थे। उस भाषण से पता चलता

१. १३ मार्च १९३९ को नरेन्द्र-मंडल के १९३९ के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए हिज एक्सलेंसी सम्राट के प्रतिनिधि ने सबसे पहिले भारतीय नरेशों का स्वागत किया और फिर स्वर्गीय महाराजा अलवर, राजा सावन्तवाड़ी, महाराज देवास (सीनियर), महाराज पटियाला, महाराज किशनगढ, महाराज बड़ौदा, महाराज सोनपुर, राजा नागपुर मूढोल के भूतपूर्व राजा और धोले के भूतपूर्व ठाकुर साहब के देहावसान पर उनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करते हुए स्वर्गीय नरेशों के उत्तराधिकारियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

गत शरद ऋतु में, युरुप में भीषण राजनैतिक संकट के लक्षण प्रकट होने तथा युद्ध की संभावना पर भारतीय नरेशों ने आवश्यकता पड़ने पर तन, मन और धन से सम्राट की सेवा करने का जो विश्वास दिलाया था उसके लिये वायसराय महोदय ने उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् वायसराय महोदय तथा भारतीय नरेशों के कर्त्तव्य, भविष्य *निर्माण पथ*, शासन आदि विषयों पर अपना निम्नलिखित मार्मिक भाषण दिया:—

"पिछली बार जब मुझे आपके सम्मुख बोलने का अवसर मिला था तो उस समय मैंने बतलाया था कि नरेशों के संघ शासन में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में उन्हें किसी निश्चय पर पहुंचने में प्रत्येक की पृथक पृथक सहायता देने की दिशा में मैंने क्या २ किया है। संघ शासन योजना के संबंध में नरेशों ने जो व्यक्तिगत प्रश्न उप-

है कि राजा कई अर्थों में विशेष मनमानी करने में स्वतंत्र थे और कुछ अंशों में उन्हें सुधार भी आवश्यक रूप से करना था। गंगा-नहर और अन्य विकास कार्य इसी प्रवृत्ति के फल थे।

स्थिति किये हैं उन पर विचार करने और मार्ग को साफ करने में मुझे आशा से अधिक समय लगा है। किन्तु अब यह कार्य समाप्त हो चुका है। देशी राज्यों के नरेशों ने जो प्रश्न उपस्थित किये हैं, उन सब पर विचार हो चुका है और उन प्रश्नों पर सूक्ष्म विचार करने के बाद जो परिवर्तन किये गये हैं, वे नरेशों को सूचित कर दिये गये हैं। आज मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर अधिक कुछ न कहूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैंने आप लोगों और अन्य समस्त नरेशों के हितों और उन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है जो मुझ से कही गई हैं। अब मैं नरेशों के निर्णय की प्रतीक्षा में हूं और यहां मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस संबंध में जो निर्णय किया जायगा वह आप, आपके राज्य और भारत के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मुझे यह विश्वास है कि वह निर्णय उस महान दायित्व को अच्छी तरह से समझते हुए किया जायगा जो इस सम्बन्ध में आपके ऊपर है। इस सम्बन्ध में अपनी ओर से चूंकि उस योजना के तैयार करने में और उन अनेक जटिल प्रश्नों पर विचार और उनका स्पष्टीकरण करने में, जो संघ योजना पर विचार करते समय आपके सम्मुख आचुके हैं, मेरा भी काफी हाथ रहा है। मैं आज इससे अधिक और कुछ न कहूंगा कि वह योजना, जिसकी रचना और स्वीकृति के लिये नरेन्द्र वर्ग के सदस्यों ने इतना अधिक काम किया है इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन के सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के सावधानी के साथ किये गये सूक्ष्म विचार का परिणाम है। संभव है कि इसमें दोष भी हो और वे अपूर्ण भी हों, किन्तु आपो

राजस्थान में इन युगों में कभी भी आजादी की खुलकर बात नहीं की गई। कतिपय वाम पक्षीय विचारधारा के लोगों ने अवश्य नव-जागरण की बात की थी, लेकिन वे मद सांस्कृतिक

सम्मुख जो समस्याएं उपस्थित हैं, उनके समाधान के लिये अभी तक किसी को भी, उस संघ-प्रशासन विधान की योजना से कोई और अच्छी योजना तैयार करने में सफलता नहीं मिली, जिसका समावेश १६३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में किया गया है।

"मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूं कि अभी-अभी कुछ देशी नरेशों को संकट और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता कि बहुत से रजवाड़ों पर ऐसे अनुचित आक्षेप हुये हैं जिनमें पूर्ण औचित्य का पालन करने की सावधानी अथवा राज्य या राज्य प्रजा के कल्याण की वास्तविक इच्छा का सर्वथा अभाव पाया जाता है किन्तु इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कि इस प्रकार के आक्षेप हुए हैं, मुझे विश्वास है कि मेरी ही भांति आपको भी यह साफ दिखाई देगा कि ऐसी स्थिति में इस परिवर्तनशील युग में यह और भी आवश्यक हो गया है कि समस्त देशी राज्यों के अधिकारी अपनी अपनी प्रजा की वास्तविक शिकायतों का पता लगाने और उन्हें दूर करने में पूरी सावधानी से काम लें। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि यह जितनी सभी नरेशों के हित की बात है उतना ही उनका स्पष्ट कर्तव्य भी है कि वे अपने राज्य के मामलों में, अपने राज्य के अफसरों के काम में और अपनी प्रजा के दैनिक जीवन में व्यक्तिगतरूप से पूरी पूरी दिलचस्पी लें और इस बात का ध्यान रखें कि उनकी प्रजा में असन्तोष नहीं है, राज्य की तरफ से या अयोग्य अफसरों के संकेत पर उस पर अनुचित बोझ नहीं डाला जाता और वास्तविक

परम्पराओं के कारण आटें में नमक की मिकदार में थे। उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के समय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी और स्वस्थ साहित्य का सृजन किया था। ये लोग भारतीय

अभाव–अभियोगों को शीघ्र ही दूर करने पर विचार किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी स्थिति में एक ऐसा विभाग स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे राज्याधिकारियों को इस बात का सन्तोष हो जाय कि इस प्रकार की सब शिकायतें दरबार तक पहुंचती रहें और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इसके साथ ही यह भी समान रूप से आवश्यक है कि राज्य की प्रजा को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि उसके अभाव, उनकी कठिनाइयों और उनकी शिकायतों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जायगा, देशी राज्यों पर जिस किसी भी उद्देश्य या कारण से आलोचना या आक्षेप किये गये हों यदि किसी भी वास्तविक शिकायत को बिना दूर किये हुये उसे यों ही छोड़ दिया गया तो आन्दोलन भी जोर पकड़ेगा और स्पष्ट है कि दरबारों की अभेद्यता भी घटती जायगी।

"इस दिशा में कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, यह आशा करना व्यर्थ होगी कि आलोचकों का मुंह बन्द किया जा सकता है। संसार की कोई भी सरकार इस बढ़ते हुये प्रचार के युग में सरकारी कोष के उपयोग और प्रबन्ध कार्यों में सर्वसाधारण की बढ़ती हुई दिलचस्पी के होते हुये उसकी आशा नहीं कर सकती, किन्तु अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के महत्व को आप लोगों ने भुलाया न होगा, क्योंकि किसी राज्य के सम्बन्ध में अनुचित आक्षेपों का निराकरण करने के लिये इससे बढ़कर और कोई प्रणाली नहीं हो सकती

नव जागरण के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के अपने नव जागरण की बात नहीं कर सके थे। तब कम्युनिष्ट विचारधारा के लोग कांग्रेस में ही थे और लोक-युद्ध के नारे के कारण उनकी राजनैतिक स्थिति

कि सच्ची बातें बतलाने के लिये प्रचार का आश्रय लिया जाय। ऐसी बहुत सी रियासतें है जो प्रशंसनीय ढंग से अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, जिनमे सर्वसाधारण के देखने के लिये वास्तविक स्थिति का विवरण दिया रहता है। जिन रियासतो मे अभी ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित नही होती उनके लिये मेरा सुभाव है कि वे इस विषय में अपने पड़ोसियों के आदर्श का अनुकरण करने की उपादेयता पर विचार करें।

"आप महानुभावो ने उन घोषणाओं को देखा होगा जो हाल ही में सम्राट की सरकार की ओर से पार्लियामेंट मे हुई हैं। इन घोषणाओं को, जो देशी राज्यों के वैधानिक परिवर्तनो से सम्बन्ध रखती हैं, मैंने अपने सार्वजनिक वक्तव्यो मे बहुधा दुहराया है। इन वक्तव्यो से इस विषय मे सम्राट की सरकार का मत, जिसे मैं फिर दुहराता हू, स्पष्ट होगया होगा कि यह निर्णय करना नरेशो का काम है कि उनके राज्य और प्रजा के लिये कैसा विधान सर्वोत्तम होगा और इस सम्बन्ध मे नरेशों पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जायगा। यदि एक नरेश किये हुये समझौते के अनुसार अपने राज्य में वैधानिक उन्नति करना चाहेगा तो इस काम मे सर्वोच्च सत्ता की तरफ से किसी प्रकार की रुकावट न डाली जायगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसी स्थिति मे उस वैधानिक प्रबन्ध का वास्तविक रूप, जिसे नरेश अपने राज्य मे स्थापित करने का निश्चय करेगा, अवश्य ही परिस्थितियो के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होगा और यह स्पष्ट है कि स्थानीय परिस्थितियों और व्यवस्था पर पूरा पूरा विचार होना

सुकुमार बन गई थी। १९४२ में भी आतंकवादी कार्यवाहियां हुई, लेकिन वह सफल सशस्त्र क्रांति का रूप नहीं ले पाई थी। ले पाती भी तो कैसे ?

चाहिये और इन स्थानीय परिस्थितियों में जो विभिन्नता होगी, वह एक विशिष्ट रजवाड़े के वैधानिक प्रबन्ध पर भी अपनी छाप डालेगी।

"किन्तु इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुये भी, मुझे विश्वास है कि आप इस बात में मुझ से सहमत होंगे कि शासन का स्वरूप जितना ही वैयक्तिक होगा, व्यक्तिगत संपर्क की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। जो अपनी प्रजा का पालक होगा उसे यह देखना ही होगा कि उसकी प्रजा के सब वर्गों को उसके शासन से समान रूप से लाभ हो रहा और राजकोष का अधिकांश भाग केवल उसके निजी खर्च के लिये उपयोग में ही लाया जाता।

"मेरे लिये इस बात पर जोर देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि एक शासक का साधारण कार्यक्षेत्र उसके अपने राज्य की सीमा में ही है। अपने राज्य से अनुपस्थित रहने वाला नरेश, एक अनुपस्थित जमींदार की भांति एक ऐसी स्थिति का निर्देशन करता है जिसे कभी भी साधारणतया उचित नहीं ठहराया गया और जो वर्तमान स्थितियों में तो और भी उचित नहीं कहा जा सकता। किन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनमें एक शासक को अपने राज्य से बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहना पड़े; किन्तु आप अपने पुराने और विस्तृत अनुभव के सहारे मुझ से इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति में एक ऐसे शासक को जिसे बाध्य होकर अपने राज्य से अनुपस्थित होना पड़ता है, इस सम्बन्ध में पूरी तरह से संतोष हो जाना चाहिये कि वह अपने राज्य का प्रबन्ध जिन व्यक्तियों को सौंप रहा है वे उसके पूर्ण विश्वासपात्र हैं।

इधर राजस्थान और हिन्दुस्थान में ये राजनैतिक और विचारधारिक परिवर्तन हो रहे थे और उधर इंग्लैंड और भारत के आर्थिक सम्बन्धों में 'शुभ-लाभ' की स्थिति गायब होती जा रही थी। भारत को उपनिवेश बनाये रखने में अंग्रेजों को

"जिस प्रकार आपको हाल ही मे विश्वास दिलाया गया है, सर्वोच्च सत्ता समझौते के अनुसार किये दायित्व को पूरा करने में नरेशों की सहायता करने के लिये हमेशा तैयार है। किन्तु यहा इससे यह मतलब न लिया जाना चाहिये कि स्वयं नरेश अपने प्राचीन और यशस्वी उत्तराधिकारी के सर्वप्रमुख अभिभावक नही हैं। जो लोग हृदय से भारतीय नरेशों की हित कामना करते हैं वे इस बात पर बहुधा जोर दे चुके हैं कि वे अपने मतभेद को भुला दें और अपने राज्यो की भलाई और अपनी निजी शांति और सुख के लिये एक दूसरे से कन्धे से कन्धा भिडाकर खड़े हो जाएँ। पिछले वर्षों की किसी भी अवधि पर दृष्टि डालते हुये क्या यह हृदय से कहा जा सकता है कि इस परामर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है ? संसार मे एक भी वर्ग या समुदाय ऐसा नहीं है जिसमे उसके निकृष्ट भाई न हों। किन्तु जैसा कि आप महानुभावों पर भी अच्छी तरह से प्रकट है, साधारण प्रवृत्ति सबको एक ही साधारण कोटि मे रखने की होती है। और जो एक शासक अपनी प्रजा के कल्याण की उपेक्षा करता है उसे उसके समस्त पड़ोसियों का प्रतिरूप मान लिया जाता है। क्या यह सम्भव नही है कि जो नरेश विशेष दूरदर्शी हैं वे आपस मे मिलकर ऐसे शासक को अपने मैत्रीपूर्ण परामर्श से उसके राज्य संचालन के दोष दिखलाएँ जिससे कि वह समस्त नरेशों पर लाछन न लगा सकें।

किसी प्रकार का लाभ नहीं था। इग्लैंड में मजदूर दल विजयी हुआ। उसने भारत के अनुदार राजनैतिक दल कांग्रेस को जनता का प्रतिनिधि मान सत्ता उसके हाथों में सौंप दी। यह इतिहास की

"सहयोग और सम्बन्ध की आवश्यकता छोटे छोटे देशी राज्यों के लिये और भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जिन रियासतों के साधन इतने सीमित हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा की आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा करने मे रुकावट का अनुभव करते हैं, उनके लिये इसके सिवाय सचमुच और कोई चारा नहीं है। इस अवसर पर मैं अपने पूरे जोर के साथ इस प्रकार की रियासतों के शासकों पर यह प्रकट करना चाहूंगा कि इस समय उनके लिये सबसे अधिक बुद्धिमानी की बात यही होगी कि वे अपने राज्य प्रबन्ध के उन मामलों में अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग स्थापित करें जिनके सम्बन्ध में ऐसा कर सकना सम्भव है। ऐसा करने में वे इस बात का भरोसा कर सकते है कि मैं और मेरे सलाहकार उनकी यथाशक्ति सहायता करेंगे। किन्तु ऐसा करने की आवश्यकता तात्कालिक है। उससे जिन लोगों का सम्बन्ध है, उनके लिये इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है और मेरे विचार से छोटे छोटे रजवाड़ों के हित मे यह बहुत ही आवश्यक है कि इस दिशा मे आवश्यक कार्यवाही करने में समय नष्ट न किया जाय।

"महानुभाव, आपके सम्मुख आज मैंने जो वक्तव्य प्रकट किया है उसमें मैंने रियासतों और उनके शासकों से सम्बन्ध रखने वाली महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा है उसे सदन की आप एक ऐसे अवसर पर उपेक्षा न करेंगे जो भारत की इतिहास रचना में इतना अधिक है।"

सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसका असर भारत और विश्व के इतिहास पर पड़ने वाला था।

"इसके बाद हिज एक्सेलेंसी वायसराय ने उपस्थित नरेशों को फिर धन्यवाद दिया और मंडल के अधिवेशन की सफलता की कामना प्रकट की।"

—साप्ताहिक 'मारवाड़ी समाचार' दि० २६-१-२६ से उद्धृत

विगत पारिवारिक परिस्थितियां

मनुष्य चाहे किन्हीं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में पल रहा हो लेकिन वह उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध केवल तब प्रकट करने लगता है, जब वे सामाजिक परिस्थितियां उसके व्यक्तिगत विकास को विकसित नहीं होने देती। इन परिस्थितियों के विरुद्ध वह व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने लगता है। मनुष्य के सृजन के क्षणों की यही उर्वरा भूमि है। यही सृजन की गयात्मकता है।

मनुष्य के चारों ओर घूमने वाली परिस्थितियां सुकुमार भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं। मनुष्य की सुकुमार परिस्थितियां सब जगह और सब समय एक सी रहती हैं परन्तु कठोर और दुखद परिस्थितियों की अपनी भिन्न गत्यात्मकता और अपनी भिन्न तार्किकता होती है।

उन दुखद परिस्थितियों में मनुष्य के सभी प्रकार के अधिकार, यहां तक कि बोलने तक के अधिकार छीन लिए जाते हैं। तब खुली आंखों द्वारा वह अपना अपमान देखने लगता है और मजबूरन मौन रहकर उसे सहता रहता है। उन दुखद परिस्थितियों का शिकार वह अकेला नहीं होता। उन दुखद परिस्थितियों का शिकार उस जैसे अनेक 'हतभागी' लोग होते हैं, जिन्हें परोक्ष व प्रत्यक्ष में बन्दी बनाया जाकर देश से बाहर निकाल दिया जाता है। यही वे सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जब मनुष्य सब कहीं चारों ओर अखबारों में, सिनेमा घरों में सूचना-पट्टों पर और आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों में अपनी एक निराश और निर्जीव सूरत देखने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य और समाज उसकी जबान बं

करने को तत्पर रहती हैं। इसलिए उन परिस्थितियों के प्रतिरोध में अभिव्यक्त किया गया उसका हर शब्द, उसकी हर आवाज, उसका हर इशारा एक सिद्धान्त की घोषणा होती है। उस प्रकार के हर व्यवहार में मानव-मूल्य में सृजन करने की क्षमता होती है। वे परिस्थितियाँ एक प्रकार की बंद और रूढ़ सामाजिकता से अनुप्राणित रहती है। उनका सामना व्यक्ति को अंततोगत्वा करना ही पड़ता है।

अमर शहीद सागरमल गोपा का परिवार इन दोनों परिस्थितियों से—सुकुमार और दुख—गुजरा है और उन दोनों परिस्थितियों का प्रभाव सागरमल गोपा पर पड़ा है।

मनुष्य सोचने विचारने में स्वतन्त्र रहता है। उसके विचार और उसकी परिकल्पना जैसा चाहे मोड़ ले सकती है। यदि किसी प्रकार की सीमितता उन विचारों में होती है तो वह सीमितता है उसके अपने अनुभवों की और भावों की। परन्तु जब इन विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति होने लगती है तब मानव मूल्यों का सृजन होने लगता है। और तब व्यक्ति के सामने स्वतंत्रता का मौलिक प्रश्न आ खड़ा

वे और उनके सब आपस में बैठ कर खाना खालें तो उनको उनकी बात पर विश्वास हो सकता है। 'आपत्तिकाल मर्यादा नास्ति' को मानते हुए पुरोहितजी और उनके पुत्रों ने साथ खाना खा लिया। आक्रमणकारी चले गये और भाटी वंश की लाज बच गई।

महारावल के पुत्र की हत्या के षड़यन्त्र का वर्णन यहां केवल दो बातों को दर्शाने के लिए किया गया है। एक तो उस समय के सामन्तवाद के पारिवारिक अन्तर्विरोध को दर्शाने के लिए तथा दूसरे उनके प्रति साधारण लोगों की श्रद्धा को दर्शाने के लिए। लेकिन ज्यों ज्यों समय बदलता गया सामन्तों के प्रति साधारण जनता की भावना बदलती गई।

देवायनजी की इन सेवाओं के कारण उन्हें महारावल का आश्रय मिला और मिली सुकुमार सामाजिक उपादेयता। वह अधिक दिन नहीं चल सकी। श्री अमर शहीद सागरमल गोपा इसी पीढ़ी के होनहार युवक थे। अंग्रेजी हकूमत के अन्तर्गत राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सागरमल जी जैसे लोगों ने आदर्श-समाज की स्थापना के लिए एक

आन्दोलन को प्रसूत किया था। तब उन सब आन्दोलनकारियों के साथ दमन और बल का प्रयोग अंग्रेजी हकूमत और उसके अधीन काम करने वाले शामन्तों ने किया था। दोनों में मिली-भगत चलती रही। एक ने दमन का इशारा किया, दूसरे ने उसे कर दिखाया। फिर अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने न्यायिक जांच का स्वाग रचा और न्यायिक-जाँच ने 'दूध का दूध' और 'पानी का पानी' कर दिखाया। टिहरी गढ़वाल के श्री देवसुमन के साथ जो किया गया वही अमर शहीद सागरमल गोपा के साथ किया गया।

श्री देवसुमन की हत्या के बाद उनकी लाश तक परिवार वालों को नहीं दी गई। और जोधपुर से राधाकृष्ण बोहरा 'तात' को टेहरी गढ़वाल जाने से रोक दिया गया था, जिन्हें लोक परिषद ने वहां जाच के लिए भेजा था। उनकी लाश बहते नाले में बहा दी गई। श्री अमर शहीद सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया और मरने के बाद लाश परिवार वालों को यह कह कर दे दी गई कि स्वयं गोपाजी ने मिट्टी का तेल शरीर पर छिड़क कर आत्म-हत्या करली है। जो लोग जेलों में राजनैतिक बन्दी होकर रहे हैं वे यह भली भांति जानते

वे और उनके लड़के सब आपस में बैठ कर खाना खालें तो उनको उनकी बात पर विश्वास हो सकता है। 'आपत्तिकाल मर्यादा नास्ति' को मानते हुए पुरोहितजी और उनके पुत्रों ने साथ खाना खा लिया। आक्रमणकारी चले गये और भाटी वंश की लाज बच गई।

महारावल के पुत्र की हत्या के षड़यन्त्र का वर्णन यहां केवल दो बातों को दर्शाने के लिए किया गया है। एक तो उस समय के सामन्तवाद के पारिवारिक अन्तर्विरोध को दर्शाने के लिए तथा दूसरे उनके प्रति साधारण लोगों की श्रद्धा को दर्शाने के लिए। लेकिन ज्यों २ समय बदलता गया सामन्तों के प्रति साधारण जनता की भावना बदलती गई।

देवायतजी की इन सेवाओं के कारण उन्हें महारावल का आश्रय मिला और मिली सुकुमार सामाजिक उपादेयता। वह अधिक दिन नहीं चल सकी। श्री अमर शहीद सागरमल गोपा इसी पीढ़ी के ही होनहार युवक थे। अंग्रेजी हकूमत के अन्तर्गत राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सागरमल जी जैसे लोगों ने आदर्श-समाज की स्थापना के लिए एक

आन्दोलन को प्रसूत किया था। तब उन सब आन्दोलनकारियों के साथ दमन और बल का प्रयोग अंग्रेजी हकूमत और उसके अधीन काम करने वाले सामन्तों ने किया था। दोनों में मिली-भगत चलती रही। एक ने दमन का इशारा किया, दूसरे ने उसे कर दिखाया। फिर अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने न्यायिक जांच का स्वांग रचा और न्यायिक-जाँच ने 'दूध का दूध' और 'पानी का पानी' कर दिखाया। टिहरी गढ़वाल के श्री देवसुमन के साथ जो किया गया वही अमर शहीद सागरमल गोपा के साथ किया गया।

श्री देवसुमन की हत्या के बाद उनकी लाश तक परिवार वालो को नहीं दी गई। और जोधपुर से राधाकृष्ण बोहरा 'तात' को टेहरी गढ़वाल जाने से रोक दिया गया था, जिन्हे लोक परिषद ने वहां जाच के लिए भेजा था। उनकी लाश बहते नाले में बहा दी गई। श्री अमर शहीद सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया और मरने के बाद लाश परिवार वालों को यह कह कर दे दी गई कि स्वयं गोपाजी ने मिट्टी का तेल शरीर पर छिड़क कर आत्म-हत्या करली है। जो लोग जेलों में राजनैतिक बन्दी होकर रहे हैं वे यह भली भांति जानते

है कि एक राजनैतिक बन्दी जेल के वार्डरों और अनुशासन से आँख बचा कर किस तरह आत्म-हत्या कर सकता है। अमर शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर जेल में आत्म-हत्या करले यह एक हास्यास्पद स्थापना है। लेकिन सागरमलजी के सम्बन्ध में इसे चलाया गया और उस बल पर न्यायिक जांच कराई गई।

ऐसी न्यायिक जांच का जैसलमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा 'बाय-कॉट' किया गया। वैसा करना तर्कसंगत और उचित भी था।

बचपन

अमर शहीद सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में (संवत १९५७ के कार्तिक शु. ११) ३ नवम्बर १९०० ई० को हुआ था। उनका बचपन जैसलमेर में ही बीता। उनकी शिक्षा दीक्षा भी वही हुई।

गोपा-परिवार शताब्दियों से जैसलमेर में ही रहता आ रहा था। इसी परिवारिक स्थाईत्व के कारण श्री सागरमल गोपा जैसलमेर में प्रारम्भिक अवस्थाओं में राजकीय सेवाओं में प्रविष्ट हुए थे।

मानव-जीवन में कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति जिन सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में फलता-फूलता है, उन परिस्थितियों के प्रति आर्त-ज्ञान होते हुए भी जीवन के स्थाईत्व के कारण, उसमें उन परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की रसात्मकता आ ही जाती है। उन सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मीठे और स्नेह भरे संदर्भ का प्रभा-मण्डल मनुष्य के मस्तिष्क को घेरे रहता है। 'मातृ भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है' वाली आवाज भी उस प्रभा-मण्डल का ही फल है। अंग्रेजी में 'घर की याद' (Home sickness) की जो बात की गई है, उसका इज़हार भी इसी स्थाई-भाव के कारण मनुष्य के स्मृति-पटल पर रहता है। इस तरह मनुष्य की आदत बन जाती है कि उसकी इन्द्रिय-संवेदना को बारम्बार झंकृत करने वाले प्रतिवेदना के प्रति वह आदर्श भरा, स्नेह भरा और 'लाड'-भरा रूप अपना लेता है। वह उसमें रम जाता है, उसमें खोया सा रहता है। उसकी कामशक्ति की तादात्म्यता उसके अहं में बैठ जाती है। मारवाड़ी भाषा में कहना होगा कि वह उसकी 'हताई' बन जाती है। उसे

आदतन उसी वातावरण में आनन्द आता है। वह उसी में अभीभूत रहता है।

बालक गोपा के व्यक्तित्व की लीकें इसी अर्थवता में बनी और विकसित हुई है। जैसलमेर मारवाड़ से मिला होने के कारण मारवाड़ के लोक गीतों की स्वर लहरियों ने जैसलमेर के समाज और व्यक्तित्व को पल्लवित किया है।

मारवाड़ की धरती से उठकर ये सांस्कृतिक हवाऐं जैसलमेर के सांस्कृतिक क्षितिज पर लोरियों के रूप में लोगों को महलाती रही है। मारवाड़ ही नहीं राजस्थान का वक्षस्थल भी वीरगाथाओं की डींगों से भरा पड़ा है। यहा बुद्धि जीवियों के प्रति स्नेह नही रहा है।

जैसलमेर में पहली बार मनुष्य ने समझदारी की बात करनी आरम्भ की थी इसलिए उस तर्कसंगत-बात करने के तरीके में भी वीरता सम्बन्धी लोरियों का भाव भरा रहा है।

आवाज आई है,

"पाछो मत आईजे बेटा राड़ सूं[१]

मत दूध लजाइये।......"

---

१. यह कविता लोकनायक जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी।

इसी तरह

"आने दे वार सामने हमने सीना तान लिया है"[1]

और लोकायतवादी यह परम्परा कि "ओ भव मीठो परभव कुण दीठो" तथा "इतिहासों के पन्ने होंगे ये राजा रानी" आदि।

श्री सागरमल गोपा का व्यक्तित्व इन्हीं लोरियों के संदर्भ में दृढ़ और परिपक्क हुआ था।

श्री सागरमल गोपा के पिता का नाम श्री आखेराजजी गोपा था। "आखेराजजी के पिता इन्द्रराज जी राज्य के कृपा पात्र थे। उनका छोटी अवस्था में ही देहान्त हो गया था। उनके पिता सरदारमलजी रेजीडेन्सी में राज्य वकील थे और उन्होंने सीमा सम्बन्धी मामले में राज्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आत्म हत्या कर ली थी। उनके पिता बिहारीलालजी जैसल्मेर-बीकानेर संग्राम में १८२९ में काम आये। इस राज्य भक्त गोपा खानदान को जैसल्मेर रियासत के कस्टम्स में से हिस्सा मिलता था। जिस खानदान में आज तक राजा और राज्य

---

१. जनकवि गणेश जोशी की यह कविता है।

की रक्षा के लिए प्राण दिये थे उस खानदान के एक होनहार युवक को किस तरह जेल में सताया गया और अन्त में मौत के घाट उतार दिया गया······"[१]
अखेराजजी के पांच पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े सागरमलजी गोपा थे। दूसरे रामचन्द्र, तीसरा बल्देव, चौथे अनन्तलाल और पांचवें जगजीवन। सागरमल जी के कोई पुत्र नहीं हुआ।

श्री आखेराजजी गोपा राजकीय सेवाओं में अच्छे पद पर थे, लेकिन उस अच्छे पद की सुकुमार स्थिति में बालक गोपा के व्यवहार के कारण राजकीय दरार पड़ने लगी थी। सागरमल के पिता आखेराजजी जैसलमेर के महारावल के साथ दिल्ली दरबार भी गये थे। वे उनके साथ आबू मे भी रहे। आखेराजजी एक जनपरायणता व्यक्ति थे उनमें निस्वार्थता कूट कूट कर भरी थी।

उनकी इस जनपरायणता, वीरता और निस्वार्थता का पता जैसलमेर में हुए ताजियों के झगड़े से लगता है। एक बार जैसलमेर में ताजियों के त्यौहार

---

१. [सागरमल गोपा का बलिदान–सम्पादनकर्ता जयनारायण व्यास और सिद्धराज ढड्ढा—पृष्ठ दो]

पर हिन्दु-मुसलमानों में तनातनी हो गई थी। बात यह थी कि कतिपय साम्प्रदायिक मुसलमानों ने ताजिये में भगवान कृष्ण की तस्वीर को जालियों के बीच लगादी थी। इसका हिन्दुओं ने विरोध किया। और देखते ही देखते तलवारें चलने की स्थिति आ गई। आखेराजजी को इस बात का पता चला। वे दौड़ कर घटना स्थल पर पहुंचे। वहां हिन्दु-मुसलमान मरने मारने को उतारू थे। अखेराज जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह समझ से काम लिया। अखेराजजी ने दोनों पक्षों को समझाना आरम्भ किया। इतने में एक नासमझ धर्म से अनुप्राणित मुसलमान ने तलवार से अखेराजजी पर वार किया। इस वार से उनकी गर्दन पर गहरा घाव पड़ गया और खून बहने लगा। इस आक्रमण से बिना किसी तरह उत्तेजित हुए अखेराजजी साम्प्रादायिक तत्वों को समझाते रहे। उनके इस सद्प्रयास से हिन्दु-मुसलमानों का तनाव एक दम कम हो गया।

इसी घटना की सूचना जब बड़े महारावल को मिली तो उन्होंने तीन चार मुसलमानों को पकड़ कर उन पर अखेराजजी पर हमला करने का केस

चलाया। अमेराजजी को जब इसका पता चला तो वे बड़े महारावल से मिले और उन मुसलमानों को छोड़ने को कहा और उनके प्रयासों से वे छोड़ भी दिये गये। एक दूसरा उदाहरण लीजिये।

उन दिनों की बात है जब जैसलमेर के राजा सालीवानसिंह थे। उनका निधन हो गया था। उनके स्थान पर उनके लड़के दानसिंह गद्दी पर बैठे। राज-गद्दी के लिए जैसी की सामंती परम्पराएं रही हैं, कड़ा संघर्ष चल पड़ा। दानसिंह के ही एक चचेरे भाई जवाहरसिंह ने राज-गद्दी की तरफ दृष्टि डाली। अपनी योग्यता के कारण उसने कुछ ही दिनों में दानसिंह को राज-गद्दी से उतार दिया खुद जैसलमेर का महारावल बन बैठा। जवाहरसिंह चालाक और धूर्त था। यद्यपि वह राजकीय सेवा में छोटे पद पर ही था फिर भी उसने दीवान और अन्य लोगों को अपनी ओर मिला लिया था। यह हिम्मत की बात थी कि अमेराजजी ने जवाहरसिंह की राजतिलक की रस्म अदायगी के लिए इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि जिस अंगूठे से दो ही रोज पहले दानसिंहजी का राजतिलक किया था उसी अंगूठे से उनके जीते

जी कैसे किसी और का राजतिलक किया जा सकता है।

जैसे तैसे महारावल जैसलमेर की राज-गद्दी पर बैठ ही गया। कुछ ही समय में उनकी स्त्री हाडी रानी गर्भवती हुई। चारों ओर राजकीय ठाठ से खुशियां मनाई जाने लगीं।

राजस्थान में गर्भवती स्त्री के जीवन के चारों ओर चक्कर लगाने वाली आदिम सांस्कृतिक परम्पराएं विद्यमान रही हैं। अनादी काल से चली आ रही परम्पराएं सामतों के हाथ में पड़ कर बदल गई थी। हाडी रानी को सात महीने हो चले थे। गर्भवती स्त्री को सातवां महीना चढने पर सातवां पूजन[1] का मांगलिक-संस्कार मनाया जाता है। साधारणतया ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन राजाओं ने इस मांगलिक-कार्य के साथ ऐसे राजकीय उपकरण[2] जोड़ दिये थे, जो जनता के लिए

---

१. राजस्थान में कहीं पर 'सातवां-पूजन' होता है तो कहीं आठवें महीने का 'आठवां-पूजन'।

२. इसी प्रकार के सांस्कृतिक उपकरण जोधपुर में दशहरे जैसे त्योहार के साथ जोड़ दिए गए हैं। दशहरा वैसे सारे भारतवर्ष में मनाया

दुखदाई थे। जैसलमेर राज घराने की यह परम्परा रही है कि 'सातवां-पूजन' (जो स्त्री के गर्भ को सात महीने के बाद मांगलिक-रूप में मनाया जाता था) के समय राज-पुरोहित की स्त्री राजकीय कलश लेकर राजकीय सम्मान के साथ पास के तालाव से पानी भर कर लाती थी और उस पानी से रानी स्नान करती थी। तब राज-पुरोहित की स्त्री को, उसके परिवार को और राज घराने के चारों तरफ घूमने वाली अन्य मंडली को दान के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता था। हाडी रानी के 'सातवाँ-पूजन' पर राज-पुरोहित आखेराजजी की स्त्री को उस मांगलिक कार्य में भाग लेना था। आखेराजजी को उसके आदेश मिले। सत्ताधारी महारावल भूल गया था कि जमाना बदल गया है और ऐसी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति स्वयं राज-पुरोहितों तक में श्रद्धा नहीं रह गई है। अखेराजजी ने जवाहरसिंह को

जाता है, लेकिन दशहरे को चामुंडा माता के साथ जोड़ कर जोधपुर के पांच सौ फुट ऊंचे किले मे एक भैंसे के सिर को काट कर पहले सिर को और बाद मे धड़ को चर्खी पर से गिराया जाता है, यह अपने मे अभूतपूर्व है। ऐसा उपकरण अन्यत्र नही मिलता। जोधपुर मे मनाये जाने वाले दशहरे की यह सांमती विशेषता है।

कहला भेजा कि उनकी स्त्री की तबीयत ठीक नहीं है। अतः इतना बड़ा कलश (चाहे वह सोने का ही क्यों न हो) उसकी स्त्री नहीं उठा सकेगी।

जवाहरसिंह को जब इस बीमारी की इत्तला मिली तो उसने आग्रह किया कि सोने के कलश में पानी न लाया जाकर केवल सोने के लोटे में ही पानी लाया जाय। इससे मांगलिक दस्तूर पूरा हो जायगा।

अखेराजजी ने ज्यादा आनाकानी करना उचित नहीं समझा और राज-पुरोहित की स्त्री राजकीय सम्मान और दल बादल के साथ सोने के लोटे में पानी ले आई।

बालक सागरमल गोपा का मन विद्रोह कर बैठा[1]। समय था जब इस प्रकार की पर-

---

१. सामन्ती उपकरणों के प्रति इसी प्रकार की प्रतिक्रिया राजस्थान के अन्य लेखक श्री रामनारायण चौधरी में भी हुई। वे अपनी पुस्तक 'वर्तमान राजस्थान' में लिखते हैं, "रास्ते में एक जागीरदार के यहां शादी में शरीक होना था। जागीरी प्रथा के मातहत मानव-जीवन को देखने का यह पहला मौका था। वह मेरे शिष्य थे और कन्या पक्ष में मेरा पुराना सम्बन्ध था। जागीरदार ३ घंटे तक रोज हवन, पूजा-पाठ और दूसरे धर्म-कांड करते थे, लेकिन अव्वल दर्जे के दुराचारी थे। इस बात को देखा कि किस तरह एक आदमी के इशारे पर सैंकड़ों नर-नारियों,

म्पराओं के प्रति जन साधारण में सम्मान की दृष्टि थी। जैसलमेर में विचार-क्रांति के बीज पड़ चुके थे और 'सातवां-पूजन' मांगलिक उपकरण के प्रति सम्मान की भावना बंद हो गई थी। जैसलमेर में ही नहीं स्वय जोधपुर में दशहरे पर रावण को जलाते समय जो रामचन्द्रजी का रथ जाता था, उसमे राज-ज्योतिषी और उसके परिवार वाले बैठते थे। समय रहा होगा जब उस रथ में बैठने वाले के प्रति जनता में श्रद्धा और सम्मान प्रकट होता रहा होगा। लेकिन १९४२ के बाद मे, उसकी सवारी को हँसी-दिल्लगी के रूप में लिया जाने लगा।

बाद में हाडी रानी के हुकमसिंह नाम का लड़का पैदा हुआ।

बालक गोपा सामन्ती सांस्कृतिक-परम्पराओं के प्रति आलोचक बन गया। सातवां-पूजन तो एक ऐसी परम्परा थी जिसका गोपा-परिवार से सीधा सम्बन्ध

बांदियां नौकर-चाकर और सैकड़ों किसान दिन रात खावते है किस तरह गरीबों की कमाई राग-रंग मे उड़ाई जाती है और ऊपर से उजली दिखाई देने वाली व्यवस्था के भीतर कितना अन्धकार, दम और अत्याचार छुपा रहता है। मन पर सामन्तशाही के बारे में एक छाप गहरा उसी दिन से हो गया।" पृष्ठ-४०]

था, लेकिन अन्य बातें भी गोपाजी को सही रूप में दिखाई देने लगी थीं।

जैसलमेर के महारावल जवाहरसिंह युग की नाड़ी को नहीं पहचान सके। वह अपनी प्रजा के प्रति रूढ़ और दकियानुसी बना रहा, जैसा कि राजा शताब्दियों से बने चले आ रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई जागरूक परिवार जैसलमेर छोड़ कर चले गये। सागरमल जी के पिता अखेराजजी का तो यहां तक कहना था, "तुम (अपने लड़कों से) लोग यदि मेरी राय मानो तो जैसलमेर स्टेट की नौकरी कभी मत करना।" अतएव सागरमलजी आपने बाल-बच्चों सहित जैसलमेर छोड़ कर नागपुर जाकर बस गये। वे वहाँ नये जीवन-यापन के साधन ढूंढने लगे।

नागपुर (सिटी) में आकर सागरमल जी ने कृष्णजीवन फोटो कम्पनी की स्थापना की, ताकि जीवन को अच्छी तरह चलाया जा सके।

कृष्णजीवन फोटो कम्पनी के लिए छपे एक फोल्डर में गोपाजी ने लिखा "Established in 1921 Akola".

"दुनियां झुकती है.........।

"ब्लाक-जीवन में जान डालना भी एक कला है। हाफटोन, लाईन, इलेक्ट्री, स्टीरियो ब्लाक्स हम बम्बई, दिल्ली और कलकत्ते से भी सस्ते भावों में तैयार करते है। हाफटोन ब्लाक्स ५०० स्क्रीन तक का हम तैयार करते हैं। कैसा भी पुराना, फीका व पीला पड़ा हुआ फोटो क्यों न हो उस पर से निहायत एनलार्जमेंट तैयार करना हमारी विशेषता है। फोटो में बटन, लाकेट, कोट के बटन आदि की नावेलटी का सचित्र सूची पत्र मगा कर काम की खातरी कीजिये।"

इस फोल्डर पर श्री अमर शहीद सागरमल गोपा का चित्र छापा गया था।

गोपा-परिवार नागपुर गया, पर जैसलमेर नहीं भुलाया जा सका। वे वहां के राजनैतिक आन्दोलन का साथ नहीं छोड़ सके। जवाहरसिंह ने अपने चारों ओर चापलूस और खुदगर्ज लोगों की एक फौज इकट्ठी कर ली थी। 'जैसलमेर राज्य का गुडां शासन'—नाम से सागरमलजी ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें जैसलमेर की तानाशाही पर खुलकर

प्रकाश डाला है। जैसलमेर के महारावल की तानाशाही से सागरमल जी का साहित्यक हृदय उद्वेलित हो उठा था। उन्होंने इस पर कई व्यङ्गा-त्मक कविताऐं लिखी। जो कविता इस संबन्ध में सबसे लोक-प्रिय रही कविता वह थी, जिसमें जवाहर-सिंह के चापलूसों को नवरत्न की संज्ञा देकर भर्त्सना की गई है, वह है,

"प्रथम रतद पूना,[1] जिण देश किया सूना।
चुगल खोरी का नमूना, भरे राज के कन्न[2] है
चापलूस चानणमल[3] चूके नहीं एक पल्ल।
जेल में दरोगा करनू[4] खल, खेल चुका फन्न है।
डाक्टर दूरगू[5] पायो व्यभिचारी फल है।
नंदीये[6], नैपाले ने, कियो देश का पतन है।

---

१. पूतमा—महारावल का निजी मर्दनी
२. कन्न—कान (जैसलमेरी बोली में)
३. चानणमल—महारावल का निजी सचिव
४. करनू हजूरी—जेलर
५. डा. दुर्गाशंकर—महारावल का निजी डाक्टर
६. नंदकिशोर गोस्वामी—जैसलमेर स्टेट का दीवान

राजमल,[1] गुमान[2] महादान[3] डाकू आदि।
भूपति ? जवाहर के ऐसे नव रतन है।

इस कविता से जवाहर और उसके पिट्ठू भल्ला उठे। और अवसर मिलने पर उन्होंने अपनी इर्ष्या की आग बुझाई।

---

७. राजमल मीनवाल—कस्टम्स ग्राफिसर
८. गुमानसिंह } पुलिस अधिकारी
९. महादानसिंह }

रघुनाथसिंह का मुकदमा

"मेरे जीवन का ध्येय जैसलमेर की प्रजा को जीवित, जाग्रत और स्वतंत्र बनाना है। आज वहां एक व्यक्ति की जो निरंकुश सत्ता कायम है और उसकी दमन नीति से प्रजा स्वाभिमानहीन होकर दुर्दशा का जीवन बिता रही है। उसके ऊपर अनेक तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन वह उफ नहीं कर सकती। उस दुर्दशा का स्मरण कर मैं कांप उठता हूं। मैं इस दुर्दशा का अंत करने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाना चाहता हूं।"

ये मार्मिक उद्गार स्व० अमर शहीद सागरमल गोपा ने प्रसंगवश अपने कतिपय जैसलमेरी मित्रों के समक्ष प्रकट किए थे। और उन्होंने अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए जीवन की बाजी लगा ही दी।

अमर शहीद सागरमल जी गोपा के राजनैतिक क्षेत्र में आने से पहले कई राजनैतिक नेता जैसलमेर राजनीति के क्षेत्र को प्रशस्त कर चुके थे। श्री रघुनाथसिंह उन नवयुवकों में से एक रहे हैं जिन्होंने श्री गोपाजी को राजनैतिक-संघर्ष में प्रेरणा दी। यह श्री रघुनाथसिंह मेहता के कारण ही था कि जैसलमेर में माहेश्वरी युवक मंडल नामक संस्था की स्थापना हुई थी।

श्री रघुनाथसिंह मेहता का मार्ग श्री सुजानसिंह तथा श्री कर्णसिंह प्रशस्त कर चुके थे। श्री रघुनाथसिंह के पिता वैसे तो राजा के मुत्सद्दी थे, लेकिन वे बड़े स्वतन्त्र विचारक और विद्वान थे। वे प्रायः कहा करते थे,

"नर तन पाय न कीन, जन्म भूमि की जाहिरी।
महामंद मति हीन, जे न सहायक देश के।
देश जाति उपकार सबसे उत्तम जानिये।
जप तप नियम आचार तथा धर्म विद्या पठन।

श्री रघुनाथ सिंह के पिता श्री उम्मेदसिंह कई पुस्तकों के लेखक थे। 'तवारीख टावरियान' उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उनकी अन्य पुस्तकें—'सात रत्न' पुस्तक, और 'आनन्द-बहार' है। आनन्द बहार में एक स्थल पर उन्होंने लिखा,

"गुल ने बाग छोड़ा, तंग आके जोरे गुलची से।
चमन वीरान होता है, खबर ले बागवां अपनी।

श्री रघुनाथसिंह की जेल यात्रा ने रियासत को एक सबक सिखाया कि स्वेच्छाचार से विद्रोही को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। श्री रघुनाथ-सिंह पर अमर शहीद सागरमल गोपा की तरह जाली मुकदमा चलाया गया। मुकदमा क्या था न्याय का मखौल था। इन्साफ की मट्टीपलीत की गई थी। फैसले, गवाह आदि की नकल तक नहीं दी गई थी।

जैसलमेर में आये दिन क्रांतिकारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा है। इसी व्यवहार के कारण श्री रघुनाथसिंह जैसलमेर छोड़ मद्रास चले गये और जीवन-यापन के लिए स्वतन्त्र व्यवसाय करने लगे। लेकिन वे अपनी मातृभूमि जैसलमेर को

भुला नहीं सके। उनके हृदय में अपने देश के पुनरुत्थान की भावना जल रही थी।

श्री रघुनाथसिंह के पहले उनका मार्ग जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है श्री सुजानसिंह तथा श्री कर्णसिंह मेहता प्रशस्त कर चुके थे। उन्होंने जैसलमेर के पिछड़े प्रदेश में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इसलिये नए विचारों के इन लोगों से उस समय के सामन्तवाद और अंग्रेजी हकूमत के पिट्ठुओं से नहीं बन सकी थी।

यह वह समय है जब मद्रास में गोलीकांड हो चुका था। देशी राज्यों के सम्बन्ध में कांग्रेस का रुख बदल चुका था। कांग्रेस देशी राज्य लोक परिषद और प्रजामंडलों पर जोर डाल रही थी कि वे जन-आंदोलन को तेज बनावें और उस ओर भागीरथ प्रयास करें। देशी राज्य लोक परिषद के इस आह्वान का स्वागत राजाओं ने जेल यातना, झूठे न्यायिक मुकदमों और निर्वासन से किया। दमन और कुर्बानी के बीच संघर्ष चल पड़ा। पशुबल से बलिदानों, शैतानियत से अहिंसा की लड़ाई छिड़ पड़ी। जनता उस दिन के लिये लालायित होने लगी जब रियासतों में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रणाली की स्थापना हो और

नादरशाही हमेशा के लिए काला मुँह करके समाप्त हो जाय। जोधपुर का ए. जी. जी. इतना ढीठ होगया कि वह श्री रघुनाथसिंह के मुकदमे की नकल तक देने से इन्कार कर गया। पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और छुपे छुपे सामन्तों को दमन की शिक्षा देने लगा।

जैसलमेर रेगिस्तान की वजह से दुनिया की हल-चल से अलग पड़ गया था। रेल, तार और डाक [illegible] का वहां कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए वहां [illegible] राजनैतिक कार्यवाही पर नैसर्गिक पर्दा पड़ा [illegible] है। कार्यकर्त्ताओं को अपने प्रति [illegible] शहरी सभ्यता तक पहुंचाने के लिए [illegible] करना पड़ता था। प्रायः वह प्रयास [illegible] था। क्योंकि जैसलमेर में तब [illegible] अलग २ प्रकार के नियम थे। [illegible] आततायियों को वहां राजकीय [illegible] और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के [illegible] जाते थे।

गए तो श्री सुजानसिंह ने २०००) रु० का एक कंठा महाराजा को भेंट दिया था। महाराजा जिन्हें हथकड़ी देते हैं, प्रजा बदले में जवाहरात देती रही, अकृतज्ञता के बदले में प्रजा के पास अभी भी कृतग्नता दी।

परन्तु विचारणीय प्रश्न यह था कि जिस कारण श्री रघुनाथसिंह जेल गए थे, वह कारण ज्यों का त्यों मौजूद रहा। मंडल अभी भी गैरकानूनी करार दिया हुआ था। अदालत का हाकिम अभी तक उसी पद पर था जिन्हें प्रजा दर्जी-सत्याग्रह के बाद 'डायर' और 'ओडायर' के समान बदनाम हाकिम भी संज्ञा देती थी। "दरोगा-हलफी" झूठी गवाही देने वालों के साथ कार्यवाही नहीं होती थी। भविष्य में प्रजा के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की राज्य ने कोई गारंटी नहीं दी थी। चाहिए तो यह था कि अन्यायी हाकिम को बदल दिया जाता व झूठे गवाहों को दंडित किया जाता। श्री रघुनाथसिंह की रिहाई से प्रजावाद की अग्नि पर अवश्य राख चढ़ गई थी, परन्तु कारण जब तक मौजूद हो तो कह नहीं सकते कि लोकायत की आंधी के एक झोंके से राख से छुपी हुई अग्नि पुनः कब ज्वालामुखी बन जायगी। माहेश्वरी

युवकों का एक नैसर्गिक स्वत्व है। यदि रियासत अपने राज्य के चहार-दीवारी मे इसकी स्थापना न होने दे तो वह ब्रिटिश भारत में पुनरपि उसका संगठन किया जा सकता है।

१६ नवम्बर १६३० मे श्री रघुनाथसिंह, श्री आईदानसिंह और अमर शहीद सागरमल गोपा के हस्ताक्षरों से एक घोषणा-पत्र[1] प्रकाशित किया गया

Translated Copy of notice pasted on the Custom office wall, Jaisalmer, "D/ 16-11-30 on Jawahar-day"

By the order of congress —

"Jawahar-Day to be Celebrated"

1. Pandit Motilalji Nehru, President All India, Congress Committee has issued a statement requesting the public to celebrate the "Jawahar day," on Sunday the 16th Nov. '30 and to declare for the information of the public the crime under which Jawahar is to undergo the said term of imprisonment.

In accordance with the said order we request the inhabitants of the town—Male Female, Children of all castes, creeds, and sexes—to observe the day in below noted manners:—

1. To observe fast.

2. To pray the almighty God through temples, mosques, and churches for the long and happy life of

था। उस घोषणा-पत्र में जवाहरलाल नेहरू के आरोग्य लाभ के लिए ईश्वर-प्रार्थना के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। जैसेलमेर की राज्य-सरकार उस कार्यक्रम को बर्दास्त नहीं कर सकी। यह एक हास्यपद बात थी। राज की ओर से इन तीन

Jawahar and for his every success in the undertakings of making India Free.

3. Every one to take an oath not to purchase any foreign cloth hereafter but use only pure hand spun and hand woven khadder in particular and if unable at least to use mill cloth manufactured by the purely Indian capitalised and Indian laboured mills.

4. To take this message to the illiterates and to take from them every hey preserving the principle of non-violence in every attempt for Swarajya.

5. To read the holy and religious books like Gita, Ramayan and to study the lives of Dhruva, Prahlad, Mirabai, Rana Pratap, Shiwaji and of those all possible heroes of the ancient history of India.

6. Not to observe hartal or to take a procession."

Sd. "Aidan Purohit"
Sd. "Sagarmal Gopa"
Sd. "Raghunath Singh Mehta"

व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया[1]। उन्हें लाला सनमुखराय के कोर्ट (न्यायालय) में पेश किया गया। उन पर चार जुर्म लगाए गए।

(१) ताजियों का झगड़ा
(२) दर्जी सत्याग्रह को चलाना
(३) माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना
(४) छोगालाल का दत्तक विधान

लाला सनमुखराय ने श्री रघुनाथसिंह को गिरफ्तार करने के आदेश दिये और माहेश्वरी नव-युवक मंडल को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी। इस गिरफ्तारी से जैसलमेर में ही नहीं अपितु राजपूताने की अनेक रियासतों और राजपूताने के बाहर भी विद्रोह हुए।

माहेश्वरी महासभा के कार्यकारी मण्डल की वर्धा में एक बैठक हुई। उस सभा में सभापति श्री ब्रिजलालजी बियाणी के सभापतित्व में निम्नलिखित

---

1. इस प्रकार का रवैया राज्य सरकार द्वारा केवल जैसलमेर में ही नहीं अपनाया गया था। जोधपुर में तो इससे भी गया बीता रुख अपनाया गया था। वहाँ राजस्थान के आधुनिक 'भामाशाह' श्री भंवरलाल सर्राफ आदि अन्य राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को इसलिए सजाएँ दी गई थी कि वे गणगौर का जलूस निकलते समय खड़े नहीं हुए थे।

प्रस्ताव पारित हुया, "जैसलमेर राजा ने श्री जैसलमेरी युवक मंडल जैसी केवल सामाजिक संस्था को गैर कानूनी करार देकर उसके मंत्री श्री रघुनाथ सिंह मेहता को जेल में भेजने के कार्य का यह घोर विरोध करता है। और उसके साहसी एवं समाज सेवी मंत्री श्री रघुनाथसिंह मेहता को उनकी दृढता के लिए बधाई देता है। यह मण्डल राज्याधिकारियों से अनुरोध करता है कि मण्डल पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध शीघ्र दूर करे।"

यह प्रस्ताव १६ अप्रैल १६३२ में पारित किया गया था।

१४ मई १६३२ शनिवार को श्री रघुनाथसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी प्रातःकाल आठ बजे हुई।[1]

---

१. इन्डियन स्टेट्स रिपब्लीकन लीग ने १६३० से १६३३ तक जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें पेज नं० १५ पैराग्राफ १३ में इस प्रकार दर्ज है:—

Through organised propaganda in press and on the platform by correspondence, the League got the release of one Mr. Raghunath singh Mohta within a month and a quarter of his Imprisonment (awarded for term of 2 years and half on false charge of sedition).

श्री रघुनाथसिंह पर दफा १४४ I. P. C. के अनुसार मुकदमा चलाया गया। उस मुकदमे में उन्हे दो वर्ष की कैद और ५००) जुर्माने की सजा दी गई। राज्य-सरकार ने श्री रघुनाथसिह के पीछे रिहाई होने के बाद राज्य-सरकार के परछाई वाले जासूस लगा दिये। उनकी हर गतिविधि का ध्यान रखा जाने लगा। दो-दो जासूस उनका पीछा करते रहते थे।

यहां हम रघुनाथसिह के मुकदमे की गहराई मे जाना नहीं चाहते। लेकिन हम यहा इतना अवश्य बताना चाहेंगे कि जेल मे श्री रघुनाथसिह के साथ अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। उस व्यवहार के फलस्वरूप श्री मेहता को जेल में दो दिन का अनशन करना पड़ा। इस अनशन से जैसलमेर की जनता बहुत क्षुब्ध हुई। जनता का एक प्रतिनिधि मण्डल लाला सनमुखराय से मिला। सरकार के इस आश्वासन पर कि भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जायगा, श्री मेहता ने अपना अनशन तोड दिया। बाद में जनता के ही सद्‌प्रयत्नों द्वारा श्री रघुनाथसिंह को छोड दिया गया। उन पर किसी प्रकार की शर्त

नहीं लगाई गई जैसा कि उन दिनों राजनैतिक कार्य-कर्ताओं के साथ रिहाई के बाद शर्त रखी जाती थी। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि लोक-नायक जयनारायण व्यास और भंवर शरीफ जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जोधपुर की राज्य सरकार ने दस नम्बरिये घोषित करके जरायम पेशा लोगों की तरह रात में थाने में जाकर सोने की शर्त लगाई थी। श्री रघुनाथसिंह मेहता के साथ तो यह सब रियायत हुई। परन्तु माहेश्वरी युवक मण्डल को अवैध घोषित ही रखा। माहेश्वरी युवक मंडल का फर्नीचर सरकार उठा ले गई और वहाँ की सारी पुस्तकें सरकार ने जब्त करली। यह बात किसी समझदार व्यक्ति को कैसे अच्छी लग सकती थी। जैसलमेर की जनता और विशेष कर वहां के नव-युवकों ने यह निर्णय लिया कि सरकार जब तक माहेश्वरी युवक मण्डल को कानूनी संस्था नहीं करार देती तब तक महारावल को जनता की तरफ से किसी प्रकार का 'नजराना' भेंट नहीं किया जायगा। और यदि समाज का कोई वर्ग कोई 'नजराना' भेंट करेगा तो वे उसका डट कर विरोध करेंगे। उन्होंने

यह भी मांग रखी कि कलनवा हाई स्कूल और एक साधारण पुस्तकालय जनता के लिए खोला जाय।

रघुनाथसिंह जेल से रिहा होते ही कलकत्ता चले गये। रघुनाथसिंह मेहता ने यह प्रण ले रखा था कि जब तक जैसलमेर में जनता का शासन स्थापित नहीं होगा तब तक वे महाराजा को सिर नही झुकाएँगे। जैसलमेर छोडने के बाद वे वापस जैसलमेर कभी नही आये।

श्री रघुनाथसिंह ने अपने मुकदमे के सिलसिले में एक बयान अदालत के सामने दिया था, रघुनाथसिंह मेहता द्वारा अदालत के सामने दिया गया बयान[1] प्रविकल्प रूप से इस प्रकार है,

---

1. "I am to submit my statement for the handbill I adhered on the custom office wall in connection with the celebration of Jawahar day.

"I am to say in short that if at all to love one's Motherland is a crime, myself, even at the cost of life, I am glad enough to plead myself guilty of the same

The rule under which men like Chuna Purohit Sheodas Bissa, Sardarmal, S. M. Goyadani and Indra Raj Purohit are sent to jail only of committing a crime of submission of their grievances

"जवाहर दिवस मनाने के सिलसिले में मैंने कस्टम्स आफिस की दीवारों पर एक परचा चिपकाया था। उस सम्बन्ध में मेरा यह बयान है।

"संक्षेप में मैं वह कह देना चाहता हूं कि यदि अपनी मातृ-भूमि को प्यार करना अपराध है तो मैं प्रसन्नता के साथ कहूंगा कि मैंने अपराध किया है।

---

to the resident of the State. The rule, which even can be considered the enemy of Education; where in, as yet, i. e. even in the advanced 20th century, means in the year 1930 a student does not waste even up to middle class [The present alien Govt. of Jaisalmer is of fixed principal to keep the Generation of Bhati Rajput quite illiterate, ignorant and uncapable of studying the advanced worldly affairs]; That the ruling system wherein, is still wanting the advantages of State Council, purely Local Self Govts. and the advance ruling systems with the consultation of the Public: Where the rate of pay to a Prime Minister and to a female dancer is one and the same.

"The Court (अदालत) and other institutions for justice to the public, where of, are purely like toys (कठपुतली) in the hands of children. The honourable parties sitting in the court (राजसभा) of Maharaja, where of, are in no way set free of being insulted; wherein the Samant Mandal

"जिस नियम के अन्तर्गत चूना पुरोहित, शिवदास बिस्सा, सरदारमल, एस. एम. गोयदानी और इन्द्रराज पुरोहित जैसों को जेल भेजा गया था, वह अनियम रूपी अपराध यह था कि उन्होंने सही बात को सरकार के सामने रखा। उस नियम को जो शिक्षा-विरोधी है और जनता को आठवीं-कक्षा तक पढने की भी स्वीकृति तक नहीं देता। वह भावी-पीढी को इस तरह अशिक्षित रखना चाहता है, जिसमें वह संसार मे बढते हुए ज्ञान से वंचित रह जाय और विधान-सभा और जनता का राज्य स्थापित करने की ओर अपना कदम नहीं उठा सके। विशेष कर उस देश मे जहां प्रधान-मंत्री और वेश्या की दर एक सी है।

(सामंत मंडल) instead of being kind of giving pure justice to the offender, only keeps itself always ready to bend the wishes of Maharaja, whether wrong or right; where in it has elapsed some seventeen years since the declaration of the proposed scheme of opening Colbin High School but no attempts have been made for its execution as yet.

"The British Govt. skilfully tried to find the ins and outs of the well known Mumtaj Bawla incident, but the offender in Indrasingh Bhati

"जहां न्यायालय बच्चों के हाथ की कठपुतली की तरह है। न्यायालय में काम करने वाले लोगों को मन चाहे रूप से बेइज्जत किया जाता है। जहां का सामंत-मंडल न्याय करने की वनिस्पत इस बात से तत्पर रहता है कि किस तरह महाराजा को न्याय के विरुद्ध किया जाय। वहां (जैसलमेर में) आज भी सतरह साल हो गये हैं कि जिस कालविन हाई स्कूल खोलने की बात की गई थी उसे लागू नहीं किया जा रहा है।

"ब्रिटिश-सरकार ने मुमताज-वावला कांड की गहराई में जाने की वड़ी चतुराई से भरसक कोशिश की थी, लेकिन इन्द्रसिंह भाटी के मुकदमे का मुल्जिम अभी तक नहीं पकड़ा गया है।

---

case has not yet been hanged or been taken for task.

"With a view to deceive the British Govt. exaggerated and false figure of the sale of opium is published and most of the quality of this is secretly sold in the surrounding states and British Territory. Here this is the chief item for the businessmen and the state gets annualy Rs. one lac as an importing duty on this.

"The state allows not to create any sensation amongst the subjects.

"ब्रिटिश-सरकार को धोखा देने की दृष्टि से अफीम की फरोख्त के गलत आंकड़े उन्हें पेश किये जा रहे हैं और अफीम को पास के राज्यों और ब्रिटिश-प्रान्तो में वेचा जा रहा है। यहां का यही आम व्यापार है और राज्य को इसके आयात और निर्यात में एक लाख रुपये की आमदनी होती है।

"यहां जनता को कुछ नहीं करने दिया जाता है।

"यहां शारीरिक प्रशिक्षण इसलिए नहीं दिये जाते कि उससे जैसलमेर राज्य के साधारण लोगों में राजनैतिक-विद्रोह पैदा होने लगेगा।

"अपराधी-स्त्रियां जेल में गर्भवती हो रही हैं।

---

[1] In case of the Physical Education the state says the youths of the subjects having been given gynastic education may perhaps apply to the political agent against the state.

"Females sentenced are seen having come to pregnancy stage (गर्भ) after entering the jail in the terms of their imprisonment.

"In the time of late Maharaja Akhe Singh the state was in good and progressive condition in every respect but even at such condition the younger prince had been granted the village Tota on jagiri terms, while this time when the State has gone quite decreased financially and in

महात्मा गाँधी के शब्दों में मैंने जेल को मेरे जीवन का ध्येय बना लिया है 'जेल भगवान का पवित्र जन्म-स्थान है।' वहाँ भगवान ने दुष्टों का हनन करने के लिए जन्म लिया था। भगवान द्वारा गीता में कहे गये शब्द आज भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं, "तू मरने की परवाह मत कर। तू कष्ट पाने की परवाह मत कर। सत्य भगवान का दूसरा नाम है, इसलिए सत्य की ओर कदम बढ़ाये जा।" जिस न्यायालय के सामने यह बयान दिया गया, उस न्यायालय की स्थापना केवल[1] ढोंग रचने के लिए ही की गई थी।

श्री रघुनाथसिंह के मुकदमे और माहेश्वरी युवक मण्डल की स्थापना से पता चलता है कि जैसलमेर की जनता शिक्षा और ज्ञान के लिए कितनी लालायित थी। इसी ज्ञान की चाह से प्रेरित होकर वहाँ

१. The Court staged so, only to show us the enemies of the Britishers before the Resident, so that the Political Agent may not listen even to our requests. Political offenders from any Native States can complain against ...ates before the Resident or Political Agent, but ...e are treated as the enemies of the Britishers, ...olitical Officer will support the State authorities. ...Court also wanted the same. It was staged in ...is way. ['रघुनाथसिंह का मुकदमा' से]

की जनता ने एक पुस्तकालय और कालेज खोलने की माँग की थी। जैसलमेर की राज्य सरकार ने सोचा कि सभी प्रकार के आन्दोलनों का मूल ज्ञान का प्रसार है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद समाज और व्यक्ति को रुढ़ नही रखा जा सकता। जैसलमेर की राज्य सरकार यह भूल गई कि बाहर के आक्रमण को रोका जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन विचारो के प्रसरण और ज्ञान के सृजन को नही रोका जा सकता। उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसलमेर की राज्य सरकार ने ज्ञान की इस लहर को रोकने का ऐसा ही एक असफल प्रयास किया।

माहेश्वरी-युवक-मण्डल की स्थापना किन्ही रूढ़ और संकीर्ण विचारों को लेकर नही की गई थी। इसका पता इसी बात से लगता है कि श्री सागरमल गोपा ने माहेश्वरी-युवक-मण्डल की तुलना अपनी पुस्तक 'रघुनाथसिंह का मुकदमा' में रूस में लेनिन द्वारा स्थापित 'यूथ लीग' से की है। उन्होने अपनी पुस्तक में लिखा,

"धणी–खम्मा और अन्नदाता कहके दरबार को भड़काने वालों में गोयदानी, कल्याणमलजी, रतन

"महाराजा अखेसिंह के समय में यहाँ राज्य में हर प्रकार प्रगति हो रही थी और राजकुमार को केवल तोता-जगीरी-अधिकार दिये गये थे। लेकिन आज राज्य की माली हालत खराब होते हुए भी राजकुमार हुकुमसिंह को आधी जागीरी का व्यक्ति-गत पट्टा दे दिया गया है।

"मेरे पुरखों नेवीर देवराजसिंह की जान बचाई थी। मैं उन्हीं की औलाद हूं परन्तु आज एकादशी के शुभ दिन भी मुझे कस्टम्स आफिसर राजमल के कहने पर गिरफ्तार किया है। उस अफसर (राज-

other respects too Hukam Singhji—the younger prince has been granted half of the State.

"My forefathers once were instrumental to preserve the life of well renowned Veer Deoraj Singh by forgiving him but myself though I am the descendant of the family, in recognition to the obligation of my forefathers I have been arrested on the auspicious day of Ekadashi and at the report submitted by a custom officer Mr. Rajmal who has arrived here as an absconding insolvant of Bombay.

"I am still firm that my deed is in no way offensive or unlawful.

मल) के कहने पर जो स्वय बम्बई से अविकृत दिवालिया होकर भाग आया है।

"मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

"मैं देश प्रेम को धर्म और स्वामिभक्ति से बढ़ कर मानता हू।

"यदि नौकरशाही देश-प्रेम और ईश्वर भक्ति को अपराध मानती है तो मैं फाँसी पर चढ़ने को भी तैयार हूं।

"I value the love in one's motherland beyond all religions and even the loyalty.

"If beaurocracy thinks it a crime to love one's motherland and to pray God I have no hesitation to face even the capital punishment for such a crime when given by such immoral, vitiated of untruth a court

"In case of prisons I have fixed my motto in the following words of Mahatma Gandhi—

"Those jails where in sacred incarnation like Shri Bhagwan Krishan took birth and could destroy all the injustice, are of great value and precious to me:—

"Care not ye are to loose the life'
"Care not suffer the troubles ye shall'
"Truthfulness is God alike"
"Preserve the truth beyond all"

महात्मा गाँधी के शब्दों में मैंने जेल को मेरे जीवन का ध्येय बना लिया है 'जेल भगवान का पवित्र जन्म-स्थान है ।' वहाँ भगवान ने दुष्टों का हनन करने के लिए जन्म लिया था । भगवान द्वारा गीता में कहे गये शब्द आज भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं, "तू मरने की परवाह मत कर । तू कष्ट पाने की परवाह मत कर । सत्य भगवान का दूसरा नाम है, इसलिए सत्य की ओर कदम बढ़ाये जा ।" जिस न्यायालय के सामने यह बयान दिया गया, उस न्यायालय की स्थापना केवल[1] ढोंग रचने के लिए ही की गई थी ।

श्री रघुनाथसिंह के मुकदमे और माहेश्वरी युवक मण्डल की स्थापना से पता चलता है कि जैसलमेर की जनता शिक्षा और ज्ञान के लिए कितनी लाला-यित थी । इसी ज्ञान की चाह से प्रेरित होकर वहाँ

?. The Court staged so, only to show us the enemies f the Britishers before the Resident, so that the Political Agent may not listen even to our requests. Political offenders from any Native States can complain against the States before the Resident or Political Agent, but when we are treated as the enemies of the Britishers, the Political Officer will support the State authorities. The Court also wanted the same. It was staged in this way. ['रघुनाथसिंह का मुकदमा' से]

की जनता ने एक पुस्तकालय और कालेज खोलने की मांग की थी। जैसलमेर की राज्य सरकार ने सोचा कि सभी प्रकार के आन्दोलनों का मूल ज्ञान का प्रसार है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद समाज और व्यक्ति को रूढ़ नही रखा जा सकता। जैसलमेर की राज्य सरकार यह भूल गई कि बाहर के आक्रमण को रोका जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन विचारों के प्रसरण और ज्ञान के सृजन को नही रोका जा सकता। उसका मुकाबला नही किया जा सकता। जैसलमेर की राज्य सरकार ने ज्ञान की इस लहर को रोकने का ऐसा ही एक असफल प्रयास किया।

माहेश्वरी-युवक-मण्डल की स्थापना किन्ही रूढ और संकीर्ण विचारो को लेकर नही की गई थी। इसका पता इसी बात से लगता है कि श्री सागरमल गोपा ने माहेश्वरी-युवक-मण्डल की तुलना अपनी पुस्तक 'रघुनाथसिंह का मुकदमा' में रूस में लेनिन द्वारा स्थापित 'यूथ लीग' से की है। उन्होने अपनी पुस्तक में लिखा,

"धणी-खम्मा और अन्नदाता कहके दरबार को भड़काने वालों में गोयदानी, कल्याणमलजी, रतन

लालजी तथा मूलजी परिवार मुख्य थे। केला सूरज मल तथा दलाल हंसराज भी प्रतिपक्षियों में अग्रणी थे। उन्होंने दरबार के इस प्रकार के कान भर दिये थे कि मण्डल का मतलब 'यूथ लीग' है। ऐसी लीग रूस में लेनिन ने कायम की थी। श्री दरबार इस मण्डल को तहस नहस नहीं करेंगे तो आगे चल कर रघुनाथसिंह जैसलमेर का लेनिन बन जावेगा और जारशाही की भांति जवाहरसिंह जी की स्वेच्छाशाही की इतिश्री कर देगा।"

अपने सलाहकारों के कहने में आकर दरबार ने रघुनाथसिंह को गिरफ्तार कर लिया और माहेश्वरी युवक मण्डल को गैर-कानूनी संस्था करार कर दी। लेकिन जनता के आन्दोलन के दबाव में आकर महा-रावल को श्री रघुनाथसिंह को रिहा करना पड़ा। श्री रघुनाथसिंह की रिहाई के लिए जनता ने एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव था, "जब तक रियासत मेहता रघुनाथसिंह को बिना किसी प्रकार के बन्धन के रिहा न करदे, तब तक जातिगत सारे कार्य, जीमण (जाति-भोज) मेला, दर्शन, राग-रंग 'दरबार को सलाम' इत्यादि सब बन्द कर दिये

जायें।" इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जैसलमेर में मुकम्मिल हड़ताल रही।

श्री सागरमल गोपा ने श्री रघुनाथसिंह के मुकदमे के अलावा एक और पुस्तक 'जैसलमेर का गुंडाराज' लिखी। इस पुस्तक का प्रकाशन जैसलमेर लोक-परिषद, नागपुर ने किया था।[1]

'जैसलमेर में गुण्डा राज' नामक पुस्तक में सबसे पहले श्री जयनारायण का जैसलमेर और राजस्थान की अन्य रियासतों के बारे में अभिभाषण है।

बात १९४० की है। उस समय राजपूताना कैसी राजनैतिक परिस्थितियों से गुजर रहा था इसका अनुमान श्री जयनारायण व्यास के भाषण से लगाया जा सकता है जो इस पुस्तक में भूमिका के बतौर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि उस समय श्री जयनारायण व्यास अ. भा. देशी राज्य लोक-परिषद के मंत्री थे और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष।

श्री जयनारायण व्यास ने अपने अभिभाषण में कहा, "सज्जनों, मैं दो तीन दफा नागपुर आया हू

१. नागपुर में बसे जैसलमेरियों ने नागपुर में जैसलमेर लोक-परिषद् की स्थापना की थी।

और जैसलमेरियों से मुझे विचार विनिमय का मौका मिला है। मैं भी जैसलमेरी हूं और मुझे जोधपुर में जैसलमेरिया व्यास कहते हैं। जैसलमेर रियासत जोधपुर के पड़ोस में है। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद के मंत्री होने के नाते मुझे जैसलमेरी मित्रों से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। वहाँ वर्तमान दुर्दशा की समय समय पर मुझे सूचना मिला करती है। मैं चाहता था कि दस पाँच जैसलमेरी मिलकर एक संगठन बनावें जिससे जैसलमेर की स्थिति प्रकाश में लाई जा सके। जैसलमेरी भाई बाहर रहते हैं। अतः बाहर ही उसका संगठन किया जाना चाहिए। बाहर के संगठन का ज्यादा असर होगा। परन्तु आपका अपना कोई संगठन नहीं है। इसलिए राज्याधिकारी जब चाहे जब आपके स्वत्वों पर कुठाराघात कर सकते हैं। अभी पंडित शिवशंकरजी गोपा पर अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं। जैसलमेर प्रजा परिषद की तलाशी हुई है और उन्हें काफी परेशान किया गया है। आपके वहाँ के पुलिस आफिसर गुमाना गवलोत की हरकतों से तंग आकर कुछ भाई (डावड़ा) बीकानेर चले गये हैं। अब व्याख्यानों

का समय नहीं है। मै खुद भाषणों से ऊब गया हू। अब तो सगठन और कार्य करने का समय है। आपके एक भाई लालचन्द जोशी को चोरी का मुकदमा चलाकर जेल में फंसाया गया है। और यह बातें आगे भी होती रहेंगी जब तक आप अपना सगठन नही बनायेंगे। कांग्रेस ने आज ब्रिटिश सरकार पर जो जबरदस्त धाक जमाई है वह अपने सघ शक्ति द्वारा ही जमा पाई है। राजा और राज्य पर केवल इसी तरह नैतिक दवाब डाला जा सकता है। ए० जी० जी० और वायसराय को राज्य की हरकतों पर तवज्जे दिला सकते है और अर्जी दे मकते है और सत्याग्रह कर सकते है। अन्यथा बिना आवाज उठाये तो आपको अधिकारी उसी प्रकार दवाते रहेंगे, जैसे जैसे आप दवते जायेंगे।

"जैसलमेर राज्य १६ हजार मील में फैला है। इस दृष्टि से वह पश्चिमी राजपूताने की बड़ी रियासत है। परन्तु आबादी और आमदनी की दृष्टि से वह एक द्वितीय श्रेणी का राज्य है। शिक्षा प्रसार वहाँ नहीं के बराबर है। और तो-और वहां के 'रावलजी' स्वयं शिक्षित नहीं है। परन्तु उनके बड़े बड़े खर्च है, मकान है, नौकर है, रईसी ठाट बाट है।

और जैसलमेरियों से मुझे विचार विनिमय का मौका मिला है। मैं भी जैसलमेरी हूं और मुझे जोधपुर में जैसलमेरिया व्यास कहते हैं। जैसलमेर रियासत जोधपुर के पड़ोस में है। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद के मंत्री होने के नाते मुझे जैसलमेरी मित्रों से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। वहाँ वर्तमान दुर्दशा की समय समय पर मुझे सूचना मिला करती है। मैं चाहता था कि दस पाँच जैसलमेरी मिलकर एक संगठन बनावें जिससे जैसलमेर की स्थिति प्रकाश में लाई जा सके। जैसलमेरी भाई बाहर रहते हैं। अतः बाहर ही उसका संगठन किया जाना चाहिए। बाहर के संगठन का ज्यादा असर होगा। परन्तु आपका अपना कोई संगठन नहीं है। इस-

री जब चाहे जब आपके स्वत्वों पर

कर सकते हैं। अभी पंडित शिवशंकरजी

किये जा रहे हैं। जैसल-

हुई है और उन्हें काफी

वहाँ के पश्चिम आफि-

का समय नहीं है। मैं खुद भाषणों में ऊब गया हूं। अब तो संगठन और कार्य करने का समय है। आपके एक भाई लालचन्द जोशी को चोरी का मुकदमा चलाकर जेल में फंसाया गया है। और यह बातें आगे भी होती रहेंगी जब तक आप अपना संगठन नहीं बनायेंगे। कांग्रेस ने आज ब्रिटिश सरकार पर जो जबरदस्त धाक जमाई है वह अपने संघ शक्ति द्वारा ही जमा पाई है। राजा और राज्य पर केवल इसी तरह नैतिक दबाव डाला जा सकता है। ए० जी० जी० और वायसराय को राज्य की हरकतों पर तवज्जे दिला सकते हैं और अर्जी दे सकते हैं और सत्याग्रह कर सकते हैं। अन्यथा बिना आवाज उठाये तो आपको अधिकारी उसी प्रकार दबाते रहेंगे, जैसे जैसे आप दबते जायेंगे।

"जैसलमेर राज्य १६ हजार मील में फैला है। इस दृष्टि से वह पश्चिमी राजपूताने की बड़ी रियासत है। परन्तु आबादी और आमदनी की दृष्टि से वह एक द्वितीय श्रेणी का राज्य है। शिक्षा प्रसार वहां नहीं के बराबर है। और तो और वहां के 'रावलजी' स्वयं शिक्षित नहीं हैं। परन्तु उनके बड़े बड़े खर्च है, मकान है, नौकर है, रईसी ठाट बाट है।

ऐसी कलील तनख्वा में हाकिम किस प्रकार नवाबी कर सकते हैं उसका कारण हम और आप बखूबी समझ सकते हैं।"

कई विषयों पर बोलते हुए श्री जयनारायण व्यास ने अपने भाषण के दौरान में कहा, "महारावल के तख्त और ताज को हिलाना बिलकुल मुश्किल नहीं है। रूस में चंद व्यक्तियों ने ही आरंभ में संगठन बनाया था, जो बाद में इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने जार का तख्ता तक पलट दिया। हमें केवल महारावल का सिंहासन ही नहीं उलट देना है, वरन् एक उत्तरदायी शासन की स्थापना भी करनी होगी।

"इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजाओं का राज अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। आप मत भूलिये कि आस्ट्रिया की रानी आज भीख मांगने की स्थिति में गुजर रही है, टर्की के खलीफा अपनी बिल्लियों का नाच दिखाकर पेट पाल रहा है। इंग्लैंड का राजा है लेकिन उस पर भी संसदात्मक लोकतंत्र का आवरण पड़ चुका है। यहां तक कि राजा को मन चाहे रूप से शादी करने का अधिकार भी उन्होंने छीन लिया है। उन्होंने हाल में ही अपने

बादशाह को शादी के कारण राजगद्दी से हटा दिया है। उसने मनचाहे रूप में शादी करके राष्ट्रीय-जीवन को घपले में डालना चाहा था। शादी और गद्दी एक चीज नहीं है, जैसा की अब तक माना जाता रहा है।

"यह सही है कि महारावल राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करता है। लेकिन इसमें भय की कोई बात नहीं। आपके M. L. A. कल जेल में थे। मैं भी जोधपुर में दस नम्बरी गिना जाता हूं। और मुझे जरायम पेशा वाले लोगों की गिनती में जेल में रखा गया था जहां भील, बावरी, थोरी, खूनी व सांसी रखे जाते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जोधपुर नरेश हम लोगों की खुशामद करते हैं।

"आप में से पाँच या सात व्यक्ति भी यदि जेल का भय त्याग दें तो जैसलमेर के सामाजिक और राजनैतिक-जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है।

"एक प्रसिद्ध इतिहासकार थोरे का तो यहां तक कहना है कि जिस राज्य में गुंडाशाही का बोलबाला होता है, वहां भले आदमियों के लिये जेलखाना ही अच्छी चीज है।

"दर्जियों का सत्याग्रह मेरी स्थापना का जीता जागता उदाहरण है। इस हड़ताल से महारावल के होस हवास उड़ गये थे। महारावल और उसके गुर्गों की सारी करतूतें उस सत्याग्रह को भंग नहीं कर सकी।

"जैसलमेर में आप लोग नये-साहित्य का निर्माण करें। स्वतंत्रचेता व्यक्ति ही ऐसे साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। अपने यहां फक्कड़ को ही स्वतंत्रचेता व्यक्तियों की श्रेणी में माना गया है। आप फक्कड़ या यायावर की स्थिति में ही रह कर काम करें।"

इस तरह हम देखते है कि जैसलमेर के प्रवासी लोग हर प्रकार के उपायों द्वारा जैसलमेर के 'गुण्डाराज' का विरोध करते रहे हैं।[1] सागरमल

---

१. रघुनाथसिंह के मुकदमे का जिक्र करते समय यदि श्री अजीतसिंह और सुजानसिंह की बात न कहें तो यह एक अनुचित बात होगी। क्योंकि इन महानुभावों ने जनता के लिए वही काम किया है जो भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए किया। इन्होंने जैसलमेर कन्या पाठशाला उस समय स्थापित की जब जैसलमेर के दरबारी गुर्गों ने महारावल को सलाह दी थी, "जहांपनाह, लड़कियां स्कूल में पढ़ेंगी तो विधवायें हो जायेंगी।"

गोपा का इस विरोध में प्रबल हाथ रहा है। यही कारण था कि महारावल को वे फूटी आंख नहीं सुहाते थे।

और जनता में इसका खुल कर प्रचार किया और दरबार की दोहाई दी कि कोई अपनी कन्या को स्कूल पढ़ने न भेजे।

इसी तरह जब अपने पैसे से श्री सुजानसिंहजी ने जनता के लिए पानी का नल लगवाया तो दरबार के कान भरे गये कि यह नल का पानी लगाकर आपको अपमानित कर रहा है। उन्होंने जैसलमेर में आर्य-समाज की भी स्थापना की थी।

यहां एक अन्य दिलेर राजनैतिक कार्यकर्त्ता श्री नारायणदास भाटिया को भी भुलाया जा सकता जो महाराज की दमन नीति के शिकार हो चुके थे। वे जिन्दा-दिल युवक थे। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब उन्होंने जैसलमेरी जनता की ओर से श्री गणेशशंकर विद्यार्थी को १८०) एकत्र कर भेजे थे।

धर पकड़

अमर शहीद सागरमल गोपा का परिवार जैसलमेर छोड़ चुका था। लेकिन सेठ गोविन्ददास की तरह गोपा-परिवार पूर्ण रूप से जैसलमेर नहीं छोड़ पाया था। सागरमलजी का एक पैर जैसलमेर में था तो दूसरा पैर नागपुर में और हिन्दुस्तान के दूसरे स्थानों में। सागरमलजी के सक्रिय राजनैतिक जीवन ने उनको और उनके परिवार को यायावर बना दिया था। सागरमलजी का यह राजनैतिक-जीवन लगभग १९२१ तक व्यवस्थित रूप ले चुका था।

सागरमलजी गोपा ने १९२१ के असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था। तब से वे देशी राज्यों के सम्बन्ध में खास दिलचस्पी लेते रहे। इनके राजनैतिक-कार्यों के कारण जैसलमेर में ही नहीं वरन् हैदराबाद में भी उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लग गया था। लेकिन इन प्रतिबन्धों से वे जरा भी विचलित नहीं हुए और लगातार अखिल भारतीय देशीराज्य लोक-परिषद के अधिवेशनों में भाग लेते रहे।

भारतवर्ष में चल रहे *अखिल भारतीय* स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने के साथ २ सागरमलजी की जैसलमेर के प्रति खास दिलचस्पी बनी रही। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। जैसलमेर पर अन्य फुटकर लेखों के अलावा उन्होंने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। वे हैं:—"जैसलमेर का गुंडा राज्य" और "रघुनाथसिंह का मुकदमा"। उन्होंने इन पुस्तकों को त्रिवेन्द्रम में छपवाया था। आकोला भी उनका राजनैतिक कार्य-क्षेत्र रहा।

उन दिनों सागरमल गोपा जैसलमेर में नहीं थे। १९३९ में सागरमल गोपा के पिता का देहान्त हो गया था। अक्टूबर का महीना था। जैसलमेर

उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इच्छा होते हुए भी वे जैसलमेर नहीं आ सके।

पिता के निधन के बाद उनकी उत्कट इच्छा थी कि वे जैसलमेर आते और घरेलू समस्याओं पर ध्यान देते। सागरमलजी के शुभ-चिन्तकों ने सागरमलजी को राय दी कि वे जैसलमेर न जावें। जैसलमेर का महारावल वहा उन्हें स्वतंत्र नही रहने देगा। 'जैसलमेर उनके लिए खतरे से खाली नहीं है।' मित्रों के इस आग्रह के बावजूद जैसलमेर नहीं जाना उन्हें अपनी कायरता लगी। मित्रो के बहुल आग्रह के बावजूद वे रेजिडेंट से मिले। उन दिनो जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर एक ही रेजिडेंट के आधीन थे। इन दिनों रेजिडेंट का मुकाम जोधपुर था। रेजिडेंट से सागरमलजी ने चाहा कि जैसलमेर में उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। रेजिडेंट ने दीवान से पत्र व्यवहार किया। उसने पत्र-व्यवहार के बाद सागरमलजी को पहले जबानी में और बाद में लिखित आदेश देकर कहा कि उनके साथ जैसलमेर जाने पर वहां पर किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही होगा। इस आश्वासन के चक्कर में सागरमलजी गोपा आगये।

रेजिडेंट का नाम ए. एस. एलिंगटन था।

रेजिडेंट एलिङ्गटन ने गोपाजी को लिखा, "दीवान ने मुझे सूचना दी है कि तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नहीं है और अगर तुम जैसलमेर जाओ तो तुम्हें दरबार की तरफ से किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की आशंका नहीं करनी चाहिए। मैंने यह बात तुम्हें जबानी भी कह दी थी।" रेजिडेंट ने यह पत्र नं० १६१९/४१८/४० तारीख २२-३-४१ द्वारा सूचना दी थी। मूल पत्र अंग्रेजी में था।[1]

---

१. From

The Resident
Western Raiputana States.

To
Mr. S. M. Gopa
C/o Post Master, Jodhpur.

No. 1619/418/40 Dated 22 March 1941

The Dewan has informed me that the state has no case against you and you need anticipate no ill-treatment from the Darbar when you visit Jaisalmer.

I have already mentioned you this verbally.

sd. A. S. Alington.
Mayor
Resident,
Western Rajputana States,

सागरमलजी और उनके मित्रों को क्या मालूम था कि रेजिडेंट का यह आश्वासन निरा धोखाधड़ी है, महज चालाकी है। यह आश्वासन केवल उनको फसाने का आश्वासन था।

जैसलमेर जाने के पहले सागरमलजी जोधपुर आये थे और पत्र द्वारा अपने परिवार वालों को इस बात की सूचना दी कि वे जैसलमेर आ रहे हैं।

गोपाजी जैसलमेर पहुचे। वे जितने दिन वहां रहे, उन पर जासूसों की आंखे लगी रही। कुछ दिन जैसलमेर रहने के बाद उन्होंने वापस नागपुर जाना तय किया।

जैसलमेर जाने के एक दिन रवाना होने के पहले २४ मई १९४१ ई० को सागरमलजी ने अपने एक सम्बन्धी को एक पोस्ट कार्ड लिखा। उसमे उन्होंने लिखा,

जैसलमेर

२४-५-४१

आसीस,

मैं बहुत शीघ्र यहाँ से रवाना हो रहा हूं। बलदेव भी आठ सात दिन मे विदा होने का इरादा

कर रहा है। अभी तक पूज्य भाभी का विचार निश्चित तो नहीं है। परन्तु बहुत करके बलदेव के साथ भाभी घनश्याम सुखदेव विदा हो जायेंगे। अभी तक तो स्टेट द्वारा मेरे साथ किसी किस्म का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। आगे की खबर नहीं। बहुत करके भाभी बलदेव के साथ ही रवाना होगी। बाकी सब खैरियत है। मैं जोधपुर से आबू जाऊंगा। आबू से बम्बई होकर नागपुर आता हूं।

तुम्हारा,
सागरमल गोपा

ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने इस रवानगी का ध्यान रख रखा था। सागरमलजी गोपा के पीछे लगे जासूसों को इसी बात के तो पैसे मिलते थे। २५-५-४१ को सागरमलजी जैसलमेर छोड़ने वाले थे, लेकिन उसी रोज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।

सागरमलजी की गिरफ्तारी बड़े रोचक ढंग से की गई थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कानूनी वारंट जारी नहीं किया गया था। उन्हें डाकुओं की तरह घेर कर पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई व्यक्तियों को विशेष रूप से लगाया

गया जिनकी सहायता के लिए कई लट्ठधारी साथ तैनात किये गये थे। ये सब लोग लक्ष्मी नारायणजी के मंदिर में छिप कर बैठ गये[1]। लक्ष्मी नारायणजी के मंदिर के सामने ही सागरमलजी गोपा का मकान था। इन राजचरों को डर था कि यदि सागरमलजी को उनकी हलचलों का थोड़ा भी पता चल गया तो वे उनके हाथ नहीं आयेंगे। जैसे ही सागरमलजी घर से बाहर पेशाब करने निकले, ये सब लोग उन पर टूट पड़े। सागरमलजी

---

१. सागरमलजी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे जोधपुर से प्रकाशित होने वाले 'प्रजा सेवक' ने लिखा,

"प्रजा सेवक" जोधपुर ता० ४ जून १९४१

जैसलमेर की विविध हलचलें

श्री सागरमलजी गोपा गिरफ्तार

जैसलमेर २६ मई

"कल शाम को करीब ६ बजे सागरमलजी गोपा को अकस्मात पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहते हैं कि आप धोती और बण्डी पहिने हुए घर से निकले थे और पेशाब कर रहे थे। इतने में हुमानसिंह ४ सिपाहियों सहित जो सामने लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर में छिपे बैठे थे, आये और पेशाब करते हुये के दोनों हाथ पकड़े और दोनों पांव पकड़ कर घसीटते हुये उठा ले गये। कहते हैं कि आप पर राजनैतिक अभियोग चलाया जायगा।"

पर लाठियां बरसाई जाने लगी। उन्हें लाठियों से मार गिरा कर 'टाँगा टोली' करके ले गये। सागरमलजी के गिरफ्तारी की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। सागरमलजी को जेल में ले जाकर पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। इस तरह की बेड़ियां और डंडे पैरों में डालना उस समय की राज्य सरकार की विशेष बात थी। राजनैतिक कैदियों के साथ जुरायम कैदियों से भी गया बीता व्यवहार किया जाता था। बात केवल पैर में बेड़ियां डालने तक ही सीमित नहीं थी। सागरमलजी को जब जेल में

सागरमलजी की गिरफ्तारी की यह खबर 'प्रजा सेवक' तक पहुंच जाना अपने में हिम्मत की एक बात थी क्योंकि जैसलमेर की हकूमत ने जनता को दोहरे रूप से दबा रखा था। इसका पता इसी प्रजा सेवक में छपी एक दूसरी खबर से चलता है। प्रकाशित खबर थी, "गड़ीसर पर पानी पीने से मनाई की जाने पर बिचारे अमरसागर जो ३ मील पर है वहां तालाब में वेश्याओं की बावड़ियां बनी हुई हैं, उसमें पानी पिलाने लोग ढोरों ले गये तो कहते हैं कि राज्य ने फी ढोर २) दो रुपये पानी पिलाई लाग के वसूल करने शुरू किये हैं। इसी तरह 'लांगा' हकूमत के पास पालीवाल ब्राह्मणों की खुदाई हुई एक 'जसेरी' नामक तलाई है, उसमें अभी तक बरसाती पानी है। आसपास के लोग वहां मवेशी ले गये हैं। उस पर भी पानी की पिलाई का टेक्स वसूल किया जाता है। कहते हैं यह टेक्स इतने दिनों नहीं था। करीब ५-६ वर्ष से ही लगाया गया है।"

अदालत में न्यायिक जांच के लिए ले जाया जाता या तब उनके हाथों में उलटी हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता था। उलटी हथकड़ी का अर्थ है दोनों हाथों को पीठ के पीछे करके हथकड़ी लगाना। उलटी हथकड़ी लगाकर सागरमलजी को चार पाँच बन्दूकधारी सिपाहियों की पहरेदारी में जेल से अदालत तक दिन में तीन या चार बार ले जाया जाता था। ऐसा करने के दो तात्पर्य थे। एक तो जनता को आतंकित करना तथा दूसरे उन्हें जनता की नजरों में जलील करना। राज्य-सरकार यह भूल बैठी थी कि ऐसा करने से दोनो बातें नही होने वाली थीं। राज्य-सरकार के राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार के व्यवहार से जनता में एक ओर इन राजनैतिक कार्यकर्ताओं के प्रति श्रद्धा जागृत होती थी तथा दूसरी ओर राज्य-सरकार के प्रति घृणा। जनता में इस प्रकार की प्रतिक्रिया का कारण यह था कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता प्रायः विद्वान और मजबूत धातों के बने होते थे।

सागरमलजी को पुलिस ने किस निर्दयता के साथ गिरफ्तार किया उसका वर्णन उन्होंने अपनी जेल में लिखी डायरी में किया। उन्होंने लिखा, "गिर-

फ्तारी के समय में कुण्ड पाड़े में पेशाव कर रहा था। पीछे से लाठी मार कर टांगाटोली कर गिर-फ्तार किया गया। वारण्ट जेल में दिखाया। गिरफ्तार करने वाले लोगों में से गुमाना रावलोत, अहमद कलर और लूणा ओसवाल थे।"

सामरमलजी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन राज्य-सरकार को केवल उनकी गिरफ्तारी से संतोष नहीं हुआ। फासिस्ट राज्यों में राजनैतिक कैदियों को दी जाने वाली नारकीय यंत्रणाओं की यहाँ खुल कर पुनरावृति की गई। ज्यूलियस फ्यूच्कि की तरह सागरमलजी को नारकीय यंत्रणाएँ दी गई।

सागरमलजी को पकड़ कर अदालती जांच के लिए जेल में रखा गया। पश्चिमी राजपूताने के राज्यों के रेजिडेंट ऐलिंगटन के लिखित आश्वासन के वाद कौन सी कानूनी कार्यवाही गोपाजी के खिलाफ बाकी रह गई थी, समझ में नहीं आती। लेकिन इससे जैसलमेर राजकीय अधिकारियों को मतलब नहीं था। वे महारावल जवाहरसिंह की इच्छा पर नाच रहे थे।

जैसलमेर राज्य सरकार द्वारा दफा १२४ A के अन्तर्गत गोपाजी पर तीन जुर्म लगाये गये।

अमर शहीद सागरमल गोपा पर पहला जुर्म जैसलमेर के दीवान को लिखे गये एक पत्र के संबंध में था। उस पत्र को उन्होंने १२ जनवरी १९४१ ई० को लिखा था।[1]

सागरमलजी पर दूसरा जुर्म यह लगाया गया कि इन्होंने एक क्रांतिकारी कविता लिखकर प्रकाशित करवाई और बाद में उसे तकसीम की व रियासत जैसलमेर में बजरिया मुख्तलक असखास भेजी।

---

१. यह पत्र सागरमलजी गोपा ने १२ मई १९४१ को समकालीन दीवान को डाक द्वारा भेजा था। उसका संक्षेप मजमून इस प्रकार है।

"मान्यवर महोदय,

"स्व० सम्राज्ञी विक्टोरिया, सम्राट सप्तम, एडवर्ड व पचम जार्ज आदि तथा उनके प्रतिनिधियों की घोषणा से विदित है कि देशी नरेशों के अपने शासितों के प्रति क्या अधिकार व कर्तव्य हैं। सर जवाहरसिंह K. C. S. I. के राज्याभिषेक के समय दिये गये भाषणों से निष्कर्ष निकलता है कि शासक अपने शासितों के प्रति उत्तरदायी व जिम्मेदार रहेंगे।

"जैसलमेर राज्य संसार के अन्धेरे कोने में है। १६००० वर्ग मील भूमि वाले राज्य में पचास हजार मनुष्य रूपी बेजबा मूक भेड़ बकरियों की यहां आबादी है जिन्हें निरंकुश सत्ता जिस तरफ चाहे डिर्र ! डिर्र रूपी डिचकारे की आवाज से हांक व टोल सकती है—जब कि ब्रिटेन में प्रजा चाहे तो हिज मेजेस्टी को भी ड्यूक ऑफ विंडसर में परिणत कर सकती है। राजनीतिक अधिकारों की गति बड़ा शून्य अर्थात् ० = दो सीकें है। साथ ही किसी प्रकार के नागरिक अधिकार भी हमें नहीं

उन पर तीसरा जुर्म यह लगाया गया कि २२ मई १९४१ ई० को जैसलमेर पहुंचने पर बस से उतरते ही सहर मेंढी में एक हजूम के सामने वहां के शासक एवं सरकार के खिलाफ हिकारत पैदा करने वाले नारे लगाये व फिकराजात बातें कहीं।

२२ मई १९४२ ई० को मुकदमा चालू हुआ और सरकार की तरफ से कहा गया। "उनको हस्ब मनशाय दफा २७१ जाब्ता फौजदारी पढ़कर सुनाये गये। इस पर गोपाजी ने चार्ज पर गुनहगारी तल्लीम की और खुवाहिश जाहिर की

हैं। २५ वर्ष तक शासन-पद्धति प्रगतिशील न रहकर शोषक ही रही है और अब फासिस्ट तरीकों से जब्तियां होना शुरू हुई है। किसको कहें ? कौन सुने ? "ऊंट बिलाई ले गया, तो हांजी हांजी करना" तथा 'बोलिया तो मरियां'। गुंडाशाही का आजकल ताडव नृत्य हो रहा है। फौजदारी अधिकारों का पग-पग, कदम-कदम और समय-समय पर दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग भी इन्सान हैं। हमारे साथ मनुष्योचित व्यवहार होना चाहिए। ऐसे असभ्य और गैर कानूनी जंगली तरीके की शरारतें बन्द कराई जावें। धूर्तता और जंगशाही के जोर से माफीनामे, वादानामे या इस्तगासे अमर पट्टे हमसे लिखवाने के बाद राक्षसी व अमानुषिक व्यवहारों से हमें परेशान व हैरान व अपमानित कर रही है। इसका क्या अर्थ है ? [illegible] के मन गीराग प्रभु आनन्द [illegible] को सुनने [illegible] की नहीं [illegible]। अतः माफीनामों की धूर्ततापूर्ण ढंग सार्वजनिकता को [illegible] न [illegible] करने को आपके पास है। नाभा, अलवर, इन्दौर, [illegible] के

कि उनको अपने इकबाल पर विना गवाहों का वयान कलमवन्द किये सजा दे दी जाय। पर अदालत ने मुकदमा संगीन समझकर गवाह लेने के वाद फैसला करना उचित समझा।" यह सब सरकार का झूठ और फरेब था।

सरकार ने झूठे गवाह पेश करने शुरू किये। पहला गवाह मसूखां सीटी पुलिस, जैसलमेर का हवलदार था। २२ मई ४१ ई० को जब वाड़मेर से टैक्सी के आने पर वह हवलदार गवाह मंडी में वस के अड्डे पर ड्यूटी के सम्बन्ध मे गया था। उसने अपने वयान में कहा, "सागरमल वस से उतरते ही चिल्लाने लगे कि वो A. G. G. व रेजिडेंट से इजाजत लेकर आया है। राज्य-सरकार उसका

पदभ्रष्ट शासकों की वात अलग है, परन्तु सिरोही व बूंदी के सम्बन्ध मे सर्वभौम ने अभी ही ध्यान दिया है। संभव है सर्वभौम सत्ता के समीप हमारी आवाज अरण्य रोदन सिद्ध न हो। मैंने गुंडाशाही और शाहीराज की तारीखवार घटनाएं आपको सूचित की हैं। अन्य जन-सेवकों के साथ गुंडाशाही का व्यवहार हुआ है। बाद में हमारे नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चाबुक से पिटवाने के लिये गुंडे लोग हुकमसिंह के पास ले गये। एक नवीन ही दरबारी नौकरी में नियुक्त किये गये गुंडे ने मेरी माता तक को आतंक के साथ बदकलाम बका। हम लोगों ने इसलिये मौनावलम्बन ग्रहण किया कि सारा फरेबी ढंग हमें

कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह राज्य महलों पर तिरंगा झंडा फहरायेगा। वह राजशाही और गुंडाशाही को मिट्टी में मिला देगा। सागरमलजी जोर जोर से बोल रहे थे। मेढ़ी के लोग अपना अपना काम छोड़ कर गोपाजी को सुनने के लिये आये। इस वाकये की हवलदार ने सीटी पुलिस में रिपोर्ट की।

दूसरे गवाह अखेराजजी बिस्सा और कनैयालाल जगानी थे। उन्होंने हवलदार के बयानों की तसदीक की।

उन्हें जित करने को है। हम कुछ भी चूँ करें तो जमानत का जाल स्टेट हमारे लिये बिछाने को कटिबद्ध है। नखतमलजी उर्फ मुल्तानचंदजी आचार्य ने मुझे इन्टरव्यू दिया कि पोस्टल इंस्पेक्टर के पास राज्य ने कुनणा गोपा द्वारा उनको बाध्य किया कि वे बयान कलमबन्द करावेंगे कि सागरमल नालायक है, दानू और बाबू की गवाही हो चुकी है। मैंने नखतमलजी से पूछा कि ब्रिटिश भारत में आप मुझे नालायक समझते हो? तब वे बोले कि भैया, यह मजबूरी की हालत में डंडाशाही के डर से मुझे कहना पड़ा। राज्य की इस कृति का A. G. G और P. M. G. पर क्या असर पड़ेगा? इन्सपेक्टर की नब्ज स्टेट परख सकती है, परन्तु वस्तुस्थिति क्या है, वह सर्वभौम सत्ता से पोशीदा नहीं। P. M. G. [illegible] श्री मांगीदास, प्रभुलाल व रतनलाल की गवाही लेते समय [illegible] का दृष्टिकोण और उसके एक वर्ष बाद राज्य के इशारे पर नखतमलजी मरोंगों की गवाही देते वक्त इन्सपेक्टर का रुख देखेंगे।

कन्हैयालाल ने तो यहां तक कह डाला कि, फरवरी १९४१ ई० में जोधपुर गया था। वहाँ गोपाजी स्टेशन रोड पर कुछ लोगों से लेक्चर बाजी कर रहे थे। उन लोगों को अपनी एक प्रकाशित कविता की कापियाँ दीं। उसकी एक प्रति कोर्ट में पेश की गई। इसी तरह का बयान सुन्दरसिंह ने

तब ज्ञात हो सकेगा कि दाल मे कितना काला है? इन्सपेक्टर साहब किसी मायाजाल के तो शिकार नहीं हुए? राज्य अपने बगल बच्चों द्वारा झूठी गवाही कलमबन्द करा सकता है। परन्तु नखतमलजी जैसे निर्भीक व्यक्ति ब्रिटिश भारत मे आकर उस पर प्रकाश डालते हुए कमीनी-नीति का भंडाफोड कर सकते हैं। शिव शंकर जैसे स्वाभिमानी को तुच्छ वस्तु समझने वाले (जैसलमेर मे) भी अपनी दरबारी नीति से उन्हे कठपुतली न बना सके, यह अजब पहेली है। इन्सपेक्टर पोस्ट के सामने स्टेट हमे लायक या नालायक साबित करे, उससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं और न सोट सलामी में ही घटा बढी हो सकती है। परन्तु A. G. G. महोदय C. I. D. द्वारा जाच करावेंगे तब सार्वभौम सत्ता को विदित हो जायगा कि प्रजा के साथ कितनी हलकर निंदनीय बेजाब्तिया स्टेट काम मे ला रही है, अस्तु।

"स्टेट के बाद सर्वोच्च और दायित्वपूर्ण आफिसर के नाते भविष्य मे ऐसी खुराफातें न हो ऐसा आप सुप्रबन्ध करेंगे तो कृपा होगी। आशा है जैसलमेर गवर्नमेंट इस पर गौर करेगी।" [यह पत्र (साप्ताहिक) आलोक, गोपा-अंक १९४६ में प्रकाशित हुआ था। यहां वहीं से ज्यों का त्यों दिया गया है—लेखक]

दिया। उसने कहा कि, "बाड़मेर में गोपाजी ने इसी कविता की प्रतियां बांटी थी।"

इसी तरह एक अन्य गवाह बुलीदान विस्सा ने अपने बयान में कहा, "वह सन् १६४१ ई० में नागपुर गया था। वह वहां गोपाजी से मिला था। गोपाजी ने जैसलमेर के शासकों की उससे बुराई की।" उसने कहा कि सागरमलजी जैसलमेर पर तिरंगे झंडे को फहराने की बात उसको कही थी और कहा था कि कलकत्ते के 'दादा ठाकुर' की तरह वह कई साथियों सहित वैसा जबरदस्ती करेंगे। बाद में उन्होंने अलमारी ने एक कविता की प्रति उसे दी।

सागरमलजी पर चौथा जुर्म यह लगाया गया कि उन्होंने जैसलमेर की स्वामिभक्त जनता को जैसलमेर-राज्य के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है।

सागरमलजी पर चलाये गये मुकदमे में किसी ने भाग नहीं लिया क्योंकि सारा का सारा (राज्य) सरकार का ढोंग था। पहले जुर्म पर तो गोपाजी को बरी कर दिया गया, लेकिन पिछले दो जुर्मों पर उन्हें तीन-तीन साल की सख्त कैद की सजा दी ग

२५०) २५०) रुपये जुर्माना किया। यदि यह जुर्माने का रुपया नहीं दिया गया तो बसूरत अदम अदायगी लेर जुर्माना की जुर्माना पर छः छः माह की सख्त कैद सजा में भुगतानी पड़ेगी। मुलजिम को हर दो चार्जो की सजा मकेवाद दीगरे भुगतनी पड़ेगी।'[1]

---

१. इस सम्बन्ध में कहना होगा कि कोर्ट द्वारा फैसले में जहां एक ओर महारावल और सरकारी अधिकारियों के श्रद्धाजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां अमर शहीद सागरमल गोपा के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है।

जेल–यातनाएं

२५ मई १९४१ ई० को अमर शहीद सागरमल गोपा की गिरफ्तारी हुई और ३ अप्रैल १९४६ ई० को उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। इस अवधि में जो शारीरिक यातनाएँ उन्हे दी गई थी वे नारकीय थी और दिल को कम्पायमान कर देने वाली थी। ये यातनाएं भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में बेमिसाल हैं।

राजपूताने की अनेक रियासतों में राजनैतिक बन्दियों[1] को ऐसी शारीरिक यातनाएं देना एक साधारण बात थी।

---

१. जोधपुर रियासत मे प्रथम और द्वितीय बम काड के अभियुक्तो के साथ भी ऐसा ही नारकीय व्यवहार किया गया था। द्वितीय बम केस के

सागरमलजी के साथ तुरन्त उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही अभद्र व्यवहार किया जाने लगा था। जेल से उन्हें अदालत की तरफ उलटी हथकड़ी लगाकर ले जाना, इसी बात की ओर इशारा करता है।

जेल ले जाने के बाद पहले रोज ही जो व्यवहार उनके साथ हुआ वह बड़ा निर्दयी था। उन्हें हथकड़ी से बांध कर जेल के अन्दर एक दरवाजे के पास बिठा दिया गया था और सारे पुलिस कर्मचारियों को यह आदेश दे दिये गये थे कि आते

अभियुक्तों की खोज में जोधपुर की पुलिस ने पहले कई निर्दोष राजनैतिक कार्यकर्ताओं की पिटाई की और बाद में इसी बम केस के अन्य लापता क्रांतिकारियों का पता लगाने के लिये श्री सूरजप्रकाश 'पापा' और जोरावरमल बोड़ा को 'माचा' चढ़ाकर नारकीय यातनाएं दी थी। उन यातनाओं की गहराई का पता इसी बात से चलता है कि श्री सूरजप्रकाश 'पापा' के दोनों पैरों के टखने इस यातना के फलस्वरूप टूट गये थे और पुलिस ने उनका इलाज जन-विद्रोह के डर से पुलिस हिरासत में ही अपने एक विश्वस्त डाक्टर से करवाया था। इस संदर्भ में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जैसलमेर में गुमाना रावलोत ऐसी यातनाएं देने में सिद्ध-हस्त था और जोधपुर में इस्हाक हुसैन।

बात केवल जोधपुर तक ही सीमित नहीं थी। डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पाण्ड्या (राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री) को पेशाब पिलाने का अमानवीय प्रयास किया गया था।

जाते हुए व्यक्ति उन्हें थप्पड, लात, घूंसा, लाठी अपनी इच्छानुसार मारें। इस तरह दिन भर उनके साथ मारपीट का कार्यक्रम चलता रहा। जो भी वहां से गुजरा उसने उनके थप्पड मारी, घूंसा मारा और और बूंट की ठोकर मारी।

इस प्रकार की मारपीट का क्रम कितने दिन चलता रहा नही—कहा जा सकता। सागरमलजी के पास इन यातनाओं की सूचना को बाहर पहुंचाने का कोई ज़रिया नहीं था। अत. उन्होंने अपनी एक जेल डायरी लिखनी चालू करदी जिसमें वे उन यातनाओं को लिखते रहे। साथ ही वे इस टोह मे भी रहे कि किसी तरह वे अपनी यातनाओं की कहानी बाहर के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के पास पहुंचा दें।

कई वर्षो तक उनकी यातनाओ का पता जैसलमेर और बाहर के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को नहीं लग सका। लेकिन समय ने उनका साथ दिया और उनकी यातनाओं की सूचना अविकृत रूप से जेल की चार दिवारी से बाहर पहुंची।

बात उन दिनों की है जब लालजी थानवी १९४४ ई० की मई में जेल से छूट चुके थे और जीवन-यापन के लिये जैन समाज संगीतशाला में अध्यापक का कार्यभार सम्भाल लिया था।

तब जैसलमेर में जैनियों का कोई त्योंहार था। जैन समाज संगीतशाला के विद्यार्थियों को जैसलमेर-मेले में ले जाने का कार्यक्रम तय हुआ। उस शाला के विद्यार्थियों को एक बस में जैसलमेर ले जाया गया और लालजी थानवी अपने विद्यार्थियों सहित एक सप्ताह तक जैसलमेर में रहे।

लालजी थानवी का जैसलमेर जाने का यह पहला ही अवसर था। लालजी थानवी के साथ एक अन्य सभ्रान्त व्यक्ति श्री स्वरूपचन्द्र वैद्य[1] भी थे। लालजी थानवी ने जैसलमेर के दर्शनीय स्थानों को देखने की मंशा प्रकट की। जैसलमेर के किले में एक खास दर्शनीय जैन मन्दिर है, उसे देखना तय हुआ।

---

१. श्री स्वरूपचन्द्र वैद्य इन दिनों मिले-व्यवसाय के बड़े उद्योगपति हैं और लालजी थानवी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आफिस सेक्रेटरी।

श्री लालजी थानवी, श्री स्वरुपचंद्र वैद्य और उनके विद्यार्थी किले के बाहर ही ठहरे थे।

सब लोग उस मन्दिर को देखने चले। किले की पहली पोल चढ़ते ही जेल पड़ती थी। वहाँ का जेलर एक रावणा राजपूत थे। उन्हें लगभग महीने की पांच रुपया तनखा मिलती थी। तनखा कम होने के कारण जेलर की लड़की एक लक्ष्मीचद्रजी नाम के व्यक्ति के यहां घरेलू काम काज करती थी। लक्ष्मी-चंद्रजी से लालजी थानवी का परिचय था। उनसे उन्होंने जेल देखने की इच्छा प्रकट की।

लक्ष्मीचद्रजी ने जेलर साहब से लालजी थानवी और श्री स्वरुपचन्द्र वैद्य को विद्यार्थियों सहित जेल दिखाने की प्रार्थना करदी। वे मान गये। सब लोग जेल देखने चले गये। सरकार धोखा खा गई।

जेल के अन्दर जाते ही उन्हें अमर शहीद गोपा जी के दर्शन हुए। उनसे उनकी बातचीत हुई। लालजी थानवी गोपाजी को शक्ल से नहीं जानते थे। गोपाजी ने इधर उधर की बात-चीत के बाद बताया कि उन्हें बहुत शारीरिक यातनाएँ दी जा रही हैं। लालजी थानवी के साथ श्री स्वरुपचन्द्र वैद्य भी थे।

अपनी यातनाओं के सम्बन्ध में उन्होंने वताया कि पुलिस द्वारा मिर्ची की लुग्दी बनाकर उनकी गुदा में डाली जाती है। ऐसा राजी खुशी नहीं कर सकने के कारण पांच सात आदमी उनको पीटकर जमीन पर पटक देते हैं और वाद में नंगा करके उनकी गुदा में मिर्ची की लुग्दी डाली जाती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ने के लिये कोई किताव नहीं दी जाती। उन्होंने विस्तार के साथ लालजी थानवी को अपनी यातना की दास्तां सुनाई।[1]

जेल के वाद उन्होंने जैन मन्दिर देखा और इस तरह जैसलमेर में कुछ दिन रहकर लालजी थानवी और स्वरूपचंद्रजी वैद्य वापस फलोदी आगये।

फलोदी आने के एक सप्ताह वाद श्री स्वरूप-चन्द्र वैद्य ने एक लेख[2] जोधपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र 'प्रजा सेवक' को सागरमलजी की यातनाओं के सम्बन्ध में भेजा। प्रजा-सेवक में वह

१. ये सारी बातें स्वयं लालजी थानवी ने इस पुस्तक के लेखक को बताई। श्री स्वरूपचन्द्र वैद्य से सीधा सम्पर्क नहीं बैठ सकने के कारण श्री स्वरूपचन्द्रजी के संस्मरणों की बात यहां नहीं दी जा सकी है।

२. लेख को इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

लेख प्रकाशित हो गया। यह बात १९४५ ई० की है।

१९४१ ई. से लेकर १९४४ ई तक की यातनाओं का स्वरूप कैसा रहा, इसका पहली बार सभ्य जगत को श्री स्वरूपचन्द्र जैन के प्रजा सेवक में छपे लेख से लगा। लेकिन बाद मे सागरमलजी द्वारा जेल में लिखी डायरी[1] के आधार पर उन यातनाओं की गहराई का और भी पता लगा।

इस डायरी से पता चलता है कि सागरमल गोपा से एक साल तक जेल में भंगी का काम करवाया गया।

अपनी जेल डायरी मे उन्होंने लिखा,

"निर्जला ११ को अहमद कलर, मुकना मोहील, गुमाना रावलोत ने जेल में मारपीट की। यहां तक

---

१. अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद, राजपूताना प्रान्तीय सभा, बनस्थली द्वारा प्रकाशित पुस्तिका मे उस डायरी का हवाला दिया हुआ है। इस पुस्तिका के सम्पादन कर्ता—लोकनायक जयनारायण व्यास और श्री सिद्धराज ढड्ढा हैं। लोकनायक जयनारायण व्यास अ० भा० देशी राज्य लोक-परिषद, जोधपुर के प्रधान मन्त्री थे और सिद्धराज ढड्ढा लोकवाणी दैनिक, जयपुर के सम्पादक। इस पुस्तक के प्रकाशक हीरालाल शास्त्री हैं।

मारा की कि पेशाब छूट गया। मुकना ने पोले से इशारा किया था। २६ मई को वीरबल उनड (कैदी) पहरे पर था। उससे मारपीट कराकर माफी की अर्जी लिखवाई······"

इसी जेल-जीवन में गोपाजी ने कई पत्र सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, ब्रिजलाल वियाणी, भगवानदास केला और जयनारायण व्यास को लिखे। कुछ पत्र उनकी जिन्दगी में ही लोगों के हाथ पहुंच गए थे। कुछ उनके मरने के बाद मिले। कुछ नहीं भी मिले।

इसके पहले कि उनकी जेल डायरी का जिक्र करें अच्छा रहेगा यदि सागरमल गोपा द्वारा लिखे गये पत्रों को यहां उद्धृत करें। उससे पाठकों को सागरमलजी पर बरती जा रही यातनाओं का पता चलेगा।

८-१-४६ को श्री जयनारायण व्यास के नाम लिखा पत्र। पत्र था,

"मान्यवर व्यासजी,

सादर स्नेह वन्दे। मैं यहां अकथनीय कष्ट पा रहा हूं। उसका अनुमान भी आप नहीं कर सकते।

२३ मई १९४५ के प्रजा सेवक में लिखी सब बातें सत्य हैं, वल्कि उसमें बहुत कमी है, जिसका स्वरूप चन्द्रजी को पता नही लगा। मेरी कलम से उसका प्रतिवाद कराया गया। जब तक मैंने इन्कार किया Police में मेरे साथ अमानुषिक वरताव होता रहा। चार रोज लगातार मैं पुलिस में ले जाया गया। प्रतिवाद का पत्र लिखना याने सूसाइड करना है। परन्तु मेरी हालत राक्षसी यातनाएँ सहने जैसी अब तो रह नहीं गई है। आप बुरा मत समझना मैं मजबूर और लाचार हू। मेरा आप उद्धार करना चाहे तो मेरे केस की कापी सब माँग लेवे और नेहरूजी को मेरे वारे में ध्यान दिलावे। यह पत्र गुप्त रखे।

दो मुकदमे और मेरे खिलाफ वनाकर अदालत में चलान हुए हैं।

सागरमल गोपा"

पुनश्च, "आप रेजिडेंट से मिलना और यहां भी आना।"

पत्र का पता है:
पं० जयनारायण व्यास,
जोधपुर

एक दूसरा पत्र सागरमलजी ने श्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा,

"पंडित जवाहरलाल नेहरू,
आनन्द भवन,
इलाहाबाद.

श्रद्धेय,

सादर वन्दे। इन पंक्तियों का लेखक २५ मई १९४१ ई० से कारावास में नारकीय यंत्रणाएँ और अमानुषिक यातानाएं भोग रहा है। जिसका नंगा चित्र २३ मई १९४५ ई० के 'प्रजा सेवक' जोधपुर में स्वरूपचन्द्रजी वैद्य ने प्रकाशित कराया है। स्वरूपचन्द्रजी ने 'प्रजा सेवक' में जो लिखा वह अक्षर २ सत्य है, बलिक उसमें बहुत बातों की कमी है जिसका कि वे पता नहीं लगा सके। जब 'प्रजा-सेवक' यहां आया तब पशुबल के सहारे मुझे यातनाएं देकर ३-४ दिन पुलिस में ले जाकर मेरी ही कलम से उसका प्रतिवाद कराया गया। मीठालालजी और स्वरूपचन्द्रजी को अशिष्ट और अभद्र शब्द मेरी कलम से लिखाये गये। १९४१ ई० के २४ जून को अचलेश्वरजी शर्मा, प्रजा सेवक को भी ऐसा पत्रोत्तर दिलाया गया था। मैंने जब तक पत्रोत्तर न लिखा

मेरी पीठ पर बेंत (पुलिस अफसर) गुमानसिंह रावलोत द्वारा पड़ते रहे। यह पत्र बहुत गोपनीय और गुप्त रखा जावे। प्रकाशित न करें नहीं तो पुन: मेरे साथ राक्षसी बरताव होगा। मैं संसार के किनारे एक कोने में १२४ ए का अभियुक्त बनाया जाकर राक्षसी होलनाक कष्ट झेल रहा हूं। परमात्मा ही रक्षक है।

भारत माता का दास
सागरमल गोपा"

एक तीसरा पत्र सागरमलजी ने श्री ब्रिजलाल बियाणी के नाम लिखा था। वह इस प्रकार है,

"श्रीयुत ब्रजलाल बियाणी,
C/o राजस्थान भवन,
आकोला.

श्रद्धेय,

पांच वर्ष से मैं नारकीय यंत्रणाएँ सह रहा हूं। १० जून १९५० ई० रिहाई की तारीख है। पुन: दो मुकदमे पुलिस ने और तैयार किये हैं। २३ मई १९४५ ई० का प्रजा सेवक (जोधपुर) आप पढ़ें। साईबेरिया में जार की जेल में जो यातनाएँ दी

जाती थी वो मुझे बीसवीं सदी में सहनी पड़ी। आपके सिवा मुझे दुख से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। प्रजा सेवक आप अवश्य पढ़ें। जयनारायण जी व्यास और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मारफत आप मेरी रिहाई का प्रबंध करा सकें तो आजन्म ऋणी रहूंगा।

सागरमल गोपा"

पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक और लिखे पत्र का अंश। यह पत्र ५-२-४६ को सागरमलजी द्वारा लिखा गया था।

"..........राक्षसी अत्याचार रूस के जार के साइबेरिया की जेल में जो राजबंदियों के साथ होता था वैसा होलनाक ज़ालिमाना अत्याचार मेरी जन्म भूमि की जेल में मेरे साथ हुवा......"

इन पत्रों से पता चलता है कि सागरमलजी को [illegible]तनाएँ जेल में दी जाती थीं उनको वे जब [illegible]ी रूप से जेल के बाहर भेजते रहे थे।[1] [illegible]र सरकार ने जब देखा कि इस यातना की

---

१. विशेष कर उस रावणा राजपूत की छोटी बच्ची के साथ जिसका हम वर्णन कर चुके है।

खबर बाहर वालों को लग गई है तब उन्होंने सागरमलजी के प्रति एक दूसरा रुख अपनाया। उन्होंने यातनाओं का जोर बढ़ा कर उनसे प्रतिवाद कराया जाने लगा। और उस प्रतिवाद को प्रसारित किया गया कि उनके साथ किसी प्रकार का अमानुषिक बरताव नहीं किया जा रहा है। जैसलमेर राज्य की सरकार ऐसा करके यह दिखाना चाहती थी कि मारपीट की सारी बातें बाहर वाले लोगों की राजनैतिक चालें है। 'जबरा मारे रोने न दे' वाली बात आततायियों ने सागरमलजी के साथ घटित की। लेकिन इसका असर बाहर के लोगों पर नहीं पड़ सका। क्योंकि इस प्रकार दबाव से लिखवा कर प्रसारित किये जाने के तत्काल बाद एक दूसरा प्रतिवाद जनता के सामने आया, जिसमें यह बताया गया था कि वह प्रतिवाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अमानुषिक यातनाएं देकर लिखवाया गया था। अधिकारियों की बात जहाँ की तहाँ रह गई।

ब्रिटिश हुकूमत के समय राज्य-सरकारों और पुलिस अधिकारियों का ऐसा रवैया एक साधारण

जाती थी वो मुझे बीसवीं सदी में सहनी पड़ी। आपके सिवा मुझे दुख से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। प्रजा सेवक आप अवश्य पढ़ें। जयनारायण जी व्यास और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मारफत आप मेरी रिहाई का प्रबंध करा सकें तो आजन्म ऋणी रहूंगा।

सागरमल गोपा"

पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक और लिखे पत्र का अंश। यह पत्र ५-२-४६ को सागरमलजी द्वारा लिखा गया था।

"..........राक्षसी अत्याचार रूस के जार के साइबेरिया की जेल में जो राजबंदियों के साथ होता था वैसा होलनाक ज़ालिमाना अत्याचार मेरी जन्म भूमि की जेल में मेरे साथ हुवा......"

इन पत्रों से पता चलता है कि सागरमलजी को [illegible] यातनाएँ जेल में दी जाती थीं उनको वे जब[illegible]स्ती रूप से जेल के बाहर भेजते रहे थे।[1] [illegible]मेर सरकार ने जब देखा कि इस यातना की

---

१. विशेष कर उस रावणा राजपूत की छोटी बच्ची के साथ जिसका हम वर्णन कर चुके हैं।

मिला। वो मजमून तार के जरिये यहां पहुंच गया। दूसरा तार पण्डित जवाहरलालजी के नाम मिला। सागरमलजी के सम्बन्ध में जब कभी आन्दोलन होता है तब सरकार उन्हीं के हस्ताक्षरों से इस आशय का जवाब भिजवा देती है कि मैं पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं और मुझे कोई कष्ट नहीं है। आपको मेरे सम्बन्ध मे बोलने या लिखने का कोई अधिकार नही है। ऐसी अवस्था मे कौन क्या सहायता कर सकता है। हम चाहते है कि उनके लिये कुछ किया जाय, पर जब वे खुद (चाहे दबाव से ही सही) हमारे प्रयत्नों के लिये हमें ही फटकार बता देते है तब कोई व्यक्ति क्या करे! आपकी सलाह भेजियेगा।

आपका,
जयनारायण व्यास,
प्रधान मंत्री, अखिल भारतीय देशी राज्य
लोक-परिषद,
जोधपुर.

यह पत्र व्यासजी ने श्री गोपालप्रसाद व्यास को उनके पत्र और तार के जवाब में लिखा था।

इस पत्र से मालूम पड़ता है कि जयनारायण व्यास इस प्रकार की दोहरी बातों से व्यथित हुए थे। इस प्रकार व्यथित होने की आवश्यकता नहीं थी। वैसा व्यवहार उस समय की सरकार के साथ आम बात थी। जोधपुर रियासत के पुलिस अधिकारियों ने एक बार बम केस के अभियुक्तों पर भरसक दबाव डाला था कि वे जयनारायण व्यास को कांड के प्रेरक बतादें जिससे वे महात्मा गांधी को झूठ-मूठ बता सकें कि बड़े बड़े अहिंसावादी अन्दर से हिंसा के प्रवर्तक हैं। लेकिन उनकी यह चाल असफल रही।

सागरमलजी को यातनाएं दी जाती रही। इधर कई अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने भी उन्हें जेल से मुक्त कराने के प्रयास किये। ऐसे प्रयास का पता एक और पत्र से लगता है। यह पत्र श्री चांदकरण शारदा द्वारा श्री मोतीलालजी को लिखा गया है। पत्र इस प्रकार था–

चांदकरण शारदा, शारदा भवन
L. L. B., Advocate अजमेर
...eral Court of India, [illegible]
...eneral Secretary
... Hin... ...Sal...

मान्यवर सज्जन शिरोमणि प्यारे भाई

मीठालालजी व्यास,

सादर प्रेम नमस्ते। आपका कृपा पत्र मिला। हमने महाराज साहब को लिखा है। आशा है श्रीमान् सागरमलजी गोपा शीघ्र ही मुक्त कर दिये जावेंगे।

आपने प्रचार के लिए लिखा सो आप जैसलमेर के किसी ऐसे महानुभाव का नाम व पता बतावें जो भजनीकों व व्याख्यानदाताओं के ठहरने का पूर्ण प्रबन्ध करदे। शेष प्रेम भाव। यथा योग्य सेवा लिखें। कृपा दृष्टि रखें।

भवदीय

चांदकरण शारदा

लेकिन इन पत्रों के अलावा सागरमलजी गोपा को दी जाने वाली यातनाओं का पता उनकी जेल डायरी से लगता है जो उन्होंने जेल में लिखी थी और अपने मित्रों को चोरी छिपे भेजी थी। उस जेल-डायरी से कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं, जो जयनारायण व्यास और सिद्धराज ढढ्ढा द्वारा 'श्री सागरमल गोपा का बलिदान' नामक पुस्तिका में उनकी शहीदगी के बाद निष्पक्ष जांच के लिये

प्रकाशित की थी। श्री सागरमलजी ने अपनी जेल-डायरी में लिखा,

"निर्जल ११ को अहमद कलर, मुकना मोहिल, गुमाना रावलोत ने जेल में मारपीट की। यहां तक मारा कि पेशाब छूट गया। मुकनाने पोले से इशारा किया था। २६ मई को वीरबल उनड (कैदी) पहरे पर था। उससे मारपीट कराकर माफी की अर्जी लिखवाई।

"(१) १९४१ ई० के २४ जून को अचलेश्वर शर्मा जोधपुर को पत्रोत्तर इनकी इच्छा मुजब लिखवाया गया। तब गुदा में मिर्चों डाली गई।

"(२) इन्तदाई मिसल में माफीनामा लिखने से मैंने इन्कार किया तब नाक में मिर्चें दी गई।

"(३) वीरबल ने कालकोठरी में वीसों दफा मारपीट की।"

"(…) गुमाना रावलोत*, मेरे पर राक्षसी जुल्म … ना रावलोत है जो अभी तक मेरे … हैं। इन कैदियों में मेरे साथ अब भी

---

* …लोत का पूरा नाम गुमानानद रावलोत है।

मार पीट कराता है, यातनाएँ देता है। मैंने दरबार को जैल से इनके बारे में शिकायतें लिख भेजी हैं।

"(५) मारपीट कई दफा हुई। उसका हाल २३ मई १९४५ ई० के अखबार में छपा हुआ है। (दस्तखत अंग्रेजी में)

S M Gopa."

"(६) गुदा में मिर्ची · अमीर खां उनड और अहमद कलर ने गुदा में मिर्ची डाली थी।

"(७) २ अक्तूबर १९४४ ई० इस दिन गुमाना पुलिस आफिसर ने कहा, "मैं गुदा मे पुन. मिर्चें चढ़ाऊंगा। हूर कैदियों से तेरा नाक कटवाऊंगा। मैंने तहरीरी इतला जज अदालत को दी परन्तु कुछ स्टेप नहीं लिया।

"(८) हूर बुरहान राजड

यह खूनी हूर है। गुमाना का धर्म भाई है। पीर का खजाना व हथियार जो उसके पास था, वह गुमाना को दिया है। इसके जरिये गुमाना आजकल जेल में कष्ट दे रहा है। रेजिडेंट ध्यान दें।

"२१ अक्तूबर १९४५ ई० को फिर जेल में गुमाना आया और कहा, 'जोधपुर मे नेहरू आया

था। अब जयनारायण तुमको नेहरू से मिलकर मुक्त करावेगा। तब देखूँगा'। यह मैंने जज को लिखा।

"जना बिल जब्र के २ मुल्जिम (१)........ (२)................ की वेड़िया काट कर मुझ पर उनका पहरा रखा गया। इन्होंने कई दफा गुमाना के कहने से मुझको मारा।

"भई गति सांप छूछूंदर मेरी, यह हालत स्टेट की आजकल है। हूर कैदियों से अब यातनाएं दिलाई जाती है। कल्ला तुलारामजी को मालूम होना चाहिए।"

१६ जनवरी ४६

जेल-डायरी के इन पत्रों के अलावा सागरमलजी ने एक कविता भी लिखी थी, वह इस प्रकार है,

"कूड़ी अदालत, कूड़ो शासन
कूड़ो कानून करे मन चायो
कूड़ो गवाह कूड़ कुरान को
आड की आन[1] में कूड़ समायो

---

१. आडनाथजी की आन (कसम)।

दीवान में जब केस गयो
तब केस नहीं में सांच को पायो
ढोल के तान पे नाचत पोल[1]
मदारी गुमाने ज्यों ढोल बजायो ॥१॥

मुरादाबाद में कूट को लादके
मोनी को पूत यहां जब आयो
जीवनलाल को जेल में डाल के
साले जोशी को कूडो फंसायो
सागरमल कियो न अमल
तब काजी से कूड मंजूर करायो
किससे कहूं, कौन सुने
अन्याय को यहां पर शासन छायो ॥२॥

इस तरह सागरमलजी की मारपीट के बारे में जयनारायण व्यास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चांदकरण शारदा के अलावा हीरालाल शास्त्री और उन जैसे कई महत्वपूर्ण लोगों को पत्र[2] लिखे गये थे।

---

१. पोल—उस समय का दीवान जज था।

२. वे पत्र इस प्रकार है—

स्वतन्त्र जांच भी होना जरूरी है। जांच में कुल मिला कर [illegible] हजार लग सकते हैं। आशा है आप इस काम में हमारी मदद करेंगे।

इस बारे में मैंने श्री रघुनाथसिंहजी मेहता को भी लिखा है और श्री मीठालाल जी व्यास को भी। श्री मीठालाल जी तो यहां भी आये थे। असल बात यह है कि जैसलमेर वालों को अपने अधिकारों के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूर दूर से बात करने से काम नहीं चल सकता। हमारे करने के काम हम ही करेंगे लेकिन आप लोगों के करने का काम आप को ही करना होगा।

और मेरा जैसलमेर जाने का विचार है। हम लोगों से बनेगा सो सभी कुछ करेंगे। लेकिन कुछ जैसलमेर निवासियों को जैसलमेर पहुंच कर झण्डा गाडना चाहिये। ऐसा कुछ हो सकता है क्या?

विनीत,
हीरालाल शास्त्री.

पुनश्चः—

आपका १६/४ का पत्र तथा साथ का विवरण भी मुझे मिल गया है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जैसलमेर के काम को जैसलमेर निवासी हाथ में लेंगे तभी कोई स्थाई फल निकलेगा।

हीरालाल.

•

जयपुर,
२२-११-४६

प्रिय बन्धु,

आपका १/११ का पत्र मुझे मिल गया था। उसी तारीख का श्री अनन्तलाल जी गोपा का पत्र भी मुझे मिल गया। आशा है श्री रामचन्द्र जी का स्वास्थ्य अब अच्छा होगा।

गोपा कांड की जाच के लिए राजपूताना लोक परिषद की ओर से एक स्वतन्त्र समिति बनाने का विचार किया है। उसमें एक अच्छे से जज हों या इसमें कोई बड़ी हैसियत वाले राष्ट्र-कर्मी व्यक्ति। इस बारे में मैंने जबलपुर के सेठ गोविन्ददास जी मालपानी को लिखा है। शायद वे मन्जूर कर लेंगे। मुमकिन है जज की खोज में सहायता भी कर सकें। जज की खोज आप भी करें। राज्य की ओर से होने वाली जांच का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। इसकी एवज में अपनी ओर से

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद,
जोधपुर,
२१-१-४६

प्रिय गोपाजी,

सप्रेम वन्दे। पत्र मिला। ऊनी कपड़े की बनावट तो चरखा संघ के मारफत नहीं सीखी जा सकती है। अगर आप चर्खा संघ के स्टाफ में रह कर कार्य करें तो वे व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यथा अनुभव और सम्पर्क ही से फायदा उठाना पड़ेगा। मैं तो खानगी उद्योग करने वालों को नहीं जानता।

जैसलमेर का जिक्र मैंने अपने उस तार मे किया है, जो नरेन्द्र मण्डल के चांसलर को भेजा है। रेजीडेंट को भी सागरमलजी की मार पीट के बारे में लिखा है। श्री मीठालालजी मिलते रहते हैं।

पता: श्री शिवशंकरजी गोपा,
c/o मेसर्स जमनारायण बाबूलाल,
सुभाषचन्द्र रोड,
काटन मार्केट,
नागपुर (सी. पी.)

आपका
जयनारायण व्यास
(अंग्रेजी में)

•

सेजड़े का रास्ता
जयपुर सिटी,
१८-८-४६

प्रिय बन्धु,

आपका तार मिला। मौका मिलते ही श्री जयनारायण व्यास

तो दो आदमी वर्किंग कार्य समिति की बैठक के बाद दोनों मिल अच्छी तरह मशवरा कर सकेंगे।

और सब बातें हम सब मिल कर करें तो ठीक रहे। सब आप लोगों में से कोई ११, १२ मई को निवाज आ सकते हैं? आजायें तो बहुत अच्छा रहे। निवाज आने के लिए अहमदाबाद दिल्ली लाइन से एरिनपुरा रोड स्टेशन पर उतरना पड़ता है। आपका नवनीत का होली की मीटिंग पर जाने से बहुत ठीक रहेगा।

विनीत
हीरालाल शास्त्री.

•

गेंडे का रास्ता,
जयपुर सिटी,
१६-६-४६

प्रिय बन्धु,

दौरे से लौटने पर आपका ११, ६ का पत्र मिला और १०/६ का कार्ड भी।

मैंने आप लोगों को पहले भी लिखा था और फिर भी उसी बात को दोहराता हूं। बाहर के आन्दोलन से जैसलमेर के भीतर थोड़ी बहुत जागृति भले हो जाय लेकिन काम चलेगा जैसलमेर में आन्दोलन होने से। प्रान्तीय सभा आदि की अथवा श्री व्यासजी आदि की सहायता का वास्तविक लाभ भी तभी मिल सकता है जब जैसलमेर के भीतर कुछ हो। हम लोग पोलिटिकल एजेंट से मिलते हैं, पत्र व्यवहार भी करते हैं।

एक बार व्यासजी जैसलमेर हो आये हैं। आगे हम दोनों का जाने का विचार है। पर ये सब दूसरे नम्बर की चीजें है कि इनका कुछ

स्वतन्त्र जांच भी होना जरूरी है। जांच में कुल मिला कर करीब दो हजार लग सकते हैं। आशा है आप इस काम में हमारी सहायता करेंगे।

इस बारे में मैंने श्री रघुनाथसिंहजी मेहता को भी लिखा है और श्री मीठालाल जी व्यास को भी। श्री मीठालाल जी तो यहां भी आये थे। सच बात यह है कि जैसलमेर वालों को अपने अधिकारों के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूर दूर से बात करने से काम नहीं चल सकता। हमारे करने के काम हम ही करेंगे लेकिन आप लोगों के करने का काम आप को ही करना होगा।

विनीत,

हीरालाल शास्त्री.

खेजड़े का रास्ता,

जयपुर सीटी,

२६-४-४६

प्रिय श्री व्यासजी,

आपका २६-४-४६ का पत्र मिला। पण्डित जवाहरलाल जी का वक्तव्य आपके समाचार पत्र में निकल गया है। काफी अच्छा लिखा है। बाहर का दबाव जरूर पड़ेगा। हम अनुकूल समय के आने की आशा [illegible] रहे हैं। फिर भी भले ही धीरे धीरे ही सही जैसलमेर वालों को [illegible]रना ही पड़ेगा।

आपका गीता दिवस मनाने का विचार अच्छा है। ११, १२ मई राजपूताना कार्य समिति की बैठक शिवगंज (सिरोही) में हो रही है जहां राजपूताना के प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। मैंने इस विषय को भी कार्य समिति के सम्मुख रख दिया है। थोड़ी देर

श्री सागरमलजी गोपा पर भारत के कतिपय राजनैतिक नेताओं का ध्यान केवल इसलिए आकर्षित नहीं हुआ था कि वे एक साधारण राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे और उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं दी जा रही थी। ये सब बातें तो थी ही। इसके अलावा वे बहुत बड़े राजनैतिक नेता भी थे। इनके राजनैतिक कार्यों के महत्व का पता उनके और जयनारायण व्यास के बीच हुए पत्र-व्यवहार[1] से

१. अखंड भारत

ट्रेन से,
१८-१-३६

प्रिय गोपाजी,

मेरे हाथ में दर्द हो जाने से स्वयं आपको पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं खण्डवा से इन्दौर होता हुआ उज्जैन जाने वाला था। परन्तु दोहद में श्रीयुत बलवन्तराय मेहता आये हुए हैं। उनका तार आया है, इसलिए वहां जा रहा हूं। वहां से उज्जैन पहुंचूंगा और उज्जैन में २ या ३ रोज ठहरूंगा।

[illegible] मित्र को सूचना भेज दूंगा। मालिक से जो सूचनाएँ मुझे प्राप्त हुई हैं, उनसे मैं यह अनुभव करता हूँ कि बड़ी रकम की जल्दी जरूरत रहेगी। यदि १०००) रुपये तक वहाँ से कहीं मिल जाय तो कठिनाइयों से मुक्त हो सकता हूँ। [illegible] प्राप्त [illegible] का काम [illegible] से [illegible] के बाद [illegible] से सिलसिलेवार कर सकेंगे और कई पत्र

अच्छा परिणाम निकल आवे। लेकिन जब तक जैसलमेर के भीतर रहने वाली जनता जाग्रत नहीं हो सकेगी। इसलिये जैसलमेर के भीतर प्रजा मण्डल का काम चालू होना चाहिए। ऐसा करने में दिक्कतें आवें उनका सामना भी करना चाहिए। हम लोग तो जैसलमेर की प्रजा की सेवा के लिये तैयार हैं। जितनी सेवा हो सकेगी उतनी करते ही रहेंगे।

मैं दो चार दिन से अस्वस्थ हूं। हो सका तो आलोक के विशेषांक के लिए दो चार पंक्तियां कल ही डाक से भेज दूंगा। नहीं तो फिर मेरे लेख का इंतजार न करें।

विनीत,

हीरालाल शास्त्री.

•

शारदा भवन,
अजमेर
२४-२-४६

कंवर चांदकरण शारदा
B. A. L. L. B., Advocate
Federal Court of India
General Secretary
All India Hindu Maha Sabha.

मान्यवर–सज्जन शिरोमणि प्यारे भाई
मीठालाल जी व्यास,

सादर नमस्ते,

आपका प्यारा पत्र मिला। हमने महाराज साहब को लिखा है। आशा है श्रीमान् सागरमलजी गोपा शीघ्र मुक्त कर दिये जावेंगे।

आपने प्रचार के लिए लिखा सो आप जैसलमेर के किसी ऐसे महानुभाव का नाम व पता बतावें जो भजनीकों व व्याख्यानदाताओं को ठहराने का पूर्ण प्रबन्ध करदें। शेष प्रेम भाव। यथा योग्य सेवा लिखें। कृपा दृष्टि रखें।

भवदीय,

चांदकरण शारदा.

अखंड भारत

बम्बई
१०-४-३६

प्रिय गोपाजी,

सप्रेम वन्दे,

आपको बधाई है कि आपने मामले को अच्छी तरह सम्भाल लिया। मुझे इस बात से दुख हुआ कि कुछ लोगों ने आपको चक्कर में डाल कर आपको और राय साहिब को बदनाम कराने की खूब खटपट रची। खैर मामला सुधर गया। यह अच्छा हुआ।

आपने जो संवाद राय साहब को सौंपा था वह उन्होंने कहीं रख दिया है। अतः दूसरी बार लिख कर भेजें तो उचित होगा।

एक बात मैं आपसे चाहता हूं। मुझे राय साहब ने यह कहा कि हमारे दफ्तर के सुन्दरलालजी त्रिपाठी ने भी इस झगड़े को खड़ा करने में कुछ खटपट की थी और उसकी मंशा यह थी कि इस प्रकरण द्वारा कुछ रुपया लिया जाय जिसका एक हिस्सा उन्हें भी मिले। यदि यह सही है तो आप से निवेदन है कि आप इस बात को मुझ पर खुश होकर प्रकट करें ताकि भविष्य में हम ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें।

आशा करता हूं आप इस पत्र का उत्तर लौटती डाक से भेजने की कृपा करेंगे।

आपका,
जयनारायण व्यास.

अखंड भारत

बम्बई
२०-१२-३६

चलता है। ये पत्र उस समय लिखे गये थे, जब व्यासजी 'अखंड भारत' 'और स्वराज' का संचालन कर रहे थे। व्यासजी के ये पत्र श्री सत्यदेव व्यास से प्राप्त हुए हैं। ये पत्र गोपाजी और व्यासजी के सम्बन्धों को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही वे व्यासजी के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हैं।

करने में कोई दिक्कत न होगी। क्या उज्जैन या नागपुर में ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है।

मेरी अगली पेशी पांच अक्तूबर को है।

आपका,

जयनारायण व्यास.

•

अखंड भारत

अमरावती,

१४-९-३६

प्रिय गोपाजी,

आपका पता लगना तो मुमकिन है। सम्भव है आप नागपुर में ही हों। मैं आज यहां आ पहुंचा हूं। कल सुबह मोटर द्वारा नागपुर पहुंच कर गंगाधरजी पोद्दार की धर्मशाला ही में ठहरूंगा। दुपहर में तीन बजे बाद मटर गश्त शुरू होगी। आप वहां हुए तो बातचीत कर ही लूंगा। वैसे बहुत बातें करनी हैं।

अगर गोवर्धनजी वहां खाली नहीं रहते हों तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे उनसे मुलाकात करादें।

आपका,

जयनारायण व्यास.

बम्बई में इस समय क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है। मेरा लक्ष्य तो चिरंजीवी बनाना है। फल तो ईश्वर के हाथ में है।

आपका,

जयनारायण व्यास.

पुनश्च,

सागीदास जी को परीक्षा के तौर पर पत्र तो भेजा था पर उत्तर नहीं आया। यह आशा थी ही।

•

अखंड भारत

बम्बई,

२६-६-३६.

प्रिय गोपाजी,

मेरे हाथों में फोड़े हो गये हैं। अतः पत्र नहीं लिख सका। कन्हैयालालजी के जेल चले जाने के कारण नया डिक्लेरेशन फाईल किया गया है। शायद १०००) की जमानत देनी होगी। साप्ताहिक के लिये भी १०००) की जमानत देनी होगी। इस हालत में बड़ी मुश्किल होगी। मैं तो बीमार होकर इन्दौर में पड़ा हुआ था। जमानत लेने की अवस्था में बिना कर्ज के काम नहीं चल सकता। सहायता का सवाल पीछे रहेगा। आप नागपुर में लोगों को चुपचाप रखलें। रामपुरी से होने वाली आय किश्त के तौर पर दी जा सकती है।

उज्जैन वाले भाईजी के यहां एक टाइम भोजन किया था। प्रेमी हैं। आपका उनके पास कोई पत्र नहीं गया। प्रथम मिलन में भिक्षा मांगना मैंने भी उचित नहीं समझा।

मैं इन्दौर में हूं। पत्रोत्तर दुलीचंदजी जैन पीपली बाजार इन्दौर के पते पर दें।

प्रियवर गोपाजी,

आपके समाचार तो आते रहते हैं। स्थान भी मिलता है। हां, कांग्रेस का विरोध न हो, यह बात हमेशा ख्याल रखें। राममूर्ती को कह कर Moghe साहब को ५) दिलवादें। सरकारी इलाकों की खबरें उनसे मिलती रहेगी।

मैं कल परसों तक निर्णय करूंगा कि कब तक रवाना हो सकूंगा। शेष कुशल।

आपका
जयनारायण व्यास

यह भी आज लिख रहा हूं। तार दें तो इन्दौर। पत्र दें तो स्वराज्य आफिस खण्डवा के पते पर।

अखण्ड भारत

बम्बई
३०-९-३९.

प्रिय गोपाजी,

साथ का पत्र मैं कल नहीं डाल सका। मेरा विचार है कि इस बार बम्बई लौटने के पहिले मैं कुछ काम करके ही लौटूं। अतः मेरे मित्र इन्दोर के श्री हजारीलालजी गाड़िया भी मेरे साथ डेपूटेशन में चलने को प्रस्तुत हैं। यदि आप इस अवसर को उपयुक्त समझें और आप भी डेपूटेशन में शरीक हों तो इस पत्र के पहुंचते ही दुर्लीचन्द जैन न्यूज एजेंट इन्दोर के पते पर तार दें ताकि ५ तारीख की पेशी के बाद ७ तारीख को हम नागपुर पहुंच जाय।

यदि आपका तार नहीं आया तो यही समझूंगा कि आप कहीं बाहर गए हैं अथवा आप इस अवसर को उपयुक्त नहीं समझते हैं। मैं इस बार "देहं पातयामि कार्यं साधयामि" सिद्धान्त लेकर निकल रहा हूं।

श्री सागरमलजी ने ८ जनवरी १९४६ ई० को लिखे एक पत्र में श्री जयनारायण व्यास से यह इच्छा प्रकट की थी कि वे जैसलमेर आवें और उनको दी जाने वाली यातनाओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी लें। व्यासजी ने रेजीडेंट से व्यक्तिगत रूप से जैसलमेर जाने की इजाजत चाही ताकि सागरमलजी के बारे में वे पूरी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। श्री जयनारायण व्यास का जैसलमेर जाने का

बाडमेर,
१९-५-४१

प्रियवर (श्री रघुनाथसिंह),

मैं आबू मे १५ दिन जोधपुर रहा। जोधपुर मे जैसलमेर मे C.I.D. के कर्मचारी आकर प्रस्तुत हुए थे। इस चैलेंज पर कि अब सागरमल स्वप्न में जैसलमेर आ सकेगा—मैं जैसाण नगर जा रहा हूं। वहां मेरे साथ क्या व्यवहार होता है। जेल मे भेजा जाता हूं या कोई मन गढत केस चलाया जाता है, वह आपको विदित हो जायगा। हालांकि रेजीडेंट महोदय ने मुझे आज्ञा दी है कि आपके साथ दरबार किसी प्रकार की बेजापर्गी नहीं करा सकेंगे। परन्तु जैसलमेर की राजनीति पुलिस के पालने मे पली हुई है। विशेष आप मे कुछ छुपा नहीं है। जैसलमेर से तो मैं चिट्ठी पत्री नहीं दे सकूंगा। अजमेर से मुकदमा आवे और मैं जेल मे होवूं तो आप वितरण कर दें। कृपा रखें।

आपका
सागरमल गोपा

आपका,

जयनारायण व्यास.

•

All India State's People's Conference.

दिल्ली

२३-१०-३९

प्रियवर गोपाजी,

सप्रेम वन्दे,

मैंने एक पत्र पहले आपको दिया था। मिला होगा। अब विजय दशमी तो आ ही गई। यदि आपको फुरसत हो तो तार द्वारा नीचे लिखे पते पर सूचना दे देना ताकि मे सप्ताह में आ जाऊंगा। मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। आपने और मित्रों से चर्चा तो की होगी। आप आने का तार दें तो ब्योरेवार पत्र 'स्वराज्य' आफिस खण्डवा पर दें। तार का पता है Indo Europa, Delhi है। मैं २/३ दिन यहीं रहूंगा। तार का खर्चा रामपूर्ति से ले लेना।

आपको यह तो मालूम हो होगा कि 'अखण्ड भारत' से ५००) की जमानत मांग ली गई है। साप्ताहिक से १०००) की जमानत मांग ली गई थी। अतः वह निकल ही न सका। इस परिस्थिति को सब मिल कर सम्भालें तभी सम्भव सके।

शेष कुशल,

आपका,

जयनारायण व्यास

अभी का पता :

C/o Asia Assurance Co.,
662, Chandni Chowk,
Delhi.

Express

His Highness, Jaisalmer

Felicitations On Coronation Day Celebrations Wishing Long Prosperous Life Pray (2) Release Sagarmal Gopa

Vithaldas Vyas, Amaratlal Byas, Ramnarayan Bapecha, Shionarayan Vyas, Dwarkadas Vyas, Ramlal Thanvi, Shankarlal Prohit Vallabhdas Vyas, Prabhulal Gopa

•

मुम्बई समाचार

टपालनी आवृत्ति, जेठ सुदी १२, ११-६-१९४६ ई०

गोपाजी ना अवसान ने लगती
भोपाल ना नवाब समक्ष रजू
करायेली हृदयद्रावक विगतो

मुम्बई ता० १०

जैसलमेर नी जेल मा जीवता अवगणायेला राजस्थानी कार्यकर श्री सागरमल गोपाजी ना अवसान विषे निष्पक्ष तपास करवानी मागणी रजू करता जैसलमेर प्रजा मंडल ना कार्यकर श्री मनसुखदासजी पानवीर नरेन्द्र मण्डल ना सरनशीना भोपाल ना नवाब साहेब नी गई काले मथारे मुलाकात लीधी हती.

श्री मानजीभाईए नवाब साहेब ने गोपाजी साथे जेल मा गुजारयेला अत्याचारो थी वाकेफ करया हता.

सद्गत गोपाजी ना बन्धु श्री रामचन्द्रजी पण श्री पानजीजी साथे हता। तेमणे नवाब साहेब समक्ष जेल मा थी गोपाजीए लखेला हृदयद्रावक पत्रो रजू कर्या हता

आ विगतो सामन्या बाद नवाब साहेब पोते जैसलमेर ना महाराज ने कडक सूचना आपशे एम जणाव्युं हतुं.

लोकमत

नागपुर, शनिवार ज्येष्ठ शुक्ला ५ सं० १९९८—३१ मई, १९४१

श्री सागरमल गोपा जैसलमेर में गिरफ्तार

नागपुर ३० मई। सुप्रसिद्ध जैसलमेरी कार्यकर्ता श्री सागरमल गोपा व्यक्तिगत कार्य से जैसलमेर गये थे। आज तार द्वारा सम्वाद मिला है कि वे वहां गिरफ्तार कर लिये गये हैं। यहां यह स्मरण दिलाया जाता है कि गोपाजी जैसलमेर में दरबार की ओर से प्रजा पर किये गये अन्यायों का बराबर विरोध करते आये हैं। परन्तु यह गिरफ्तारी तो अकारण ही की गई है। स्थानीय जैसलमेरी जनता में इस समाचार से बड़ा असन्तोष व्याप्त होगया है।

•

खेजड़े का रास्ता,

जयपुर दि० २७-८-४६ ई०

प्रिय श्री गोपाजी,

आपका २८—८ का पत्र और साथ के कागजात मिले। मुझे अफसोस है कि मैं आपके पास नकलें नहीं भेज सका। लगातार सफर में रहने से यह गड़बड़ हो गई है। जिसके लिये आप मुझे माफ करें।

जैसलमेर से प्राइम मिनिस्टर का एक पत्र मिला है और उसके साथ आपको भेजे गये पत्र की नकल भी मिली है। जवाब में मैंने उन्हें एक तार बीकानेर से दिया था। मेरे तार के जवाब में उनका तार आया है। उसके जवाब मे मैंने एक तार दिया है। इन सब कागजात में से जो आवश्यक होंगे उनकी नकलें आपके पास मैं जल्दी ही भेज दूंगा।

मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। वहां पर व्यासजी से बात करके आगे के लिये निश्चय करूंगा, तब आपको लिखूंगा। वकील साहब को सब [illegible]गजात दिला दूंगा और उनसे करवाने का काम करवा लूंगा।

विनीत,

हीरालाल शास्त्री

के परिवार वालों को जेल में जाकर सागरमलजी से मिलने की इजाजत नहीं दी। उनके परिवार वालों को गोपाजी से मिलने देने की बात तो दूर रही स्वयं गोपाजी को उपचार के लिये अस्पताल नही पहुंचाया गया।

श्री सागरमलजी गोपा दिन भर तडफते रहे। शाम को अंधेरा होने के वाद गोपाजी को चुपके से एक खाट पर सुला कर कैदियो के कधे पर अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक गोपाजी के पैरों की बेडियां नही निकाली गई थी। गोपाजी रात भर अस्पताल में पड़े रहे। उनका कोई इलाज नही हुआ। दूसरे दिन सुबह जैसलमेर के एक कर्मठ और प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता श्री सत्यदेव व्यास जवाहर चिकित्सालय में गोपाजी की स्थिति देखने एक अन्य रोगी से मिलने के बहाने पहुंचे। वहां उन्होने देखा कि श्री गोपाजी का सारा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। सब जगह फफोले पडे हुए थे। देखते ही चित्त उद्विग्न होगया।[1] उनका मुंह एक दम जल गया था

---

१. साप्ताहिक आलोक, गोपा अक १६४६

कार्यक्रम तो नहीं बन सका, परन्तु लोकनायक के अनुरोध पर ६ अप्रेल १९४६ ई० के दिन रेजीडेंट का जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से बन गया। जैसलमेर के शासक यह नहीं चाहते थे कि रेजीडेंट किसी भी हालत में जैसलमेर पहुंचे और उनकी खुराफातों का भण्डाफोड़ हो। रेजीडेंट को जैसलमेर आने से रोकने के लिये महारावल ने एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण ढंग का नाटकीय रुख अख्तियार किया। कहते हैं महारावल ने गनगौर के मेले में व्यस्त होने के कारण रेजीडेंट को अपने दौरे के कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया।

तीन अप्रेल १९४६ ई० की बात है। उस रोज एक पुलिस आफिसर ने गोपाजी को धमकाते हुए कहा "महाराज तुम रेजीडेंट आदि को लिखाते हो। देखना आज कैसा मजा चखाता हूं।" और उसी अप्रेल को दोपहर को तीन बजे अचानक जैसलमेर नगर में सूचना फैली कि सागरमल गोपा ने अपने शरीर में आग लगादी है। इस कुतूहल भरे समाचार ने प्रायः [illegible]ी को आश्चर्य-चकित कर दिया और नगर-[illegible]सियों का तांता जेल की ओर लग गया। सरकारी अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति को या गोपाजी

रात को नौ बजे जज साहब को भेजकर अंतिम बयान लेने का नाटक रचा गया। उनके बयानों के समय उनकी पत्नी व भाई में से किसी को उपस्थित नहीं रहने दिया गया और न ही उक्त बयानों पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। जब वे मर्दाना वार्ड में रखे गये थे, तब भी उनके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। वे रात-भर कराहते रहे। डाक्टर-डाक्टर चिल्लाते रहे। मगर सब असफल रहा। वहां पर भी उनकी खाट पर पुलिस का पहरा था। रात को जलने के आठ घंटे बाद उनके पैरों की डंडे-बेड़ियां निकाली गई थी। दूसरे रोज प्रातः उनकी अत्यंत चिंताजनक हालत देख उनकी पत्नी श्रीमती हीरा देवी जैसलमेर के बड़े डाक्टर श्री दवे के पास गई तब करीब साढ़े नौ बजे वह अस्पताल में आये और कराहते हुए गोपाजी को एक इन्जेक्शन दिया। इन्जेक्शन देते ही उनका चिल्लाना शांत हो गया और करीब दस बजे वहीं अस्पताल की खाट पर उनका अन्तकाल होगया। गोपाजी के इस रहस्यमय अन्त की सूचना भाई ताराचन्द ने[१] उसी समय व्यास

---

१. Jaisalmer 9-4-46

Gopal Prashadji Vyas

Sagarmal expired noon fourth in jail custody.

Jagjivan

और एक आंख लगभग पूरी जल चुकी थी। लेकिन सिर का एक बाल भी जला हुआ नहीं था।

उनकी यह चिल्लाहट से बिलकुल स्पष्ट था कि अस्पताल में पहुंचाने पर उनका संतोषप्रद इलाज नहीं किया गया था। वे (जैसलमेरी बोली में) अपनी देश भाषा में इस प्रकार चिल्ला रहे थे—

"अरे कोई डाक्टर कन कम्पाउंडर ओंई, सारी रात सूहां का करोई पयो पण कोई जबाव को दै नी, अरे इती वड़ी इस्पताल में लाया तो ईं इलाज री कमी ! अरे मोंजो शरीर वलै इ रे, और हूं मरो ई रे। अरे कोई मोतीलाल डाक्टर ने तो तेड़ लाओ। ओ मोंजो इलाज भली तरै सूं करसै……।"[1]

इस तरह सागरमलजी को मिट्टी का तेल डाल कर जलाने के वाद विना किसी चिकित्सा के तड़फने दिया जाने लगा। इसी वात का वर्णन करते हुए श्री सत्यदेव व्यास ने इस लेखक को वताया,

"२ अप्रेल की शाम को अंधेरा होने के वाद गोपाजी को चुपके से एक खाट पर सुलाकर कैदियों के कंधों पर अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं पर

---

१. साप्ताहिक आलोक, गोपा अंक १९४६ ई०

के साथ जैसलमेर आये। हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने तत्कालीन दीवान श्री बी० एन० जुत्शी से मुलाकात करनी चाही। पहले तो उन्हें दुर्ग के फाटक के बाहर ही पहरे वालों ने रोक दिया। यद्यपि दुर्ग के भीतर आम जनता रहती थी, जो अब भी रहती है तथापि श्री शर्मा पर रोक लगा दी गई। जब इस रुकावट की सूचना शर्मा जी द्वारा दीवान के पास पहुंचाई गई, तब उन्हें उनके आदेश पर उनसे मुलाकात करने का अवसर दिया गया। नगर में गोपाजी के सम्मान में शोक सभा करने की तैयारी की गई तो कोई एलान करने वाला नहीं मिला। अन्त में मीठालालजी का ही नाती छोटा बच्चा मदनलाल आया। उसने शोक सभा का नगर में एलान करने का साहस दिखाया। शाम को सदर मंडी में श्री चिरंजीलाल व्यास की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम श्री हँस द्वारा बोलने के बाद श्री अचलेश्वरजी बोलने खड़े हुए तब पुलिस के थानेदार ने सभा में आकर रुकावट की और कहा कि मेजिस्ट्रेट की आज्ञा बिना मीटिंग नहीं हो सकेगी। श्री अचलेश्वर प्रसादजी ने सभा को बरखास्त कर दिया।"

मीठालालजी और मीठालालजी के अतिरिक्त नागपुर में श्री शिवशंकरजी गोपा व बीकानेर में श्री जीतमलजी जगाणी को (जो उस समय प्रजा-मंडल के कोषाध्यक्ष थे) तार द्वारा दी। गोपाजी की अन्त्येष्टि शीघ्रता से कर दी गई। लेकिन दाह क्रिया से लौटते ही 'अमर शहीद सागरमल गोपा की जय', 'पुलिस अफसर गुमानसिंह मुर्दाबाद' व 'इन्किलाब जिन्दाबाद' आदि के नारों से सारा नगर गूंज उठा। उसका नेतृत्व श्री ताराचंद जगाणी कर रहे थे। सारे नगर में तहलका मच गया। महारावल के पैरों की धरती खिसकने लगी। गोपाजी की सहादत ने सुषुप्त 'जैसाणा ज्वाला' को भड़का दिया। स्थान स्थान पर गोपाजी की रहस्यमय मृत्यु को ख़ून की संज्ञा दी गई और 'ख़ून का बदला ख़ून' के नारे दीवारों पर लिख दिये गये।"

इसी सिलसिले में श्री सत्यदेव व्यास ने आगे बताया,

"गोपाजी की मृत्यु के बारह दिनों बाद पहले-पहल १६ अप्रेल ४६ ई० के दिन लोकनायक व्यासजी के पुराने साथी अनुभवी पत्रकार 'प्रजा-सेवक' के संपादक श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा अपने साथी श्री हंसजी

के साथ बीकानेर आये। हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रति-
निधि के नाते पर उन्होंने तत्कालीन दीवान श्री
बी० एन० कुन्जी से मुलाकात करनी चाही। पहले
तो उन्हें दुर्ग के फाटक के बाहर ही पहरे वालों ने
रोक दिया। यद्यपि दुर्ग के भीतर आम जनता रहती
थी, जो अब भी रहती है तथापि और लोगों पर रोक
लगा दी गई। जब इस रुकावट की सूचना नाकों जी
द्वारा दीवान के पास पहुंचाई गई, तब उन्हें उनके
आदेश पर उनसे मुलाकात करने का अवसर दिया
गया। नगर में गांधीजी के सम्मान में शोक सभा
करने की तैयारी की गई पर कोई एलान करने
वाला नहीं मिला। अन्त में मीठालालजी का ही
नाती छोटा बच्चा मदनलाल आया। उसने शोक
सभा का नगर में एलान करने का साहस दिखाया।
शाम को सदर मंडी में श्री निरजीलाल व्यास की
अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सर्व
प्रथम श्री हूँस द्वारा बोलने के बाद श्री अचलेश्वरजी
बोलने खड़े हुए, तब पुलिस के थानेदार ने सभा
में आकर रुकावट की और कहा कि मैजिस्ट्रेट की
आज्ञा बिना मीटिंग नहीं हो सकेगी। श्री अचलेश्वर
प्रसादजी ने सभा को बरखास्त कर दिया।"

इस तरह राजस्थान के लोकप्रिय राजनैतिक नेता और कर्मठ कार्यकर्त्ता गोपाजी की होलनाक तरीकों से हत्या करदी गई। इसी प्रकार की हत्या से प्रभावित होकर कवि ने लिखा,

"शहीदों के खूँ का असर देख लेना,
मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना।
किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं,
बहा देंगे खूँ की नहर देख लेना॥
झुका देंगे गरदन को हम जे.रे खंजर,
खुशी से कटा देंगे सर देख लेना।
जो नखल हमने सींचा है खूने जिगर से,
वह होगा कभी नाटक देख लेना।
किनारे लगेगी भंवर से ये किश्ती,
वह आयेगी एक दिन लहर देख लेना।
बलायें ले जायेगी खुद सरनगु हो,
नहीं होगा इसका गुज़र देख लेना।
खुजन्दी हुआ देश आजाद अपना,
छपेगी यह एक दिन खबर देख लेना।"

प्रजा सेवक—२३ मई १९४५.

[illegible]समेर—

राजपूताने की पिछड़ी रियासत
श्री गोपाजी के जेल जीवन की दर्दनाक कहानी

लेखक : श्री स्वरूपचन्द वैद्य

जैसलमेर जोधपुर राज्य की उत्तर पश्चिम सरहद पर एक वड़ी व उन रियासतों में एक है जिन्हे तोपों की सलामी का अधिकार मिला हुआ है। जिसका क्षेत्रफल करीब १२२७१ वर्ग मील है और जन संख्या ६६०९२ के करीव है। राज्य की आमदनी मौजूदा आंकड़ो से १५ लाख के नजदीक पहुंचती है। वर्तमान महाराजा साहव भाटी वंश के श्री जवाहिरसिंह जी बहादुर हैं। जिनके विचार व सोचने का ढंग जमाने से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहा की राज्य व्यवस्था सदियों पुरानी है।

जैसलमेर पहले सिरे का दकियानूसी राज्य है। दुनिया इतनी प्रगति कर चुकी है मगर वहा पर वही दो सौ वर्ष पुराना ढर्रा चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं। इसका मुख्य कारण है राजा की सामन्तवादी मनोवृत्ति व व्यर्थ की शकाएं। पर सामन्तवादी मनोवृत्ति उस लहर को न रोक सकी जो कांग्रेसी आन्दोलन के दिनो में सारे भारत को आप्लावित कर रही थी। राज्य की दिनों दिन गिरती अवस्था कुछ लोगों को खटकी। दिन व दिन लोग राज्य छोड़ कर भाग रहे थे, जनता तकलीफें सहन कर रही थी, ये चीजें सन्तोषप्रद नहीं थी। वे दूसरो की भांति अपने राज्य की वहबूदी की इच्छा रखते थे, अपने भाइयों को खुशहाल देखना चाहते थे। फलतः उन्होने जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की। पर चूंकि, राजा साहव हरेक तरह के संगठन को, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक, शंका की दृष्टि से देखते थे। वे कारण वे समझते थे कि ये संगठन अगर कभी मौका मिल गया तो हमारी स्वतंत्रता में अवश्य खलल डालेंगे या उसकी नुकताचीनी करेंगे। अच्छे उद्देश्यों से राज्य की तरक्की के लिये स्थापित यह संगठन सरकार को सब से खतरनाक लगा। कुछ को गिरफ्तार कर कुछ को दण्ड देकर उन्होंने प्रजा

मंडल का गला घोट दिया। बाहरी दुनियां को इन सब बातों का ज्यादा पता न लगा।

इसी सिलसिले में कुछ दिन बाद जैसलमेर में नागपुर से आये जैसलमेरी श्री सागरमल जी गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाहरी दुनियां में कुछ को छोड़ कर कोई भी नहीं जानता कि जैसलमेर की जेल में गत ४ सालों से कोई राजनैतिक कैदी पड़ा यन्त्रणायें भोग रहा है। एक साल तक अंडर ट्रायल रखने के बाद उन पर राज्यद्रोह के दो मुकद्दमों में कुल मिला कर ६ साल की सजा दे दी गई। कुछ मुकद्दमे स्थगित (Pending) हैं, जिन्हें सरकार कभी भी चला सकती है। इन्हें Pending छोड़ा रखने के पीछे शायद यही रहस्य है कि उन्हें कभी छोड़ा न जाय और इस दण्ड की अवधि समाप्त होते ही पुनः दण्ड देकर जेल में बंद कर दिया जाय। उन्होंने अवधि के ३ वर्ष काट दिये है।

जैसलमेर की तुलना हम नात्सियों से कन्सन्ट्रेशन केम्प से भी नहीं कर सकते। जेल शायद कैंप से भी बदतर होगी। जेल का कुल रकबा एक अच्छे खासे मकान से शायद ही ज्यादा होगा जिसमें १५ कोठरियें बनी हुई हैं। कोठरियों के आगे टीन से छाया हुआ एक बरामदा है जिसमें चक्कियें पड़ी हैं। जेल की कोठरी इतनी छोटी है कि एक साधारण कद का आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। रात को इन्हीं में बंद कर ऊपर से ताला जड़ दिया जाता है। हमारे साथी श्री गोपाजी इसी जेल में राजा साहिब के मेहमान है। पैरों मे भारी २ डंडा बेड़ियां पड़ी जिन के मारे वे मुश्किल से इधर उधर चल पाते हैं, कुछ आटा इन्हें दिनभर मे पीसने के लिये दिया जाता है, अगर शाम पड़ने तक पीसकर तैयार नहीं होता तो कोड़ो की मार तैयार है या फिर शाम का भोजन खाने के लिये ३ अनाज की मोटी रोटी व छाछ दी जाती है। [illegible] कंकर पत्थर मिले होते हैं व छाछ शहर से आ जाती है।

नाम की कोठरी में बन्द कर दिया जाता है। दूसरे कैदियों को शहर घूमने की आजादी है। यहां तक कि खूनी कैदी भी जमानत पर घूमने फिरने की आजादी पा लेते हैं मगर हमारे गोपाजी के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है। जेल के अन्दर के छोटे-मैदान तक ही उनका क्षेत्र सीमित है। सरकार का रुख उनके प्रति कितना अनुदार है, इसका पता एक दो बातों से लग सकता है।

"गोपाजी की माता चारपाई पर बीमार पड़ी थी। अंतिम समय आ गया। उनकी अन्तिम इच्छा थी कि पुत्र का एक दफे मुंह भर ही देखलूं! सरकार व महाराजा साहिब से अनेकों प्रार्थनाएं की गईं मगर किसी के कान जूं न रेंगी। मां गोपा-गोपा करते मर गई।"

भारी बेड़ियों के कारण एक बार उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गये थे। घावों के साथ बेड़ियों की रगड़ से तीव्र मरणान्तक पीड़ा उठती थी। गोपाजी ने इस सम्बन्ध में डाक्टर साहब से कहा। डाक्टर भाटिया ने वास्तविकता महसूस कर बेड़ियों को हटा देने की आज्ञा दे दी। बेड़ियां हटा दी गई। महाराज कुमार साहिब को जब इस चीज का पता लगा तो उन्होंने एक की जगह पर दो बेड़िया डालने की आज्ञा दी और भाटिया जी को बरखास्तगी व जलावतनी की धमकी दी गई व साथ ही आगे से ऐसे काम न करने की हिदायत दी।

पठन-पाठन सम्बन्धी किसी सुविधा की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ साल तक तो कोई चीज ही नहीं दी गई। मगर अब कुछ समय से गीता पढ़ने के लिये दे दी गई है। कागज पेन्सिल तो पास में रखने ही नही दिया जाता। इसका कारण उनका यह संदेह है कि शायद यह उनके राज्यतन्त्र विरोधी प्रचार के लिये इनका उपयोग करेगा।

जब हम उनसे मिलने गये तो उन्होंने हमारे सामने उस प्रतिक्रिया को बताया जो कि फलोदी लोक परिषद् के गोपाजी की रिहाई सम्बन्धी

प्रस्ताव से हुई । "सरकार ने समझा कि ये चीजें मेरे इशारे से हुई हैं फलतः मेरे सम्बन्ध में उनके रुख में बजाय नरमी के कठोरता आ गई। उसी दिन मेरे विरुद्ध कुछ मुकदमों की सृष्टि कर दी गई और मुझे पीट कर फिर कस कर छत से बांध दिया गया व गुदा (Anus) में लाल मिर्चें डाल दी गईं । उस समय की छटपटाहट व कष्ट का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं—सिर्फ मरना ही बाकी था और मैं मृत्यु की प्रार्थना ही ईश्वर से करता था जिससे इस कष्ट से मुक्ति हो सके—यही मुझे रास्ता दिखता था । नया मुकदमा बनाया गया कि मैंने एक सहयोगी कैदी का अंगूठा काट खाया है ।"

उन्होंने हमें यह भी बताया कि मैं इतना निराश हो गया हूं कि रह कर मेरे दिल में इच्छा उठती है इस जीवन का यहीं पर अन्त कर दिया जाय । हमने उन्हें समझाया कि यह महज मूर्खता ही होगी । आपने जिस तरह इतने वर्ष जेल में काटे कुछ समय तक और इन्तजार करें । आपका कष्ट सहन व त्याग व्यर्थ न जायगा, वह लोगों में एक जागृति का काम करेगा । सब लोग आपके साथ हैं । हम आप के लिये यथासम्भव सब कुछ करेंगे ।

श्री व्यासजी ने एक बार लिखा था कि 'रियासती जेलों के सही चित्र को खीचने वाला शायद ही जिन्दा रह सकता है ।' शायद यह बात गोपाजी के लिये सही न हो जाय । मैं नहीं चाहता कि वे जेल में सड़ते रहें, या अपना अन्त करदें या सामन्तशाही उनका अन्त करदे शायद कोई भी इस चीज को पसन्द नहीं करेगा ।

अगर हम नहीं चाहते कि वे इसी अवस्था में रहें तो फिर क्या उपाय है ? एक ही उपाय है, वह यह कि देशी राज्य प्रजा परिषद् राजपूताना कार्यकर्ता संघ इस मामले को अपने हाथ मे ले और इसे एक अति गम्भीर समस्या समझे । कारण इसी पर एक बड़ी रियासत का राजनैतिक जीवन निर्भर है । मैं हमारे नेताओं को अपना ध्यान इस ओर लगाने की प्रार्थना करता हूं और चाहता हूं कि बीकानेर के मामले के समान इस पर भी ध्यान दें और गोपाजी को रिहा कराने के लिये जैसलमेरी सरकार को मजबूर करें ।

गोपाजी जैसलमेर में बार बार पैदा नहीं होंगे, हमें उन्हें छुड़ाने के [illegible] को न भूलना चाहिये ।

जाँच आन्दोलन

अमर शहीद सागरमल गोपा के जलाये जाने के बाद सारे भारतवर्ष से आवाज[1] उठी कि गोपाजी के हत्यारे को सजा दी जाय और उनको दी गई यातनाओं की पूरी जांच हो। ऐसी आवाज का उठना स्वाभाविक और तर्कसंगत था।

---

१. भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर गोपाजी के जलाये जाने के सम्बन्ध में जो जो शोक-प्रस्ताव और जाच-प्रस्ताव पारित हुए वे इसी जांच आन्दोलन की ओर इशारा करते है। वे प्रस्ताव इस प्रकार हैः—

शाहपुरा राज्य प्रजा मण्डल (राजपूताना) ने प्रस्ताव पारित किया-

गोपाजी की हत्या के तुरन्त बाद श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा (सम्पादक–प्रजासेवक) ने जैसलमेर जाकर इस जांच-आन्दोलन का श्री गणेश किया। उन्होंने वहां आम सभा का आयोजन किया और जनता को

"श्री पूज्य बहन (गोपाजी की पत्नी)

जैसलमेर की हकूमत ने जो आपके साथ अन्याय किया है। हिन्दुस्तान की जनता व विशेष करके रियासती जनता इसकी साक्षी है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आप एक वीराङ्गना की तरह सब दुखों को भूल कर गोपाजी के स्थान की पूर्ति करें। आंसू बहाने के बजाय, आप हिम्मत रख आपके परिवार वालों को ढाढ़स दें। हमारी सहानुभूति आपके साथ है।

हम मांग करते हैं: गोपाजी के हत्यारे को सजा दी जाय और उस हत्यारे के कुकृत्यों की खुली जांच हो।

आपका

उर्मिला देवी 'काटि्या', लक्ष्मीदत्त 'कांटि्या'

मंत्री, शाहपुर प्रजा मण्डल

•

जैसलमेर की प्रजा के सेवक एक श्री सागरमलजी गोपा का जिसे कैदी और कारण परिस्थिति में अवसान हुआ है, उससे सारे राजपूताने में सनसनी फैल गई है। यह सभा जैसलमेर राज्य की इस काली करतूत की घोर निंदा करती है और पोलिटिकल विभाग और जैसलमेर नरेश से आग्रह करती है कि वे इस घटना की निष्पक्ष जांच करावें और जो अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार हो उसे उचित दंड दें।.................

सौभाग्यचन्द्र जी गांधी

मंत्री, सिरोही राज्य प्रजा मंडल

इस ओर तन, मन और धन से सहयोग देने की अपील की।

यह वह समय है जब अंग्रेज भारत छोड़ने की अंतिम सीढ़ी पर थे। और तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक रङ्ग बदल होने आरम्भ होने लगे थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनने की बातें चल पड़ी थी।

कैम्प, मैलाना
मई २४, १६४६

प्रिय श्री बहिन जी,

आपकी सेवा में राजपूताना प्रान्तीय सभा के प्रस्ताव की एक नकल भेज रहा हूं। आपके इस दुःख में न केवल राजपूताना निवासी बल्कि तमाम रियासती जनता आपके साथ है। भगवान आपको साहस और शक्ति प्रदान करे।

श्रीमती सागरमल गोपा, विनीत
नागपुर हीरालाल शास्त्री

अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्
राजपूताना प्रान्तीय सभा

कैम्प मैलाना
दि० २४-५-१६४६ ई०

प्रिय बन्धु,

इस पत्र के साथ स्वर्गीय श्री सागरमल गोपा (जैसलमेर) सम्बन्धी प्रस्ताव की नकल भेज रहा हूं। आशा है आपके यहां ४ जून १६४६ ई० को अच्छी रीति से और बड़े पैमाने पर गोपा दिवस मनाया जायगा। राजपूताना की रियासतों में न केवल एक ही प्रमुख स्थान पर बल्कि जहां

उधर इंग्लैंड में मजदूर दल विजयी हो गया था और इधर देशी रजवाड़ों में घृणित से घृणित कार्यवाहियां हो रही थी। इस समय सारा का सारा भारतवर्ष एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। ४ अप्रेल १९४६ ई० को गोपाजी को जिंदा जला दिया गया और २ सितम्बर १९४६ ई० को अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार बनी।

तक सम्भव हो कई एक स्थानों पर गोपा दिवस मनाया जाना चाहिए। स्व० श्री गोपा की दर्दनाक मृत्यु के सम्बन्ध में जिस पुस्तिका को प्रकाशित करने का विचार है वह पुस्तिका यदि हो सका तो गोपा दिवस के पहले आप के पास भेज दी जायगी। पुस्तिका के तैयार होने में यदि विलम्ब होगा तो वह आपके पास बाद में भेजी जा सकेगी। गोपा दिवस के उपलक्ष्य में होने वाली सभाओं में श्री गोपा की समुज्वल देशभक्ति, अनुकरणीय साहस, अदम्य सहन शक्ति और अनुपम बलिदान पर प्रकाश डाला जाय और साथ में जैसलमेर के अधिकारियों की असाधारण प्रतिगामिता और हृदयहीन नृशंसता की निन्दा की जाय। रियासती जनता इस हृदय विदारक घटना को भूल नहीं सकती और अपराधियों को दण्ड दिलवाये बिना चैन नहीं ले सकती।

गोपा दिवस का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा जाना चाहिये। कृपया विवरण की एक प्रति नीचे लिखे पते पर प्रान्तीय कार्यालय में भी भिजवादें।

श्री मन्त्री,
राजपूताना लोक परिषद
वनस्थली (जयपुर-राजस्थान)

विनीत
हीरालाल

अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद
राजपूताना प्रान्तीय सभा

स्वर्गीय श्री सागरमल गोपा (जैसलमेर) सम्बन्धी प्रस्ताव

दि० ११-५-४६ ई० को शिवगंज (सिरोही) की बैठक में स्वीकृत

अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा ने जैसलमेर के श्री सागरमल गोपा के देहावसान के सम्बन्ध के कागजात और घटनाओं के आधार पर जानकारी हासिल की। प्रान्तीय सभा का यह दृढ़ विश्वास है कि जिन परिस्थितियों में श्री गोपा का देहान्त हुआ है उनमें उनकी ओर से आत्म हत्या की जाने की बात मानने योग्य नहीं है बल्कि उनकी मृत्यु के साधनों का जेल में उपस्थित होना, जलने के बाद घण्टों तक अस्पताल न भेजना, अस्पताल भेजने के बाद भी पावों में डण्डा-बेड़ियों का रखा जाना उनके अन्तिम बयानों के समय उनके भाई तथा स्त्री को भी उनके पास उपस्थित न होने देना, किसी भी रिश्तेदार से उनकी बातचीत न होने देना आदि बातें तथा श्री गोपा के हाथ के लिखे हुये पत्र इस बात के द्योतक है कि जैसलमेर के अधिकारियों ने श्री गोपा की जीवन-रक्षा के लिये जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया तथा यह शंका होती है कि श्री गोपा की मृत्यु अधिकारियों द्वारा अथवा उनके कारण हुई।

प्रान्तीय सभा श्री जयनारायण व्यास और श्री हीरालाल शास्त्री को मौके पर जाकर एवं अन्य तरीकों से विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिये नियुक्त करती है।

प्रान्तीय सभा निश्चय करती है कि ४ जून ४६ ई० को राजपूताना प्रान्त भर में व जहां तक सम्भव हो प्रान्त के बाहर भी "गोपा दि-

जांच कमेटी शीघ्र नियुक्त करे, जिसमें दो प्रभावीय मेम्बर्स भी रहें। कमेटी जहां गोपाजी की मृत्यु की जांच करे, वहाँ वर्तमान राजा के ३३ वर्षीय लम्बे कार्यकाल के सड़े हुए और स्वेच्छाग्रस्त शासन की भी जांच करे। जिसकी आलोचना स्वरूप ही श्री गोपाजी जेल में ठूंसे गये थे। साथ ही सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और शोषण तथा कालेबाजार की भी जांच हो, जिसमें स्टेट का भी हाथ बताया जाता है।

प्रस्तावक—कन्हैयालाल कलयंत्री
अनुमोदक—धनसुखदास चानकी
समर्थक—मिश्रीलाल बेला

•

श्रीमती जी,

आपके पतिदेव के विछोह से हम बम्बई निवासी जैसलमेर राज्य प्रजा मण्डल के सदस्य सदा दुःखी हैं और खास कर उन अमानुषिक कष्टों पर क्षोभित हैं जो देशभक्त, समाज सेवी, परोपकारी नररत्न श्री गोपाजी को सहन करने पड़े। हम आपके दुख में हार्दिक सहानुभूति प्रगट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको सहनशक्ति दे और मृतात्मा को शान्ति प्रदान करे। साथ ही अत्याचारियों को चाहे वे कितने ही बलवान क्यों न हों, चुनौती देते हैं कि वे प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाय। श्री गोपाजी के बलिदान ने सहस्रों लाखों गोपाओं को उत्पन्न कर दिया है। वे सदस्य उत्साह से अत्याचारियों को दण्ड दिलाने के लिये कमर कस चुके हैं।

सेवा में ५००) पांच सौ रुपये भेजने के विचार से कल एक मनिआर्डर २५) पच्चीस रुपये का भेजा है। उसकी पहुँच के साथ अपनी आवश्यकताओं के विषय में लिखने की कृपा करें। अपना नाम, पूरा पता

और मनीआर्डर कितने दिन में मिल जाता है। सब दल कुछ हिन्दी भाषा में लिखायें। अगर पोस्ट आफिस ठीक-ठीक डिलीवरी न देता हो तो हम लोग पोस्ट आफिस को लिख सकते हैं। आपको जो कुछ लिखना हो नीचे लिखे पते पर लिखकर भेज सकती हैं। गोपाजी मेरे छोटे भाई की तरह प्रेमी मित्र थे। पत्र और पहुँच मिलने मे दूसरा मनीआर्डर किया जावेगा।

सेवक

ता० ६ मई १९४६ ई०

मिश्रीलाल वेला

प्रेसीडेण्ट

जैसलमेर राज्य-प्रजा-मण्डल, बम्बई २

ठिकाना—कन्हैयालाल रामपाल, मारवाड़ी बाजार

●

१५, नारायण दाभोलकर रोड,
मलाबार हिल, बम्बई.

दि० १४-४-४६ ई०

प्रिय महाशय,

हैदराबाद में मेरे घर में विवाह है, वहां जारहा हूं, इस कारण आज की सभा में उपस्थित नहीं हो सकता।

सागरमलजी गोपा जो जैसलमेर राज्य में पांच वर्ष से कैद रहे है और जिनकी मृत्यु के सम्बन्ध मे जो समाचार सुनाई दे रहे हैं वह बड़े भयानक है।

उनकी जांच के सम्बन्ध में एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए जो इनकी सच्ची स्थिति का पता लगाकर प्रकाशित कर सके।

भवदीय,

गोविन्दलाल.

●

२१–४–४६

श्री रामचन्द्रजी गोपा, नागपुर

आज समस्त राजस्थानी भाइयों की यह सभा श्री सागरमलजी के असामयिक रहस्यपूर्ण मृत्यु पर शोक प्रगट करती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वह स्वर्गीय सागरमलजी गोपा की आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

•

१०–११–४६

शोक प्रस्ताव

ग्वालियर स्टेट कांग्रेस का यह अधिवेशन केन्द्रीय असेम्बली–कांग्रेस दल के भूतपूर्व नेता व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भूतपूर्व सदस्य श्री भूलाभाई देसाई, भारत सेवासंघ के अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास शास्त्री और जैसलमेर के जन सेवक श्री सागरमल जी गोपा की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकट करता है व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना करता है।

प्रस्तावक—कु० वा० दाते

समर्थक—श्रीकृष्ण शर्मा

•

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्, राजपूताना प्रान्तीय सभा ने ७ मई १६४६ को जयपुर मे अन्य प्रस्तावों के साथ जैसलमेर के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :—

जैसलमेर

जैसलमेर के वीर और साहसी कार्यकर्त्ता श्री सागरमल गोपा रियासत के जेलखाने में कई सालों से अनेक अमानुषिक यातनायें भोग रहे थे। लोकपरिषद् के प्रधान मंत्री श्री जयनारायण व्यास इस सम्बन्ध में राज्या-

धिकारी तथा पोलीटिकल एजेन्ट से पत्र व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच में खबर मिली कि श्री सागरमल गोपा जेल में मार डाले गये। बाद की खबरों से पता चलता है कि श्री गोपा की मृत्यु उनके कपड़ों पर तेल छिड़क कर जलने से हुई। रियासत वालों का कहना है कि श्री सागरमल गोपा ने खुद अपने कपड़ों पर तेल डाल कर आग लगाली। सहसा इस कथन पर विश्वास नहीं होता है। ऐसा ही हुआ हो तब भी यह तो मानना पड़ेगा कि श्री गोपा ने उन्हें जेल में दिये जाने वाले असह्य कष्टों से ऊब कर ऐसा किया होगा। इस सम्बन्ध में श्री हीरालाल शास्त्री पोलीटिकल एजेंण्ट से मिले हैं। पोलीटिकल एजेण्ट का रवैया सहानुभूतिपूर्ण पाया गया। मालूम होता है कि पोलीटिकल एजेण्ट सत्य को खोज निकालने के लिए प्रारम्भिक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ समय के बाद श्री शास्त्री पोलीटिकल एजेण्ट से फिर मिलेंगे; बाद में श्री जयनारायण व्यास और श्री हीरालाल शास्त्री जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनायेंगे। इस हृदय विदारक घटना ने रियासती जनता के दिल को हिला डाला है।

इस सभा का आयोजन श्री गोकुलभाई भट्ट की अध्यक्षता में हुआ और अन्य लोगों की उपस्थिति इस प्रकार थी:—

१—श्री गोकुल भाई भट्ट
२—,, युगलकिशोर चतुर्वेदी
३—,, मोहनलाल सुखाड़िया
४—,, अभिन्नहरि
५—,, मोगीलाल पण्ड्या
६—,, माणिक्यलाल वर्मा
७—,, गोकुललाल असावा
८—,, हीरालाल शास्त्री

जयपुर राज्य प्रजामण्डल
अष्टम वार्षिक अधिवेशन
किशनगढ़-रेनवाल
अप्रेल, १९४६

जयपुर राज्य प्रजामण्डल का आठवाँ सालाना जलसा बुधवार व वृहस्पतिवार तारीख २४ व २५ अप्रेल १९४६ को किशनगढ़-रेनवाल में लादूरामजी जोशी के सभापतित्व में हुआ। अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

१—शोक प्रस्ताव

जयपुर राज्य प्रजामण्डल माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्री और श्रीमती सत्यवती देवी की मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट करता है और प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले।

जयपुर राज्य प्रजामण्डल बरोठ गोली काण्ड में मृत किसानों के परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और प्रार्थना करता है कि मृतात्माओं को शान्ति मिले।

२—श्री सागरमल गोपा की जैसलमेर जेल में मृत्यु

जयपुर राज्य प्रजामण्डल जैसलमेर जेल में हुई श्री सागरमल जी गोपा की रहस्यमयी मृत्यु को एक हृदय विदारक घटना मानता है। श्री गोपा जी जैसलमेर के एक साहसी और मजबूत कार्यकर्ता थे जिन्होंने राज्य के विरोध और दमन के बावजूद उस रियासत में सार्वजनिक जीवन को बनाने की शक्ति भर कोशिश की और अन्त में राज्य के दमन के शिकार हुए। श्री गोपा जी गत लगभग पाँच साल से जेल में थे और सुना गया है कि उन्हें जेल में बराबर यातनाएँ दी गयी। मण्डल की राय में जैसलमेर राज्य की ओर से दिये गये उस बयान से स्थिति साफ नहीं

होती जिसमें यह जाहिर किया गया है कि श्री गोपाजी ने स्वयम् अपने कपड़ों में आग लगाली थी और जब उनके घावों का इलाज हो रहा था वे अस्पताल में मर गये। प्रजामण्डल इस सन्दिग्धावस्था के कारण जरूरी समझता है कि श्री गोपाजी की मृत्यु के बारे में स्वतन्त्र जांच कराई जाय और इस अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद् का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है।

२. उपस्थिति नीचे लिखे अनुसार थी:—

(१) श्री गोकुलभाई भट्ट (सिरोही)
(२) ,, जयनारायण व्यास (जोधपुर)
(३) ,, गोकुललाल असावा (शाहपुरा)
(४) ,, मांगीलाल शर्मा (जोधपुर)
(५) ,, देवनारायण व्यास (जोधपुर)
(६) ,, जीवनदत्त शर्मा (बीकानेर)
(७) ,, लाडाराम सन्त (जोधपुर)
(८) ,, माधोलाल सुनार (जोधपुर)
(९) ,, मीठालाल व्यास (जोधपुर)
(१०) ,, सिद्धराज ढड्ढा (जयपुर)
(११) ,, युगलकिशोर चतुर्वेदी (भरतपुर)
(१२) ,, गिरधरसिंह (भरतपुर)
(१३) ,, रामजीलाल अग्रवाल (अलवर)
(१४) ,, रमेशचन्द्र व्यास (उदयपुर)
(१५) ,, माणिक्यलाल वर्मा (उदयपुर)
(१६) ,, नन्दलाल जोशी (उदयपुर)
(१७) श्रीमती नारायणी देवी (उदयपुर)

(१८) श्री चुन्नीलाल (ब्यावर)

(१९) ,, पुखराज सिंघी (सिरोही)

(२०) ,, मीठालाल त्रिवेदी (जोधपुर)

(२१) ,, शिवदयाल दवे (जोधपुर)

(२२) ,, मस्तानसिंह (बीकानेर)

(२३) ,, डाह्यालाल मणिलाल मेहता (पालनपुर)

(२४) ,, फूलचन्द बापना (जोधपुर)

(२५) ,, द्वारकादास पुरोहित (जोधपुर)

(२६) ,, शिवलाल पोरवाल (जोधपुर)

(२७) ,, प्रेमनारायण माथुर (जयपुर)

(२८) ,, राजबहादुर (भरतपुर)

(२९) ,, रघुवरदयाल गोयल (बीकानेर)

(३०) ,, भोलानाथ मास्टर (अलवर)

(३१) ,, मोहनलाल सुखाडिया (उदयपुर)

(३२) ,, भवानीशंकर नंदवाना (उदयपुर)

(३३) ,, भूरेलाल बया (उदयपुर)

(३४) ,, कंवरलाल जैलिया (कोटा)

(३५) ,, अभिन्नहरि (कोटा)

(३६) ,, देवीचन्द सागरमल (सिरोही)

(३७) ,, हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

३. उदयपुर की बैठक की कार्यवाही स्वीकृत हुई।

४. श्री सभापति ने प्रान्त की तथा देश की स्थिति पर प्रकाश डाला।

५. मन्त्री ने बताया कि प्रान्तीय कार्यालय से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के दूसरे अंक की प्रतियाँ सदस्यों को बाँटी जा चुकी हैं। उसी में प्रान्तीय विवरण देख लिया जाय।

६. श्री सभापति के द्वारा पेश होकर निम्न लिखित शोक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—

"अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा मानवीय श्रीनिवास शास्त्री, कांग्रेस कार्य समिति के भूतपूर्व सदस्य तथा केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस दल के भूतपूर्व नेता श्री भूलाभाई देसाई और राजपूताना प्रान्तीय सभा के सदस्य मेवाड़ के श्री सेवालाल अग्रवाल के देहावसान पर शोक प्रकट करती है और प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति मिले।"

७. श्री जयनारायण व्यास ने एक गंभीर भाषण के साथ श्री सागरमल गोपा को मृत्यु के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया। श्री हीरालाल शास्त्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

"अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा ने जैसलमेर के श्री सागरमल गोपा के देहावसान के संबंध के कागजात और घटनाओं के आधार पर जानकारी हासिल की। प्रान्तीय सभा का यह दृढ़ विश्वास है कि जिन परिस्थितियों मे श्री गोपा का देहान्त हुआ है उनमे उनकी ओर से आत्महत्या की जाने की बात मानने योग्य नहीं है, बल्कि उनकी मृत्यु के साधनों का जेल मे उपस्थित होना, जलने के बाद घंटों तक उन्हें अस्पताल न भेजना, अस्पताल भेजने के बाद भी उनके पावों में डण्डा-बेड़ियों का रखा जाना, उनके अन्तिम बयानों के समय उनके भाई तथा स्त्री को भी उनके पास उपस्थित न होने देना, किसी भी रिश्तेदार से उनकी बातचीत न होने देना आदि बातें तथा श्री गोपा के हाथ के लिखे हुए पत्र इस बात के द्योतक है कि जैसलमेर के अधिकारियों ने श्री गोपा की जीवन रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं किया तथा यह शंका होती है कि श्री गोपा की मृत्यु अधिकारियों द्वारा अथवा उनके कारण हुई है।

"प्रान्तीय सभा श्री जयनारायण व्यास और श्री हीरालाल शास्त्री को मौके पर जाकर एवं अन्य तरीकों से विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए नियुक्त करती है।

"प्रान्तीय सभा निश्चय करती है कि ४ जून १९४६ को राजपूताना प्रांत भर में व जहां तक संभव हो प्रान्त के बाहर भी 'गोपा दिवस' मनाया जाय तथा उस अवसर पर श्री गोपा की डायरी व पत्रों के आधार पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की जाय जो श्री गोपा के बलिदान पर प्रकाश डाले।

"प्रान्तीय सभा श्री गोपा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके कुटुम्बियों के प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करती है।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

८. श्री सिद्धराज ढड्ढा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया जिसका समर्थन श्री गोकुललाल असावा ने किया.—

"अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा का ध्यान अंग्रेज मन्त्री शिष्टमण्डल द्वारा हिन्दुस्तान की भावी स्वराज्य विधान सम्बन्धी प्रारम्भिक बातचीत के लिए रियासती जनता के प्रतिनिधियों को न बुलाने पर गया है। मन्त्री शिष्टमण्डल द्वारा की गई इस उपेक्षा का जोरदार विरोध करते हुए यह समिति एलान करती है कि रियासती जनता के माने हुए नेता ही उसकी ओर से बोलने या कुछ भी करने का अधिकार रखते हैं और राजा या उनके नामजद व्यक्ति रियासती जनता के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के तौर पर नहीं मंजूर किये जा सकते।"

श्री राजबहादुर ने संशोधन पेश किया कि 'के माने हुए नेता' इन शब्दों के स्थान पर 'की एक मात्र संस्था अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि' शब्द कर दिये जाय। प्रस्तावक ने संशोधन मंजूर कर लिया और संशोधित प्रस्ताव नीचे लिखे रूप में स्वीकृत हुआ :—

अखिल भारतीय देशी राज्य-लोक परिषद की प्रान्तीय सभा की कार्यवाही के फलस्वरूप श्री हीरालाल शास्त्री ने एक प्रेस वक्तव्य प्रसारित किया था। वह इस प्रकार था[1]। "राजपूताना में बसने वाली और राजपूताना के बाहर बसने वाले प्रवासी राजस्थानियों को इस बात से बहुत दुख हुआ कि जैसलमेर जेल में एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता श्री सागरमल गोपा की रहस्यपूर्ण वातावरण में मृत्यु हो गई। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह मांग उठाई गई कि जिन परिस्थितियों में देशभक्त सागरमल गोपा (जिन्हें पांच साल का कारावास था) की मृत्यु हुई

अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा का ध्यान अंग्रेज मंत्री शिष्टमण्डल द्वारा हिन्दुस्तान की भावी स्वराज्य विधान सम्बन्धी प्रारम्भिक बातचीत के लिए रियासती जनता के प्रतिनिधियों को न बुलाने पर गया है। मंत्री शिष्टमण्डल द्वारा की गई इस उपेक्षा का जोरदार विरोध करते हुए यह सभा ऐलान करती है कि रियासती जनता की एक मात्र संस्था अ० भा० दे० रा० लोक परिषद् द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही उसकी ओर से बोलने या कुछ भी करने का अधिकार रखते हैं और राजा या उनके नामजद व्यक्ति रियासती जनता के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के तौर पर नहीं मंजूर किये जा सकते।"

१. Pandit Hiralal Shastri, Convener of the Sagarmal opa Sub-Committee appointed by the Rajputana egional Executive Committee of the A. I. S. P. C. has issued the following statement :—

उसकी निष्पक्ष जांच की जाय। जैसलमेर के दरबार ने ऐसी जांच करना अंगीकार कर लिया है और सागरमलजी की विधवा पत्नी और उनके भाई को यह नोटिस भाया किया है कि वे इस जांच के सम्बन्ध में एक शिकायत पेश करे। इस पर गोपाजी के भाई श्री रामचन्द्र गोपा ने कुछ मद्दो पर सफाई चाही। इस पर दरबार ने लिख भेजा कि उक्त सफाई वे जांच-अफसर से ले सकते है। जाच-अफसर की इस सम्बन्ध में सफाई थी कि उसे केवल सिविल

The State's people in and outside Rajputana were deeply moved by the death of Shri Sagarmal Gopa, a prisoner in the Jaisalmer jail, under mysterious circumstances. Naturally a demand was made for an open and independent inquiry into the causes of and circumstances leading to, the death of Jaisalmer patriot who had been undergoing imprisonment for the last five years in the jail of a most backward state like Jaisalmer. The Jaisalmer Durbar agreed to institute an inquiry and issued a notice to the widow and brothers of the late Sagarmal Gopa to submit a complaint. Replying to the said notice. Shri Ramchandra Gopa, the late Sagarmal Gopa's brother sought necessary clarifcation of certain important notes. The clarification offered by the Jaisalmer Durbar was, however that he was advised to proceed to Jaisalmer and seek clarification from the Special Officer appointed to conduct

अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जांच सम्वन्धी गवाहों और कागजों को मंगा भेजें। वह केवल उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसके लिये उसे जांच अफसर नियुक्त किया गया है। इस जांच की रिपोर्ट वह जैसलमेर महारावल को देगा। सागरमल गोपा के रिस्तेदार और उनकी जांच में दिलचस्पी लेने वाले अन्य लोगों को इस प्रकार की विरोधी जांच में कोई सार दिखाई नहीं दिया। इससे वदतर वात क्या हो सकती है कि

---

the inquiry, It was explained by the Special Officer appointed to conduct the inquiry. It was explained by the Special Officer that he was invested with civil powers only in so far as he might be enabled to issue summons for processes for the attendance of witnesses and calling for any documents or records which might be relevant to the inquiry. He would only find on questions referred to him and would make a report to the Maharawal of Jaisalmer. The relative of the late Sagarmal Gopa and all of us who have taken interest in this contradictory case would hardly have any use for such an inquiry. But, to make the position all the more hopeless, the Jaisalmer, the Jaisalmer Government have assumed the role of the accused and have engaged a lawyer from Allahabad to defend their officials and, more correctly, themselves. Quite obviously, the Jaisalmer Government should have

जैसलमेर सरकार ने एक अपराधी का सा रुख अपनाकर इलाहाबाद से एक वकील को उनके अफसरों को बचाने की नीयत से नियुक्त कर लिया। चाहिए तो यह था कि जैसलमेर सरकार जांच मे मदद करती और सही तथ्यों को पाने मे योग देती। उसने वैसा नहीं किया। इसके विपरीत उसने जेल के कैदियों तक को उस वकील के पास ले जाने दिया ताकि उन्हे पढ़ाया जा सके। इन सब कमियों के बावजूद श्री रामचन्द्र गोपा ने इस जाच

---

legitimately assisted the complainant as against the possible accused, but, on the contrary they were found arranging for the jail inmates to go to the lawyer engaged by them to be tutored by him. Inspite of all these handicaps Shri Ramchandra Gopa decided to take part in the inquiry provided (1) that Raolot Gumansing the state official prima facie supposed to be responsible for this most unfortunate event, was suspended immediately; (2) that the venue of the inquiry was changed to Jodhpur to avoid the State pressure which was sure to be exercised on the witnesses in Jaisalmer and (3) that the inquiry was adjourned for a few days to enable witnesses from far off places like Nagpur and Karachi to come on behalf of Shri Ramchandra Gopa, Shri Raguwar Goyal of Bikaner and Shri Manoharlal Sharma of Jaipur argued with the Special Officer and I pleaded with the

में भाग लेना तय किया यदि (१) इस कुकृत्य के उत्तरदायी गुमानसिंह रावलोत को मुअत्तिल किया जाय; (२) यदि जांच जैसलमेर में न होकर जोधपुर में की जाय, जिससे राज्य सरकार का दवाव गवाहों पर नहीं पड़ सके; और (३) यदि जांच को कुछ दिनों के लिए आगे सरका दी जाय ताकि नागपुर और करांची से सम्बन्धित गवाहों को

Maharawal and Dewan to accept this reasonable request, but all in vain. We were therefore forced to the most painful conclusion that although, so far as the attitude of the Special Officer is concerned there was nothing to complain of, there is no hope of securing justice from the inquiry owing to the partisian and antagonistic attitude adopted by the Jaisalmer authorities, whose obvious plan is to make a show of an open and independent inquiry and to drop the curtain over the atrocities which must have been perpetrated behind prison walls on a helpless prisoner to the fatal end. The Jaisalmer authorities are now free to have their own way and get from the Special Officer a one-sided report which should suit hem well. As regards the people's cause, I can assure ll concerned that it is not going to be abandoned and that we shall continue our efforts in all possible ways till we succeed.

1st week of October 1946. *Sd. Hiralal Shastri.*

बुलाया जा सके। बीकानेर के रघुवर दयाल और जयपुर के श्री मनोहरलाल शर्मा ने जांच-अफसार के सामने इन तर्क संगत बातों को पा लेने की बहस भी की। लेकिन सब व्यर्थ रही। इसलिए हम इस

जैसलमेर से सनसनी खेज खबरें प्राप्त होने लगी

जैसलमेर में माहेश्वरी जाति का मौसर (विवाह) था, जिस पर समग्र भारत से महेश्वरी यहां आये थे। अब वे वापिस जाने लगे हैं, उन लोगों से जैसलमेर राज्य प्रजा मंडल के प्रधान मन्त्री श्री मीठालालजी व्यास नित्य जोधपुर स्टेशन पर मुलाकात करते हैं तथा वहां की खबरें प्राप्त करते हैं। अभी तक जो खबरें मिली हैं वे बड़ी सनसनीपूर्ण तथा रोमांचकारी हैं।

श्री गोपाजी की मृत्यु या हत्या पर प्रकाश पड़ने लगा

यद्यपि श्री गोपाजी की मृत्यु पर काफी प्रकाश पड़ता जा रहा है किन्तु जब तक इस बारे में कोई सार्वजनिक खुली व निष्पक्ष जांच नहीं की जाती सत्य पर पड़दा पड़ा ही रहेगा। श्री जयनारायणजी व्यास अपने कई साथियों सहित जैसलमेर जाने वाले हैं। सेठ गोविन्ददासजी भी जाते किन्तु उनके पिताजी के स्वर्गवास हो जाने से वे कुछ समय बाद जा सकेंगे। जो महेश्वरी समाज जैसलमेर से लौट रहा है उनका कहना है कि जब कभी दरबार या राजकुमार किले पर आते थे तो जेल दरोगा से पूछा करते कि "क्या सागरमल अभी जीवित ही है? मरा नहीं?"

जैसलमेर में नैतिक पतन अपनी सीमा पार कर चुका है और नैतिक सुधार ही श्री गोपा को अत्यन्त प्रिय था। अतः जो व्यभिचारी थे उन्होंने मिल कर गोपाजी को फांसने का षड़यन्त्र रचा। सन १९४१ में जब मि० गोपा जैसलमेर गये तो उन्हें इस षड़यन्त्र का पता था इसलिये

दुखद नतीजेपर पहुंचते हैं जैसलमेर अधिकारियों द्वारा मिलावट का रुख अपनाने के कारण, इस जांच में कोई बल नहीं रह गया है। जांच करवाना तो केवल एक स्वांग मात्र लगता है ताकि दर्दनाक हत्या-

---

वे तत्कालीन रेजीडेन्ट मि० एन० एस० ऐलिंगटन से आश्वासन प्राप्त करके ही गये थे ताकि जिम्मेवारी भारत सरकार की रहे। ता० २४ मई सन् ४१ ई० को श्री गोपा ने एक कार्ड जैसलमेर से अपने भाई रामचन्द्रजी गोपा को नागपुर लिखा कि वे जैसलमेर से रवाना होने वाले हैं, स्टेट ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। कहते हैं कि यह कार्ड पोस्ट आफिस से नरबदाशंकर व दानमल गोपा ने पढ़ लिया और अधिकारियों को खबर दी। तत्काल उनकी गिरफ्तारी का जाल रचा गया और २५ मई सन् ४१ ई० को श्री गोपाजी के मकान के सामने लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर से एक टोली निकली व जिस वक्त गोपाजी पेशाब करने को निकले तो पेशाब करने के बीच में उनके नंगे बदन पर लाठी प्रहार गुमाना ने किया तथा आमदकलर व लूणा ओसवाल ने उन्हें उठाकर जबरन जेल में ले जाकर ठूंस दिया और फिर खूब मारपीट की। जबकि श्री गोपा ने जैसलमेर पहुंच कर कोई भाषण नहीं दिया और न कोई परचे ही बांटे फिर भी यह अपराध उन्हें उनकी रवानगी के वक्त गिरफ्तार करके लगाया और गवाहों को हाथ में परचे देकर गवाही दिलाकर श्री गोपा पर केस चलाया, यह है न्याय का नग्न नृत्य।

श्री गोपा के साथ जेल में, पुलिस में व अदालत में जो व्यवहार ।। गया उनका रहस्य तो खुली जांच पर ही खुलेगा। ता० २६ मार्च ।। एक पत्र श्री गोपाजी के ससुर का लिखा हुआ यह स्पष्ट बताता है कि श्री गोपाजी ने अपने ससुर की मारफत उनके छोटे भाई श्री रामचंद्र जी गोपा को यह खबर भिजवा दी कि पोलिटिकल एजेन्ट जैसलमेर

कांड पर परदा पड़ सके। जैसलमेर के अधिकारी अब स्वतंत्र हैं कि वे जिस तरह तोड़-मोड़ कर जांच करवावें। मैं यह आश्वासन दिलाता हूं कि मैं उस

ता० ६ या ७ को पहुंचने वाला है अतएव इस मौके पर श्री जयनारायण जी के पास जाकर पोलिटिकल एजेन्ट से यह कह दिया जावे कि वह श्री गोपा से जैसलमेर जेल में अवश्य मिलें। उपरोक्त पत्र श्री गोपा से मुलाकात करके उनके ससुर ने लिखा था। इस मुलाकात की अर्जी श्री गोपा ने दी थी जो मंजूर की गई थी व मुलाकात के समय मि० आचार्य मौजूद थे। यह समाचार जब रजिस्ट्री पत्र द्वारा नागपुर पहुँचा तो इसे अरसा ७ दिन का लग गया याने अप्रेल ४ तारीख को मिला।

कहते हैं कि इस पर पुलिस ने गोपाजी को जला डालने की योजना बनाई और उसमें वे कामयाब हुए। पर जलने पर भी साहसी गोपाजी ने सब सहा। जब आग का धुंआ निकला और कैदी चिल्लाने लगे कि जेल में आग कैसे लगी? तब दरोगा आदि ने जल्दी में पानी डाला जिसमें सारा शरीर बिगड़ गया, फफोले पड़ गये। नाटकीय तौर पर जज व डाक्टर आये और वहां श्री गोपा से पूछा कि यह क्या हुआ? इस पर उसने कहा कि गुमाना ने तेल डालकर जला दिया है तथा इस षड्यंत्र का वर्णन किया। जज व डाक्टर का उस वक्त का जेल में आना तथा श्री गोपा का वह बयान ये बातें गुप्त रखी गई हैं। बाद में दोपहर को जलाये गये श्री गोपाजी को रात में अस्पताल शहर की बिजली बन्द करके कैदियों पर भेजा। अस्पताल में रात को ११ बजे उनके बयान लिये और ७ बजे का समय लिखा गया। जब श्री गोपा के छोटे भाई जगजीवनजी अस्पताल पहुँचे तो उन्हें वहां से तुरन्त हटा दिया तथा जब उनके साथ-साथ कुछ दूर तक आया और दरबार में जाकर कहा कि भाई हो गया अब क्या करना? तब बयान लेने की सोची गई। बयान दबैसे से

समय तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता।

अक्तूबर १९४६ का पहला सप्ताह "हीरालाल शास्त्री"

श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के वाद श्री जयनारायण व्यास दूसरे व्यक्ति थे जो मारवाड़ लोक-

---

लिये गये। घर का कोई हाजिर न रह सका शहर के पांच पंचों को भी नहीं बुलाया गया। हां, एक व्यक्ति के सामने बयान लिये, उसका कहना है कि बयान १२ पन्ने का था जब कि उसकी नकल सिर्फ ४ पेज की दी गई। बयान की नकल यह साफ बताती है कि बयान की सच्ची व पूरी नकल नहीं दी गई। 'हिन्दू कैदी तो हंगरस्ट्राइक' ये शब्द साफ बताते हैं कि यहां बयान का सिलसिला बदला गया है। इसी तरह की अन्य बातें बयान का नकली तैयार किया जाना सबूत करती है। श्री गोपाजी साहित्यिक भी थे—वे 'जौहर व्रत' शब्द का उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि यह व्रत राजपूताने मे स्त्रियां करती थी न कि पुरुष। बयान में नरबदाशंकर गोपा का जेल में जाकर (झूठ ही) श्री जयनारायणजी से मुलाकात करने व पत्र व्यवहार की बातचीत का प्रसंग-एक सरासर जालसाजी सबूत करता है जब कि जयनारायणजी से नरबदाशंकर ने स्वप्न में भी मुलाकात नहीं की। श्री गोपाजी के ससुर से बयान पर यह कहकर दस्तखत कराये गये कि मुलाकात करो, इसके दस्तखत हैं।

ता० ४-४-४६ ई० को सुबह १० बजे श्री गोपा ने दूध व पानी मांगा—नहीं दिया गया बल्कि यह बताया गया कि वे रात से ही बेहोश हैं। वे अन्त समय तक 'राम राम' जपते रहे तब कहते हैं कि जेल मेडिकल आफिसर मि० दुर्गाशंकर ने इन्जेक्शन दिया जिससे ३ मिनट में ही स्वर्ग चले गये। उसी वक्त अपने पाकिट से एक पुष्प माला निकालकर

परिषद के बीस साथियों सहित बस द्वारा २४ मई १६४६ ई० को जैसलमेर पहुंचे। वे अपने साथ एक लाउड स्पीकर बस पर लगा कर ले गये थे। राज्य

श्री गोपाजी को दुर्गाशकर ने पहराई मानो वह यह मौका देख ही रहा था।

श्री मीठालालजी ने कई बार लिखित प्रार्थनाएं दी, घर वालों ने वर्षों नरेश के चक्कर काटकर विनती की, प्रवासियों ने प्रार्थनाएं की, देशी राज्य प्रजा परिषद ने भी लिखा, पर सब बातें सुनी अनसुनी करके यही मौखिक उत्तर दिया कि युवराज जानें ?

अब तो जनता की यह हार्दिक इच्छा है कि महारावल साहब पुराने ढर्रे का त्याग न करें और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दे दें जिससे उनकी सर्वत्र शोभा हो।

भारत की आजादी घोषित हो चुकी है, रियासतें पृथक न रह सकेंगी, रियासतों की स्थापना व शक्ति आदि से ही जनता ने अपना बलिदान देकर कायम की है, राजाओं की खानदानी जागीरें नहीं हैं—यह जनता की इच्छा थी जो राजाओं को इतने समय तक मान दिया। किन्तु जब ऐसे अनर्थ होते हैं, प्रजा के विवाह रोके जाते हैं और अधिकार छीने जाते हैं तो चन्द रोटी के भूखे टुकड़खोरों जिनका जीवन पशुओं से भी निकृष्ट है, को छोड़कर शेष सभी जनता अपने राज्य को बरबाद न होने देगी।

[प्रकाशक-मन्त्री जैसलमेर प्रजा मण्डल] [मुद्रक प्रजा-सेवक प्रेस, जोधपुर]

•

जैसलमेर का कलंक (लि०—श्री० मोहम्मद मोणवेल वाला)

विगत ४ अप्रेल सन् १६४६ ई० को जैसलमेर राज्य के कारागृह में देशी रियासतों के अग्रगण्य कार्यकर्ता व देशभक्त श्री सागरमलजी

प्रजा मण्डल के कर्णधार मीठालालजी व्यास के अनुरोध से जैसलमेर में राज्य प्रजामंडल के प्रधान कार्यालय का जो अब तक जोधपुर में ही था उद्घाटन भी उसी अवसर पर किया गया और वे राज्या-

---

गोपा की रोमांचकारी व रहस्यमयी मृत्यु से उस राज्य की काली करतूतों ने जनता की आंखो के सम्मुख पड़े हुए भ्रमजाल का खासा पर्दा फाश कर दिया।

श्री सागरमलजी का अपराध क्या था ? किस कारणवश राजस्थानी रणवीर को पांच वर्ष की लम्बी अवधि तक हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया ? इसके पीछे एक लम्बा रहस्यमय इतिहास छिपा हुआ है।

यह कहने व बताने की आवश्यकता नही है कि जैसलमेर जैसा जंगली व अराजक राज्य ससार मे कहीं भी नजर न आवेगा।

श्री सागरमलजी पकड़े गये,

सन् १९४१ मे कुटुम्बिक कार्यवश श्री सागरमलजी गोपा को जैसलमेर जाना पड़ा। जोधपुर जाकर पोलिटिकल एजेन्ट से मिले, तीन दिन ठहरने का प्रमाण पत्र हासिल कर श्री सागरमलजी जैसलमेर गये। महारावल ने अपने आदमियो द्वारा श्री सागरमलजी को बुलाया और कहा कि तुम्हें जितने दिन रहना हो रहो, राज्य तुम्हारा ही है, चिन्ता का कोई कारण नहीं है। इन अमित मीठे शब्दों मे शुद्ध हृदय श्री गोपाजी [illegible] गये। तीन दिन बीते कि अचानक महारावल ने गिरफ्तारी का हुक्म [illegible] कर श्री सागरमलजी को जेल मे ठूंस दिया। जेल में उनके हाथों हथकड़ी व पैरों मे बेड़ियां डाल दी गई। स्नान इत्यादि तक की सुविधा न दी गई, मारना शुरू हुआ। श्री गोपाजी यदि इन सब दुराचारी

धिकारियों से मिले। व्यासजी को जिस मकान में ठहराने का प्रबन्ध किया गया था उसका मालिक आतंक के कारण मौके पर मुकर गया। और दूसरा

के बारे में प्रश्न करने तो उनसे माफी पत्र लिखने को कहा जाता था। तभी छुटकारा हो सकता था। स्वाभिमानी श्री सागरमलजी गोपा ने माफी-नामे के लिए स्पष्ट इन्कार कर दिया। एक, दो और तीन वर्ष बीते और दमन भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जेल-जीवन के चतुर्थ वर्ष में अपनी यातनाओं को प्रकट करने का प्रबन्ध किया तो जुल्मों के पहाड़ उन पर पटके गये, जिस पर उनने अनशन आरम्भ किया तो परिणाम स्वरूप उन पर लाठियों की निरन्तर वर्षा व अमानुषिक अत्याचारों की झड़ी लग गई। श्री सागरमलजी ने राजपूताना की प्रजा परिषदों के पदाधिकारियों के पास अपने मित्रों द्वारा सन्देश भेजा।

इसके पश्चात एकाएक श्री सागरमलजी के परिवार को राज्य की ओर से सूचना दी गई कि श्री सागरमलजी का अवसान आत्म हत्या द्वारा होगया है, शव ले जाकर दाह संस्कार कर लो। परिवार वालों ने जोधपुर से डाक्टर बुलाकर शव-परीक्षा के बाद शव लेने की प्रार्थना की जिसे ठुकरा दिया गया। इसके पीछे जैसलमेर की महा घनघोर वीभत्स नरमेध व अत्याचार की रहस्यमय कथा छिपी हुई है।

इस समाचार से राजस्थानी प्रजा की आंखें खुल जानी चाहिये। जैसलमेर की इस वीभत्स रहस्यमयी दुर्घटना सम्बन्धी सार्वजनिक जांच के लिये निष्पक्ष जांच-कमेटी नियुक्त कराने के लिये सर्वसाधारण को प्रचण्ड आन्दोलन करना चाहिये।

"अमर शहीद श्री सागरमल गोपा जिन्दाबाद"
"सामन्तशाही मुर्दाबाद"
"जय-हिन्द"
(बम्बई समाचार, ता० २१-४-४६ ई०)

कोई व्यक्ति भी पुलिस के आतंक के मारे उन्हें अपने मकान में ठहराने को राज़ी न था अतः अन्त में उन्हें बाहर गड़सीसर तालाब के किनारे पर स्थित

अमर शहीद श्री सागरमलजी गोपा के प्रति श्रद्धांजलि

राजपूताने की सबसे पिछड़ी हुई एकमात्र रियासत जैसलमेर में वहां के एकमात्र राजनैतिक बंदी श्री सागरमल गोपा को ता ३-४-४६ को पाशविक जुल्मों के पश्चात् उनकी रहस्यमय मृत्यु या हत्या से ता. ४-४-४६ को उनका स्वर्गवास होगया जिनकी सूचना प्राप्त होने पर जैसलमेर प्रवासियों की सार्वजनिक सभा श्रद्धांजलि अर्पित करने को ता. १३-४-४६ को हुई, जिसकी संक्षिप्त कार्यवाही नीचे मुजब है। निम्नलिखित ४ प्रास्तव सर्वसम्मति से पास हुए:—

प्रस्ताव

१. नागपुर-निवासी जैसलमेर प्रजा की यह आम सभा, जैसलमेर जेल में अमरशहीद श्री सागरमलजी गोपा की अमानुषिक मृत्यु पर रोष व संताप व्यक्त करती है। एक राजनैतिक कैदी के साथ अत्याचार और उनकी रहस्यमय स्थिति मे मृत्यु या हत्या प्रजा की दृष्टि में राज्य की जिम्मेवारी है। जैसलमेरी प्रजा दरबार साहेब से इस मामले मे खुली व निष्पक्ष जांच की मांग करती है। बिना इस जांच के जैसलमेरी प्रजा को कदापि संतोष नहीं हो सकता और तब तक वह यही मानेगी कि राज्य इस हत्या की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं है।

२. जैसलमेरी प्रजा का भारत सरकार के राजनैतिक विभाग और पश्चिमी राजस्थान के पोलिटिकल एजेंट से निवेदन है कि वह इस मामले को दबने या दबाये जाने का मौका न दे और महारावल जैसलमेर को खुला जांच कमीशन बैठाने को मजबूर करे।

व्यासों की बगीची में ठहराया गया। बस का ड्राइवर भी संयोग से व्यास ही था। उसने बस को बगीची

---

३. इस प्रजा की अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजी नेहरू से प्रार्थना है कि वे इस घटना में निजी दिलचस्पी लें और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

४. स्व. गोपाजी ने जैसलमेर प्रजा के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये कठोर साधन और त्याग तथा अन्त में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया उसके लिये यह सभा गर्व अनुभव करती है और विश्वास करती है कि स्वर्गीय गोपाजी का यह बलिदान जैसलमेर के अत्याचारी शासन का अन्त करने में सहायक होगा। यह सभा गोपाजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करती हुई उनके शोक-संतप्त परिवार के साथ गहरी समवेदना प्रगट करती है।

"जय हिन्दी"

क्वेटा (बिलोचिस्तान) में 'गोपा' दिवस

क्वेटा ता. ४-६-४६

अ. भा. देशी राज्य प्रजा परिषद् के राजपूताना प्रान्तीय सभा के निश्चय के प्रस्ताव के अनुसार ता. ४ जून सन १९४६ को बिलोचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बसने वाले जैसलमेरी नागरिकों ने अपने अपने प्रतिनिधि "गोपा दिवस" मनाने के लिए क्वेटा भेजे। क्वेटा में जैसलमेर के उत्साही कार्यकर्त्ता पं. हजारीमलजी व्यास की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा श्री सनातन धर्म सभा मीटिंग हाल में हुई।

पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके आगमन की सूचना तुरन्त महारावल को पहुंच गई। वे घबरा

अध्यक्ष महोदय ने अमर शहीद गोपाजी के जीवन चरित्र, उनकी देश भक्ति, आदर्श एवं शासन सुधार के विचारों पर प्रकार डालते हुए उनकी जेल यातनाओं का वर्णन किया तथा जैसलमेर जेल में उनकी जो हत्या की गई उस पर शोक प्रगट किया। शोक प्रस्ताव को उपस्थित समाज ने खड़े होकर स्वीकार किया व श्रद्धांजलि अर्पित की। निम्नलिखित चार प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुए:—

१. श्रीमान् पं. जवाहरलालजी नेहरू, अध्यक्ष देशी राज्य प्रजा परिषद् और श्री जयनारायणजी व्यास, प्रधान मन्त्री देशी राज्य प्रजा परिषद् से यह सभा विनम्र प्रार्थना करती है कि वे अपना अमूल्य समय देकर स्व. गोपाजी की मृत्यु या हत्या की अवश्य निष्पक्ष जांच करावें तथा स्व. गोपाजी की मृत्यु, आत्महत्या या हत्या है इसके सम्बन्ध में फैले हुए भ्रम को दूर करें।

२. जैसलमेर स्टेट के वर्तमान दीवान साहब श्री जुत्सी से यह सभा अनुरोध करती है कि गोपाजी के निधन का रहस्य निजी दिलचस्पी से निष्पक्ष जांच द्वारा कराकर प्रजा हित करें।

३. सर्व सम्मति से यह तय हुआ कि गोपाजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अन्न एवं जलदान याचकों को कराया जाय। और "गोपा फंड" को एकत्रित किया जाय।

४. यह सभा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि गोपाजी की आत्मा को शान्ति प्रदान करे एवं उनकी धर्मपत्नी व कुटुम्बियों को इसे सहने की शक्ति प्रदान करे।

गये।

श्री जयनारायण व्यास के साथ जाने वालों में

राजस्थानी जनता से अपील

अमर शहीद गोपा दिवस मनाइये

जैसलमेर जेल में राज्य के दमन, अत्याचार और नृशंसता के शिकार लोक सेवक स्वर्गवासी सागरमलजी गोपा की जिस प्रकार हत्या हुई है यह घटना आप सब लोगों को विदित हो ही चुकी है। एक कार्यकर्त्ता का जो राज्य में प्रजा के अधिकारों की प्राप्ति का आन्दोलन करता आया हो, अत्याचारपूर्ण अन्त, प्रत्येक राजस्थानी के हृदय में विक्षोभ उठाने वाली घटना है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि देशी नरेश इस जमाने में भी प्रजा को अधिकार नहीं देना चाहते बल्कि अपनी वही सोलहवीं सदी की सामन्तशाही और बर्बरता चलाये रखना चाहते हैं। श्री गोपाजी की हत्या राजस्थानी प्रजा को चैलेंज है। अत्याचारी देशी नरेशों के निरंकुश शासन की अन्त हो, इस अत्याचार का जवाब है।

हमारी समस्त राजस्थानी प्रजा से अपील है कि वह ता० ४ मई को जिस दिन अमर शहीद गोपाजी की मृत्यु को एक महीना पूरा होता है गोपा दिवस मनायें और जुलूस व सभाओं द्वारा देशी राज्यों के अत्याचारों के विरोध में अपनी प्रबल आवाज उठायें। इस घटना की खुली जाच इस प्रजा की माग है और जब तक यह मंजूर नहीं हो जाती राजस्थानियों में यह आंदोलन चलाये रखना है ताकि देशी राज्यों में बसने वाली प्रजा पर इस प्रकार के दमन व अत्याचारों की पुनरावृत्ति न हो।

भास्कर रोड
इतवारी, नागपुर.
ता० २७-४-४६ ई०

निवेदक
मूलशंकर व्यास,
मन्त्री जैसलमेरी सेवा संघ

श्री बाबालाल, श्री बंशीधर पुरोहित, श्री देवनारायण व्यास, श्री लालजी व्यास[1] आदि प्रमुख थे।

संध्या के समय सदरमण्डी में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के पहले महारावल ने भरसक प्रयत्न किया कि सभा का आयोजन न हो। लेकिन उसका बस नहीं चल सका। स्थिति हाथ से निकलते देख महारावल ने श्री मोहनसिंह भाटी को जैसलमेर बुलाया। ये ओसियाँ के भाटी व्यासजी से मिले और कहा कि हिज हाईनेस (महारावल) आप से मिलना चाहते हैं। अपने मित्रों की सलाह पर व्यासजी महारावल से मिले। व्यासजी से बातचीत के दौरान में "महारावल बराबर यह सफाई पेश करते रहे कि राजघराने का इसमें कोई हाथ नहीं है।" इस अवसर पर इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चोर को सब ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में महारावल ने कहा कि मैं श्रीजी की कसम खाकर कहता हूं कि हमने हत्या नहीं करवाई। आप संयम

१—इस पुस्तक में जहां जहां लालजी थानजी का जिक्र है पाठक उसे लालजी व्यास पढ़ें।

रखो। जलूस मत निकालो। आप सभा का आयोजन मत करो।"[1]

सभा स्थल पर जाने से पहले व्यासजी को बगीची से मण्डी तक एक लम्बे जुलूस में ले जाया गया। जैसलमेर के इतिहास में ऐसा शानदार जुलूस पहली बार निकला था। इस जुलूस में स्त्रियों और मर्दों की संख्या बराबर थी। पचासों महिलाओं के हाथ में तिरंगे झंडे थे। वह जुलूस शाम को ५ बजे सभा स्थल पर पहुंचा। विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों और भद्रगणों से सारा नगर गूंज उठा। सभा स्वर्गीय वैद्य भवानीशंकर बिस्सा की अध्यक्षता में हुई। उस सभा में व्यासजी ने अपने पूर्वजों की जन्मस्थली जैसलमेर दुर्ग की ओर गम्भीरता से निहारते हुए अपना सारगर्भित भाषण करीब ढाई घंटे तक दिया। लोकनायक ने जैसलमेर को बड़ा तीर्थ स्थान और अपने को जैसलमेर का मूल निवासी बताया। उन्होंने कहा कि अमरशहीद सागरमल गोपा को जैसलमेर स्वर्ग से भी प्यारा था। उन्होंने इस संदर्भ में अमरशहीद सागरमल गोपा द्वारा लिखी एक

१—ये बातें व्यासजी ने आम सभा में खुले रूप से प्रकट की थी।

श्री बाबालाल, श्री बंशीधर पुरोहित, श्री देवनारायण व्यास, श्री लालजी व्यास[1] आदि प्रमुख थे।

संध्या के समय सदरमण्डी में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के पहले महारावल ने भरसक प्रयत्न किया कि सभा का आयोजन न हो। लेकिन उसका बस नहीं चल सका। स्थिति हाथ से निकलते देख महारावल ने श्री मोहनसिंह भाटी को जैसलमेर बुलाया। ये ओसियाँ के भाटी व्यासजी से मिले और कहा कि हिज हाईनेस (महारावल) आप से मिलना चाहते हैं। अपने मित्रों की सलाह पर व्यासजी महारावल से मिले। व्यासजी से बातचीत के दौरान में "महारावल बराबर यह सफाई पेश करते रहे कि राजघराने का इसमें कोई हाथ नहीं है।" इस अवसर पर इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चोर को सब ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में महारावल ने कहा कि मैं श्रीजी की कसम खाकर कहता हूं कि हमने हत्या नहीं करवाई। आप संयम

१—इस पुस्तक मे जहां जहां लालजी थानजी का जिक्र है पाठक उसे लालजी व्यास पढ़ें।

रखो। जलूस मत निकालो। आप सभा का आयोजन मत करो।"[1]

सभा स्थल पर जाने से पहले व्यासजी को बगीची से मण्डी तक एक लम्बे जुलूस में ले जाया गया। जैसलमेर के इतिहास में ऐसा शानदार जुलूस पहली बार निकला था। इस जुलूस में स्त्रियों और मर्दों की संख्या बराबर थी। पचासो महिलाओं के हाथ में तिरंगे भंडे थे। वह जुलूस शाम को ५ बजे सभा स्थल पर पहुंचा। विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों और भद्रगणों से सारा नगर गूंज उठा। सभा स्वर्गीय वैद्य भवानीशंकर बिस्सा की अध्यक्षता में हुई। उस सभा में व्यासजी ने अपने पूर्वजों की जन्मस्थली जैसलमेर दुर्ग की ओर गम्भीरता से निहारते हुए अपना सारगर्भित भाषण करीब ढाई घंटे तक दिया। लोकनायक ने जैसलमेर को बडा तीर्थ स्थान और अपने को जैसलमेर का मूल निवासी बताया। उन्होंने कहा कि अमरशहीद सागरमल गोपा को जैसलमेर स्वर्ग से भी प्यारा था। उन्होने इस संदर्भ में अमरशहीद सागरमल गोपा द्वारा लिखी एक

१—ये बातें व्यासजी ने आम सभा मे खुले रूप से प्रकट की थी।

श्री बाबालाल, श्री बंशीधर पुरोहित, श्री देवनारायण व्यास, श्री लालजी व्यास[1] आदि प्रमुख थे।

संध्या के समय सदरमण्डी में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के पहले महारावल ने भरसक प्रयत्न किया कि सभा का आयोजन न हो। लेकिन उसका वस नहीं चल सका। स्थिति हाथ से निकलते देख महारावल ने श्री मोहनसिंह भाटी को जैसलमेर बुलाया। ये ओसियाँ के भाटी व्यासजी से मिले और कहा कि हिज हाईनेस (महारावल) आप से मिलना चाहते हैं। अपने मित्रों की सलाह पर व्यासजी महारावल से मिले। व्यासजी से बातचीत के दौरान में "महारावल बराबर यह सफाई पेश करते रहे कि राजघराने का इसमें कोई हाथ नहीं है।" इस अवसर पर इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चोर को सब ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में महारावल ने कहा कि मैं श्रीजी की कसम खाकर कहता हूं कि हमने हत्या नहीं करवाई। आप संयम

१—इस पुस्तक में जहां जहां लालजी यानजी का जिक्र है पाठक उसे लालजी व्यास पढ़ें।

रखो। जलूस मत निकालो। आप सभा का आयोजन मत करो।"[1]

सभा स्थल पर जाने से पहले व्यासजी को बगीची से मण्डी तक एक लम्बे जुलूस में ले जाया गया। जैसलमेर के इतिहास मे ऐसा शानदार जुलूस पहली बार निकला था। इस जुलूस में स्त्रियों और मर्दों की संख्या बराबर थी। पचासों महिलाओं के हाथ में तिरंगे झंडे थे। वह जुलूस शाम को ५ बजे सभा स्थल पर पहुंचा। विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों और भद्रगणों से सारा नगर गूंज उठा। सभा स्वर्गीय वैद्य भवानीशंकर विस्सा की अध्यक्षता में हुई। उस सभा में व्यासजी ने अपने पूर्वजों की जन्मस्थली जैसलमेर दुर्ग की ओर गम्भीरता से निहारते हुए अपना सारगर्भित भाषण करीब ढाई घंटे तक दिया। लोकनायक ने जैसलमेर को बड़ा तीर्थ स्थान और अपने को जैसलमेर का मूल निवासी बताया। उन्होंने कहा कि अमरशहीद सागरमल गोपा को जैसलमेर स्वर्ग से भी प्यारा था। उन्होंने इस संदर्भ में अमरशहीद सागरमल गोपा द्वारा लिखी एक

१—ये बातें व्यासजी ने आम सभा मे खुले रूप से प्रकट की थी।

श्री बाबालाल, श्री बंशीधर पुरोहित, श्री देवनारायण व्यास, श्री लालजी व्यास[1] आदि प्रमुख थे।

संध्या के समय सदरमण्डी में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के पहले महारावल ने भरसक प्रयत्न किया कि सभा का आयोजन न हो। लेकिन उसका बस नहीं चल सका। स्थिति हाथ से निकलते देख महारावल ने श्री मोहनसिंह भाटी को जैसलमेर बुलाया। ये ओसियाँ के भाटी व्यासजी से मिले और कहा कि हिज हाईनेस (महारावल) आप से मिलना चाहते हैं। अपने मित्रों की सलाह पर व्यासजी महारावल से मिले। व्यासजी से बातचीत के दौरान में "महारावल बराबर यह सफाई पेश करते रहे कि राजघराने का इसमें कोई हाथ नहीं है।" इस अवसर पर इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चोर को सब ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में महारावल ने कहा कि मैं श्रीजी की कसम खाकर कहता हूं कि हमने हत्या नहीं करवाई। आप संयम

१—इस पुस्तक में जहां जहां लालजी थानजी का जिक्र है पाठक उसे लालजी व्यास पढ़ें।

रखो। जलूस मत निकालो। आप सभा का आयोजन मत करो।"[1]

सभा स्थल पर जाने से पहले व्यासजी को बगीची से मण्डी तक एक लम्बे जुलूस में ले जाया गया। जैसलमेर के इतिहास में ऐसा शानदार जुलूस पहली बार निकला था। इस जुलूस में स्त्रियों और मर्दों की संख्या बराबर थी। पचासों महिलाओं के हाथ में तिरंगे झंडे थे। वह जुलूस शाम को ५ बजे सभा स्थल पर पहुंचा। विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों और भद्रगणों से सारा नगर गूंज उठा। सभा स्वर्गीय वैद्य भवानीशंकर विस्सा की अध्यक्षता मे हुई। उस सभा में व्यासजी ने अपने पूर्वजों की जन्मस्थली जैसलमेर दुर्ग की ओर गम्भीरता से निहारते हुए अपना सारगर्भित भाषण करीब ढाई घंटे तक दिया। लोकनायक ने जैसलमेर को बड़ा तीर्थ स्थान और अपने को जैसलमेर का मूल निवासी बताया। उन्होंने कहा कि अमरशहीद सागरमल गोपा को जैसलमेर स्वर्ग से भी प्यारा था। उन्होंने इस संदर्भ मे अमरशहीद सागरमल गोपा द्वारा लिखी एक

१—ये बातें व्यासजी ने आम सभा में खुले रूप से प्रकट की थी।

श्री बाबालाल, श्री बंशीधर पुरोहित, श्री देवनारायण व्यास, श्री लालजी व्यास[1] आदि प्रमुख थे।

संध्या के समय सदरमण्डी में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा के पहले महारावल ने भरसक प्रयत्न किया कि सभा का आयोजन न हो। लेकिन उसका वस नहीं चल सका। स्थिति हाथ से निकलते देख महारावल ने श्री मोहनसिंह भाटी को जैसलमेर बुलाया। ये ओसियाँ के भाटी व्यासजी से मिले और कहा कि हिज हाईनेस (महारावल) आप से मिलना चाहते हैं। अपने मित्रों की सलाह पर व्यासजी महारावल से मिले। व्यासजी से वातचीत के दौरान में "महारावल वरावर यह सफाई पेश करते रहे कि राजघराने का इसमें कोई हाथ नहीं है।" इस अवसर पर इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चोर को सब ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में महारावल ने कहा कि मैं श्रीजी की कसम खाकर कहता हूं कि हमने हत्या नहीं करवाई। आप मगर

१—इस पुस्तक में जहां जहां लालजी धानजी का जिक्र है पाठक उसे लालजी व्यास पढ़ें।

"दुष्टों के पंजों से बचो जवाहर सिंह,
देशन पर दया करो तभी जय पाओगे।
खालसे पर आलसा पड़े आन ब्रिटेन का,
सिखंडी की सलाह से शासन को गमावोगे।
गांधी की आंधी रोकी रुकेगी न मुगर[1] से,
तिरंगा फहराता राजमहलों पर पाओगे।"

व्यासजी ने इस तरह अपने भाषण को जारी रखते हुए कहा, "मैं महारावल से अनुरोध करूँगा कि वे अपना कलंक साफ करने के लिये 'गोपा-हत्या कांड' की खुली जांच करालें।" व्यासजी ने कहा कि अमर शहीद सागर गोपा के बारे में यह बात प्रचारित की जा रही है कि वे पागल थे। ऐसा प्रचार करना शरारतपूर्ण है। उन्होंने कहा, "यदि बुरे समाज को बदलना पागलपन है, तो वास्तव में संसार के वे सारे दार्शनिक पागल है जो जगत की व्याख्या के अलावा, उसे बदलना भी चाहते है।"

अन्त में व्यासजी ने कहा, "ऐसी घटनायें तब तक होती रहेगी जब तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नही होती। अत: आपको सर्व प्रथम प्रजा-

---

१. मुगर—मुसलमानी बलशाली नेता।

कविता भी पढ़कर सुनाई जिसमें जैसलमेर के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई थी। व्यासजी ने उस कविता को पढ़ा। कविता थी,

"गढ चित्तौड़ सम अजय
हिम गिरी सा गौरव स्थान
महा तुच्छ है जिसके आगे
स्वर्ण भूमि कैलाश ललाम
मिटा गुलामी नौरोज़ की
प्रबल शत्रु को करके ज़ेर
'उत्तर धर किवाड़'[1] कहावे
यह हमारा जैसलमेर।"

व्यासजीने आगे वताया कि जैसलमेर के सपूतों की आज हत्या की जा रही है ताकि जैसलमेर में नृशंसता का तांडव नृत्य वेरोक टोक चल सके। व्यासजी ने कहा, "महारावल और उनके पिट्ठुओं को नहीं भूल जाना चाहिए कि उसकी यह मनमानी अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है।" अमर शहीद सागरमल गोपा का हवाला देते हुए उन्होंने गोपाजी के शब्दों में कहा,

---

१—राजाओं को दिया जाने वाला खिताब—'धड़ किवाड़ भाटी'।

जाँच कमीशन

अमर शहीद सागरमल गोपा को जलाये जाने के बाद जो देश-व्यापी जाँच-आन्दोलन चला, उसकी अवहेलना जैसलमेर का महारावल नहीं कर सका। उसे जाँच-कमीशन की घोषणा करनी पड़ी। श्री जी. एस. पाठक उस जाँच-कमीशन के स्पेशल आफिसर नियुक्त हुए। श्री जी. एस. पाठक ने अपनी जाँच-कमीशन की रिपोर्ट[१] में लिखा—

---

१. FINDINGS IN JAISALMER INQUIRY
"By notification dated 27th August 1946, His Highness the Maharawal Sahib Bahadur of Jaisalmer appo-

मण्डल को मजबूत बनाना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि १९४१ ई. में गोपाजी गिरफ्तार किये गये थे और तीन अप्रैल १९४६ ई० तक वे जेल में रहे। इस बीच में उनके बारे में जो खबरें मिलीं उनके आधार पर रेजीडेंट से लिखा पढ़ी की गई। पर उनका कोई मतलब न निकला और अचानक उनके मरने की खबर मिली। आप लोग गोपाजी की मृत्यु से सबक लें[1]।"

---

१. प्रालोक, शहीद गोपा अंक, १९८६

"१. सागरमल गोपा के निधन का कारण क्या था ?

"२. सागरमल गोपा का निधन अगर आत्म-हत्या से हुआ तो क्या इसका कारण पुलिस सुपरिटेंडेंट रावलोत गुमानसिह द्वारा अथवा उसकी आज्ञानुसार अन्य व्यक्तियों द्वारा पीटे जाने अथवा यातनायें दिये जाने के भय से होना माना जाय अथवा इसका कोई अन्य कारण था ?

"Under the aforesaid notification the inquiry was to commence on the 24th of September, 1946 at the guest house at Jaisalmer and it was notified that all concerned were to produce oral or documentary evidence before me from day to day in accordance with my orders. The notification furthur provided that I was invested with the powers under the code of civil procedure in respect of issuing any summons or process for the attendance of witnesses and calling for documents or records which might be relevant to the inquiry. Accordingly the inquiry was commenced by me at the guest house at Jaisalmer on the 24th of September, 1946 On that date Mr. Ramchandra Gopa, the brother of Sagarmal Gopa deceased, appeared before me in person and was also represented by Mr. Raghuwar Dayal Goyal—an advocate of Bikaner High Court, and Mr. Manoharlall—an advocate of Jaipur High Court Mr. B. N. Goswami, Judicial Officer, represented the

"हिज़ हाईनेस महारावल साहिव बहादुर जैसलमेर ने २७ अगस्त १६४६ ई० के अपने राजकीय आज्ञा पत्र द्वारा, ४ अप्रेल १६४६ ई० को हुवे सागरमल गोपा के निधन से संबंधित कारणों की जांच करने के लिए मुझे विशेषाधिकारी नियुक्त किया। जिन मुद्दों पर मुझे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है वे इस प्रकार हैं:—

---

inted me as special officer to conduct an inquiry into the circumstances of the death of Sagarmal Gopa which took place on the 4th of April, 1946 at Jaisalmer. The matters on which I have been required to report are as follows:

"1. What was the cause of Sagarmal Gopa's death?

"2. If the death was due to suicide, whether the act was the result of any fear of being beaten or out of torture by the Superintendent of Police Raolot Guman Singh, or any other person?

"3. Whether Sagarmal Gopa, while confined in the Jail at Jaisalmer, was beaten or subjected to other forms of ill treatments by or under the orders of Raolot Guman Singh or by any other person?

"4. Whether there was any lack of attention on the part of the state authorities concerned in the treatments of the burns on his body to which he seccumbed or lack of consideration in giving him reasonable facilities during the treatment?

आरंभ करना था और साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया था कि हर संबंधित व्यक्ति निर्धारित तारीखों पर मेरी आज्ञानुसार जुबानी अथवा लिखित दस्तावेजी शहादत पेश कर सकता है। इसी आज्ञा पत्र द्वारा 'कोड आफ सिविल प्रोसिड्यार' के अंतर्गत मुझे जांच से संबंधित गवाह बुलाने, दस्तावेज अथवा रेकार्ड तलब करने के लिए सम्मन जारी करने के अधिकार भी दिये गये। तदनुसार २४ सितम्बर १६४६ ई० को जैसलमेर के गेस्टहाउस में जांच शुरू की गई। उसी दिन स्वर्गीय सागरमल गोपा के भाई श्री रामचंद्र गोपा अपने वकील श्री रघुवर दयाल गोयल एडवोकेट बीकानेर हाईकोर्ट, श्री मनोहर लाल एडवोकेट जयपुर हाईकोर्ट के साथ उपस्थित हुवे। जैसलमेर

---

deceased or other persons who might be interested in the enquiry and also the officials of the State to lead evidence on relevant matters. It was represented on behalf of the state that an assurance had already been given for the safety of persons appearing as witnesses and than an intimation of this assurance had been given to Mr. Ramchandra Gopa by letter dated August 7th, 1946. The relevant portion of the letter was read out before me. It was to the following effect:—

"Mr. Ramchandra Gopa was also informed by me that I would summon the relevant documents from

"३. क्या जैसलमेर जेल में बंद सागरमल गोपा को रावलोत गुमानसिंह द्वारा या उसकी आज्ञानुसार पीटा गया था या विभिन्न प्रकार की यातनायें दी गई अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था ?

"४. क्या आग से झुलसे हुवे सागरमल गोपा के इलाज़ के बारे में राज्य के संबंधित अधिकारियों का रवैया गैर जिम्मेवाराना रहा, जिसके कारण उनका निधन हुआ ? अथवा इलाज़ के दौरान में सागरमल गोपा को उचित सुविधायें देने में शासन का उदासीन रुख रहा ?

"उपरोक्त आज्ञापत्र के अनुसार जैसलमेर के गेस्ट हाउस में ता० २४ सितम्बर १९४६ ई० से जांच को

Jaisalmer State, Raolot Gumansingh, the Superintendent of Police, and Doctor Daya Shanker Dave, the Chief Medical Officer were represented by Mr. N. J. N. Thakur—an advocate of Allahabad High Court.

"At the outset Mr. Ramchandra Gopa made an application praying for clearification of certain matters including my powers as special officer. Reference was made by me to Shri Jaisalmer Rajpatra of 27th August, 1945, which defined my powers, and I intimated to the parties present that I would like the relations of the

में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति और राज्य के अधिकारी विवादग्रस्त प्रश्नों पर अपनी शहादत पेश करें। राज्य की ओर से हमें बताया गया कि शासन ने जांच में आने वाले गवाहों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और इसी प्रकार की सूचना राज्य ने अपने ता० ७ अगस्त १९४६ ई० के पत्र द्वारा श्री रामचंद्र गोपा को दे दी है। इस पत्र के आवश्यक अंश को पढ़कर सुनाया गया।

"मैंने श्री रामचंद्र गोपा को यह सूचना दी कि राज्य से आवश्यक संबंधित दस्तावेज को तलब करने के लिए सम्मन जारी किया जावेगा और उनका

---

that the venue of inquiry be changed to Jodhpur and suspension of R. Gumansingh be ordered or recommended to the Government of Jaisalmer. It was also prayed that fifteen days adjournment might be granted to Mr. Gopa. The ground on which the venue was saught, were, firstly that the local witnesses did not wish to come to Jaisalmer for fear of R. Gumansingh and, secondly, that the witnesses residing in British India did not like to come to Jaisalmer on account of transport difficulties. It was pointed out by the counsel for the state officials that in an application made to the judicial secretary, Mr. Ram Chandra Gopa has to the commencement of inquiry in Jaisalmer and had merely prayed that if at a latter state it transpired

राज्य की ओर से उनके जुडीशियल आफीसर श्री बी० एन० गोस्वामी पैरवी के लिए हाजिर हुये। पुलिस सुपरिटेंडेंट रावलोत गुमानसिंह और राज्य के चीफ मेडीकल आफीसर डाक्टर दयाशंकर दवे का प्रतिनिधित्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री एन. जे. एन. ठाकर ने किया।

"आरम्भ में श्री रामचंद्र गोपा ने जांच के लिए विशेष अधिकारी के अधिकार क्षेत्र व अन्य मामलों के वारे में स्पष्ट खुलासा करने की मांग करते हुये एक दरखास्त पेश की। इस पर मैंने जैसलमेर के राज्य पत्र ता० २७ अगस्त १९४६ ई० का हवाला देते हुए अपने अधिकारों से उन्हें अवगत कराया और आदेश दिया कि स्वर्गीय गोपा के संवंधी अथवा जांच

---

the State and would allow inspection thereof to the parties unless documents were proved to be privileged.

"Counsel for Mr. Ram Chandra Gopa opened the case and gave its outlines to me. There upon he wanted time till next day in order to decide whether his client would take part in the proceedings before me or not. I granted the prayer and adjourned the proceedings to Spetember 25th, 46. On that date an application was made on behalf of Mr. Ram Chandra Gopa praying

कि जांच का स्थान जोधपुर में रखा जाय, रावलोत गुमानसिंह को अस्थायी तौर पर पदच्युत किया जाय और इस प्रकार का आदेश जैसलमेर के शासन को दिया जाय। यह भी प्रार्थना की गई कि श्री रामचंद्र गोपा को १५ दिन का समय दिया जाय। जाँच स्थान को बदलने की प्रार्थना की वजह यह बताई गई कि (१) रावलोत गुमानसिंह के आतंक के कारण स्थानीय गवाह जैसलमेर में शहादत देने के लिए आने के इच्छुक नहीं थे (२) ब्रिटिश भारत में रहने वाले गवाह आवागमन के साधनों के अभाव से आना पसंद नहीं करते। राज्य के वकील ने उत्तर में बताया कि श्री रामचंद्र गोपा ने ज्युडिसियल सेक्रेट्री को भेजी गई दरख्वास्त में जांच का जैसलमेर में होना स्वीकार किया और यह प्रार्थना की कि

Chandra Gopa had, had sufficient opportunity to move the proper authorities for the change of the venue and it was too late for me to have passed any order in that respect, even if I were competent to do so.

"So far as the question of immediate suspension of R. Gumansingh was concerned it was represented on behalf of the state officials that the state was not prepared to suspend him simply to alley the suspicions of Mr. Ram Chandra Gopa and the suspension was

मुआयना करने की सुविधा प्रतिद्वंदियों को दी जावेगी बशर्ते कि वे दस्तावेज सुरक्षित (प्रिविलेज्ड) दस्तावेज न हो।

"श्री रामचंद्र गोपा ने मुकद्दमे की शुरुआत करते हुए मामले की रूपरेखा प्रस्तुत की। तद्उपरान्त, उन्होंने यह प्रार्थना की कि उनका मुवक्किल इस जांच में भाग ले या नहीं इस पर निर्णय करने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाय। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैंने मामले को तारीख २५ सितम्बर १९४६ ई० के लिए मुल्तवी कर दिया। उस दिन श्री रामचंद्र गोपा की ओर से एक दरख्वास्त पेश की गई जिसमें प्रार्थना की गई

---

that there was further interference with the conduct of inquiry that venue might be changed. It was further contended on behalf of the states official that the reasons given before me for the change of venue were not mentioned in the aforesaid application and it was represented that the state was not agreeable to change the venue of the inquiry. Upto that stage I had no evidence before me which could justify my holding that it would be interference in the conduct of inquiry, if the proceedings were continued in Jaisalmer, nor did I feel that I had any powers to change the venue of the inquiry on my authority. I felt that Mr. Ram

स्वीकार कराने के लिए श्री रामचंद्र गोपा को पर्याप्त अवसर प्राप्त था। मैंने यह भी महसूस किया कि इस मुतल्लिक अधिकार अगर मुझे प्राप्त भी होते तो भी जांच का स्थान बदलने के लिए आज्ञा देना अनुचित ही होता क्योंकि कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी थी।

"रावलोत गुमानसिंह को निलंबित करने संबंधी प्रार्थना पर आपत्ति करते हुए राज्य की ओर से यह कहा गया कि महज श्री रामचंद्र गोपा की शंकाओं को मिटाने के लिए शासन रावलोत गुमानसिंह को निलंबित करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे रावलोत गुमानसिंह व्यर्थ ही बदनाम हो जायेंगे। श्री रामचन्द्र गोपा के वकील से मैंने कहा कि इस प्रश्न पर उनकी ओर से पेश की गई शहादत अगर

---

sion. I was not invested with the powers of dismissals or suspensions of any official of the state and all that I could do was to make remarks as might be called for or be justified by the evidence which might be produced before me.

"With regard to the question of adjournment of the case I intimated counsel for Mr. Ram Chandra Gopa that I would grant the application for adjournment made by him so far the examination of his witnesses

स्वीकार कराने के लिए श्री रामचंद्र गोपा को पर्याप्त अवसर प्राप्त था। मैंने यह भी महसूस किया कि इस मुतल्लिक अधिकार अगर मुझे प्राप्त भी होते तो भी जांच का स्थान बदलने के लिए आज्ञा देना अनुचित ही होता क्योंकि कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी थी।

"रावलोत गुमानसिंह को निलंबित करने संबंधी प्रार्थना पर आपत्ति करते हुए राज्य की ओर से यह कहा गया कि महज़ श्री रामचंद्र गोपा की शंकाओं को मिटाने के लिए शासन रावलोत गुमान-सिंह को निलंबित करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे रावलोत गुमानसिंह व्यर्थ ही बदनाम हो जायेंगे। श्री रामचन्द्र गोपा के वकील से मैंने कहा कि इस प्रश्न पर उनकी ओर से पेश की गई शहादत अगर

---

sion. I was not invested with the powers of dismissals or suspensions of any official of the state and all that I could do was to make remarks as might be called for or be justified by the evidence which might be produced before me.

"With regard to the question of adjournment of the case I intimated counsel for Mr. Ram Chandra Gopa that I would grant the application for adjournment made by him so far the examination of his witnesses

मुझे इस ननीजे पर पहुंचाये कि रावलोत गुमानसिंह के पद पर रहने से जांच की कार्यवाही अनुचित रूप से प्रभावित होगी या किसी भी पक्ष की शहादत पेश करने में दिक्कतें आती हैं तो अपने आज्ञा पत्र में मैंने इसका जिक्र कुछ इस प्रकार करने का वायदा किया कि इसका परिणाम रावलोत गुमानसिंह को निलंवित किया जाना हो सकता था। राज्य के किसी भी अधिकारी को पदच्युत करना या निलंवित करना मेरे वश की वात नहीं थी क्योंकि इस प्रकार का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं था और ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता था कि जो भी शहादत मेरे सामने प्रस्तुत की गई उसके आधार पर मैं इस संवंध में आवश्यक अथवा उचित टिप्पणी अपनी आज्ञा में इस विपय पर कर देता।

---

was concerned, but I would like the case to begin and would permit the state officials to produce witnesses who might be cross examined by counsel for Mr. Ram andra Gopa and in case I was satisfied that counsel Ir. Ram Chandra Gopa left some points untouched it was necessary to further cross examine witnesses who might be produced by the state, I iid recall such witnesses for futher cross examination the adjourned date. Before I could pass any final ders on the adjournment Mr. Ram Chandra Gopa

"कार्यवाही को मुल्तवी करने के वारे में मैंने श्री रामचन्द्र गोपा के वकील को सूचित किया कि उनको पक्ष की गवाहों के बयान कलमबन्द करने बावत उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नही, लेकिन मैं चाहता था कि कार्यवाही शुरू की जाय। इसलिए मैंने राज्य की गवाहो के बयान लेना आवश्यक समझा। उनसे जिरह करने का हक श्री रामचन्द्र गोपा के वकील को था ही। अलावा इसके अगर मुझे ठीक जँचा कि राज्य की गवाहों की जिरह मे कुछ ऐसी बाते रह गई थी जो कि श्री रामचन्द्र गोपा के वकील से छूट गई थी और जिन पर जिरह की आवश्यकता थी तो एक बार और जिरह के लिए उन गवाहों को आगामी तारीख पर वापिस पेश करने के लिए

---

and his lawyers left the court room along with counsel for the state officials with a view to approach the state authorities and to arrive at an agreement or the question of the change of the venue and the adjournment of the case. Counsel for the state officials came back but Mr Ram Chandra Gopa did not arrive till 2.30 P M. His lawyers did not come and instead of pressing his application for adjournment, he stated that he did not wish to take part in the ...

ही कहा कि वे इस जांच की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ थे।

"मेरी राय में पूरे मुकदमे को मुल्तवी करने का कोई पर्याप्त करण नहीं था। राज्य ने अपने तारीख २२ जून १९४६ ई० के आज्ञा पत्र द्वारा इस मामले की जांच एक विशेष अधिकारी द्वारा किये जाने बाबत घोषणा करदी थी और कार्यवाही के अगस्त १९४६ ई० में शुरू किये जाने की आज्ञा भी उस राजकीय आज्ञा पत्र में मौजूद थी। इस राजकीय नोटिस द्वारा मुकदमे में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से अनुरोध किया गया था कि श्री सागरमल गोपा के निधन से संबंधित राज्य के किसी भी अधिकारी के प्रति शंका हो तो वे लोग इल्जामों का ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायत बतौर दरख्वास्त के

---

inquiry. I was informed that this notification was served on the parties interested towards the end of June and the beginning of July.

"There was another notification issued on 27th August, 1946, intimating the name of special officer appointed and also containing the questions referred to that officer for inquiry and further intimating that the inquiry would commence on 24th September, 1946 at the Guest House at Jaisalmer. This notification, as

दरबार साहब को पेश करे और उन इल्जामों को सबूत करने के लिए जुबानी और दस्तावेजी शहादत पेश करने के लिए अपने आप को तैयार रखे। मुझे यह भी वताया गया कि मुकदमे में दिलचस्पी रखने वाली संबंधित पार्टियों को यह सूचना जून के अन्त और जुलाई के प्रारंभ में दी गई थी। मामले की जांच करने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी का नाम और वे मुद्दे जिन पर विशेषाधिकारी को विचार करना था व मुकदमे की कार्यवाही के शुरू होने की तारीख २४ सितम्बर १९४६ ई० आदि के बारे में एक अन्य नोटिस द्वारा घोषणा की गई। उसमें यह भी वताया गया था कि कार्यवाही जैसलमेर के राजकीय गेस्ट हाउस में होगी। जैसा कि ऊपर कहा कहा गया है इस नोटिस द्वारा संवंधित पार्टियों को

---

stated above, mentioned that the interested party in the inquiry could produce all evidence, oral and documentary, before the special officer. I was informed that this notification was served on the parties interested in the first week of September 1946. Thus it appears to me that those who are interested in the inquiry had ample notice and had sufficient opportunity for not only discussing the quesion of venue of the inquiry with the state authorities but also for production of

हिदायत की गई कि वे इस जांच के मुतल्लिक जुबानी व दस्तावेजी शहादत विशेष अधिकारी के सामने पेश करें। मुझे यह बताया गया है कि इस नोटिस की सूचना संबंधित पार्टियों को सितम्बर माह के पहले सप्ताह में प्राप्त हो चुकी थी। इस प्रकार मुझे इस परिणाम पर पहुंचना पड़ता है कि सम्बन्धित पार्टियो को पर्याप्त सूचना मिल चुकी थी और इन लोगों को राज्य अधिकारियों से मिलकर जांच का स्थान बदलवाने व शहादत पेश करने के लिए काफी अवसर व समय दिया गया था। लेकिन इन्साफ को मद्दे नजर रखते हुए श्री रामचंद्र गोपा की ओर से गवाहों की शहादत के लिए तथा राज्य की ओर से गवाहों से दुबारा जिरह करने के लिए मैं इस हद तक कार्यवाही मुल्तवी करने को

---

evidence. However, as a matter of indulgence, I was prepared to adjourn the inquiry for the puposes of production of witnesses by Mr. Ram Chandra Gopa and for further cross examination of witnesses which might be produced by the officials of the State. I was told by Mr. Ram Chandra Gopa's lawyer that they had received no instructions for the cross-examination of witnesses and that they were not prepared to stay at Jaisalmer for another day. I felt that the period of

तैयार था । श्री रामचंद्र गोपा के वकीलों ने मुझे बताया कि गवाहों से जिरह करने बाबत उन्हें किसी प्रकार की हिदायत नहीं दी गई और वे जैसलमेर में एक दिन भी ठहरने को तैयार नहीं थे। श्री रामचंद्र गोपा और उनके वकील दो दिन तक जैसलमेर में ही मौजूद रहे और इन दो दिनों में श्री रामचंद्र गोपा से उनके वकील गवाहों से जिरह करने के मुतल्लिक जरूरी हिदायतें ले सकते थे और दो दिन तक स्वयं श्री रामचंद्र गोपा अदालत में हाजिर थे। मुकद्दमे की अगामी तारीख पर गवाहों से जिरह का मौका देने का वायदा मैं कर चुका था इसलिए मैंने महसूस किया कि राज्य के अधिकारियों की ओर से पेश किये गवाहों की शहादत रोक कर मुकदमे की कार्यवाही मुल्तवी करना वाजिब हो

---

two days during which Mr. Ram Chandra Gopa and his lawyers had been in Jaisalmer was sufficient for obtaining instructions from Mr. Ram Chandra Gopa who had also been present in court on both the days and, in view of the fact that I was going to find an opportunity for further cross examination on the adjourned date, I did not consider it necessary that the case should be adjourned for the examination of the witnesses who were to be produced by the state officials.

सकता था। चूंकि श्री रामचंद्र गोपा ने मुकद्दमे की कार्यवाही में शामिल होने से इन्कार कर दिया था मुकद्दमे की कार्यवाही मुल्तवी करने बावत अदालत में आने पर भी अपनी दरख्वास्त पर जोर न दिया इसलिए इन्हीं वजुहातों पर मुकद्दमे के मुल्तवी किये जाने बावत उनकी दरख्वास्त को मुझे खारिज करनी पड़ी।

"मुझे खेद है कि श्री रामचंद्र गोपा व मुल्तफी सागरमल गोपा के संबंधी जांच संबंधी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और न उन्होंने पैरवी की। इस हालत में राज्य के अधिकारियों की ओर से गवाहों से जिरह भी मुझे ही करनी पड़ी। इसके अलावा कोई चारा न था। श्री रामचंद्र गोपा के वकील को यह मालूम था कि करीब दो महीने

By reason of the fact that Mr. Ram Chandra Gopa refused to take part in the proceedings and did not press his application for adjournment after he turned to the court as stated above, I rejected that application.

"It is a matter of great regret that Mr. Ram Chandra Gopa and other relations of the deceased did not partcipate in the inquiry and did not assist me in the conduct here of. The only choice left to me was to cross examine the witnesses produced by the officials of

तक मुझे भारत से बाहर विदेशों में रहना था इस कारण भी आगामी पेशी की तारीख दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में मुकर्रर होनी थी और उस दौरान में अपने गवाहों को बुलाने तथा राज्य के गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर व समय उन्हें मिल जाता।

"इस संदर्भ में यहां मैं एक और बात करना जरूरी समझता हूं कि स्वर्गीय श्री सागरमल गोपा के ससुर नागपुर निवासी श्री बिहारीलाल व्यास का बयान कलमबंद करने के लिए मैंने कमीशन भी मुकर्रर किया लेकिन वह कमीशन नागपुर बिना बयान कलमबन्द किये ही लौट आया कि श्री बिहारी लाल व्यास बयान देने से इन्कार हो गये।

---

the State myself, which I accordingly did. Counsel for Mr. Ram Chandra Gopa knew that I would be absent from India for about two months and that the adjournment date was likely to fall in the Christmas week. That would have given Mr. Chandra Gopa ample opportunity for producing his witness and also for preparing for fuller cross-examination of the witness produced by the officials of the State.

"It may be mentioned that I issued commission for the examination of Beharilal Vyas the father in law

"अब इस मुकद्दमे की असलीयत पर गौर करें। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। कुछ समय तक उन्होंने राज्य के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ रखा था और १० जून १९४२ ई० को जैसलमेर के सेसस जज ने हस्ब दफा १२४ IPC ताजीरात हिन्द के मातहत जुर्म के अपराधी सबूत हो जाने पर सागरमल गोपा को छः साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जैसलमेर के जेल में बंद सागरमल गोपा सजा भुगत रहे थे और उनके पैरों में भी जंजीरें डाल दी गई थी। २२ अप्रेल १९४६ ई० को दोपहर के १ और २ बजे के बीच समय में जेल में दूसरे लोगों को सागरमल गोपा के कमरे से

of Sagar Mal Gopa who was at Nagpur. But the commission returned unexecuted, as the witness refused to give evidence.

"I must now proceed to deal with the merits of the case. Sagar Mal Gopa was a native of Jaisalmer. For some time he carried on an agitation against the state and it appears that on June 10, 1942 he was convicted, under section 124 A, 121 B by the Sessions Judge of Jaisalmer and was sentenced to six years rigorous imprisonment and fine. He was serving his sentence in the Jaisalmer Jail with fetters on his feet. On April 2, 1946 between one and two P. M. the inmates of the Jail heard shouts

निकली आवाजें सुनाई दी और जब वे वहां गये तो देखा कि सागरमल का शरीर आग से जल रहा था। चीफ मेडीकल आफीसर को तत्काल सूचना दी गई और वे वहां आ पहुंचे और सागरमल गोपा की तीमारदारी करने लगे। सायंकाल को श्री सागरमल गोपा को अस्पताल ले जाया गया जहां ४ अप्रेल १९४६ ई० की रात के ११ बजे उनका देहान्त हो गया। इस आकस्मिक मृत्यु के कारणों की एक जांच हुई। इसके अलावा एक विभागीय जांच भी की गई जिसकी रिपोर्ट में सागरमल गोपा के मौत का कारण 'आत्म हत्या' बताया गया।

---

coming from his cell and found that his body was burning. Information was given to the Chief Medical Officer who immediately came to Jail and attended Sagar Mal Gopa. In the evening he was removed to the hospital and at abou 11 A. M. on April 4, 1946, he expired. An inques was held and later a departmental inquiry was als ade & it was reported that Sagar Mal Gopa had mmed suicide.

"A volume of cun tary evidence was placed before me and 13 itesses were examined. The ocumentary evidence ly consists of Dying Decla- on of Sagar M Gop, s bed head ticket, hospital ster and letter w en him.

"इस मुकद्दमे से ताल्लुक रखने वाले दस्तावेज काफी तादाद में बतौर शहादत मेरे सामने पेश किये गये और १३ गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। इन दस्तावेजों में मृत्यु पूर्व सागरमल का अंतिम बयान, कैद का विल्ला, अस्पताल का रजिस्टर और मुल्तवफी सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई कुछ चिट्ठियों का जिक्र खास तौर पर जरूरी है।

"सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज सागरमल गोपा का मृत्यु पूर्व दिया गया आखिरी बयान है।

The most important document is the dying declaration which, if genuine and true, will be decisive of the question whether Sagar Mal Gopa committed suicide or met his death in any other manner. This document is in the hand writing of Mr. Ganesh Dutta Acharya judge and magistrate, and has been attested by the said Acharya, Mr. Durga Shankar Dave, the Chief Medical Officer, Jai Chand, Beharilal Vyas, the father in-law of the deceased, and by a Regunath Vyas. The document is dated April 3rd, 1946 and it is stated therein that the dying declaration was recorded at 9 P. M. in the hospital at Jaisalmer. It is also stated that on account of the fact Sagar Mal's hands had become stiff. He was not in a position to make his signature or to put his thumb impression. The document also bears the endorsement that it was read out to Sagar

निकली आवाजें सुनाई दी और जब वे वहां गये तो देखा कि सागरमल का शरीर आग से जल रहा था। चीफ मेडीकल आफीसर को तत्काल सूचना दी गई और वे वहां आ पहुंचे और सागरमल गोपा की तीमारदारी करने लगे। सायंकाल को श्री सागरमल गोपा को अस्पताल ले जाया गया जहां ४ अप्रेल १९४६ ई० की रात के ११ बजे उनका देहान्त हो गया। इस आकस्मिक मृत्यु के कारणों की एक जांच हुई। इसके अलावा एक विभागीय जांच भी की गई जिसकी रिपोर्ट में सागरमल गोपा के मौत का कारण 'आत्म हत्या' बताया गया।

---

coming from his cell and found that his body wa burning. Information was given to the Chief Medic Officer who immediately came to Jail and attende Sagar Mal Gopa. In the evening he was removed t the hospital and at abou 11 A. M. on April 4, 1946, h expired. An inques was held and later a depart mental inquiry [illegible] ide & it was reported th agar Mal G [illegible] mmitted icide.

[illegible] y evidence was place [illegible] es were examined. Th [illegible] y consists of Dying Decla [illegible] his bed head ticket, hospit [illegible] en [illegible] him.

अंतिम बयान के लिखने का समय रात्रि के ६ बजे का बताया गया है। इस दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र है कि सागरमल के हाथ नाकाम हालत मे थे। जिससे न तो वे दस्तखत कर सकते थे और न अपने अंगूठे से निशान ही लगा सकते थे। इस दस्तावेज में यह तसदीक मौजूद है कि पढ़कर सुनाने पर सागरमल ने दस्तावेज का मजमून सही होना मंजूर किया। दस्तावेज की मुख्य बातें नीचे मुजब है—

"(१) सागरमल गोपा ने अक्तूबर २, १९४५ ई० को एक रुक्के के जरिये श्री गणेशदत्त आचार्य को

---

been receiving letters from Sagar Mal Gopa, where upon the jailor protested why R. Guman Singh had entered the jail without the permission of the Superintendent.

"4. Sagar Mal's wife had sent a copy of the Marwar Gazettee to him but the Hawaldar had refused to hand it over to him in the absence of any order from R. Guman Singh. Thereupon Sagar Mal Gopa threw the Gazettee on the ground and stated that the police had no right to interfere in jail. This enraged Burhan who was an intimate friend of R. Gumansingh pressed the neck of Sagar Mal Gopa and threw the letter on the ground and enquired why Sagar Mal Gopa had mentioned the name of R. Guman Singh. Sagar Mal Gopa made

करते हुए चश्मदीद गवाहों के नाम भी बताये। बुरहान को आखिर माफी मांगनी पड़ी।

"(५) जेलर एक दरख्वास्त लेकर जेल सुपरिटेंडेंट के पास जा रहे थे तो पुलिस के रंगरूटों ने दरख्वास्त छीन ली और जेलर के साथ बदतमीजी से पेश आये।

"(६) १३ अप्रेल १९४६ ई० को रावलोत गुमानसिंह और बुरहान जेल के सामने गुफ्तगू की। इसके बाद बुरहान ने सागरमल से कहा कि उन्हें पुलिस में ले जाकर पीटा जायगा। बाद में फिर रेहमू हवलदार ने सागरमल गोपा को कहा कि रावलोत गुमान सिह उसी दिन गोपा को अच्छा सबक सिखाने पर आमादा है।

Dave have impressed me as truthful witneses and relying upon their treatments and the statement of Regunath Vyas, I hold that the dying declaration is genuine and was made by Sagar Mal Gopa voluntarily. Further it is coroborated in some material particulars by the letters of Sagar Mal Gopa and other evidence o [illegible] and I hold that most of the statements [illegible] in are [illegible] ntively true. I believe [illegible] 45 [illegible] al Gopa had sent a slip [illegible] G [illegible] Singh had held out threats

"(७) रावलोत गुमानसिंह ने कई बार सागरमल को पीटा और यातनायें दी और इसी भय से सागरमल गोपा ने आत्महत्या करना ही उचित समझा।

"मृत्यु के पूर्व आखिरी बयान को असलियत के सबूत में श्री आचार्य, डा० दुर्गाशंकर दवे और श्री रघुनाथ व्यास बतौर गवाह पेश किये गये। श्री बिहारीलाल व्यास नागपुर में थे और उनके जैसलमेर में न आ सकने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री वी. डी. भार्गव को शहादत लेने के लिए मैंने कमिश्नर मुकर्रर किया और उन्हें यह हिदायत दी कि वे नागपुर जाकर श्री बिहारीलाल व्यास का बयान कलमबंद करें। श्री वी. डी. भार्गव ने रिपोर्ट दी कि श्री बिहारीलाल भार्गव बयान देने के लिए राजी न हुए। श्री आचार्य और डाक्टर

---

to him. Karni Dan jailor admitted that Sagar Mal Gopa had sent a complaint against R. Guman Singh near about Dashera of the previous year. Narbada Shankar's visit is also coroborated by evidence on record and so is the fact that an application was snatched from the jailor by certain policemen (vice statement Karnidan, jailor) There is abundan evidence before me which goes to show that R. Guman Singh had ample opportunity for holding out threats to Sagar Mal Gopa who

करते हुए चश्मदीद गवाहों के नाम भी बताये। बुरहान को आखिर माफी मांगनी पड़ी।

"(५) जेलर एक दरख्वास्त लेकर जेल सुपरिटेंडेंट के पास जा रहे थे तो पुलिस के रंगरूटों ने दरख्वास्त छीन ली और जेलर के साथ बदतमीजी से पेश आये।

"(६) १३ अप्रेल १९४६ ई० को रावलोत गुमानसिंह और बुरहान जेल के सामने गुफ्तगू की। इसके बाद बुरहान ने सागरमल से कहा कि उन्हें पुलिस में ले जाकर पीटा जायगा। बाद में फिर रेहमू हवलदार ने सागरमल गोपा को कहा कि रावलोत गुमान सिंह उसी दिन गोपा को अच्छा सबक सिखाने पर आमादा है।

Dave have impressed me as truthful witneses and relying upon their treatments and the statement of Regunath Vyas, I hold that the dying declaration is genuine and was made by Sagar Mal Gopa voluntarily. Further it is coroborated in some material particulars by the letters of Sagar Mal Gopa and other evidence on the record and I hold that most of the statements contained therein are substantively true. I believe that on Oct. 2, 1945 Sagar Mal Gopa had sent a slip complaining that R. Guman Singh had held out threats

"(७) रावलोत गुमानसिंह ने कई बार सागरमल को पीटा और यातनायें दी और इसी भय से सागरमल गोपा ने आत्महत्या करना ही उचित समझा।

"मृत्यु के पूर्व आखिरी बयान को असलियत के सबूत में श्री आचार्य, डा० दुर्गाशंकर दवे और श्री रघुनाथ व्यास बतौर गवाह पेश किये गये। श्री विहारीलाल व्यास नागपुर में थे और उनके जैसलमेर में न आ सकने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री वी. डी. भार्गव को शहादत लेने के लिए मैंने कमिश्नर मुकर्रर किया और उन्हें यह हिदायत दी कि वे नागपुर जाकर श्री विहारीलाल व्यास का बयान कलमबंद करें। श्री वी. डी. भार्गव ने रिपोर्ट दी कि श्री विहारीलाल भार्गव बयान देने के लिए राजी न हुए। श्री आचार्य और डाक्टर

---

to him. Karni Dan jailor admitted that Sagar Mal Gopa had sent a complaint against R. Guman Singh near about Dashera of the previous year. Narbada Shankar's visit is also coroborated by evidence on record and so is the fact that an application was snatched from the jailor by certain policemen (vice statement Karnidan, jailor) There is abundan evidence before me which goes to show that R. Guman Singh had ample opportunity for holding out threats to Sagar Mal Gopa who

दुर्गाशंकर दवे मुझे सच्चे गवाह लगे। इन दोनों व रघुनाथ व्यास के बयानों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मृत्यु के पहले अंतिन बयान एक असली दस्तावेज है और सागरमल गोपा ने यह बयान अपनी मर्जी से दिया है। इस बयान में दी गई ख़ास बातों की ताईद सागरमल गोपा की चिट्ठियों से व मुकदमे में मौजूदा दूसरी किस्म की शहादत से भी होती है। इसलिए इस दस्तावेज में जो बातें बयान की गई हैं उनमें ज्यादातर सच ही हैं। मुझे यह ठीक ही जंचता है कि २ अक्तूवर १९४६ ई० को सागरमल गोपा ने एक टिप्पणी के जरिये रावलोत गुमानसिंह द्वारा दी गई धमकियों के वारे में शिकायत की थी। जेलर श्री करणीदान ने अपने वयान में मंजूर किया है कि पिछले वर्ष में दशहरे के करीव सागर-

---

very often sat near the Jail gate where he used to write Jail register. I also believe that on April 2, 1946 R. Guman Singh met Burhan at the Jail gate. It is clear rom the evidence that Sagar Mal Gopa had carried agitation against the State and R. Guman ;h. It is highly probable that R. Guman Singh ıst have felt offended at the conduct of Sagar Ial Gopa and must have given threats to the former. That R. Guman Singh could talk to Sagar

मल गोपा ने शिकायत के तौर पर रावलोत गुमान-
सिंह के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी। शहादत से
नर्बदाशंकर का जेल में आना भी साबित हो जाता
है और यह भी साबित होता है कि पुलिस वालों ने
जेलर करणीदान से दरख्वास्त छीन ली थी (जेलर
करणीदान का बयान) मेरे सामने पेश की गई
शहादत इस बात की ताईद करने के लिए काफी
वजनदार है कि रावलोत गुमानसिंह रोजाना ही
जेल की ओर आते जाते थे और हालात कुछ ऐसे
नज़र आते हैं कि जेल के दरवाजे के पास रुककर
बाहर के लोग, खास तौर पर रावलोत गुमानसिंह,
जेल के अन्दर के लोगों से बिना रोक टोक बातचीत
कर सकते थे। इसीलिए मेरा विश्वास है कि
रावलोत गुमानसिंह के लिए सागरमल को धमकियां
देने के लिये काफी मौके मिलते थे क्योंकि सागरमल
अक्सर जेल के दरवाजे के पास ही बैठते थे जहां वे

Mal Gopa at the Jail gate is apparant from the statement of Mr. Acharya and Karnidan Jailor. Apart from the dying declaration there is evidence of Mr. Acharya and Mr. Durga Shankar Dave that Sagar Mal Gopa had stated that he had committed suicide because of the fear of ill treatment at the hand of R. Guman Singh.

जेल का रजिस्टर भरने का काम किया करते थे। मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूं कि २ अप्रैल १९४६ ई० को रावलोत गुमानसिंह की बुरहान से जेल के दरवाजे पर मुलाकात हुई थी। शहादत से यह साफ जाहिर होता है कि सागरमल गोपा राज्य और रावलोत गुमानसिंह के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे। मुमकिन है कि रावलोत गुमानसिंह ने सागरमल गोपा के आन्दोलन से नाराज होकर धमकियां दी हैं। श्री आचार्य और जेलर करणीदान के बयान से यह जाहिर होता है कि रावलोत गुमानसिंह को जेल द्वार पर से सागरमल गोपा से बातचीत करने में कोई अड़चन या रोक टोक नहीं थी। मृत्यु के पहले आखिरी बयान के अलावा श्री आचार्य और डाक्टर दुर्गाशंकर दवे ने अपने बयानों में कहा है कि सागरमल गोपा ने यह कहा था कि रावलोत गुमानसिंह के आतंक और अत्याचार के भय से ही उन्होंने 'आत्महत्या' की है।

"From the letters addressed by *Sagar Mal Gopa to the* state that if appears that there was some delay in carrying out the orders given by the superior authorities. It further appears that Sagar Mal Gopa was very anxious to have fetters removed, which according to state

"राज्य के अधिकारियों को दी गई सागरमल गोपा की चिट्ठियों से यह मालूम होता है कि उन्हे जेल में सुविधाएं दी गई थी हालांकि इन हिदायतों को अमल में लाने के देरी जरूर होती थी। लगता है कि सागरमल गोपा जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे लेकिन राज्य का कानून ऐसा था कि बिना जमानत पेश किये जजीरे हटाई नही जा सकती थी। सागरमल गोपा जमानत दिलाने में नाकामयाब रहे। इसीलिए उनकी यह इच्छा (जंजीरें हटाने की) पूरी न हो सकी। इसीलिए वे नाउम्मीद हो गये थे और इस नाउम्मीदी ने दिमाग पर गहरा असर ला दिया था। इसी दिमागी उलझन ने कुछ हद तक सागरमल गोपा को अपनी जिन्दगी को खत्म करने को आमादा किया। मेरा विश्वास है कि रावलोत गुमानसिंह की धमकियों और उनके आतंक व अत्याचार के भय को सागरमल गोपा की

---

practice could be removed only if he had furnished surities. As Sagar Mal Gopa could not procure surities he did not succeed in achieving this object, with the result that he was feeling disappointed and seen depressed. This mental depression may have contributed to some extent, to the resolve which

आत्महत्या का नजदीकी कारण ठहराया जा सकता है। इस बारे में मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है।

"यह कहना कि सागरमल के खिलाफ कोई साजिश करके उनकी हत्या की गई थी, ठीक नहीं जंचता। सागरमल गोपा ने अपने अंतिम बयान में कहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इस बात को भूठ मानने का कोई कारण नज़र नहीं आता। अगर उनकी हत्या की जाती तो वे वेसा बयान दे सकते थे। अगर इसे खून का मामला माना जाय तो यह नामुमकिन लगता है कि हत्यारा खून करने के लिए दिन का वक्त चुनता जवकि सागरमल हत्यारे का मुकाबिला कर सकते और अपने चिल्लाहट से जेल के

Sagar Mal Gopa ultimately made to put an end to his life. But I have a doubt in my mind that threats given by R. Guman Singh and fear of illtreatment and torture operated on the mind of Sagar Mal Gopa were the immediate cause of death.

"The suggestion of foul play and murder has to be ..issed a once. There is no reason why Sagar Mal should have falsely stated in the dying declar- that he committed suicide, if in fact he had murdered. It is further unlikely that if it had been of murder the murderer should have selected day for committing the crime when Sagar Mal Gopa

अन्दर और बाहर के लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। यहां यह कह देना निहायत जरूरी है कि जेल आम रास्ते पर आया हुआ है और हिंसात्मक हरकत से आने जाने वालों का ध्यान सहज ही मे खिंच जाता है। इन कारणों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सागरमल गोपा की मृत्यु का कारण हत्या न होकर आत्महत्या थी और आत्महत्या का कारण रावलोत गुमानसिंह का आतंक व अत्याचार का डर।

"मैंने इस सवाल पर भी गौर किया है कि क्या जैसलमेर के जेल में बन्द सागरमल गोपा को रावलोत गुमानसिंह या उसके हुक्म या हिदायत के अनुसार पीटा गया या यातनाएं दी गई? क्या इसको

---

could have received and could have also attracted the inmates of the Jail and passed by by his shouts. It must be noted that the Jail is situated on a public thoroughfare and any incident of voilence would attracted the notice of passers by. For these reasons I eliminated from my consideration the possibility of murder and I hold that suicide was the cause of Sagar Mal Gopa's death and that the immediate cause of the suicide was the result of fear of being beaten or put to torture by R. Guman Singh.

साबित करने के लिए शहादत काफी है ? ऐसा होना गैर मुमकिन नहीं। मैं कहूंगा यह काफी हद तक मुमकिन भी है हालांकि इसकी ताईद में शहादत ना काफी है कि जेल में लाये जाने के पहले सागरमल को पीटा गया हो व यातनायें दी गई हो। जेल के अन्दर उनके साथ इस किस्म का सलूक किये जाने बाबत कोई ठोस सबूत नहीं है। इस मुतल्लिक मौत के पहले दिये गये अंतिम बयान में कही गई बात की ताईद दूसरी शहादत में नहीं मिलती। अलावा इसके यह भी शहादत में आया है कि जेलर और पुलिस में बनती न थी इसलिए जेल में कैदियों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार जेलर कभी भी न होने देता। मैं यह कहना निहायत जरूरी समझता हूं कि मेरी राय

"I have my anxious consideration to the question whether there was any evidence before me which could justify a finding that Sagar Mal Gopa while confined in the jail at Jaisalmer, was beaten or subjected to any form of ill-treatment by or under the orders of R. Guman Singh or any other person. I do not rule out the possibility but it is a mere possibility unsupported by independent evidence is utterly inadequate for holding that such a treatment was meted out to him while he was in the jail. The dying declaration is not corroborated in this particular case, to

में रावलोत गुमानसिंह कतई विश्वास करने लायक गवाह नहीं है।

"अब जिस सवाल पर हमें गौर करना है वह इस प्रकार है 'क्या राज्य के अधिकारियों को, आग से जले हुए सागरमल गोपा के शरीर के इलाज का बन्दोबस्त करने में अथवा इलाज के दौरान में सागरमल गोपा को उचित सुविधाएँ देने के बारे में उदासीन अथवा अनुदार रुख अपनाने का जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इस मुतल्लिक मैंने चीफ मेडीकल आफिसर व अन्य गवाहों की शाहदत पर पूरी तरह से गौर किया है। मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि सागरमल गोपा के जले हुए शरीर के इलाज में मेडीकल अफसरों को किसी भी तरह की लापरवाही के

---

my satisfaction, by other evidence on the record in this connection. I am also impressed by the fact that the jailor does not appear to have been friendly with the police and would not have allowed illtreatment of prisoners by police in the jail, I must not omit to say, however, that R. Guman Singh impressed me as a witness totally unworthy of reliance.

"I have carefully examined the evidence of Chief Personal Officer and other witnesses upon the question whether there was any lack of attention on the

लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता और मेरी जांच से एक नतीजा यह भी निकलता है कि राज्य के अधिकारियों ने इलाज के दौरान में सागरमल गोपा को सभी जरूरी सहूलियतें दीं। शहादत से यह भी मालूम होता है कि शरीर को आग लगने के बाद सागरमल गोपा के संबंधियों को जेल में व इलाज के दौरान में मुलाकात करने की सहूलियत दी गई थी और उन्होंने मुलाकात भी की थी। मुकद्दमे में मुतवफी सागरमल गोपा की पत्नी, जगजीवन, भाई या ससुर की ओर से इस बारे में कोई शिकायत किये जाने के कागजात या सबूत पेश नहीं किये गये हैं इसलिए श्री आचार्य और डाक्टर दुर्गाशंकर दवे के बयानों को सही मानने में मुझे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो रही है।

---

part of the state authoritites concerned in *the treat*-ment of the burnts on the body of *Sagar Mal Gopa* lack of consideration in giving him reasonable *facili* during the treatment. I have reached the *conclusic* *that the* medical authorities were *not guilty of an* neglect in the matter of treatment of the burnts o the body of *Sagar Mal Gopa and the state authoritie* afforded all reasonable facility to the deceased durin the treatment. *It* appears from the evidence that th

राज्य के अधिकारियों की ओर से यह सबूत करने की कोशिश की गई थी कि सागरमल गोपा दिमागी बिमारी के शिकार थे और यह दिमागी बिमारी ही उनकी आत्महत्या का कारण थी। मुकद्दमे के इस पहलू पर भी मैंने गौर किया है लेकिन मैं यह कतई मानने के लिए तैयार नही कि सागरमल गोपा की मौत रावलोत गुमानसिंह के भय से न होकर किसी किस्म के दिमागी पागलपन से हुई थी।

"ऊपर दिये गये कारणों से मैं जिन नतीजों पर पहुंचा हूं वे इस प्रकार है—

---

relation of Sagar Mal Gopa visited him in jail after he had set fire to his body and also in the hospital. I do not find any trace of any complaint having been made by his wife, Jagjivan, his brother or his father in law on this score. On this point I have no hesitation in believing the statements of Mr. Acharya and Mr. Durga Shankar Dave.

"An attempt was made on behalf of the state officials to show that Sagar Mal Gopa suffered from celusional insanity and it was such insanity which was case of suicide. For the reasons given above I have come to the following conclusions on the questions referred to me.

"(१) सागरमल गोपा की मृत्यु का कारण 'आत्महत्या' था।

"(२) आत्महत्या का नज़दीकी कारण पुलिस सुपरिटेंडेंट रावलोत गुमानसिंह का आतंक और अत्याचार का भय ही था।

"(३) शहादत इस बात को साबित करने के लिए काफी नहीं है कि जैसलमेर के जेल में बंद सागरमल गोपा को रावलोत गुमानसिंह द्वारा या उनकी हिदायतों के अनुसार पीटा गया था और शारीरिक यातनाएं दी गई थी, लेकिन यह साफ जाहिर है कि जब सागरमल गोपा जेल में बन्द थे तो रावलोत गुमानसिंह ने उनको इस प्रकार की यातनाएं देने की धमकियां भी दी थीं।

"1. Suicide was the cause of Sagar Mal Gopa's death.

"2. The immediate cause of suicide was the fear of being beaten or put to torture by the Superintendent of Police R. Guman Singh.

"3. The evidence is insufficient to justify a finding that Sagar Mal Gopa while confined in jail at Jaisalmer, was beaten or subjected to other form of physical treatment by or under the orders of R. Guman Singh held out threats of ill-treatment

"(४) राज्य के अधिकारियों को, सागरमल गोपा के आग से जले हुए शरीर, जिस कारण उन की मौत हुई, के इलाज के बारे में गैर जिम्मेवार रुख का दोषी नहीं जा सकता है और न ही राज्य अधिकारियों को इलाज के दौरान में सहूलियतें न देने का दोषी ठहराया जा सकता है।

दस्तखत—जी. एस. पाठक
तारीख ९-३-४७ विशेष अधिकारी"

श्री जी. एस. पाठक की जांच की रिपोर्ट को यहां अविकल रूप से दिया गया है ताकि पाठक स्वयं पढ़ कर अपने नतीजे निकाल ले। उस रिपोर्ट पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। श्री जी. एस. पाठक की जांच-रिपोर्ट में एलिंगटन महोदय के उस

---

to Sagar Mal Gopa while the latter was confined in the jail at Jaisalmer.

"4. There was no lack of attention on the part of state authorities concerned in the treatment of the burnts of the Body of Sagar Mal Gopa to which he succumbed or lack of consideration in giving him reasonable facility during the treatment.

Dated 9-3-47. Sd : G. S. Pathak.
Special Officer."

पत्र का उल्लेख बिलकुल नहीं किया गया है, जिसमें एलिंगटन महोदय ने श्री सागरमल गोपा को यह आश्वासन दिया था कि उनके विरुद्ध कोई राजनैतिक मुकदमा नहीं है और वे बेरोक-टोक जैसलमेर जा सकते हैं। तब जांच-रिपोर्ट में गोपाजी पर चलाये गये जिस मुकदमे की बात की गई है, जांच करने वाले अफसर का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया। वह यह मानकर कैसे आश्वस्त हो गया कि गोपाजी पर अमुक धारा के अन्तर्गत मुकदमा चला कर सजा दी गई थी। इसी तरह जांच-रिपोर्ट के अन्तर्गत यह कहा गया है कि गोपाजी का हत्यारा गोपाजी को जलाने का समय दिन का समय क्यों तय करता। रात्रि में चुपचाप यह कुकृत्य सम्पन्न हो सकता था। जांच-आफिसर की समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि गोपाजी की हत्या व्यक्तिगत हत्या न होकर महारावल द्वारा जानबूझ कर करवाई जाने वाली हत्या थी। उन दिनों महारावल का आतंक इतना गम्भीर था कि गोपाजी की जांच के समय गवाह तक गवाही देने की हिम्मत नहीं कर सके थे। स्थिति यह थी कि गोपाजी को जेल में दिन दहाड़े जलाया गया था। और यदि उन्हें खुले बाजार

में लाकर भी जलाया जाता तब भी कोई चूं तक करने वाला नहीं था।

जांच रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि गोपाजी ने आत्महत्या गुमानसिंह रावलोत की यातनाओं और अत्याचारों से की होगी। तुरन्त इसके बाद कहा गया है, "शहादत इस बात को साबित करने के लिए काफी नहीं है कि जैसलमेर जेल में बन्द सागरमल गोपा को रावलोत गुमानसिंह द्वारा या उनकी हिदायतों के अनुसार पीटा गया था" ये दोनों बातें परस्पर अन्तर्विरोधी हैं। सारी जांच रिपोर्ट इस तरह अन्तर्विरोध से भरी पड़ी है।

इस सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस प्रेस–वक्तव्य को यहां अविकल रूप से दिया जा रहा है जो उन्होंने गोपाजी के जलाये जाने के बाद दिया था। ताकि जांच-रिपोर्ट की तुलना उस वक्तव्य से किया जा सके[१]।

---

१. New Delhi,
27th April 1946.

PRESS STATEMENT BY JAWAHARLAL NEHRU.
JAISALMER TRAGEDY

"Early in April 1946 news was received of the death—in Prison in Jaisalmer of Shree Sagarmal Gopa

नई दिल्ली,
२७ अप्रेल १९४६.

सागरमलजी गोपा की हत्या पर दिया पंडित जवाहरलाल का बयान.

"अप्रेल १९४६ के आरम्भ में जैसलमेर के मशहूर राजनैतिक कार्यकर्ता श्री सागरमल गोपा की वहाँ के जेल में मृत्यु के सम्बन्ध में समाचार मिले। उनके बारे में बताया गया था कि उन्होंने अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर आत्महत्या कर ली थी। जेल में बंद एक कैदी के बारे में यह एक असाधारण बयान है। हमने इस मामले की जाँच की है और श्री जयनारायण व्यास की रिपोर्ट भी मेरे सामने है। मैंने सागरमल गोपा के भाई से भी इस सम्बन्ध में मुलाकात की है। इस जाँच से जो बातें प्रकट हुई हैं वे दर्दनाक हैं।

---

a well know Public worker there. It was stated that Mr. Gopa had committed suicide by setting fire to his clothings. This was an extra-ordinary statement to make about a prisoner in jail. We have inquired into this matter and I have before me a report by Shri Jainarain Vyas. I have also interviewed the brother of Sagarmal Gopa. The facts that this inquiry

यह स्पष्ट है कि श्री सागरमल गोपा को तीन अप्रैल को जिंदा जलाया गया था। इसे आत्महत्या कहना एक दम शरारतपूर्ण है। और यदि ऐसा मान भी लिया जाय तब भी यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि उन्हें जो यातनायें दी गई थीं, उनसे बचने के लिये उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था।

"सागरमल गोपा मई १९४१ में गिरफ्तार किये गये थे और दफा १२४ ए के तहत अपराधी ठहराये गये थे। यह अभी तक मालूम नहीं है कि उन्हें कितने साल की सजा दी गई थी। उन्हें एक साल तक काल-कोठरी में रक्खा गया था और दूसरे साल उनसे भंगी का कार्य करवाया गया था। जैसलमेर राजपूताने की सबसे पिछड़ी हुई रियासत है और

---

reveals are tragic in the extreme. It is clear that Shree Sagarmal was burnt to death on the 3rd April. It is exceedingly doubtful that this was self inflicted. Even if it was so it indicated the torture he had undergone which left him no choice but to end his life in this horrible manner.

"Sagarmal Gopa was arrested in May 1941 and tried and convicted under Section 124-A. It is not yet known what the period of his conviction was. He was confi-

एक कौने में आई हुई है। वहाँ के समाचारों को सभ्य जगत तक पहुंचने में समय लगता है। फ़िर भी उनको दी जाने वाली यातनाओं की खबर पत्रों में छपी। इसके फलस्वरूप अधिकारियों द्वारा सागरमलजी के हस्ताक्षरों के इस आशय का एक बयान प्रसारित किया गया था कि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। श्री जयनारायण व्यास ने इस सम्बन्ध में जांच की है और उन्हें सागरमलजी से ऐसे पत्र पाने में सफलता मिली है जिससे इस बात का पता चलता है कि वैसा बयान उनसे दबाव में लाकर निकलवाया गया था और वास्तव में उन्हें नारकीय यंत्रणायें दी गई थी। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स का राजनैतिक ऐजेन्ट मेजर ए. एस. एलिंगटन ने १६ मार्च १६४१ को नीचे मुजहव एक पत्र लिखा,

---

ned in a solitary cell for a year and made to work as a sweeper for another year. Jaisalmer is one of the most backward and out of the way states of Rajputana and news from it travels slowly. Still news of his ill-treatment appeared in the press. Thereupon a statement was issued by the authorities under the signature of Sagarmal himself denying ill-treatment. Shree Jainarain Vyas inquired into this matter and managed

"मुझे दीवान ने इत्तला दी है कि तुम्हारे खिलाफ राज्य का कोई मुकदमा नही है और यदि तुम जैसलमेर जाना चाहो तो दरबार की ओर से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की तुम्हें अशंका नहीं होनी चाहिए। इसकी सूचना मैं तुम्हे जबानी भी दे चुका हूं।

"इस आश्वासन के बावजूद उन्हे गिरफ्तार किया गया, सजा सुनाई गई और कई प्रकार की यातनायें दी गई। इतना ही नही इस दुर्व्यवहार को झुठलाने के लिये उन्हे धमकाकर जोर जबरदस्ती

---

to get letters from Sagarmal himself, which indicated that he had been forced under pressure to issue the statement and that in fact he was being subjected to all manner of atrocities. He pointed out that the Political Agent of Western Rajputana States, Major A. S. Alington, had written to him as follows on the 16th March 1941:—

"The Diwan has informed me that the State has no case against you and you need not anticipate ill-treatment from the Durbar if you visit Jaisalmer. I had already informed you verbally of this". Nevertheless he was arrested and sentenced and later he said he was tortured into writing a contradiction of the statement about his ill-treatment. Sagarmal was so afraid that he added to his letter, 'Kindly do not

बयान देने को मजबूर किया गया। सागरमलजी को इतना आतंकित किया गया था कि उन्होंने अपने पत्रों में यहां तक लिखा, 'इस पत्र को प्रकाशित न करें अन्यथा मुझे फिर अत्याचार सहन करना पड़ेगा।' जब तक वे जेल में रहे उन्हें लोहे की बेड़ियों में रखा गया।

"इसी वर्ष के आरम्भ में श्री जयनारायण व्यास ने पोलिटीकल एजेंट को सागरमलजी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में लिखा। साथ में श्री व्यास ने गोपाजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा भी प्रकट की और केस की नकल भी मांगी। इन दोनों में से कोई चीज श्री व्यास को नहीं मिली। २६ जनवरी १९४६ ई० को श्री जयनारायण व्यास ने जैसलमेर के प्रधान मंत्री को उन दोनों

---

publish the statement in this letter, otherwise I will again be tortured.' Throughout his stay in prison he had bar fetters.

"Early this year Shri Jainarain Vyas wrote to the Political Agent about the ill-treatment of Shri Sagarmal and asked for an interview as well as a copy of the judgment in the case. He was unable to get either. On the 24th January 1946, Jainarain Vyas wrote to the Prime Minister of Jaisalmer making the same request

वार्ता के लिये लिखा। साथ ही श्री व्यास ने उनका इस ओर भी ध्यान दिलाया कि नरेन्द्र मण्डल द्वारा नागरिक अधिकारों की बात करना इस संदर्भ में हास्यास्पद लगती है। श्री व्यास ने श्री सागरमल गोपा की रिहाई की मांग इस बिना पर की कि वे काफी लम्बे अरसे तक जेल में रह चुके हैं और उन्होंने कठिन यातनायें भी सहली हैं। इन सबके बावजूद श्री जयनारायण व्यास को श्री गोपा जी के मुकदमे की फाईल नही मिल पाई है।

"८ मार्च १९४६ ई० को श्री जयनारायण व्यास ने पोलिटीकल एजेंट को एक पत्र लिखा था इस पत्र के जवाब में पोलिटीकल एजेंट ने जल्दी ही मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था। इसके पहले कि पोलिटीकल एजेंट मामले की जाच करने जैसल-

---

and also drawing his attention to the declaration made by the Chancellor of the Chamber of Princess in regard to Civil Liberty etc. He asked for Sagarmal's release in view of the many years of imprisonment he has undergone accompanied by all manner of ill-treatment including his relatives, yet he has been not able to get copies of the judgment delivered in Sagarmal's case.

"On the 8th March 1946 Jainarain Vyas again wrote to the Political Agent to which he received a reply

मेर पहुंचे। श्री सागरमल गोपा का निधन हो गया था या यूं कहिये ज्यादा मुमकिन यही है कि श्री सागरमल गोपा को बेरहमी से मार डाला गया ताकि पोलिटीकल एजेंट और अन्य लोगों को वे आप बीती यातनाओं की दास्तान न सुना सकें। आग से जल जाने के बाद भी करीब दस घंटे तक उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उस मरणासन्न अवस्था में भी जंजीरें नहीं हटाई गई और मौत की हालत में भी उनकी पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। कुछ सम्बन्धी उनको देखने अवश्य जा सके, लेकिन उन्हें बातचीत करने की आज्ञा नहीं दी गई।

"इस दुखान्त के बारे में यह कुछ बातें हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ और विशेपकर राजनैतिक कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करना वीभत्स और

---

that he would look into this matter before long. However, the Political Agent could visit Jaisalmer for this purpose. Sagarmal was dead or was more likely done to death so that he might not be able to tell the Political Agent and others of the torture that had been inflicted upon him. Even after burning, Sagarmal was not taken to the hospital for about ten hours. His fetters were not removed even then. His wife was not allowed to see her husband even on his

गुंडागर्दी वाली बात है। जैसलमेर के राजकीय अधिकारियों ने तो इस सम्बन्ध में जांच तक करने की समझदारी नहीं दिखाई है। अनुमान स्पष्ट है। यह एक ऐसी बात है जिस पर न सिर्फ जैसलमेर के अधिकारियों के लिये बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी, जो अच्छे नाम की कद्र करते है और जिन राजाओं ने हाल ही में नागरिक स्वाधीनता की बात की है, शर्म की बात है।

प० जवाहरलाल नेहरू"

जांच–कमीशन के तुरन्त बाद ही भारत आजाद हो गया था। चाहिए तो यह था कि फांस

---

death bed. Some relatives were allowed to see him, but no conversation was premitted.

"There are some facts relating to this tragedy. It is a horrible and scandalous story that any one and more especially a well known public worker, should be treated in this way. The Jaisalmer State authorities have not even taken the trouble to have any kind of inquiry into the matter. The inference is obvious. It is a matter which should shame not only the Jaisalmer authorities but other Indian Princess also, who value their good name and who have recently spoken about Civil Liberties."

के 'ड्राईफस-मामले' की तरह 'गोपा-काण्ड' को उठाया जाता और वापस खुली आबहवा में उनको जलाये जाने के बाबत जांच की जाती। ऐसा करना समयानुकूल, तर्क-संगत और इतिहास की मानवीय परम्पराओं को आगे बढ़ाने वाली बात होती है।

इस प्रयास में अनादि काल से ही उस विद्रोही मानव को यातनायें दी गई हैं, उसे जिन्दा जलाया गया है और फांसी पर लटकाया गया है। योरूप में एपिकुरू के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ है। ब्रूनों को जिन्दा जला दिया गया था। गेलिलियो को ग्यारह साल तक कैद में इसलिए रखा गया था कि वह यह कहदे कि दूरवीक्षण-यंत्र में दिखाई देने वाले सूरज के काले धब्बे सूरज में न होकर उसकी आंखों में हैं और भारतवर्ष में भी चार्वाक के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ। भारतवर्ष में सामन्ती परम्पराओं ने कब और कैसे कितने निर्दोष और विद्वान लोगों को मृत्यु के घाट उतारा है यह इतिहास का दिलचस्प विषय है। वहां सागरमल गोपा की तरह न जाने कितने नर-नारियों को जिन्दा जलाया गया है। सुदूर भविष्य में यदि कभी इस सम्बन्ध में शोध हुई तो उस लेखक से मानव जाति अनुगृहीत होगी।

इन विद्रोहियों का व्यक्तित्व उज्ज्वल और सरल रहा है। उनका आक्रोश हमेशा समाज और व्यक्ति पर प्रकट हुआ है ताकि समाज के अवरुद्ध करने वाले द्वार खुल जायं।

अमर शहीद सागरमल गोपा का व्यक्तित्व भी इसी प्रकार के आक्रोश से अनुप्राणित था। गोपाजी जब नागपुर में रहे तब वे श्री धनराज आचार्य के यहां रहे। श्री धनराज के शब्दों में उनके व्यक्तित्व की बात सुनिये,

"मध्यप्रांत तथा बरार के मारवाडी समाज का हर व्यक्ति जब शहीद गोपाजी का नाम अपनी जबान पर लाता है तो उसे उनकी निडरता, पैनी दृष्टि, देश प्रेम तथा उनका हास्यमय स्वभाव दिखाई देने लगता है। इन्ही गुणों के कारण गोपाजी ने हिन्दुस्थान के रियासती आंदोलन में अपना नाम अमर बना लिया है।

"जेल जाने के पूर्व चार वर्ष तक गोपाजी नागपुर में मेरे मकान पर रहे। इन चार वर्षों में गोपाजी ने अपने सहवासियों पर जादू का असर डाल रखा था। यदि दो दिन के लिये भी वे कहीं बाहर चले जाते थे तो सारा वातावरण सुनसान मालूम पड़ता था।

"प्रायः कुछ लोग गोपाजी पर टीका टिप्पणी किया करते थे कि—'गोपाजी तो दूसरों के केवल दुर्गुण ही देखा करते है और उसको ही प्रकाश में

लाते हैं।' लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि गोपाजी की इसी निर्भयता ने आसपास रहने वालों की बुरी आदतों पर एक नैतिक रुकावट डाल दी थी। अपने आपको नैतिकता का पुजारी समझने वाले कई सज्जनों की गोपाजी ने इस तरह पोलें खोली थी कि उन्हें अपना स्वभाव सुधारना ही पड़ा।

"गोपाजी का देश प्रेम अत्यंत ही उच्चकोटि का था। एक समय दबाव के कारण, गोपाजी के पिता उन्हें समझाने आये। उनका उद्द्देश्य था कि जैसलमेर के अन्यायी तथा निरंकुश राजा के विरुद्ध गोपाजी अपने आंदोलन को बंद कर के किसी ऊंचे अफसर की जगह पर नियुक्त हो जायं। इस पर गोपाजी ने जो उत्तर दिया उसका प्रत्येक शब्द मार्मिक था। उनके शब्द थे—'पिता जी! मेरे कारण यदि आपको राज्य की ओर से किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप मेरे पास आ जाइये। आप यह न समझें कि मैं आपका पालन न कर सकूंगा। आप विश्वास रखिये कि मैं श्रवण कुमार के समान अपने पिता के लिये घर २ भीख मागूंगा—अनेकों कष्ट सहूंगा। लेकिन इस अन्यायी राजा के विरुद्ध जो आवाज मैंने

उठायी है उसे एक मिनट के लिये भी वंद नही कर सकता ।'

"इसी प्रकार जब लोग अपने जीवन की अंतिम घड़ियों की वातें किया करते थे तब गोपाजी के मुंह से यह निकलता था—'मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु इस जैसलमेर राज्य के अन्याय को समाप्त करने के बाद ही हो ।' यही उनकी सवसे बड़ी आकांक्षा थी ।

"आज यद्यपि गोपाजी हमारे सामने नहीं है तथापि इनका संदेश हमारे कानों में अव भी गूंज रहा है । गोपाजी मानो पुकार-पुकार कर कह रहे हैं—"जैसलमेरियों ! उठो । मृत्यु से तुम्हें हिम्मत हारने की आवश्यकता नही । एक होकर मेरे बताये हुए रास्ते पर आगे बढ़ो । अत्याचार का अंत करने के लिये अपने प्राणों तक की चिंता न करो । मैं समझूंगा कि मेरा मरना व्यर्थ नही हुआ ।"

भौतिकवाद

लेखक—**रामचन्द्र बोड़ा**, एम० ए०

१. जगत के प्रति दो दृष्टि-कोण
२. भौतिकवाद की सामान्य भाव भूमि
३. भौतिकवाद और प्राकृत वस्तुवाद
४. इतिहास-दर्शन
५. द्वंद्वात्मकता और तार्किक रूपात्मकता
६. ज्ञान-सार [Epistemology]
७. वस्तु-सार [Ontology]
८. आचार-शास्त्र
९. सौंदर्य-शास्त्र
१०. साहित्य-दर्शन
११. धर्म-सार
१२. ज्ञान और समाज
१३. मानव-प्रकृति
१४. सामाजिक-क्रांतियां
१५. राजनैतिक दल, विविध विचारधाराएं और लोकतन्त्र
१६. हेगल
१७. लुडविग फ्वायर बाख
१८. फ्वायर बाख पर मार्क्स के सूत्र
१९. मार्क्सवाद
२०. नव मानव वाद
२१. वास्तविक लोकतन्त्र पर बाईस सूत्र
२२. खुली धरती खुला आकाश
२३. नई धरती नया आकाश

लोकायत शोध संस्थान
जयपुर (राजस्थान)

हमारा आगामी महत्वपूर्ण प्रकाशन

राजस्थान
में
विभिन्न संस्कृतियों
का
अन्तरावलम्बन और अन्तर्व्यापन

●

ले० रामचन्द्र बोड़ा एम० ए०

●

लोकायत शोध संस्थान
जयपुर